राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सप्तम दिवस [संख्या 3

मंगलवार,

दिनांक 9 अक्टूबर, 1973,

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के लिए समिति का गठन

47. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) की अनुपस्थिति में : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के लिए क्या किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है ?

(2) यदि नहीं, तो कब तक यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ? यदि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही अभी तक की है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :
(1) कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(2) राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट व अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर के आसपास जो कृषि•••

Page No. 2

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले सप्लीमेन्ट्री आप नहीं कर सकते ? I have got the authority. अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने क्या कोई कृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिए कोई दरें स्वीकृत की हैं ? और जो दरें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं वे ज्यादा नहीं हैं क्या ? एक बात, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अभी राज्य के मन्त्री मण्डल की सिरसका में जो मीटिंग हुई थी उसमें सरकार ने कुछ घोषणायें की थीं और कुछ रियायतें भी दी गयी थीं लेकिन गांधी नगर के आस पास के कुछ एरिया और जयपुर के 19 हाउसिंग सहकारी समितियों ने जो प्लाट्स एग्रीकल्चरल लैण्ड के काट दिये थे उन्हें भी नोटिसेज दिये गए हैं क्या राज्य सरकार उन नोटिसेज को वापिस लेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं अगर वह पैसा जमा करा देंगी निर्धारित रेट के अनुसार तो उन्हें भी रेग्युलेराइज कर दिया जायेगा। लेकिन उसके लिए बाद में कनवर्शन चार्जेज के बाद टाउन प्लानर से उस एरिया का नक्शा भी पास कराकर पेश करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राज्य सरकार उनकी जमीन को सरेन्डर करवा लेगी। और उस जमीन को राज्य सरकार नक्शा बनाकर बेच देगी। वैसे कन्वर्शन चार्जेज देने के बाद, व जो शर्तें रेग्युलराइजेशन के लिए हैं वे पूरा करने के बाद उनको जमीन का पट्टा दे दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार उन 19 हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी यही निर्णय लेगी ? और उनसे भी उतने ही कन्वर्शन चार्जेज लेगी जितने कि मिर्जा इस्माइल रोड की जमीन के लिए हैं ? वहां आपने 40 रुपये प्रति स्क्वायर गज रखा है ? क्या वह ज्यादा नहीं है उसको देखते हुए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (सूरतगढ़) : यह आदेश आपके कब तक हो जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आदेश तो हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर आदेश हो गये हैं तो लोगों के मकानों पर बुल डोजर क्यों घुमाये जा रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आपने कब देखा है ? पहले का तो मैं कहता नहीं लेकिन 26 तारीख को राज्य सरकार के डिसीजन के बाद तो कोई बुल डोजर नहीं घुमाया जा रहा है ? आपने कहां देखा है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर गांधी नगर के आस पास और दूसरी जगहों पर बुल डोजर घुमाया जा रहा है ?

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक कर बोलें। One at a time.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा कर लिया था, जो अनधिकृतरूप से लोगों ने

Page No. 3

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कब्जा कर लिया था उस जमीन का कनवर्शन कब तक हो जायगा ? एक बात। उसके साथ साथ आपने यह भी शर्त लगाई है कि लोग चार किस्तों में पैसे जमा कर सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार ऐसे गरीब और वीकर सेक्सन के लोगों को या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, जिन्होंने ऐसी जमीन पर कब्जा कर रखा है, कुछ विशेष रियायत देने का विचार रखती है ? इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने सन् 1970 के बाद भी ऐसी जमीनों पर मकानात बना लिये हैं। क्या राज्य सरकार उन्हें भी रेग्युलराइज करने का विचार रखती है ? इसके अलावा जो जयपुर में 19 हाउसिंग सहकारी समितियां हैं उनके लिये भी कोई रियायत देने का विचार रखती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। क्या राज्य सरकार इन घोषणाओं के पहले जिन लोगों के मकानात बुल डोजर घुमा कर तोड़ चुकी है उन लोगों के लिये कोई विशेष रियायत देने का विचार रखती है या राज्य सरकार उनके लिए किसी प्रकार का एग्जेम्प्शन इन रेट्स में करेगी ? क्या राज्य सरकार इन दुर्भाग्यशाली लोगों की जमीनों को बिना पैसे लिए ही रेग्यूलराइज करने का विचार रखती है क्योंकि इन लोगों को पहले ही काफी नुक्सान हो चुका है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है कि जयपुर के कई लोगों ने बिना कलेक्टर की पर्मीशन के या बिना टाउन प्लानर से नक्शा पास कराये कुछ जमीनों पर कब्जा करके उन पर इन्डस्ट्रीज लगा ली तो क्या सरकार उन्हें रियायत देकर रेग्यूलराइज करने का विचार रखती है ?

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है क्या यह सिर्फ बड़ी बड़ी नगरपालिकाओं की जमीनों के लिये ही है यानि 'ए' क्लास, 'बी' क्लास नगरपालिकाओं की जमीनों के लिए ही है अथवा छोटी छोटी नगरपालिकाओं, जैसे पाली, नाथद्वारा है जो कि 'सी' या 'डी' क्लास नगरपालिकाओं में आती हैं, उन पर भी यही रेट्स लागू होंगी अथवा उनके लिए कुछ और रेट्स निर्धारित राज्य सरकार ने कर दी है अथवा करने जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने जो रेट्स रखी है वह 10-12 रुपये से लेकर 50 रुपये गज तक रखी हैं। वीकर सेक्शन के लिए यह काफी अधिक रहती हैं ! क्या राज्य सरकार उनके लिये विशेष कन्सेशन करने का विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह निवेदन कर दिया है कि राज्य सरकार सभी प्रकार की एग्रीकल्चरल लैंड, जो जमीनें हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा ली गई थी, को रेग्यूलराइज कर देगी बशर्ते कि जो रेट्स रखी गई हैं उनके अनुसार वह कन्वर्शन चार्जेज दे दें। इसके अलावा जो बात वीकर सेक्शन के लिये कही गयी है तो जो जमीनें शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स के लोगों के पास अनधिकृत

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

रूप से है या एग्रीकल्चरल लैंड है उसके बारे में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिनके प्लॉट्स 125 गज तक के हैं, यदि वह लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, तो 10 रुपये गज अगर वह जमीन है तो उन्हें सिर्फ उसका चौथाई यानि कि ढाई रुपये गज के ही हिसाब से देना पड़ेगा। और वीकर सैक्शन का जहां तक सवाल है उनके लिये भी राज्य सरकार ने कुछ रियायतें दीं उनसे प्लोट्स के लिये सिर्फ 50 प्रतिशत चार्जेज जो आर्डिनरी रेट्स आफ कन्वर्शन की है, वह चार्ज की जायेगी। इस तरह अगर उनका प्लाट् 250 वर्ग गज का है और वे लोग अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं तो उनसे कन्वर्शन चार्जेज की साढ़े सैंतीस पर्सेन्ट रेट ही चार्ज की जायेगी। अगर वह 250 गज़ जमीन किसी वीकर सैक्शन के लोगों के पास है तो उनसे कन्वर्शन चार्जेज का 75 प्रतिशत ही चार्ज किया जायेगा। ये रियायतें कम नहीं हैं। इन सभी बातों के आदेश सरकार ने कर दिये हैं। आज के जमाने में अगर किसी व्यक्ति ने मिर्जा इस्माइल रोड़ के आस पास कोई जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो मैं समझता हूं कि 40 रुपये गज जो हमने कन्वर्शन चार्जेज रखे हैं वे अधिक नहीं हैं। इसके अलावा जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने फर्माया कि कई लोगों के मकानात तोड़ दिये गये थे उन्हें किसी प्रकार की रियायतें दी जायंगी। तो उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि जो पहले मकानात तोड़े गये थे वे पहले के नियमानुसार तोड़े गये थे। अगर उन्हें नहीं तोड़ा जाता तो मैं आप से निवेदन कर दूं कि आपको इस जयपुर के आसपास और शहर में हजारों मकानात रोज अनधिकृत रूप से बनते नजर आते। सैकड़ों लोग उस समय नाजायज मकान बना रहे थे? उनको रोकने के लिए ही एक रूप में यह कार्यवाही की गयी थी। पीछे नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी। उनको रेगुलराइज करें और उनसे कन्वर्शन चार्जेज न लें यह नहीं हो सकेगा। नाजायज कब्जों को रोकने के लिये यह किया था और यह उचित भी था वरना हजारों की तादाद में नाजायज कब्जे हो जाते और मकानात बन जाते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा आपसे यह डाइरेक्ट क्वेश्चन है कि जिन सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक्वीजीशन की कार्यवाही है क्या वह विथड्रा होगी?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नये नियमों के नीचे कार्यवाही होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले वाली विथड्रा होगी?

श्री गोपाल जोशी : जयपुर के लिये है या सारे राजस्थान के लिये है?

कई माननीय सदस्य : सारे राजस्थान के लिये है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कलैक्टर्स से पूछा गया है रेट्स के बारे में।

श्री गोपाल जोशी : दूसरे शहरों के लिये कन्वर्शन स्कीम कब तक तैयार हो जावेगी?

Page No. 5

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो कुछ भी आपने कन्वर्शन की रेट्स रखी हैं और मिर्जा इस्माइल रोड के लिये आपने चालीस रुपया रेट रखी है वह वाजिब है या गैरवाजिब है ? इसको भी यहां छोड़ दीजिये लेकिन उनका डवलपमेन्ट यू. आइ. टी. के द्वारा ही होगा और जो डवलपमेन्ट इन चार्जेज में किया जावेगा वह क्या होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन लोगों के मकान तोड़ दिये गये सदन के कई माननीय सदस्यों की उनके साथ सहानुभूति हो सकती है, उन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को क्यों नहीं अब सहूलियतें मिलें ? आप जांच करायें कि ट्रेसपास है या नहीं ? पुराने कब्जे हैं, मकान बना लिये । वे प्रभावित हुए उनको आप सहूलियतें दीजिये ।

नम्बर दो, माननीय सदस्य गंगानगर से आने वाले हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एग्रीकल्चर लैंड में इन्डस्ट्री बना दी और उनका कन्वर्शन नहीं हुआ उसके लिये क्या किया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने भी पुराने और फ्यूचर में ऐसे केसेज होंगे उनको रेगुलराइज करने का प्रावधान है । इन्डस्ट्रीज वाला मामला इससे सम्बन्ध नहीं रखता है । मैं यह कह सकता हूं कि 1959 में इन्डस्ट्रीज के लिये नियम बने थे जिनके आधार पर इन्डस्ट्रीज को लगाने की सहूलियत दी थी । लाख लाख रुपये सालाना लीज मनी हो जाती थी । काफी दिन पहले इसके लिये एक कमेटी फार्म की थी । उसने रिकमन्डेशन सबमिट की हैं । वह यह है कि पंचायत एरिया में इन्डस्ट्री लगाते हैं तो 150) रु० एकड़ से लेकर कन्वर्शन की इजाजत दी जा सकती है । यदि छोटे छोटे टाउन्स हैं, उनमें यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड पर इन्डस्ट्री लगाता है तो वहां पर 500) रु० फी एकड़ के हिसाब से चार्ज किये जावेंगे । 6 इन्डस्ट्रियल टाउन्स दिये हुए हैं यदि उनमें कोई इंडस्ट्री लगाता है तो 3 हजार रुपया पेनल्टी चार्ज की जावेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कन्वर्शन चार्जेज यह पेनल्टी देकर इजाजत मिल गयी हो । कलेक्टर को यह अख्तियार दिया गया है टाउन प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की राय लेकर वह इजाजत देगा कि वाजिब है इजाजत देना या नहीं ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : मैं आपसे यह पूछ रहा था कि नोन एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पर रिहायसी मकानों के लिये परिवर्तन कराना है, छोटे टाउन्स हैं जैसे भिण्डर, देवगढ़ उनके लिये आपका क्या ख्याल है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सब जगह जहां पर म्युनिसिपेलिटीज हैं उनमें गवर्नमेन्ट ने डिसिजन लिया है कि कन्वर्शन चार्जेज लेंगे । उनकी रेट्स तय करने के लिये अलग अलग टाउन हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से यह पूछा गया है कि वहां पर क्या रेट्स होनी चाहिये । उनके लिये रूल्स बना कर एक महीने में भेज दें ताकि सारी जगहों के लिये कन्वर्शन चार्जेज तय किये जा सकें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक्वीजिशन को विथड्रा करने के लिये पावर कलेक्टर को दे दी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष : Next supplementary. Please allow others also to ask supplementaries.

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : जयपुर के अलावा अन्य स्थानों के लिये पूछताछ की गयी कि क्या रेट्स तय की जायं, जब तक रेट्स, कायम नहीं होगी कन्वर्शन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होगी, किसी व्यक्ति को हटाया नहीं जायगा और मकान को गिराया नहीं जायगा। जयपुर के लिये प्रावधान कर दिया तो राजस्थान के सारे निवासियों को इसका लाभ मिलना चाहिये। कार्यवाही चले जब तक जवाब आये और रेट्स तय करें, किसी प्रकार डिमोलिशन नहीं होगा इस बारे में क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने भी शहर हैं बाकी, जयपुर को छोड़ कर, जैसा मैंने निवेदन किया, गवर्नमेन्ट डिसिजन यह है कि कलेक्टर से एक महीने में कन्वर्शन के सम्बन्ध में रेट्स मंगवा रहे हैं और उसके बाद हम फैसला कर देंगे। आज ही इसके लिये घोषणा कर दें तो नये मकान बनाना लोग शुरू कर देंगे जिसको आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि लोग इस प्रकार नाजायज नये मकान खड़े कर लें। उनको नहीं गिरायें तो आपके और हमारे लिये मुश्किल हो जायगी।

उद्योग मन्त्री (हरिदेव जोशी) : यह ब्लेन्केट डिसिजन नहीं है कि कोई डिमोलिशन नहीं किया जाय और फ्यूचर में भी डिमोलिशन नहीं किया जाय। यदि कोई मिर्जा इस्माइल रोड पर ट्रेस पास कर ले तो निश्चितरूप से डिमोलिशन करना पड़ेगा ग्रोस ट्रेसपासेज हो सकते हैं। हरएक केस को मेरिट के ऊपर ही देखना पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढा : एग्रीकल्चर लैंड है उनके खाते में उसके कन्वर्शन का प्रश्न है। गवर्नमेंट लैंड को ट्रेसपास करें वह दूसरी चीज है।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरों से खरीद कर किसी ने ऐसा किया है उसको इन जनरल रेगुलराइज करने का डिसीजन लिया है not only in Jaipur but all over Rajasthan जयपुर की रेट्स फाइनेलाइज कर दी है। छः दूसरे टाउन्स की आ चुकी है। बाकी जो बच जाते हैं उनके लिये कलेक्टर को कह दिया है कि विदइन मन्थ्स टाइम गवर्नमेन्ट को रेट्स भेज दें। गवर्नमेन्ट उनको एन्व कर लेगी। कन्वर्शन काम्प्लीकेटेड नहीं होने चाहियें। महाराष्ट्र, पंजाब और दूसरी स्टेट्स को देख कर सिम्प्लीफाइ करने की कोशिश की है। कोई ऐसी चीज हो कि कोई यह कहे कि विधान सभा में आश्वासन दिया इसलिये ट्रेस पास की जा सकती है, इसलिये यह मैंने क्लेरिफाई और कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द सामरिया :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 71 के केसेज हैं उनको रेगुलराइज कर दीजिये....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर 20 मिनट लग चुके हैं। बाकी के भी तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

: दौसा क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन्स

48. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा ए. इ. एन. के द्वारा गत 3 वर्षों में कितने बिजली के कनेक्शन विभिन्न प्रयोजनार्थ दिये गये ?

(2) ये कनेक्शन किस किस ठेकेदार के द्वारा दिलाये गये ? कृपया गत 3 वर्ष की सूची अलग अलग सदन की मेज पर रक्खें ?

(3) क्या ऐसे भी आवेदन-पत्र हैं जिनकी प्राथमिकता समाप्त की जाकर बाद वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया गया? यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्र के प्रस्तुतकर्त्ता ठेकेदार का नाम दर्शावें ।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सहायक अभियन्ता दौसा द्वारा गत तीन वर्षों में 5463 कनेक्शन दिये गये हैं जिसमें से कृषि के 1581, औद्योगिक 234 घरेलू 2216 एवं व्यावसायिक 1432 हैं ।

(2) विद्युत मण्डल आवेदकों को नियमानुसार कार्यवाही पूरी होने पर कनेक्शन देता है, ठेकेदार उपभोक्ता की बिजली की फिटिंग का कार्य पूरा करने के पश्चात् 'एल' फार्म देता है । जिन ठेकेदारों के 'एल' फार्म उपरोक्त उपभोक्ताओं ने पेश किये हैं उनकी संख्या बताते हुए सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) यदि कोई आवेदन-पत्र तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाया जावे तो उसकी प्राथमिकता समाप्त करके उसके आगे के आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जाती है। आवेदनकर्त्ता ठेकेदार नहीं होता है बल्कि उपभोक्ता होता है । अतः ठेकेदारों के नाम बताने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : उन उपभोक्ता आवेदकों के नाम बताने की कृपा करें जिनकी प्राथमिकता तकनीकी आड़ में समाप्त कर दी गई । तो मैं बताता हूं कि किन कारणों से उनकी प्राथमिकता समाप्त की गई है । आपकी तकनीकी दृष्टि से प्राथमिकता समाप्त करने की बात गलत है ।

श्री हरिदेव जोशी : अगर ऐसा है और टैक्निकल रीजन्स के बिना अन्य कारणों से प्राथमिकता समाप्त की गई है और ऐसे केस आप मेरे ध्यान में लावेंगे तो मैं उनके अन्दर आवश्यक कार्यवाही करूंगा । वैसे टैक्निकल रीजन्स पर जिसकी दर्ख्वास्त समाप्त कर दी जाती है तो स्वाभाविकतौर से उसके बाद वाले का नम्बर आ जावेगा । इसमें ठेकेदार नहीं आता बीच में कहीं पर ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने स्पष्ट पूछा है पर आपने जवाब ही नहीं दिया अगर जिनकी दर्ख्वास्त रिजेक्ट की गई उनके नाम भी दे देते तो मैं बता देता कि किन-किन कारणों से उनके कनेक्शन समाप्त कर दिये गये ।

अगर टैक्निकल रीजन्स पर ही रिजेक्ट किये जाते तो इतना तो मैं भी समझता हूं । मुझे भी उसमें ऐतराज नहीं होता । पर ऐतराज तो इसलिये है कि टैक्निकल रीजन्स पर नहीं, अन्य कारणों से समाप्त कर दिये उनके प्रार्थना-पत्र ।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैंने निवेदन किया अगर ऐसे केस आप मेरे ध्यान में लावेंगे तो अवश्य मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा। उनको देखूंगा और रेगुलराइज करूंगा।

क्रय-विक्रय संघ बाड़ी की ऑडिट रिपोर्ट

49. श्री रामलाल (बाड़ी): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय संघ बाड़ी की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 12-3-73 में 119200 रुपये का गबन बताया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : जी नहीं, क्रय-विक्रय सहकारी संघ की 12-3-73 की कोई ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामलाल : आप के पास नहीं आई होगी, पर क्या यह सही है कि 119200 रुपये के गबन की बात ऑडिट ने बताई है ? अगर हां, तो आपने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी 71-72 तक की ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई है। पर यह सही है कि इस सहकारिता समिति द्वारा गबन बड़े पैमाने पर किया गया है और इसमें जिम्मेदार अधिकारी और इन्सपेक्टर भी शामिल हैं। उनको सस्पेण्ड किया गया है और दूसरे जो डाइरेक्टर्स हैं या दूसरे बैंकों के समिति के एम्प्लायी हैं उनके विरुद्ध सेक्शन 74 (ए) में कार्यवाही शुरू करने का आर्डर दे दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यदि गबन सरकार मानती है तो फिर मामले तुरन्त एन्टीकरप्शन विभाग को क्यों नहीं सौंपे गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : आपने फरमाया कि विभागीय कार्यवाही कर ली, सस्पेण्ड भी कर दिया। आपको इसमें सहूलियत लगी। नियमों में प्रोसीक्यूशन का भी प्रावधान है गबन के मामलों में। आपने चालान क्यों नहीं किये उनके ?

श्री जुझारसिंह : किसी को भी किसी तरह का प्रोटेक्शन देने की सरकार की मंशा नहीं है। इसमें से 12430 रुपया तो रिकवर किया जा चुका है। 14800 के केस पुलिस को दिये जा चुके हैं। बाकी में सेक्शन 74 (ए) के तहत कार्यवाही हो रही है। एक महीने का पीरियड उनको दिया गया है। अब आगे पुलिस को देने के होंगे मामले तो पुलिस को भी देंगे। रिकवरी हो सकेगी वह की जावेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इनको प्रोटेक्शन मिले।

श्री गुमानमल लोढा : 12 हजार की रिकवरी कर ली है। क्या इसके साथ ही आपने उन पर से गबन की कार्यवाही कन्डोन कर ली है ?

श्री जुझारसिंह : रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है। कभी कभी ऐसे केसों की भी बहुत देर से जानकारी मिलती है। मैं माननीय सदस्य के प्रति ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने यह मामला उठाया। जो लम्बे अर्से से इसके लिये जिम्मेदार थे उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा जा रहा है। अगर और कार्यवाही आवश्यक हुई तो की जावेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो सीधी बात है, एम्बजलमेन्ट है तो प्रोसीक्यूशन कर दीजिये। सीधी सी बात है। क्यों इस लम्बे चौड़े घुमावदार रास्ते के चक्कर में पड़ते हैं।

प्रश्न संख्या 50

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नरथासिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

फतेहसागर बान्ध की पेटा काश्त भूमि

51. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादोती के बान्ध फतेहसागर के पेटे की भूमि पर काश्त करने वाले काश्तकारान पर 15,5000) रुपये की पेनल्टी कायम की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बान्ध के पेटे की भूमि को खातेदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ? अगर हां, तो जिलाधीश सवाई माधोपुर ने इसे किन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी में परिवर्तित किया है और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि काश्तकारान पर लगाई गई 15,5000) रुपये की पेनल्टी जिलाधीश सवाई माधोपुर ने माफ कर दी है ? अगर हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) बान्ध फतहसागर के पेटे की भूमि पर काश्त करने वालों पर पेनल्टी कायम की गई है। पेनल्टी की रकम की बाबत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) बान्ध के पेटे की भूमि पर उन काश्तकारान के अलावा जिनको दिनांक 13-1-58 से पहले खातेदारी हकूक प्राप्त हो गए, खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं होने का प्रावधान है। कलेक्टर सवाई माधोपुर ने फतहसागर बान्ध की भूमि को खातेदारी में परिवर्तित करने के कोई आदेश नहीं दिये हैं। उन्होंने जो आदेश दिए हैं वह परिशिष्ट 'क' में अंकित हैं।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग नम्बर 2 में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट सं० 3 देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह तो मानते हैं कि पेनल्टी तो कायम की है। पर यह समझ में नहीं आया कि यह पेनल्टी मौखिक लगाई या लिखित में। हकीकत तो यह है कि जो जवाब भेजा है कलेक्टर ने उसमें उसने अपने काले कारनामों को छिपाने की कोशिश की है। जवाब बिल्कुल गोलमाल है। अब जो काश्तकार 13-1-58 से काश्त कर रहे हैं वहां पर क्या वे ही काश्त कर रहे हैं या दूसरे आ गये हैं जिन पर पेनल्टी लगाई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा है कि जो लोग 1958 से पहले उस पर काबिज थे और पेटे में काश्त करते थे उनको चाहे खातेदारी हक मिले हों या गैरखातेदार हों उनको नहीं हटाया जावेगा। बाद में जो काबिज हुए होंगे उन पर पेनल्टी लगती है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आप तो यह स्पष्ट बताइये कि पेनल्टी को माफ कर दिया या नहीं ? कलेक्टर को पेनल्टी माफ करने का अधिकार है या नहीं ? इस सवाल का जवाब सीधा सादा दीजिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कलेक्टर ने कोई पेनल्टी किसी को माफ नहीं की है । अगर 1958 से पहले के लोग हैं तो वहां पेनल्टी लग नहीं सकती ।

श्री रोशनलाल शर्मा : कलेक्टर ने लगाई पेनल्टी या नहीं आप यह कहें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप यह अगर मगर क्या कर रहे हैं ? अगर मगर का प्रश्न नहीं है । प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'ना' में दीजिये । 1958 से कितने कितने काश्तकार पहले के हैं और कितने बाद के ?

श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या उन खातेदारों को जो 1958 से काबिज हैं आज तक पेटा काश्त नहीं करने दी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि 1958 से पहले के जो हैं चाहे उनको खातेदारी हक मिले हों या न मिले हों, पर जिनका कब्जा मुतवातिर 1958 से और उसके पहले से चला आ रहा है उन पर पेनल्टी नहीं लग सकती ।

श्री रोशनलाल शर्मा : जो यह पेनल्टी के 1 लाख 55 हजार लगे हैं वे नियमों के अनुसार हैं या नहीं ? और यह पेनल्टी किन किन पर लगी है, जो 1958 से पहले से काबिज हैं उन पर लगी या बाद में जो आये उन पर लगी ।

'हां' या 'ना' में उत्तर दें ।

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं ये खातेदार 25 साल से हैं । बराबर सेटिलमेंट के टाइम से जमीन खाते में थी । ये ब-दस्तूर उस समय से चले आ रहे हैं । आज गवर्नमेंट उन पर 25 साल से पेनल्टी लगाती है । न तो कलेक्टर ध्यान देता है और न राज्य सरकार ही ध्यान देती है ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, 1958 के पहले का कब्जा है । कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनधिकृतरूप से कब्जा कर रखा है- उन लोगों से कुछ लेकर कब्जा दे दिया गया और जो गरीब भूमिहीन थे उनको कब्जा नहीं दिया, उन लोगों को अलाट नहीं किया लेकिन ऐसे लोगों ने जो भू-पति हैं, जागीरदार हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है । उन लोगों की पेनल्टी भी कलेक्टर ने माफ कर दी है लेकिन गरीबों की पेनल्टी माफ नहीं की है ।

श्री शंकरलाल (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है जो तालाब के पेटे की भूमि है, एक साल में खाली नहीं होगी । समय के अनुकूल अलाटमेंट नहीं होती । क्या आप इस प्रकार के आदेश देंगे कलेक्टर को कि जो तालाब के पेटे की भूमि है, उनको समय पर दी जाय ? उत्पादन के लिहाज से यह उचित भी होगा । मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा क्या ऐसे आदेश जारी करेंगे ?

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : आप तीन दफा पूछ चुके हैं ।

श्री भरतलाल : क्या राज्य सरकार उनको खातेदारी राइट दिलवायेगी ? अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि राज्य सरकार किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ माननीय सदस्य कलेक्टर के खिलाफ हैं और कुछ नहीं है। यहां देखना यह है कि 1958 से पहले के खातेदार है या नहीं और कानून के मुताबिक खातेदारी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। जो तालाब के पेटे की काश्त हैं उनको खातेदारी नहीं देनी लेकिन जो पहले के हैं; 25 साल से हैं, उनको बे-दखल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जो नाजायज कब्जा किया है, इसकी जांच करवा लेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

जोधपुर में चिकित्सा की व्यवस्था

52. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर की जन संख्या 1931 में 92,000 से बढ़ कर अब लगभग 4,50,000 तक पहुंच गई है परन्तु वहां पिछले 40 वर्ष में केवल एक ही नई सार्वजनिक डिस्पेन्सरी खोली गई है और अब ऐसी डिस्पेन्सरियों की संख्या कुल सात ही है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट के अनुसार प्रदेश में योजना काल में 35 नई डिस्पेन्सरीज नगरीय क्षेत्र में खोलने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के तीन घनी बस्तियों के क्षेत्र सूरसागर, महामन्दिर और मन्डोर में केवल मेडीकल एड पोस्ट ही कार्य कर रहे हैं परन्तु वहां डिस्पेन्सरी का होना कई वर्षों से आवश्यक था ? यदि हां, तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में उपरोक्त स्थानों पर डिस्पेन्सरीज अवश्य स्थापित कर दी जायंगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) सन् 1971 की जन गणना के अनुसार जोधपुर शहर की आबादी 3,17,612 है न कि 4,50,000। शहर में जितनी संस्था कार्य कर रही हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। एड पोस्ट होते हुये भी इन तीनों स्थानों पर डाक्टर की सेवायें उपलब्ध हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन होने पर विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 A देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में जन-गणना हुई थी और अब जो राशन कार्ड इश्यू किये जा चुके हैं, जोधपुर में उस हिसाब से जन-गणना 5 लाख है।

कई माननीय सदस्य : इससे क्या हुआ ?

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा 300 मरीज जहां सेवायें लेते हैं वहां डिस्पेन्सरी खोलने का आश्वासन दिया है। वहां

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पर जो डाक्टर आते हैं लीव रिजर्व में आते हैं, वे वहां टिकते नहीं हैं। आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 35 डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान किया है। कृपया मुझे स्पष्ट आश्वासन दे दीजिये कि इतनी आवश्यकता को देखते हुये वहां डिस्पेन्सरी खोली जायगी अथवा नहीं ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): जोधपुर के साथ उदयपुर का भी सोच लीजिये। वहां के लिये क्या सोचते हैं आप ?

एक माननीय सदस्य : उदयपुर तो हमेशा दिल में है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : ग्रामीण क्षेत्रों की बिलकुल अवहेलना हो रही है।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहीं भाषण या प्रेस स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा है- जोधपुर में जो राशन कार्ड हैं, उसमें काफी बोगस राशन कार्ड हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर यह सही है तो उसको आधार नहीं माना जा सकता है। आधार तो सेन्सस रिपोर्ट को ही माना जा सकता है और उसके अनुसार जोधपुर की आबादी 3 लाख, 17 हजार, 612 हो मानकर चलते हैं। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, उससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि तीन डिस्पेन्सरी नहीं होते हुये भी वहां एडपोस्टफुल फलेज्ड चल रही है। वहां पर एड पोस्ट भी नहीं थी और न डिस्पेन्सरी किन्तु आपने वहां एक एड पोस्ट खुलवा ली, दूसरी भी खुलवा ली और तीसरी भी खुलवा ली। अब उसके बाद तीन फुल फलेज्ड डाक्टर भी लगवा लिये। अब प्लान मंजूर नहीं हुआ है और प्लान का यह एक प्रायर डिक्लेरेशन है उससे पहले आप मुझसे डिक्लेरेशन चाहते हैं तो आपको मैं यहां पर बता दूं पूरे राजस्थान एज ए होल के लिए जो राज्य सरकार कन्सीडर करेगी– ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : किस व्यवस्था के आधार पर ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है– सूर सागर में 25 हजार मजदूर काम करते हैं और वहां पर पत्थर की खानें हैं। वहां से सारे राजस्थान में पत्थर जाता है और वहां का पत्थर मशहूर है। पत्थर की खानों में आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं और मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आये दिन मलेरिया आदि फैलता रहता है। स्कंम की भी काफी समस्या ऐसी परिस्थितियों में 25 हजार मजदूरों के बीच एड पोस्ट खोलकर जो प्रयास किया है, वह पर्याप्त नहीं है। मैं निवेदन करूंगा ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : आपके कहे अनुसार वह एड पोस्ट है लेकिन इन फेक्ट वह फुल फलेज्ड डिस्पेन्सरी है।

प्रश्न संख्या 53

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

अकलेरा तहसील क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

54. **श्री भैंरूलाल** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा–मनोहर थाना अकलेरा – आसलपुर – आसलपुर मालता–अकलेरा परबन नदी एवं अरनिया तारज (रोड़) सड़कों की मरम्मत कब हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की हालत बहुत खराब है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रावधान है ? यदि हां, तो यह मरम्मत कार्य किस किस सड़क पर कब प्रारम्भ कराया जाकर कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) उपलब्ध धनराशि के अनुसार साधारण मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है।

(2) सड़कों की दशा अधिक अच्छी नहीं है।

(3) झालावाड़ जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष 73–74 में 18 लाख रुपया अलाट किया है। उपलब्ध धनराशि आवश्यकतानुसार व्यय की जावेगी।

श्री भैंरूलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अकलेरा क्षेत्र में भरता, सारडा और घाटोली की सड़कों की हालत यह है कि सड़कों की दुर्दशा की वजह से अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। जहां पहले 6–7 बसें चलती थीं वहां अब एक भी बस नहीं चलती है और आवागमन ठप्प है। लोग वहां भूख से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करूंगा कि उन सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई तो वहां और ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन की सड़कों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि • • •

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से उदयपुर डिवीजन में सड़कें डी. पी. ए. पी. के तहत बनवाई गयी हैं तो कोटा डिवीजन में भी इसी प्रकार का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? हम लोगों ने डी. पी. ए. पी. के तहत सड़कें बनाने के लिए वहां से प्रस्ताव भी भेजा है लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया है।

श्री हरिदेव जोशी : एक साथ कहें तो मैं उत्तर कैसे दूंगा। पहले मुझे सुन लीजिए और उसके बाद फिर प्रश्न कर लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय, उसमें दो राय नहीं है प्रश्न तो केवल झालावाड़ का है लेकिन कोटा, बूंदी और झालावाड़ की सड़कों की हालत बहुत खराब है और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि उनको एक वर्ष में ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके लिए लॉग टर्म प्रोग्राम बनाना होगा और उस प्रोग्राम को मैंने बनाया है। पिछली बार मैं इसीलिए कोटा भी गया था और कोटा जाकर मैंने सभी एम. एलएज. से चर्चा की, प्रधान से

(श्री हरिदेव जोशी)

चर्चा की और प्रमुखों से चर्चा की और वहां अधिकारियों से भी चर्चा की। उसी का परिणाम है कि झालावाड, जो कि छोटा जिला है, जिले के लिए 18½ लाख रुपया केवल सड़कों की मरम्मत के लिए एक वर्ष के लिए किया है। आप बता दें राजस्थान में कोई भी एक जिला है जिसके लिये 18 लाख रुपया मेन्टीनेन्स के लिए रखा गया हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : घटाने के लिए पुनर्विचार किया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) Please listen me और आप मेरी बात सुनेंगे तो अच्छा है नहीं तो आप कहे तो मैं बैठ जाऊं अब भारतीयाजी के प्रश्न के उत्तर की बात है। वह सिण्डीकेट के मेम्बर हैं और उनको यह जानकारी होनी चाहिए···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह रिश्वत उनको कब दी गयी ?

श्री हरिदेव जोशी : उनको यह जानकारी होनी चाहिए और मैं यह जानकर चलता हूं कि डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम कहां हो सकते हैं और कहां हुए हैं यह तो आप परमात्मा से प्रार्थना करें तब जाकर डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम कोटा डिवीजन में हो सकता है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ का प्रश्न मजाक में उड़ाने का नहीं है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ का बहुत क्षेत्र अकाल में रहा है और डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम भी बहुत हद तक हुए हैं और इसके ऊपर डिसकशन भी हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि यह मंत्री महोदय का विभाग है, आज झालावाड़ से जयपुर तक की हालत यह है कि तीन-तीन रात तक एम. एल. ए. को पड़ा रहना पड़ता है जयपुर आने के लिए। शर्म आने की बात है कि यहां आकर बैठते हैं मंत्री महोदय और मजाक उड़ाना चाहते हैं। जनता वहां हमसे रोड्स चाहती है और आप चाहते हैं 100 वर्ष लम्बा प्लान। वहां जनता हमको पकड़ रही है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ की सड़कों की हालत देखिये। जब भी इम्पार्टेन्ट सवाल आता है और बाई पास हो जाता है तो व्यर्थ है हमारा यहां आकर बैठना।

श्री हरिदेव जोशी : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य को···

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज

श्री हरिदेव जोशी : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य को···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : एक प्रश्न पूछ लूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सिद्धान्त का प्रश्न आता है कि जब आप किन्ही सड़कों की रिपेयर कराते हैं, नयी सड़कें बनवाते हैं तो आपकी क्या मान्यता है ? इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का क्षेत्र सारा का सारा कोटा डिवीजन है उसके संबंध में मैं समझता हूं कि उसका राजस्थान में अपने रूप में एक महत्व है इन्डस्ट्रियल प्रॉडक्टिविटी को लेकर और एग्रीकल्चरल प्रॉडक्टिविटी को लेकर ···

श्री अध्यक्ष : यह सब को मालूम है। आप तो सप्लीमेन्टरी पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लगातार इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि यहां सड़कों की रिपेयर नहीं हुई, वहां नहीं हुई। तो राजस्थान में. कमर्शियल और इन्डस्ट्रियल के अन्दर सड़कों की इम्पार्टेन्स है चाहे वह कोटा हो या गंगानगर हो, तो कम से कम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखते ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : 6 लाख रुपये का परमानेन्ट बजट है और उसको तनख्वाह में खतम कर देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि लाखों का बजट है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य नाराज हो रहे हैं जानकारी के अभाव में डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम गवर्नमेंट आफ इन्डिया तय करती है यहां की राजस्थान सरकार तय नहीं करती नम्बर 1 इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार से जाकर, उनके बहुत अच्छे सम्पर्क हैं वहां पर, वहां जाकर इसको करवा ले मुझे ऐतराज नहीं होगा। दूसरी चीज....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप उनको केस रिकमण्ड कर दें वह फिर दिल्ली में देख लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरे बूते के बाहर की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर आप व्यय कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ : भारतीयाजी की बात को फाइनल मानते हैं फिर इसके ऊपर डिसकशन नहीं होना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : आइन्दा डिसकस नहीं करेंगे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि भारतीयाजी को कोटा सड़क सुधार समिति का सदस्य बना दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सड़कें खराब हो गई हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए चाहे वह झालावाड़ की सड़कें हों, चाहे कोटा की हों, चाहे गंगानगर की हों, चाहे बून्दी की हों या चाहे उदयपुर की हों और जैसा मैंने कहा, उसकी गम्भीरता को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वीकार करके ही राजस्थान में हाइएस्ट बजट एलोकेशन बून्दी में किया था। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री करनसिंह।

भूतपूर्व सैनिकों को अनूपगढ़ क्षेत्र में भूमि का अलाटमेंट

55. **श्री करनसिंह (डीग)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश गंगानगर के आदेश नं० आर० ए० 4651 दिनांक 8-9-59 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अनूपगढ़ तहसील में चक नं० 91 जी० बी० में भूमि आवंटन की गयी थी ? यदि हां, तो इनमें से कितने व्यक्तियों को पट्टा तथा कब्जा दिया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मोहनसिंह को भी चक नं० 91 जी० बी० मुरब्बा नं० 21 में 24 बीघा जमीन आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनको अभी तक इस भूमि का कब्जा एवं पट्टा नहीं दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो इसका क्या कारण है ?

(श्री करनसिंह)

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त वीर सैनिकों की बेवाओं में से बहुतों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं हुई और जिनको हुई है उनमें बहुत सो को अभी तक पट्टे तथा कब्जे नहीं मिले ? यदि हां, तो इस कार्य को राज्य सरकार कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, तहसील अनूपगढ़ के चक 91 जी० वी० में कुल 33 सैनिकों को भूमि आवंटित की गई थी जिनमें से 26 व्यक्तियों को कब्जा भूमि दिलाया जा चुका है।

(2) जी हां, यह सही है चक नं० 91 जी० वी० का मु. नं. 21 की 24 बीघा भूमि श्री मोहनसिंह को आवंटित की गई है, तथा श्री मोहनसिंह को मौके पर दिनांक 15-6-62 को कब्जा भूमि दिया गया है। सनद अभी तक नहीं दी गयी है क्योंकि उपनिवेशन क्षेत्र में नियमानुसार समस्त किश्तें जमा होने पर ही पट्टा भूमि दिए जाने का प्रावधान है।

(3) जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवन्टन का प्रश्न है वह कॉलोनी एरियाज को छोड़कर अन्य जिन जिलों में जहां दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चरल परपजेज रूल्स) 1970 के तहत भूमि आवंटन किया जाता है वहां उपरोक्त नियमों के नियम 11 (3) के तहत प्राथमिकता के आधार पर संबंधित उप जिलाधीशों द्वारा भूमि आवंटित की जाती है और जैसे जैसे उनकी बारी आती है उन्हें भूमि आवंटित कर दी जाती है।

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की अधिकांश बेवाओं को भूमि आवंटन एवं कब्जा दिलाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और यदि कुछ मामले शेष हैं तो उनमें यथासंभव शीघ्रता की जा रही है।

श्री गुरदयाल सिंह सिंधू (करणपुर) : क्या यह सही है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गयी है उनमें बहुत से फर्जी हैं और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान की भूमि पर ऐसे सैनिक जो कि राजस्थान में रहने वाले नहीं थे और डिसीजन लिया था कि उन्हें भूमि नहीं दी जायेगी तो उनको क्यों दी गई ?

श्री करनसिंह : मेरा तो प्रश्न यह है इसमें, मंत्री महोदय ने बताया कि मोहनसिंह को 1962 में कब्जा दे दिया गया, क्या मंत्री महोदय यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि आज वह भूमि पर काबिज नहीं है और उनको कब्जा नहीं दिलाया है और दूसरे लोग ही उस पर काबिज है ?

नम्बर 2 प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति अपंग हुए हैं युद्ध में उनके बाकी के मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ? इस चीज का आश्वासन दें।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक जगह का ही नहीं, सारे राजस्थान का प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां जहां सैनिकों को भूमि अलाट की गई वह राजस्व विभाग के कागजों में ही भूमि अलाट हुई है लेकिन वास्तव में कब्जा नहीं मिला है। बहुत से सैनिकों की विधवाओं को, जिनको भूमि अलाट की गई है, न तो कब्जा दे रहे हैं और न ही राजस्व विभाग उनको कब्जा

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

दिला रहा है यह सब राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, गत भारत पाक युद्ध में 387 मृतकों की बेवाओं को भूमि देने का प्रश्न आया। इसमें से 354 बेवाओं को भूमि अलाट करके कब्जा दिया जा चुका है। 33 ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका है। इनमें से कुछ तो ऐसी बेवाएं हैं जो जहां की रहने वाली हैं उसी के आस पास के गांव में जमीन चाहती हैं। वे चाहती हैं कि नजदीक में ही जमीन मिल जावे तो हमारा गुजारा हो सकता है, हम राजस्थान केनाल में जमीन लेकर क्या करेंगी। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो लड़ाई में मिसिंग हैं। मिसिंग के आधार पर उनको मृतक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ज्यों-ज्यों भारत सरकार मृतक डिक्लेयर करेगी हम कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार 33 मामले ही 387 में से ऐसे हैं जिनमें भूमि देना बाकी है। बाकी सभी में अलाटमेंट हो चुका है और कब्जा भी दिया जा चुका है।

इसके अलावा जो श्री गुरदयालसिंह ने पूछा कि बहुत केसेज फर्जी हैं तो मैं निवेदन करूं कि 33 में से 26 के अन्दर जमीन नहीं दी गई है। जो फर्जी थे उनको जमीन नहीं दी गई है। इसके बाद भी माननीय सदस्य फर्जी होने की जांच कराना चाहेंगे और किसी का नाम देंगे तो हम उसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे।

(श्री गुरदयालसिंह एवं श्री करनसिंह एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री करणसिंह: इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु: जो राजस्थान के रहने वाले तो नहीं थे लेकिन राजस्थान के बोर्डर पर लड़ते समय जो मारे गए और जिसके लिए राज्य सरकार ने यह वायदा किया था कि उनको जमीन दी जाएगी आज तक उनको जमीन क्यों नहीं दी गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी: ऐसा है कि जो राजस्थान के बोर्डर पर लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो एक बार राज्य सरकार ने कहा था कि उनको भूमि दी जावे लेकिन जैसे कोई मान लीजिए कि पंजाब के रहने वाले हैं या यू. पी. के रहने वाले या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनका इंट्रेस्ट नहीं था यहां की जमीन लेने में क्योंकि उनको यहां रहना नहीं था और यहां इतनी दूर आकर काश्त करने को तैयार नहीं थे इसलिए उनकी जमीन के बदले में केश अवार्ड दिया जाय इसका प्रावधान रूल्स में किया गया है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु: जो चाहते हैं उनको भी जमीन अलाट नहीं की गई है। जोधपुर के गुर महेन्द्र सिंह जमीन चाहते थे लेकिन उनको जमीन नहीं दी गई। ऐसे मामलों में क्या करना चाहते हैं जो यहां रहना चाहते हैं।

श्री माणक चन्द सोगाणी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है……

Page No. 18

श्री रामचन्द्र चौधरी : व्यक्तिगत केस को लेकर नहीं बल्कि सारी बातों पर विचार करके लिए रूल्स के लिए निर्णय किया जाता है। जो राजस्थान के रहने वाले नहीं है उनको भूमि के बदले केश अवार्ड दिया जाय यह निर्णय किया गया है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सी. आर. पी. में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी क्या विचार किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठा है कि अजमेर नगर सुधार न्यास ने 15 अक्टूबर तक उनसे आवेदन-पत्र मांगे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह इस सवाल से तो भिन्न है लेकिन सी. आर. पी. वाले भी लड़ाई में उसी तरह से लड़े हैं जैसे फौज लड़ती है और उनके केसेज इसमें कवर होते हैं तो उनको भी जमीन दी जाएगी।

श्री माणकचन्द सोगानी : क्या ये लोग भी फौज में गए है और लड़ते हुए घायल हुए हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी: मेरे ख्याल से यह लिस्ट मांगी जा रही है कि कौन कौन घायल हुए हैं वह इसीलिए मांगी जा रही है कि रूल्स में यह प्रावधान है कि सी. आर. पी. वालों को भी इसी हैसियत में माना जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुंशीलाल महावर।

सिलीका सैंड की खानें

56. **श्री मुंशीलाल महावर** (बस्सी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी व दौसा क्षेत्र में सिलीका सैंड पदार्थ की खानें हैं? यदि हां, तो सिलीका सैंड उनमें कितनी मात्रा में है?

(2) क्या यह सही है कि सिलीका सैंड पदार्थ अन्य प्रान्तों को निर्यात किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कांच बनाने का कारखाना खोल कर सिलीका सैंड का उपयोग राजस्थान में ही करने का प्रयास करेगी? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझार सिंह): (1) जी हां। 1970-71 में किये गये सर्वेक्षण से लगभग 80 लाख टन विभिन्न प्रकार के सिलीका सैंड के उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(2) चूंकि राज्य में इसकी खपत उत्पादन से कम है अतः बचा हुआ माल दूसरे राज्यों को निर्यात किया जाता है।

(3) इस सम्बन्ध में राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन प्रयास कर रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान में इस समय 80 लाख टन सिलिका सैंड मिलती है जो बाहर जाती है। क्या राज्य सरकार इस सिलिका सैंड का उपयोग राजस्थान में करने के लिए पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर में कोई कारखाना लगाने की नीति रखती है?

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर. आइ. एम. डी. सी. ने इसके लिए एक

Page No. 19

(श्री जुझारसिंह)

लाइसेंस लिया है और अगर कोई प्राइवेट पार्टी भी लाइसेंस लेना चाहें तो राज्य सरकार को आपत्ति नहीं है । लेकिन सिलिका सैंड जो ग्लास बनाने में काम आती है वह सरटेन परसेन्टेज की प्योरिटी उसमें होनी चाहिए । जयपुर और दौसा में जो सिलिका सैंड मिलती है वह लो ग्रेड की सिलिका है और इसी कारण अभी तक नहीं माना गया कि किसी तरह का कारखाना इसके आधार पर लगाया जा सके और न हमारे पास किसी आदमी ने इस तरह की मांग की है कि वह कारखाना लगाने को उत्सुक है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दूसरी स्टेट में किस काम में आती है जो यहां से जाती है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष भी मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा था और वह आपके डिपार्टमेंट के पास आया है । बूंदी में सबसे बढ़िया क्वालिटि की सिलिका सैंड निकलती है जिसके उपयोग के लिए फैक्ट्री लग सकती है । इन बूंदी की खानों का कन्हैयालाल घाटीवाला गए बीस तीस साल से मालिक बना हुआ है । उसको इस शर्त पर लीज मंजूर की जावे कि क्या वह यहां पर कारखाना लगाने को तैयार हैं ? लेकिन आपके अधिकारियों ने अभी तक गोलमाल करके इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो ग्लास के लिए सैंड की प्योरिटी चाहिए वह 99 परसेन्ट से अबव है । बूंदी में जो सिलिका उपलब्ध है उसमें 99 परसेंट प्योरिटी मौजूद है और इसी को ध्यान में रखते हुए घाटीवाला को जो लाइसेन्स रिन्यू किया गया है उसमें यह शर्त लगा दी है कि तीन साल में वह ग्लास फैक्ट्री बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लगाए । इसके अलावा आर. आइ. एम. डी. सी. ने भी इसके लिए परमिट जरूर लिया है कि ग्लास फैक्ट्री लगाये लेकिन वे कच्चा माल कहां से खरीदेंगे और किस तरह से इसको चलायेंगे, यह मेरे पास जानकारी नहीं है । इस प्रकार दो पार्टीज ग्लास फैक्ट्री लगाने को उत्सुक हैं और उनको राज्य सरकार की तरफ से सब तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे– अश्रव्य)

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) **:** क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिन लोगों पर यह कण्डीशन लगाई गई है कि तीन वर्ष में कारखाना लगायेंगे अभी तक उन्होंने इस प्रकार का कोई कारखाना नहीं लगाया है ?

(पुनः कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता

श्री मुंशीलाल महावर : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय कि दौसा और जयपुर में लाखों टन की तादाद में सिलिका सैंड मौजूद है और यहां हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है । यहां की सिलिका सैंड दूसरे स्टेट्स में जाती हैं और यहां के लोग बेकार रहते हैं । तो क्या राज्य सरकार इस सिलिका सैंड का सही उपयोग करने के लिए और मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्या इस पर विचार करेगी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यहां की सिलिका सैंड लो ग्रेड की है और इसीलिए कच्चा माल बाहर भेजा जाता है। अगर कोई आदमी आगे आये और ग्लास फैक्ट्री लगाना चाहे तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पब्लिक सेक्टर में धौलपुर की जो ग्लास फैक्ट्री है और जिसमें हाइ ग्रेड का माल काम में आता है वे भी कच्चा माल यू. पी. से मंगा रहे हैं, राजस्थान की सिलिका काम नहीं ले रहे हैं। इसलिए फैक्ट्री की बात कच्चे माल की क्वालिटी पर डिपेन्ड करती है। फिर भी अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहें तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : जिस पार्टी ने कारखाना नहीं लगाया है और उसकी लीज में इसकी कण्डीशन है तो क्या राज्य सरकार उसकी लीज को कैंसिल करेगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने-लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि बूंदी में इस ग्रेड की सिलिका सैंड मौजूद है तो वहां पर जो कारखाना लगाने की कण्डीशन रखी है कब तक चालू हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : (श्री श्रीराम गोटेवाला की ओर मुखापेक्ष) : आप भी पूछ लीजिये, एक साथ जवाब आ जाएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कन्हैयालाल घाटीवाला को कितना समय हो चुका है यह लीज लिए हुए ? क्या उन्होंने कारखाना लगाने के लिए मशीनरी वगैरह पर्चेज कर ली है और फैक्ट्री को चालू करने के लिए जो कार्यवाही करनी होती है वह कर ली है। होता क्या है कि तीन वर्ष पूरे हो जाते हैं लेकिन कोई कारखाना लगता नहीं है और सरकार के पास एप्लीकेशन आ जाती है कि लीज की अवधि बढ़ा दी जाय और हम बढ़ा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : No speech please.

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे पास सिलिका सैंड दौसा, जयपुर और बूंदी में काफी तादाद में मौजूद है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां तीन साल के अन्दर कारखाना लग जायगा ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले ? इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी लीजेज इस तरह से दिए गए हैं उनमें इस तरह की कन्डीसन्स लगी हुई हैं और अब तक कितने लीजेज वालों ने कारखाने डाले हैं और इसमें तीन वर्ष की कन्डीशन्स वाले कितने हैं ?

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो यह है कि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है। यह उत्तर दिलाया जाना चाहिए।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सिलीका सैन्ड है वह हाइ क्वालिटी की बूंदी में है। वहां पर घाटीवाला को लीज दी गई है। रिन्युअल का पीरियड 6 महीने का है और ढ़ाई वर्ष का पीरियड अभी बाकी

(श्री जुझारसिंह)

है। इसके बीच में वहां पर कारखाना लग जाना चाहिए और यदि कारखाना नहीं लगाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और यह कार्यवाही लीज केन्सिल करने तक हो सकती है। दूसरी और कोई सिलीका सैन्ड नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है और न उसकी क्वालिटी अच्छी है, इस तरह की है जिस पर कि फैक्ट्री लगायी जा सके। आर० आइ० एम० डी० सी० जरूर है लेकिन उसके पास लीज नहीं है। वे कच्चा माल लेंगे। हो सकता है कि वे बूंदी से ही कच्चा माल लें। बाकी इन दो पार्टियों के अलावा किसी को फैक्ट्री लगाने की एप्लीकेशन नहीं है और न कोई विचाराधीन ही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर जिले की सड़कों की मरम्मत पर व्यय की गयी राशि

50. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले में सन् 72 की आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त राजकीय मार्गों की मरम्मत हेतु पी० डब्लू० डी० विभाग भरतपुर को सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि दी गई, और इस राशि में से किस किस मांग पर कितनी कितनी रकम किस किस कार्य पर व्यय की गई? पृथक् पृथक् ब्यौरे वार बतलावें।

उत्तर

42 लाख रुपया स्वीकृत किया है। उक्त राशि से सड़कों की मरम्मत बाढ़ से हुई हानि को ठीक कराया गया है। सड़क वार खर्च का ब्यौरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

प्रतापगढ़ सब-डिवीजन के मन्दिरों की भूमि

53. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में कुल कितने ऐसे सार्वजनिक एवं गांवाई मन्दिर हैं जिन मन्दिरों के नाम से जमीनें थीं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिरों की सेटलमेन्ट के समय या बाद में तहसील द्वारा जमीनें मन्दिर के खाते नहीं कर उस समय के पुजारियों के खाते दर्ज की गई हैं? यदि हां तो ऐसा कितनी जगह हुआ है?

(3) क्या यह भी सही है कि जमीनें मन्दिरों के खाते नहीं होकर पुजारियों के खाते दर्ज होने से पुजारी मन्दिर की सेवा नहीं करते हैं या वो जमीनें बेच दी गई हैं जिससे मन्दिरों की पूजा आदि बन्द है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

(देवस्थान मन्त्री)

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ सब डिवीजन में सार्वजनिक एवं गांवाई 401 मन्दिर हैं, जिनके नाम भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

(2) जो नहीं। ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं है।

(3) जी नहीं। ऐसी काई सूचना विभाग के पास नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लालसोट के जच्चाखाने में लेडी डाक्टर का अभाव

39. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) कस्बे के स्थानीय जच्चाखाने में गत तीन-चार महीनों से मुख्य तथा सहायक लेडी डॉक्टर प्राय: छुट्टी पर हैं तथा जच्चाखाना बिल्कुल बन्द रहता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कस्बे में कई डिलीवरी के मामले खराब हो चुके हैं तथा कई महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है? यदि हां, तो सरकार इसकी उचित व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

1. जी नहीं, गत तीन चार माह से चिकित्सा अधिकारी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र लालसोट (जयपुर) लगभग दो माह (जून व जुलाई, 1973) तक अवकाश में रहीं, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में एक प्रसाविका उपरोक्त केन्द्र का कार्य करती रही तथा जच्चाखाना किसी भी दिन बन्द नहीं रहा। मेल डॉक्टर कार्य को देखते रहे थे।

2. जी नहीं, कस्बे में डिलीवरी के केस खराब होने की सूचना सरकार के पास नहीं है। उपरोक्त अवधि में इस केन्द्र पर लगभग 36 प्रसव के केस हुए इनमें से कोई भी केस खराब नहीं हुआ और न किसी महिला की मृत्यु हुई।

डीडवाना से रामगढ़ पचवारा सड़क का निर्माण

40. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में डीडवाना से रामगढ़ पचवारा नई सड़क के निर्माण हेतु लगभग एक लाख बीस हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो आज तक नई सड़क का कार्य चालू न होने का क्या कारण है तथा अब कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा?

उत्तर

प्रशासनिक स्वीकृत वार्षिक योजना तथा विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रमश: 1,50,000) रुपया तथा 1,10,000 रुपये की दी गई थी। उपलब्ध धनराशि अनुसार 2½ किलो मीटर सड़क पर मिट्टी कुटाई का कार्य हुआ है।

कार्य पुन: कब चालू हो सकेगा। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

कोटपूतली तहसील के ग्रामों में बिजली

41. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील के कौन कौन से ग्राम 1972-73 में बिजली के लिए स्वीकृत किए गए थे ?

(2) क्या उपरोक्त ग्रामों में बिजली देने का समय नियत किया गया था और क्या नियत समय तक लाइन व ट्रांसफारमर वगैरह लगा दिये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी इन स्वीकृत ग्रामों में से रघुनाथपुरा, गोरधनपुरा, कंवरपुरा, फतेहपुरा में न तो पूरी लाइन ही खींची गई है और न ही ट्रांसफारमर लगाये गये हैं ?

उत्तर

1. सन् 1972-73 में कोटपूतली तहसील के निम्न पांच गांव विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत किये गये थे:—

1. खुर्दी, 2 रघुनाथपुरा, 3. फतेहपुरा कलां, 4. कंवरपुरा एवं 5. गोरधनपुरा

2. स्वीकृति में कार्य पूरा करने का समय तो नियत नहीं किया जाता परन्तु यह अपेक्षा की जाती है कि यथासंभव विद्युतिकरण का कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाये जिसमें स्वीकृति दी गई है। इन पांचो गांवों में 11 के० वी० लाइन खेंचकर ट्रांसफारमर जनवरी 73 में पहुंचा दिये गये थे।

3. जी नहीं। इन गांवों के विद्युतिकरण का काम जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूरा कर दिया गया था। 1972-73 में इन गांवों में कनेक्शन के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया। इसीलिए इन गांवों के ट्रांसफारमर्स को अन्यत्र ट्रासफार्मर्स की अचानक आवश्यकता आ पड़ी, काम में ले लिया गया था। अब 1973-74 में कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर कनेक्शन देने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

रघुनाथपुरा (कोटपूतली) डिस्पेंसरी के लिये भवन

42. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की रघुनाथपुरा डिस्पेन्सरी जिस भवन में करीब दस साल से है उस भवन को विभाग द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी का भवन दिन पर दिन वर्षा आदि से खराब होता जा रहा है तथा विभाग द्वारा न लेने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई देखरेख नहीं करता है ? यदि हां तो सरकार कब तक इस भवन को संभाल लेगी।

उत्तर

1. जी हां, नहीं लिया गया है। राजकीय चिकित्सालय रघुनाथपुरा के गिफ्ट डीड आदि के फार्म पूर्ण करने हेतु दानदाता को भेजे जा चुके हैं। जिनको भरकर लौटाने के

Page No. 24

(स्वास्थ्य मन्त्री)

उत्तर

लिये स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है। किन्तु गिफ्टडीड अभी भी दानदाता द्वारा लौटाया नहीं गया है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग इस भवन की देख रेख नहीं करेगा क्योंकि यह एस० डी० ओ० मुख्यालय पर नहीं है जब तक गिफ्टडीड पर हस्ताक्षर होकर नियमानुसार कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती मरम्मत विभाग द्वारा नहीं कराई जा सकती। राजकीय चिकित्सालय रघुनाथपुरा के भवन की हालत ठीक है।

खान भांकरी-कुण्डल रोड़ का निर्माण

43. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) खान भांकरी-कुण्डल रोड़ की स्वीकृति किस तारीख को हुई ?

(2) उक्त सड़क का कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस कार्य पर कुल लागत कितनी आवेगी तथा यह सड़क कब तक पूर्ण बनेगी ?

उत्तर

(1) एक किलो मीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति 23-10-72 को दी गई थी।

(2) 1 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य हुआ है।

लगभग 6 लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

डूंगरगढ़ से कितासर नेशनल हाइ वे पर वृक्षारोपण

44. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वन विस्तार अधिकारी श्री डूंगरगढ़ द्वारा नेशनल हाइ वे नम्बर 11 पर श्री डूंगरगढ़ से कितासर तक वृक्ष लगाने का कार्य प्रारम्भ किया है? यदि हां तो कब से? तथा सन् 1971-72 1972-73, 1973-74 में कुल कितने-कितने वृक्ष वर्ष भर लगाये गए तथा वर्ष भर कितना कितना खर्च किया गया व वर्ष वार कितने कितने वृक्ष जीवित हैं?

Page No. 25

(वन मन्त्री) उत्तर

जी हां। वर्ष 1971-72 से कार्य आरम्भ किया गया था। लगाये गये वृक्षों की संख्या, जीवित वृक्षों की संख्या तथा व्यय की सूचना निम्नानुसार है:—

वर्ष	लगाए गए वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या	वर्ष	व्यय		
				वृक्ष लगाने पर व्यय	देख रेख तथा संधारण आदि पर व्यय	कुल व्यय
1971-72	4800	2700	1971-72	47740-95	—	47740-95
	—	—	1972-73	—	24026-25	24026-25
	—	—	1973-74	—	4926-33	4926-33
1972-73	4800	2800	1972-73	47967-27	—	47967-27
			1973-74 (सितम्बर 73 तक)	—	14032-00	14032-00

पंचायत समिति पीपलखूंट (बांसवाड़ा) में बीज की मक्का का वितरण

45. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट):— क्या विकास विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट में बीज की मक्का कितनी बोरी काश्तकारों को देनी थी और यह किस भाव खरीदी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि जो मक्का बीज की थी वह काश्तकारों को समय पर नहीं दी गई ? यदि हां तो सरकार ने किस तारीख को मक्का खरीदी और कब बांटी ? उक्त मक्का किस किस पंचायत को कितनी बोरी और किन किन किसानों को दी गई ? प्रत्येक पंचायत वाईज लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले में कृषकों को पास बुकों का वितरण

46. श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में अब तक कृषकों को कुल कितनी पास बुकें वितरित की गई और अब कितनी बाकी है तथा बाकी पास-बुकों का वितरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) फागी तथा चाकसू तहसील में कितनी पास बुकों का वितरण किया गया ? गांववाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जयपुर जिले में अब तक 1,39,721 पास बुकें कृषकों को वितरित कर दी गई हैं। अब 60,874 बाकी हैं जिनका

(राजस्व मन्त्री)

(उत्तर)

वितरण चालू खरीफ गश्त गिरदावरी एवं खरीफ वसूली अवधि में कर दिया जा सकेगा।

2. तहसील फागी व चाकसू में वितरित की गई पास बुकों की पटवार हल्के वाईज कथित दोनों तहसीलों की सूचियां परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चूरू जिले में खातेदारी अधिकार

47. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त की गैर खातेदार को या अलॉट के दस वर्ष जिनको हो गये हैं, उन्हें बिना मुआवजे खातेदारी देने का अधिकार तहसीलदारों को दिया गया है ? यदि हां तो ऐसे खातों की कार्यवाही तहसीलदार, काश्तकार की प्रार्थना पर करेगा या अनिवार्य तौर से ?

(2) चूरू जिले में तहसीलदार कितने कितने बन्दोबस्त, गैर खातेदार व कितने कितने अलार्टी दस वर्ष या इससे अधिक समय के हैं जिन्हें खातेदारी अधिकार दिया जाता है ?

(3) खातेदारी के लिये तहसीलवार कितने कितने प्रार्थना-पत्र काश्तकारों द्वारा दिये जा चुके हैं ?

(4) कृषकों को असुविधा एवं अपव्यय से बचाने के लिए क्या राज्य सरकार अनिवार्य तौर से इन्तकाल, खातेदारी दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां, बिना मुआवजे खातेदारी हक देने के अधिकार तहसीलदार को है। ऐसे अधिकार काश्तकारों को 10 वर्ष पूर्व होने पर स्वतः ही जांच करने के पश्चात् दे दिये जाते हैं अथवा कभी कभी उनके प्रार्थना-पत्र करने पर भी दे दिये जाते हैं। परन्तु बन्दोबस्त में काफी काश्तकारों के गलत नाम दर्ज होने पर उनकी जांच की जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं।

2. चूरू जिले में तहसीलवार बन्दोबस्त गैर खातेदारों की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

3. चूरू जिले में किसी भी तहसील में खातेदारी प्राप्त करने हेतु एक भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

4. प्रश्न के भाग नं. 2 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पदमपुर (गंगानगर) में भूमि आवंटन

48. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में पिछले तीन वर्षों में कितनी ऐसी सरकारी भूमि का जो उन व्यक्तियों के

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

कब्जे में 1960 से नहीं थी स्थायी आवंटन किया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जावे ।

(2) उक्त आवंटन किस आधार व किन नियमों के अन्तर्गत किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि चक 4 जे. जे. के मुरब्बा नं. 5 के 6 बीघे 16 बिस्वे नहरी भूमि श्री सोहनलाल पुत्र सहबदितामल को जिलाधीश के आदेश संख्या 965 दिनांक 8-2-71 द्वारा आवंटित की गई जो उसके कब्जे में 1960 से नहीं थी ?

(4) क्या सरकार ऐसे अवैधानिक आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पोंग-बान्ध से संबंधित समिति का प्रतिवेदन

49. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पोंग बांध के टनल्स बन्द करने के लिये विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो कब और किन किन विशेषज्ञों की ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त समिति ने अपनी कितनी बैठकें की और अपनी क्या रिपोर्ट राज्य सरकार को दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

(3) जो रिपोर्ट उक्त समिति से प्राप्त हुई उस पर राज्य सरकार ने क्या अमल किया ? पूर्ण ब्यौरा देने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 10 मई, 1973 को भारत सरकार के सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्न विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी :—

(1) श्री मोतीराम-आई. एस. ई. अध्यक्ष (सेवा निवृत)

(2) श्री हरिसिंह चौधरी सदस्य

(3) श्री वाई. के. मूर्ति सदस्य

(2) उक्त समिति की एक बैठक तलवाड़ा में दिनांक 14-5-73 तथा 15-5-73 को हुई जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई । रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) पोंग बांध का सीधा संबंध भारत सरकार से ही है अतः राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट पर अमल किये जाने का अब तक प्रश्न ही नहीं उठता है । भारत सरकार ने इस विषय पर कुछ और सूचना प्राप्त कर यह निर्णय लिया कि पोंग डेम में अक्टूबर के महीने में पानी रोकने का आगे निर्णय लिया जावे । तारीख 1-10-73 तक तो आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नौरंगपुरा (बैराठ) का गोचर भूमि पर अवैध कब्जा

50. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बैराठ तहसील जिला जयपुर के ग्राम नौरंगपुरा की बांध की गोचर भूमि पर "सिघाड़े" के नाम पर अनाधिकार कब्जा काश्त वर्षों से चली आ रही हैं ? यदि हां, तो कब से और किस कारण से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विवाद-ग्रस्त भूमि को बंधे से बेदखल करने की कार्यवाही वर्षों से नौरंगपुरा पंचायत द्वारा की जा रही है ? यदि हां तो अब तक क्यों नहीं बेदखली की कार्यवाही राजस्व अदालतों द्वारा की गई ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार की भूमियों के अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

(3) क्या यह सच है कि इस बांध में अकाल राहत कार्य में लगभग 50,000)रु. खर्च हुआ है यदि हां, तो उसका क्या उपयोग होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नौरंगपुरा की बांध की भूमि पर सिंघाड़ा एवं अन्य अनाधिकृत काश्त सन् 1966 से चली आ रही है।

(2) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध राजकीय भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही सन् 1966 में चालू हुई थी। तहसीलदार बैराठ द्वारा दिनांक 8-3-66 को अतिक्रमणियों को बेदखल करने के आदेश दिये गये थे जिसकी अपील अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर के न्यायालय में हुई जिसमें तहसीलदार का निर्णय बहाल रहा परन्तु द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां से दिनांक 15-6-71 को स्वीकार हो गई जिसके द्वारा आदेश तहसील निरस्त कर दिया गया। इस कारण बेदखली की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी। ग्राम पंचायत नौरंगपुरा में इसी विवादग्रस्त भूमि की बाबत अतिक्रमियों के जिला न्यायालय सहायक कलेक्टर बैराठ के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92 ए के तहत दावा वास्ते हुक्म इम्तनाई कर रखा है जो कि अभी तक चल रहा है।

(3) यह पुराना बन्ध था। इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध की खुदाई व मरम्मत का कार्य कराया गया है। खुदाई के कारण बांध की गहराई बढ़ी है और उससे समीपस्थ समस्त कुओं का जल स्तर बढ़ेगा।

ग्राम पंचायत बगरू के सरपंच की जांच

51. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बगरू पंचायत समिति सांगानेर के वर्तमान सरपंच के विरुद्ध राजस्थान विधान सभा में सोमवार दिनांक 26 फरवरी, 1973 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 141 (52 स्वा. मं.) के उत्तर में क्या कार्यवाही चल रही है ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

(2) उक्त प्रश्न के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूची में से आवासीय भूखण्ड हेतु सन् 1963 के रेकार्ड के अनुसार अब तक कितने कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने कितने को भूखण्ड आवंटन की सुविधा दी गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत बगरू द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को भूखण्ड निःशुल्क आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त सरपंच के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का सदन में निर्णय लिया जा चुका है उसके अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरपंच के विरुद्ध गबन की राशि की शिकायत की जांच जिलाधीश जयपुर द्वारा करवाई जा रही है ? यदि हां, तो उसमें देरी होने के क्या कारण हैं ? तथा अब यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायगी ?

उत्तर

(1) श्री जगदीश प्रसाद सरपंच ग्राम पंचायत बगरू पंचायत समिति सांगानेर को दिनांक 3-10-73 को निलम्बित किया जा चुका है। जिलाधीश, जयपुर से प्राप्त प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को भूखण्ड निःशुल्क आवन्टित करने के राज्य सरकार के आदेशों का ग्राम पंचायत बगरू द्वारा अमल न किये जाने के कारण अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटित नहीं किये जा सके हैं। पंचायत द्वारा दिनांक 16-9-73 की बैठक में केवल श्री भैरू खटीक को निःशुल्क पट्टा दिये जाने का निर्णय लिया है।

(4) सरपंच को दिनांक 3-10-73 को पंचायत एक्ट की धारा 17(4) के तहत निलम्बित किया जा चुका है, और जांच की आगे की कार्यवाही चल रही है।

(5) जी हां। जिलाधीश जयपुर से जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसके अनुसार सरपंच के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करड़ाराम को भूमि का आवंटन

52. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) करड़ाराम को जो बारानी भूमि जीवनदेसर बारानी में व नहरी भूमि 31 आर. बी. फस्ट में स्थायी आवंटन की गई है वह किस आधार पर की गई है किसके द्वारा की गई हैं और उसके राजनैतिक पीड़ित होने का क्या प्रमाण हैं और किसके द्वारा जारी किया गया है ? नकल दी जाये ?

Page No. 30

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

(ख) प्रमाण-पत्र विश्वासोत्पादक नहीं पाये जाने पर क्या सरकार उपरोक्त आवंटन को खारिज करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(क) करड़ाराम को जीवनदेसर में व 31 आर. बी. फर्स्ट में कुल 44 बीघा 5 विस्वा बारानी भूमि भूतपूर्व सैनिक होने के नाते गंग कैनाल परमानेन्ट अलाटमेंट रूल्स 1956 के नियम 3(1) (vii) के अन्तर्गत जिलाधीश, गंगानगर द्वारा दी गई है न कि राजनैतिक पीड़ित होने के कारण।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंडोल बांध का निर्माण

53. **श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ़ तहसील के मंडोल सिंचाई बांध पर कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) उक्त बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ और अब तक अलग अलग वर्षों में कितनी धनराशि व्यय हुई और क्या क्या निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है ?

(3) वर्ष 1973-74 में उक्त बांध के प्रावधानों के अन्तर्गत अगस्त 1973 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

उत्तर

(1) 14-17 लाख रुपये

(2) 1970-71 में कार्य आरम्भ हुआ
1970-71 में 0.03 लाख रुपये
1971-72 में 1.30 लाख रुपये
1972-73 में 1.49 „
1973-74 में 0.05 लाख रुपये माह अगस्त 73 तक

निर्माण कार्य चालू है। अब तक ओवरफ्लो की खुदाई व चुनाई का कार्य कराया गया है

(3) 1973-74 में 0.05 लाख रुपये अगस्त तक व्यय हो चुका है।

निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

अनवासा बांध का निर्माण

54. **श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ़ तहसील में अनवासा सिंचाई बांध पर कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) उक्त बांध का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और अब तक अलग अलग वर्षों में कितनी धनराशि व्यय हुई और क्या क्या निर्माण कार्य अब तक हो चुका है ?

(3) वर्ष 1973-74 में उक्त बांध के प्रावधानों के अन्तर्गत अगस्त, 1973 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) 6.22 लाख रुपया।

(2) 1970–71 में कार्य आरम्भ हुआ

1970–71 में 0.04 लाख रुपया
1971–72 में 0.47 ,,
1972–73 में 0.80 ,,
1973–74 में 0.16 ,,
(माह अगस्त 73 तक)

वायिवार्स कटिंग, ओवरफ्लो की खुदाई एवं 2 चेन में चुनाई का कार्य एवं बांध पर मिट्टी डलिने का कार्य हुआ।

(3) 1973–74 में 0.16 लाख रुपये अगस्त तक व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य चालू है।

डामठी खोखरा बांध का निर्माण

55. श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के डामठी खोखरा सिंचाई बांध की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि की ?

(2) उक्त बांध के शिलान्यास के पश्चात् प्रति वर्ष कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई तथा क्या क्या निर्माण कार्य हुआ ?

(3) क्या उक्त बांध का निर्माण कार्य इस समय बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त बांध का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां सन् 1966 में 14, 15, 800 की हुई।

(2) 1966–67 में 0.34 लाख रु०
1967–68 में 0.63 ,,
1968–69 में 1.65 ,,
1969–70 में 0.84 ,,
1970–71 में 1.16 ,,
1971–72 में 3.21 ,,
1972–73 में 0.18 ,,

बांध का निर्माण कार्य करीब 26 प्रतिशत हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) कार्य चल रहा है। इस वर्ष भी बजट में इस कार्य के लिए 0.20 लाख रुपये का प्रावधान है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने पंचायतों के चुनाव न कराने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 3–10–73 की रात्रि के 11 बजे धौलपुर स्टेशन रोड पर राजोरियों हत्या कांड के गवाह

Page No. 32

(श्री अध्यक्ष)

मुनिराज पर आर. ए. सी. के सिपाहियों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

3. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमान मल लोढ़ा, अजीतसिंह और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने गत 31 अगस्त को तहसील सलुम्बर में एस.डी.एस. के मकान के बाहर एक व्यक्ति की हत्या करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

4. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमान मल लोढ़ा, अजीतसिंह और गिरधारी लाल भार्गव सदस्य विधान सभा ने गत 26 सितम्बर को कोटा बेराज के फाटक बिना पूर्व सूचना के सील किये जाने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

5. सर्वश्री गिरधारी लाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री व अजीतसिंह सदस्य विधान सभा ने श्री ईश्वर दत्त शर्मा, सम्पादक 'पयस्विनी' को, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, गत 8 अक्टूबर. 1973 को पुलिस द्वारा अचेतन अवस्था में ले जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

6. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने तहसील दौसा ने सप्लाई क्लर्क श्री बिहारीलाल द्वारा श्मशान की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

7. सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री व अजीतसिंह सदस्य विधान सभा ने जयपुर शहर में गैस व मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने तथा कोयले के भाव बढ़े हुए होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

8. श्री मूलचन्द सामरिया सदस्य विधान सभा ने तहसील दौसा के सप्लाई क्लर्क श्री बिहारीलाल द्वारा कन्ट्रोल की वस्तुओं को खुले आम काले बाजार में बेचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

सदन में कल से आम जरूरत की चीजों के सम्बन्ध में जो बहस हो रही है उसमें उक्त माननीय सदस्य यदि चाहें तो भाग ले सकते हैं । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

9. सर्वश्री बिट्ठल भाई व जीथिंग, सदस्य विधान सभा ने जिला बांसवाड़ा में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । ये माननीय सदस्य सदन में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाली बहस में भाग ले सकते हैं । अतः मैं इनके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

10. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिनमें से एक में यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने चुंगी की समाप्ति की घोषणा की थी किन्तु आज तक चुंगी लगातार ली जा रही है, तथा दूसरे में यह कहा

(श्री अध्यक्ष)

गया है कि गत भारत पाक युद्ध के दौरान जो ट्रक सरकारी कब्जे में लिये गये थे उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। ये दोनों ही प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री केदारनाथ सदस्य विधान सभा ने सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय कृषि फार्म के मजदूरों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में निम्नांकित चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई थी:

(1) श्री सुरेश चन्द्र सदस्य विधान सभा द्वारा सब जेल कोटपूतली के कुछ कैदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार,

(2) श्री गुरदयाल सिंह सिन्धु सदस्य विधान सभा द्वारा मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू न करने के सम्बन्ध में तथा

(3) श्री गुरदयाल सिंह सिन्धु द्वारा ही गंगानगर में किसानों को खाद न मिलने के सम्बन्ध में,

(4) सर्व श्री मालाराम, भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा व गिरधारी लाल भार्गव सदस्य विधान सभा द्वारा 1 सितम्बर को तहसील खेतड़ी के एक गांव में एक बस के नाले में बह जाने के सम्बन्ध में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ स्थगन प्रस्ताव रखे थे।

श्री अध्यक्ष : वह देर से आये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इस राजस्थान के अन्दर गृह विभाग कोई कार्य नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में बोलें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 3 अगस्त को सलूम्बर के अन्दर मदन लाल शर्मा की दिन दहाड़े एस. डी. एम. के घर बाहर फरसा लेकर हत्या कर दी। बड़े आश्चर्य की बात है कि एस. डी. एम. के सामने घटना घट रही थी और वह देख रहे थे और थानेदार भी वहां मौजूद था, पुलिस फोर्स वहां थी, लेकिन वह कोई कार्यवाही नहीं कर सके और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि घटना के 16 दिन पहले, 13 तारीख को सलूम्बर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने एस. डी. एम. को दरख्वास्त दी थी जिसमें नाम भी दिये हुए थे कि यह व्यक्ति शरारत कर रहे हैं और उनके साथ और व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने मदन लाल शर्मा को जिनकी कि बाद में हत्या कर दी गई धमकी भी दी है कि तुमको मार देंगे, इसलिये उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाये लेकिन एस. डी. एम. ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसका

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

परिणाम यह हुआ कि एम. डी. एम. के दरवाजे के बाहर, दिन दहाड़े उस आदमी की हत्या कर दी गई ।

मैं गृह विभाग से पूछना चाहूंगा कि उनकी तरफ से क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? एक व्यक्ति को मारने की धमकी दी जाये और उस पर कार्यवाही न की जाये और अन्त में उस आदमी की हत्या हो जाये, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है । मैं जब एस. डी. एम. से मिला तो उन्होंने कहा कि पुलिस को धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया । बहुत आश्चर्य की बात है कि एस. डी. एम. आर्डर कर दे और पुलिस उसको नहीं माने मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें और उस एस. डी. एम. को सस्पेंड करें ।

श्री सुरेश चन्द्र : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था कोटपूतली में सब जेल के जेलर के बारे में..............

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब आ जाये, उसके बाद आप बोलें ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन स्थगन प्रस्ताव हैं । एक तो है मोतीराम कमीशन के बारे में । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट 1970 में छप जानी चाहिये थी और उसे सरकार को अमल में लानी चाहिये थी, लेकिन उसको सरकार आज तक अमल में नहीं ला सकी है । राज्य सरकार को केन्द्र सरकार को ऑपरेट नहीं कर रही है. पोंग डेम में पानी है लेकिन उसके दरवाजे बन्द नहीं किये जा रहे हैं और वहां का पानी न मिलने के कारण गंग नहर में पानी कम हो जाता है । जब कि पंजाब के अन्दर पानी है, हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और पानी पाकिस्तान को चला जाता है ।

मैंने तजवीज पेश की थी कि मोतीराम कमीशन की जिन सिफारिशों को सरकार नहीं लागू करना चाहती, है उन्हें छोड़ दे, लेकिन समेजा नहर को और करनी नहर को राजस्थान नहर में छोड़ दिया जाये । पानी नहीं होने से फसलों को नुकसान पहुंचता है और किसानों को हानि होती है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा उसको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि गंग कैनाल में पानी आ सके ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि भारत पाक युद्ध के समय गंगानगर के कई लोगों से सरकार ने ट्रक लिये थे और उनसे वायदा किया था कि उनको ट्रकों का किराया दे देगी । लेकिन दुख की बात है कि उनको आज तक भी किराये का भुगतान नहीं किया गया है । उनसे दो दो, तीन तीन महीने के लिए ट्रक लिये गये लेकिन उनको अभी तक भी भुगतान नहीं किया गया । उनको जल्दी पेमेंट करना चाहिये ।

तीसरा मेरा प्रस्ताव गंगानगर में खाद के अभाव के बारे में है । सरकार ने 1968 में कहा था कि सभी को खाद दे दी जायेगी, लेकिन आज खाद का थैला 110 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है । इसके लिये वहां पर लोगों ने आन्दोलन चला रखा है, लेकिन

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ लोगों से सरकार ने जमीन ले ली थी, वह भी उनको वापिस कर दी जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, जयपुर में सहकारी बाजार का प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मा है और उसके निकम्मे होने के कारण जयपुर की जनता को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोहरी बाजार में आज दो दो घंटे खड़े रहने के बाद भी तेल नहीं मिलता और जिन लोगों ने सहकारी बाजार से गैस के चूल्हे रखे हैं, उन्हें गैस नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बाद में बोल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं उस समय मेरा नम्बर नहीं आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो नम्बर लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : I won't allow you to speak on this.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो क्या मैं महंगाई के विषय पर बोल सकूंगा? उस समय मेरा नम्बर आयेगा नहीं।

जयपुर के सहकारी बाजार के आठ हजार सदस्य हैं.........

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कहने के बावजूद बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान विधान सभा के सामने टौंक के एक पत्रकार, पत्रकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टौंक में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ था उसकी न्यायिक जांच की मांग को लेकर पिछली 3 तारीख से ठीक असेम्बली के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह भूख-हड़ताल ऐसी नहीं थी कि उनके स्वास्थ्य में बहुत अधिक गिरावट आती, लेकिन दुर्भाग्य से उनको गिरफ्तार किये बिना ही पुलिस 12 बजे रात को, जिस समय पत्रकार सो रहे थे, उन्हें घसीट कर जैसे बोरी को फेंकते हैं उस प्रकार ट्रक में डालकर लगभग 1 घंटे तक तो जयपुर शहर में घुमाती रही और फिर ठीक 12 बजे हास्पिटल में ले जाकर उनको वार्ड में भर्ती करा दिया। पुलिस वालों को उनको गिरफ्तार करना चाहिए था ऐसे समय पर जबकि उनकी ऐसी हालत खराब हो जाती कि मरने वाले होते और उनको अस्पताल में ले जाना आवश्यक होता तब तो बात समझ में आती। न उनको गिरफ्तार किया गया और न उनकी ऐसी हालत···

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार यदि एक आदमी अपनी मांग को लेकर विधान सभा के सामने भूख हड़ताल करे, धरना करें और ऐसा आदमी हो जो कि पत्रकार है और टौंक में अखबार निकालता है उस पत्रकार के साथ में इस प्रकार की कार्यवाही हो। पिछली बार····

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पत्रकारों को पकड़ लिया गया और कई पत्रकारों को

Page No. 36

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पीटा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्रकार पिट जायं, पत्रकारों को गिरफ्तार कर ले, पत्रकारों पर लाठी चार्ज हो—वह निन्दनीय है। इस प्रकार के मेरे प्रस्ताव को आपने अस्वीकार किया है वह उचित नहीं किया। इस सम्बन्ध में गम्भीररूप से विचार किया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसके बारे में आपने व्यवस्था दी है कि आगे बोलूं, लेकिन वैसे मैं बोलने की स्थिति में नहीं, बीमारी की वजह से। इसलिए मैं दो शब्द ही अर्ज कर दूं। हमारे यहां पर दौसा तहसील में बिहारीलाल एक सप्लाइ क्लर्क है। वह कैरोसीन आइल की बोतल

श्री अध्यक्ष : इस पर बोलने की आज्ञा नहीं दी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरी हालत ऐसी नहीं है कि ज्यादा बोल सकूं। मैं दो शब्द ही कहना चाहता हूं।

वह 1.25 रु० क्विन्टल के हिसाब से गेहूं बेचता है ब्लैक में। इसमें आश्चर्य की बात तो नहीं है क्योंकि करप्शन तो होता है, लेकिन सामने जो बात होती है उसके और हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको रोकेगी। छोटे दर्जे पर जाकर एक एल०डी०सी० इतना भ्रष्टाचार करता है तो उससे एक वातावरण बनता है और उससे यह विचार होता है कि सरकार कुछ नहीं करती है और जो कुछ होता है होता रहेगा। ऐसे क्लर्क का तुरन्त ट्रान्सफर किया जाय अथवा जो कुछ भी कार्यवाही सरकार कर सके वह करे। ब्लैक तो जनता के दूसरे वर्ग व्यापारी वगैरह भी करते हैं तो यह माना जायगा कि वे बड़े अधिकारियों से मिल कर करते हैं, लेकिन एक सप्लाई क्लर्क करता है तो यह बात समझ में नहीं आती है कि किस तरह से करोसीन उसको एवेलेबल होता है, किस तरह से गेहूं एवेलेबल होता है और वह किस तरह से बेचता है। मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं एक सूचना देना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा है कि मैंने उनका एडजोर्नमेंट मोशन खारिज कर दिया तो वह मैंने खारिज नहीं किया है। आपके सुनने में गलती रह गई है। मैंने कहा है कि जानकारी चाही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कल के उनके भाषण को आज ही समझ लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान सरकार को जानकारी के लिए आप भेजते हैं लेकिन वह वापिस कभी नहीं आता है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश को मानता हूं लेकिन दो शब्द कहना चाहता हूं। सूरतगढ़ सेन्ट्रल मेकेनाइज्ड फार्म में पिछली तीन तारीख से हड़ताल चल रही है। केन्द्र की सरकार ने दो साल से इसको कार्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया है और लेबर डिपार्टमेंट को इन्टरवीन करने की पावर्स ट्रान्सफर कर दी। इसलिए, मान्यवर, आपकी मार्फत

Page No. 37

(श्री केदारनाथ)

निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इन्टरवीन करने, कन्सीलियेट करने के, आर्बीट्रेशन को रेफर करने की पावर्स मिल गयी हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस वहां पर लगाने के बावजूद जब भी झगड़ा पड़ता है लॉ एण्ड आर्डर का क्वेश्चन आता है तो आपको एडवाइस करनी पड़ती है। इसलिए राज्य सरकार अपने लेबर डिपार्टमेन्ट के मार्फत कन्सीलियेशन करे। मांग क्या है? मांग उनकी यह है कि 3 रुपये की जगह पर डेली वेजेज 5 रुपये हो जायें क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है और वह यह चाहते हैं कि सेन्ट्रल एम्प्लाईज के सर्विस रूल्स उन पर लागू हों। उनके इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल है।

आपने जो दूसरा स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा है तो वह पंचायतों के चुनाव के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कमिटमेन्ट किया था। वे मानते हैं कमिट करते हैं कि जनवरी के माह में जिन पंचायतों की अवधि समाप्त होने जा रही है उनके चुनाव करा दिये जायेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि इस सेशन के दौरान राज्य सरकार अपनी पोजीशन को क्लियर करें ताकि निश्चित स्थिति सामने आ जाय, हमेशा के लिए साफ हो जाय कि चुनाव कब कराना चाहते हैं, अगर नहीं कराना चाहते है तो मौजूद अवधि समाप्त होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त होंगे या क्या होगा एक अनसर्टेन्टिटी का वातावरण यहां पर समाप्त हो।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : एक दो शब्द में भी निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यों तो हम मीटिंग में मिल चुके हैं। मीटिंग में क्या बातें हुईं, लेकिन हमने मन्त्री महोदय के मन का परीक्षण कर लिया है। यह रिपोर्ट अनरिपोर्टेड होगी। आपको जानकारी अवेयोमान्त है। आप यह जानकारी दे दें कि चुनाव होंगे या नहीं? इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं भी इस सम्बन्ध में कर दूं। मन्त्री महोदय ने बड़ी कृपा की है। सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया है। सभी नेताओं का यह कहना था कि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाये। लेकिन अन्त में वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा और कुछ नहीं निकला। आज वह चूहा भी कहीं नहीं रहा। 70 करोड़ रुपया इस रिपोर्ट को लागू करने में खर्च होता है। ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह इस रिपोर्ट को लागू करे। 4 महीने पहिले यह रिपोर्ट आ गयी।

श्री अध्यक्ष। थोड़े में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज मन्त्री महोदय ने बुलाकर यह सुनाया है। इतने महीने हो गये हैं। 1971 में सेन्सस हुआ। 9 महीने का हिसाब किताब बताते हैं। 6 महीने तो यों ही निकाल दिये हैं। अब इन्होंने यह कह दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को अपनी ओर से जो कहना है वह कहें. मगर मन्त्री महोदय की ओर से कुछ नहीं कहें। मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो गुप्त रखा था इस बात को।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चिन्ता का विषय, अध्यक्ष महोदय, यह है कि यह चुनाव को टालने का एक तरीका है। यह गम्भीर विषय है। अगर चुनाव टाले तो सारे राजस्थान में गम्भीर स्थिति हो जायेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, 28-9-73 को एक अजीबोगरीब घटना घटी। चम्बल बांध पर मध्य प्रदेश के मिनिस्टर श्री छाजेड़ पधारे हुये थे। उनके लिए वहां पर आमोद प्रमोद की व्यवस्था की गई। उनके आमोद प्रमोद के लिए बांध के 15 फाटक खोल दिये गये ताकि वह पानी को बहता हुआ देख सकें। अध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों के आमोद प्रमोद के लिए खोले गये फाटकों से एकदम जो पानी बहा उससे 51 आदमी बह गये। बहुत से बच्चे जो गांवों के आसपास इधर उधर खेल रहे थे, बह गये।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस जानकारी के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई है। इसके साथ आर. एस. इ. बी. के इन्जीनियर के एक लड़के की मृत्यु बताई गई है। बाकी छुपाई जा रही है। उन लोगों पर 304 में मुकद्दमा चलाया जाये। वहां के चीफ इन्जीनियर और एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को अभी तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है। फायल गायब कर दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 302 में दिया जाये तभी तो 304 में आयेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लोग बुक प्रोड्यूस की जाये। 51 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वहां के चीफ इन्जीनियर और एक्जीक्युटिव इन्जीनियर जिम्मेदार हैं। इसके लिए फौरन आदेश जारी किये जायें। नहीं तो 4/5 दिन का और समय है। उत्तर आने में समय लग जायेगा। मामला इतना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मन्त्रियों के आमोद प्रमोद के लिये 51 व्यक्तियों की बलि दे दी गई। अध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों की बलि, आमोद प्रमोद के लिए, इस प्रकार से दे दी जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्रियों का बलिदान नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक आध मन्त्रियों का बलिदान हो जाता तो शान्ति की लहर दौड़ जाती।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है।

श्री अध्यक्ष : समय थोड़ा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप यह इग्लेण्ड लैटर पढ़ रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप यह इग्लैण्ड लैटर पढ़कर सुना रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इग्लैण्ड लैटर है, कोई लव लैटर थोड़े ही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह समाचार पत्रों में भी आया है। यह मन्त्रियों के आमोद प्रमोद के लिए घटना हुई है। हुई हैं या नहीं, आप उनको क्यों डिफेन्ड करते हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख को विधानसभा जैसे ही प्रारम्भ हुई, उसी दिन एक घटना हुई जो महत्वपूर्ण है। हमारे यहां सदन के अन्दर हम सब को पता, है, मुख्य मन्त्री महोदय ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया था, सी. बी. आइ. के द्वारा राजोरिया काण्ड की जांच कराई जायेगी। सी. बी. आइ. के द्वारा जांच कराई गई। 302 में लखूसिंह का चालान प्रस्तुत किया गया। लेकिन चालान प्रस्तुत किये जाने के बाद कोर्ट में और कोर्ट के बाहर जो गवाह थे उनमें से एक को तो समाप्त कर दिया गया जो आइ विटनेस था। राजोरिया की जीप का जो ड्राइवर था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 तारीख के पहले सी. बी. आइ. में गवाही देने के बाद उनको धमकियां दी गई। इसके पहले 7-9-73 को उसने कम्प्लेन्ट लीज की कि सी. बी. आइ. का केस चलेगा तो मैं उसमें गवाह हूं। मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। 3 तारीख को विधान सभा प्रारम्भ हुई। यह जानते हुये कि वहां सारे लोग इकट्ठे होंगे, उस आदमी पर कातिलाना हमला किया गया। उस ड्राइवर पर कातिलाना हमला किया गया। हमले में लक्खूसिंह का आदमी शामिल था। आर. ए. सी. के आदमी शामिल थे। स्टेशन पर हमला किया गया। उसके बाद उस घायल व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लेजाया गया। पुलिस के ऑफिसर ने केस रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया। सदन के प्रांगण में मुख्य मन्त्री की घोषणा के बाद में यह हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी. बी. आइ. की ओर से जो कार्यवाही हो रही है, उस को विफल करने के लिए, उनको फाइल करने के लिए, उसको चैलेंज देने के लिए यह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी जब सदन के अन्दर माननीय मंत्री प्रस्तुत करेंगे उस समय मैं आपके सामने और निवेदन करूंगा।

इसी प्रकार से वहां से जो यह सारे समाचार लाया है उस व्यक्ति ने बताया है कि उस व्यक्ति के बदन के ऊपर जगह जगह पर जिस प्रकार से कातिलाना हमला किया गया है, चोटें लगाई गई हैं उससे जगह जगह पर उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गये हैं, वह कपड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं यह बताने के लिए आज के युग में किस प्रकार से कानून की हत्या की जाती है, किस प्रकार से गवाह को खत्म करने के लिए हमला करके घायल किया जाता है और किस प्रकार से घायल करने के बाद उसका केस रजिस्टर नहीं किया जाता है और किस प्रकार जो प्रासीक्यूशन चल रहा है सी० बी० आई० के द्वारा उसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार इस देश में जनतंत्र नहीं रह सकता है। जबकि मुख्य मंत्री के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उस समय पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इससे मालूम पड़ता है कि रक्षक भक्षक बन गये हैं, बाढ़

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खेत को खाने लग गई है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो प्रोसीक्यूशन को दबाने के लिए गवाह को दबाते हैं, मारते हैं, उसके शरीर पर खून की धार बहाते हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। यह मेरा निवेदन है और मैं यह कपड़े कमलाजी के सामने पेश कर दूंगा। वे तुरन्त केस को रजिस्टर करवायें और इस प्रकार पुलिस के थाने में घायल व्यक्ति को धक्के दे दिये जाते हैं तो यह कौनसा राज्य है, क्या यह कानून का राज्य है या जंगल का राज्य है, क्या यह राक्षसों का राज्य है, क्या अमानवीय राज्य है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर आप विचार करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। मैं यह खून से लथपथ कपड़े आपको सौंप देता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं, यह खून के कपड़े जनतंत्र के खून के कपड़े हैं। यह कौनसा कानून और व्यवस्था का राज्य राजस्थान में है? यह राजस्थान में कानून और व्यवस्था पर हमला किया गया है—यह कपड़े इस बात के द्योतक हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है क्योंकि सी० बी० आई० के द्वारा कार्यवाही होने के बाद, इस सदन में इस सम्बन्ध में घोषणा होने के बाद उन व्यक्तियों को, जो असिस्ट करना चाहते हैं, असिस्ट करके कोर्ट और जस्टिस के कातिल को सजा दिलवाना चाहते हैं, खत्म किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा, कल या परसों, जब भी आप समय नियत करें, इस बारे में इस सदन को जानकारी दें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कपड़ों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पीस आफ एवीडेंस है। उस व्यक्ति के द्वारा कोई मुकद्दमा दायर किया गया है तो यह शनाख्ती के आधार होंगे, एक्जामिनेशन के आधार होंगे। इसलिए यह कपड़े यहां न रखे जाकर मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां मुकदमा चल रहा है, वहां पर यह एवीडेंस के तौर पर पेश होने के लिए भेजे जायं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं उनको सुपुर्द करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तो बहुत बड़े वकील हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करता हूं कि वहां भेजे जायं।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में भयंकर बाढ़ आई और अतिवृष्टि हुई ...

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री विट्ठलभाई : दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : फिर जरूरत नहीं रहती है।

श्री विट्ठलभाई : यह बहुत महत्वपूर्ण है ...

श्री अध्यक्ष : बहस के लिए इसलिए ही कहा है कि यह महत्वपूर्ण विषय है यह समझ कर ही कहा है।

श्री विट्ठलभाई : बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और फसल नष्ट हो गई है, मवेशी बह गये हैं, इन्सान मर गये हैं मकान ढह गये हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार के उपनेता जवाब दें और रिपोर्ट मांगें कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। 'नव ज्योति' में बताया है कि 17 करोड़ को बांसवाड़ा जिले में हानि हुई है। वैसे इससे ज्यादा की हानि हुई है। पूरी रिपोर्ट लेकर अविलम्ब सरकार को चाहिए कि इसका जवाब दें। केवल यहां पर भाषण देने और आश्वासन देने से काम नहीं चलने वाला है। इसके कारण से वहां पर भयंकर स्थिति होने वाली है, बहुत बड़ी महामारी वहां फैल जायगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण करने नहीं जा रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष : भाषण का पर्यायवाची शब्द रख लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इस केस के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। मैं आश्वासन चाहता हूं कि जो एवीडेंस को घायल किया गया मर्डरर के द्वारा, उसके लिए आप मंत्री महोदय को कहें और तिथि निर्धारित करें और उस तिथि को वह इसके बारे में वक्तव्य दें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनायें

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 6 (1) एफ डी/जी आर–4/73 (जी. एस. आर. 19) दिनांक 14 मई, 1973

(2) अधिसूचना संख्या एफ 6 (1) एफ डी| जी. आर.-4 (73) (जी. एस. आर. 32) दिनांक 23 जून, 1973

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट :

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड जयपुर की दिनांक 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के सम्बन्ध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा विवरण सदन की मेज पर रखती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति, जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री गंगाराम चौधरी (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय मैं, याचिका समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(1) विनियोग लेखे, 1970-71 के वित्त लेखे, 1970-71 एवं वर्ष 1970-71 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चौथा प्रतिवेदन, तथा

(2) विनियोग लेखे, 1969-70 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर पांचवां प्रतिवेदन ।

कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है' ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट मंजूर हो गई है मेरा यह निवेदन करना है कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने टैनेन्सी बिल की जो सिलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट दे दी है ...

श्री अध्यक्ष : इन्डिपेंडेटली कह रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे अलग है । इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, गवर्नमेंट से पूछा तो उनका इरादा इस सदन में टैनेन्सी बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो आ गई है, उस टैनेन्सी बिल को डिस्कस करके पास कराने का नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बार बार इस सदन में मैंने कहा है, माननीय राजस्व मंत्री जी जान बूझ कर बराबर इसको लम्बा खींचने की कोशिश कर रहे हैं । यह इस बिल की कहानी है, अध्यक्ष महोदय, 1963 में रेवेन्यू लाज कमीशन ने इसको ड्राफ्ट के रूप में बनाया था, दो बार इस सदन में आ गया है, दो बार इस स्टेज तक पहुंच गया है, इस पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई लेकिन दोनों बार लेप्स हो गया है । अबकी बार अध्यक्ष महोदय, इससे पहले के सत्र में सदन में इस बात के लिए आगाह किया था, पहले तो मीटिंग ही एक साल तक नहीं बुलाई गई, एक साल के बाद मीटिंग हुई ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कह दीजिये । समझे हुए है सभी ही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, इस सदन को कहा गया था कि इसलिए बुलाया जा रहा है, इसमें टैनेन्सी बिल लाया जायगा । इसमें टैनेन्सी बिल, जिला परिषद् और दूसरे बिल को लाया जायगा । लेकिन एक बिल के सम्बन्ध में तो सामने यह बात आ गयी कि वह नदारद है इसके बारे में राजस्व मंत्री जी बता दें, इसका क्या वही हस्र होगा, जो रेवेन्यू लाज कमीशन का हुआ, पहले दो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ

Page No. 43

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गई है, उनका जो हल हुआ, वही इसका हल होने वाला है। गवर्नमेंट का क्या इरादा है ? क्या इसको पोस्टपोन करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष (एक माननीय सदस्य के उठने पर) : डिबेट का प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसके बारे में नहीं है। दूसरी बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी, जो मुकम्मिल है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप बैठते हैं। आप कार्य मुकर्रर करेंगे, उसके मुताबिक मैं कर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरफ से आग्रह आया नहीं कि आप इस बिल को पायलट करना चाहते हैं। एजेण्डा में नहीं था। हमने पूछा तो कहा, वह नहीं चाहते हैं रखना। आपकी तरफ से नहीं था आग्रह।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे रखने की बात कौनसी आ गई। मैंने आपके सामने मुकम्मिल रिपोर्ट पेश कर दी। आपने इतना टाइम लिया। उससे ज्यादा टाइम दिया। उसके बाद मेरी कौनसी बात रह गई कि मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप चाहते हैं तो सदन में कहिये।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं निवेदन कर दूं···

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : इस पर डिबेट नहीं हो रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टेनेन्सी का अमेंडमेंट, जमीन पर जब अमेंडमेंट होगा, उसके बाद आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जमीन का अमेंडमेंट हो जायगा, उसके बाद वह आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब आसमान का अमेंडमेंट होगा तब बिल लाया जायगा जमीन का क्या।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके अनुसार बाढ़ के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के ऊपर हम निश्चित दिन डिबेट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मंहगाई के ऊपर डिबेट हुई · · ·

श्री अध्यक्ष : यह वहां कहने की बात थी।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं। बाढ़ के बारे में और सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं और हड़ताल के बारे में दो नोट पूरी की पूरी घटनाओं को रखते हुए, किस प्रकार से सरकार ने कार्यवाही की, कहां कहां पर किस किस प्रकार की समस्या रही, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस किस को सजा दी गई, कहां कहां कितने कितने लोगों ने हड़ताल में भाग लिया, किस प्रकार से समझौता हुआ, समझौते में क्या नेगोसियेशन हुए वह सारी सूचना वाइट पेपर के रूप में, नोट के रूप में माननीय सदस्यों को दे दी जाय, तो मैं समझता हूं कि सदस्यों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को अपनी बात कहने के अन्दर कम समय लगेगा और डिबेट अफेक्टिव होगी। मेरी प्रार्थना है, इसमें माननीय मंत्री को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह समय पर मिल जाय, तो उसका अध्ययन करके सदन में विचार प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्यथा उसके अभाव में कई ऐसी बातें कही जायेंगी जिनको कहने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि महंगाई पर नोट आया, लेकिन आपने देखा, डिबेट शुरू होने के बाद वह मिला और उसे पढ़ने को पूरा समय नहीं मिला। पता नहीं कौन कौन से आर्डीनेन्सेज निकले, कब चने की निकासी हुई, कौनसे नोटिफिकेशन्स निकाले। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर माननीय सदस्य अच्छी तरह से बहस में भाग ले सकें इसलिए सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और अकाल में भी जो कुछ हुआ है, वह हमारे सामने आया है. जैसे कुछ समय पहले आपके सामने गंभीर आरोप लगाए गए एक करोड़ या 90 लाख के बारे में लेकिन केवल विचार होकर रह गया। अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे बाहर पूछती है कि कौनसी घोषणायें हुई, मंत्रीजी ने क्या कहा मुख्यमंत्री ने क्या कहा। ऐसे मामलों पर कोई ट्रिब्यूनल या सदन की कमेटी नियुक्त होने की घोषणा होनी चाहिए, ढाई करोड़ जनता को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। 90 लाख रुपए के गबन का आरोप है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस बारे में बहस हो रही है ?

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरः स्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973

श्री औंकार लाल चौहान (श्रम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1973 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री औंकार लाल चौहान : मैं न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1973 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक 1973 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा एक निवेदन है। 1958 में कानून बनाया है। 1973 में संशोधन लाते हैं। सारा कानून पड़ा हुआ है, एक छोटे से अमेंडमेंट के लिए इतना समय लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक छोटा छोटा अमेंडमेंट लाते हैं। प्रापर प्लेस यह है...

श्री फूलचंद जैन : यह प्रापर टाइम की बात है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : 1958 में कानून था मिनिमम वेजेज का, 1963 में हालत बदल गई। क्या आप रखना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य एतराज कर रहे हैं यह तो जो चौकीदार नंबरदार हैं वह सेक्शन्स 41 व 50 निरस्त हो गए ...

कई माननीय सदस्य : यह तो न्यूनतम मजदूरी के लिए एतराज कर रहे हैं, आप कहां पर जा रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1973.

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोध न करके मुझे एक बात कहनी है। एक कमेटी बनी हुई है जो कि इस विषय पर विचार कर रही है और जहां तक मुझे मालूम है उस कमेटी की अध्यक्षा भी मंत्राणी जी हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार हो गई। उस संबंध में एक नान-आफिसियल बिल आया था उसको लेकर डिस्कशन हुआ है और इस कमेटी ने सिफारिशें की हैं। उसने बुनियादी सवालों, बेदखली वगैरह, पर विचार किया होगा। आप उसको भी लाइए। इसको अकेले लाने से क्या फायदा ? दोनों साथ ही लायें। जो विधेयक ला रहे हैं वह रिएक्शनरी है, उल्टा बेदखली करने का है जिससे टैनेन्ट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगा। इससे इस मामले को सख्त करने जा रहे हैं। कल यहां पर राजस्थान किराएदार संघ की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, किराएदारों के सामने इतनी बड़ी समस्यायें हैं लेकिन इसमें इतने छोटे से अमेंडमेंट हैं। कोई किराएदार मर जाए तो उसका उत्तराधिकारी किराएदार नहीं रह सकेगा, हाई कोर्ट का डिसीशन हो गया, जिसकी वजह से लड़का बेदखल हो सकता है। इस बारे में संशोधन आज तक नहीं किया। इस बिल के संबंध में हम कन्सीडरेशन के स्टेज पर कहेंगे लेकिन सरकार की तरफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से हमको यह पता लग जाए कि आपका संशोधन करने के पीछे क्या दृष्टिकोण है और उस संबंध में सदन में आप बिल ला रही हैं या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कमेटी की बैठक कितनी ही बार बुलाई गई । उसका जो प्रारंभिक विचार था वह सिर्फ इतना ही था कि जो किराएदार रहते हैं उनकी मृत्यु के बाद उसके हेयर की क्या लीगल पोजीशन बनाई जाए । हमने उस कमेटी के अन्दर यह तय किया कि सिर्फ एक ही मुद्दे को डिस्कस न किया जाए तमाम को डिस्कस करके उसमें और जो भी आज के जमाने के अनुसार सुधार किया जाना जरूरी है, वह किया जाए । इसलिए चूंकि तमाम धाराओं को निश्चित रूप से, विस्तृत रूप से, डिस्कस करने का सवाल था, उसमें कुछ समय लगेगा लेकिन अब मैं उसको फाइनल रूप देने में तेजी कर रही हूं और कोशिश करूंगी कि जल्दी हो जाए । लेकिन अब इस विधान सभा सत्र में पेश किया जा सके, यह स्थिति शायद नहीं आए । इस संशोधन विधेयक को पेश करना लाजमी है क्योंकि यह बहुत पहले से विचारार्थ चल रहा है और इस बारे में भारत सरकार से पत्रावली आई हुई है और उसी संदर्भ में यह पहले रखना जरूरी है और जैसे ही दूसरा बिल तैयार हो जाएगा वह भी रखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या किराएदार ....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपके लिए मैटर आफ रूटिन हो गया । किसी पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेचर में प्रेक्टिस नहीं है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर डिबेट हो ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब एक माननीय सदस्य बोलता है तो उसको तो नहीं रोकते हैं । तो उसको भी वहीं रोक दें, दूसरे माननीय सदस्य को क्यों रोकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें भी जरूरी नहीं है कि कोई एक बोलता है तो सभी बोलें । ज्यादा से ज्यादा एक आदमी बोलता है जब एतराज हो कि गवर्नमेंट पुट अप करने के लिए काम्पीटेन्ट नहीं है तो एक आदमी को इजाजत दी जाती है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब दो सदस्य मिलते हैं तब एक का काम देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप संसदीय ट्रेडीशन्स को जानने वाले हैं, सारे के सारे इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर बोलें तो ठीक नहीं । कन्सीडरेशन स्टेज पर सारे बोलें तो एतराज नहीं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल जब मैं बोल रहा था तो श्री निरंजन नाथजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर किसी माननीय सदस्य को न बोलने दिया जाए । कल किराएदार संघ का प्रदर्शन हुआ, वह कई सालों से परेशान है । बराबर टालते जा रहे है, उसमें संशोधन लाने के लिए क्या गृहमंत्राणी जी आश्वासन देंगी कि आर्डीनेंस निकालकर राज्यपाल महोदय द्वारा, किराएदारों को सुविधायें देंगी ? छः महीने बाद बजट सैशन होगा उसमें अध्यादेश रखकर फिर कानून बना लें ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूं

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो सरकार की ओर से नोटिस वितरित किया गया, उसको पढ़ने और समझने की बात है। मैं लंबे पचड़े में न पड़ते हुए कम से कम इतना तो अवश्य कहूंगा कि वह नोट निकम्मा है और अवास्तविक है यह तो विरोधी पक्ष का कटु अनुभव हो चुका है कि राजस्थान की सरकार जानकारी देने हेतु जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, वे विश्वसनीय नहीं हैं। यह तो विश्वासघात है। स्वयं राजस्थान की गवर्नमेंट राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है ऐसे आंकड़े देकर। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कल अपने अभिभाषण में कहा था कि आज महंगवाड़ी की जो समस्या है वह सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है बल्कि देश व्यापी समस्या है। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी की जो कमियां है उनके साथ मैं किसी हद तक अपनी सहानुभूति रखता हूं। एक हद तक मेरी उनके प्रति सहानुभूति है क्योंकि महंगवाड़ी की समस्या सिर्फ राजस्थान और भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि यह तो समस्या पूरे संसार की समस्या है। यह तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। आज संसार में ऐसे भी देश हैं जहां पर भारतवर्ष से ज्यादा महंगवाड़ी है। लेकिन उनमें फर्क इस बात का है कि वह देश हमारे भारतवर्ष से ज्यादा समृद्धशाली देश हैं। वहां पर महंगवाड़ी इतनी आपत्तिजनक नहीं है, इतनी अड़चन पैदा करने वाली नहीं है और न ही वहां के लोगों को किसी प्रकार विशेष असुविधाजनक ही है।

(12.53 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में महंगवाड़ी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग रहते हैं वह उन समृद्ध देशों से काफी पिछड़े हुए हैं और यहां की जनता आधे से अधिक तो ऐसी है जो कि बिलो पावर्टी है। उस स्थिति में कीमतों का इस प्रकार तेजी से बढ़ना देश की जनता के लिये बहुत ही अहितकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जितनी महंगवाड़ी बढ़ रही है उसके साथ साथ एक और दिक्कत हमारी जनता के सामने है वह यह है कि यहां पर हर एक वस्तु का अभाव है और अभाव के साथ साथ हर एक वस्तु, चाहे वह घी हो, चाहे वह वनस्पिति हो, चाहे वह दूध हो, हर चीजमें आपको मिश्रण मिलेगा। हर वस्तु के अन्दर आपको धोखाधड़ी मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह सरकार के लिए एक गम्भीर चुनौती है, एक गम्भीर समस्या हैं। महंगवाड़ी भी यहां की जनता किसी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

हद तक सह ले, उसे बर्दाश्त कर ले लेकिन उसके वितरण की व्यवस्था तो कम से कम ठीक होनी चाहिये । जो चीज मिले वह शुद्ध तो मिलनी चाहिये । यह सरकार का उत्तरदायित्व है और पुनीत कर्तव्य भी है कि वह जनता तक वस्तुओं को अच्छी तरह से पहुँचावे । लेकिन अगर सरकार जनता में वस्तुओं का वितरण नहीं कर सके ठीक ढंग से तो मैं समझता हूं कि सरकार एक जघन्य अपराध कर रही है। वह सरकार गद्दार है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है । लेकिन अगर सरकार जनता की खुशहाली चाहती है तो राज्य सरकार के लिए यह जरूरी है कि इस ओर विशेष ध्यान दें । अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में भुखमरी बढ़ती रहेगी । और यह देश के लिए एक गम्भीर समस्या हो जायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी केन्द्रीय सरकार ने गेहूं के व्यापार का नेशनलाईजेशन किया, और कांग्रेस पार्टी ने यह कह कर किया कि हमारी नीति है कि हम गेहूं का राष्ट्रीयकरण करें । तो हमारी राज्य सरकार को भी झक मार करके इसी नीति को अपनाना पड़ा और हमारे राजस्थान में भी गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया । उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत ही विचारणीय प्रश्न था, एक गम्भीर विषय था । उसके लिए ऐसा होना चाहिए था, हर एक प्रदेश को अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये था क्योंकि इसमें काफी कमियां थीं । आखिर उसको वास्तविकता के आधार पर करना चाहिए था । आपने सिर्फ थ्योरी के ऊपर चल कर कैसे निर्णय ले लिया कि हमने भी गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया है । इसमें आपने जनता का बहुत ही बड़ा अहित किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर केन्द्रीय सरकार या कुछ लोग यह समझते हों कि हर एक समस्या का हल राष्ट्रीयकरण से ही होता है तो यह सही नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कईयों का नेशनलाइजेशन किया गया जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जीवन बीमा निगम का नेशनलाइजेशन किया गया, गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया गया । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने बैंकों का नेशनलाइजेशन तो कर दिया लेकिन उन नेशनलाइज्ड बैंकों से कितने काश्तकारों को आपने लाभ पहुंचाया ? आज जीवन बीमा निगम की हालत राष्ट्रीयकरण होने के बाद ऐसी है कि लोगों की पोलिसीज मैच्योर होने के 12-12 महीनों के बाद भी रकम उन्हें प्राप्त नहीं होती है । एल० आई० सी० का राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो लोग अपने प्रिमियम भेजते हैं उनकी रसीदें भी उनको महीनों तक नहीं मिलती हैं । तो मेरे ख्याल से यह राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ बल्कि राज्यीकरण हो गया है । आपकी सरकार समाजवादी नीति की समर्थक है और वह भी सहकारिता के सिद्धान्त पर आधारित है । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों को पैसा दिया ? क्या वह पैसा आपके पास वापिस आ गया ? उपाध्यक्ष महोदय, आज करोड़ों रुपये इन को-आपरेटिव सोसाइटीज में सरकार के डूब गये हैं । आज आपकी सैकड़ों बोगस सहकारी समितियां हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है। अगर यह को-आपरेटिव सोसाइटीज

Page No. 49

(श्री लक्ष्मण सिंह)

अच्छी तरह से जनता की सेवा करें तो मैं समझता हूं कि इससे जनता को लाभ पहुंच सकता है और जनता में खुशहाली आ सकती है। आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए और हमें आजादी को देखते हुए 25 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं, देश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपने इन बोगस सोसाइटीज के खिलाफ में कोई एक्शन लिया है। मैं समझता हूं कि आपने उनमें लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न तो हर चीज का हल राष्ट्रीयकरण ही है और न हर समस्या का हल सहकारिता के द्वारा ही हो सकता है। जहां तक सवाल राष्ट्रीयकरण से हर समस्या के हल का है मैं आपसे यह निवेदन किये बिना नहीं रहूंगा कि हर एक देश की परिस्थितियां अलग अलग हैं। और मैं तो कहूंगा कि अपने ही देश में हर प्रदेश में और अपने राजस्थान में भी आप देख लें, आज भरतपुर की परिस्थिति अलग है और बाड़मेर की परिस्थिति अलग है। हमारा देश भारतवर्ष एक बहुत विशाल देश है। तो परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे यहां पर गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया वह मेरी समझ में एक बड़ी भारी भूल थी। आपके पास पूरा स्टॉक नहीं, आपके पास बफर स्टॉक नहीं और आपने राष्ट्रीयकरण गेहूं के व्यापार का कर दिया तो आपको इसमें सफलता कैसे मिल सकती थी। हां अगर आप सहकारी समितियों के द्वारा गेहूं का वितरण कराते तो मैं समझता हूं कि आपको किसी हद तक कुछ सफलता मिल जाती लेकिन आपने छोटे छोटे व्यापारियों के पेट पर लात मार के और अपनी हठधर्मी से गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया। आपकी वितरण व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण है। इससे जनता को काफी नुकसान पहुंचा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां पर कहे बिना नहीं रह सकता, आखिर क्या कारण है कि आप लकीर के फकीर होते जा रहे हैं? दूसरे देशों में राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी को देखकर यहां भी राष्ट्रीयकरण की नीति आप जनता पर थोप रहे हैं। दूसरे देशों में राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भारतवर्ष में भी राष्ट्रीयकरण की पोलिसी हर क्षेत्र में सफल हो सके। आज राष्ट्रीयकरण वहां पर सफल होता है जहां पर कि एक ही पार्टी का राज्य हो। आज रूस में राष्ट्रीयकरण हर क्षेत्र में सफल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि यहां भी सफल हो जाये। वहां पर एक ही पार्टी का राज्य होने की वजह से तथा डिक्टेटरशिप होने के कारण नेशनलाइजेशन की नीति सफल हुई है। अगर आप यह चाहते हैं कि आप यहां भी डिक्टेटरशिप लायें या पारशियल डिक्टेटरशिप आप लायें और उसके बाद में अगर आप राष्ट्रीयकरण करें तो शायद सरकार को किसी हद तक सफलता प्राप्त होने की सम्भावना हो सकती है। नहीं तो यह आपका राष्ट्रीयकरण नहीं राज्यकरण है। मैं इसे राज्यीकरण ही मानता हूं। इसको मैं स्टेटिज्म मानता हूं। यह आपकी राष्ट्रीयकरण की नीति आपकी हठधर्मी पर स्टेटिज्म के नाम पर आधारित है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

यदि आप कहें कि यह हमारा अन्दरूनी मामला है, इसको हम चाहें जिस तरीके से निपटा सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम रूस की मैत्री की अवहेलना करें। रूस हमारा एक समृद्ध पड़ोसी देश है, उससे मैत्री का मैं स्वागत करता हूं, किन्तु हमारे जो अन्दरूनी मामले हैं उनको अगर रूस के सिद्धांत पर हल करना चाहें, तो वह अवास्तविक होगा और गलत होगा और आपको सफलता कभी नहीं मिल सकेगी।

अभी ही रूस से 20 लाख टन गेहूं मिलने की सम्भावना का समाचार, समाचार पत्रों मे पढ़ा था, लेकिन वह 20 लाख टन गेहूं कब तक आयेगा, इसका पता नहीं।

एक माननीय सदस्य : मद्रास तक आ गये।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आ गये तो उसका मैं स्वागत करता हूं।

एक माननीय सदस्य : 13 लाख टन आ गये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान रबी के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। बीज के सम्बन्ध में, खाद के संबंध में, फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में सरकार को सजग रहना चाहिये। अगर बीज के सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था न कर सकी, तो ठीक नहीं होगा। यदि बीज समय पर नहीं मिला, फर्टीलाइजर समय पर नहीं मिला, तो हो सकता है कि सारी जमीन पड़त रह जाये। माननीय मंत्री महोदय ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि पानी से, सिंचाई से, हजारों एकड़ राजस्थान में आज ऐसी जमीन है जहां गेहूं और चना पकेगा। मैं मानता हूं कि यह उनका एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन अगर बीज नहीं होगा तो कहां से गेहूं और चना पकेगा? आपको बीज की व्यवस्था करनी चाहिये। आपको इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा।

गेहूं के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात आपने की। आपके पास बफर स्टॉक नहीं होने के कारण आपने सात से चार किलो गेहूं की व्यवस्था की। मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि हमारे पास गेहूं नहीं था। जब गेहूं नहीं था, तो आपने यह राष्ट्रीयकरण क्यों किया? आपको वहां दृढ़ता से कह देना चाहिये था कि राजस्थान में राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकेगा। लेकिन आपने अपनी हठधर्मी दिखाई और केन्द्र के आदेश को आपने स्वीकार किया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हर एक व्यक्ति को आठ किलो गेहूं मिलना चाहिये, तो मेरे विचार से आठ नहीं तो सात किलो जौ मिलना ही चाहिये। अगर आप सात किलो प्रति व्यक्ति भी वितरित नहीं कर सके, तो फिर क्या हुआ?

एक माननीय सदस्य : एक किलो मिला है।

श्री लक्ष्मणसिंह : खाक मिला फिर। एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो दो किलो तो मुर्गे मुर्गी ही खा लेते हैं। तो मुर्गे और मनुष्य को आप बराबर तोलते हैं, तो फिर यह सरकार सरकार नहीं, और कोई बला है।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को तीन तीन घंटे तक क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। तीन घंटे खड़े रह कर गर्भवती स्त्रियां बेहोश

(श्री लक्ष्मणसिंह)

होकर गिर जाती है लेकिन अनाज नहीं मिलता। यह समाजवाद है या कत्लवाद है ? कोई केरोसीन ग्रॉयल लेने जाये तो तीन घन्टे खड़ा रहना पड़े, कोई वनस्पति लेने जाय तो तीन घन्टे खड़ा रहना पड़े ग्रौर फिर भी चीज नहीं मिले। आज हालत यह है कि पैसा देने पर भी चीज नहीं मिलती। यह कैसा समाजवाद है ? मक्का के लिए भी यह व्यवस्था है ग्रौर माइलो के लिए भी यह व्यवस्था है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि मक्का जिस मात्रा में होनी चाहिये वह नहीं है। यह उन्होंने कहा है। उनके साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन या तो माइलो दो, या मक्का दो, दोनों नहीं देंगे तो क्या लोगों को भूखा मारेंगे ? यह कौनसी व्यवस्था है ?

ऐसी स्थिति के अन्दर मनुष्य ग्राज परेशान हैं ग्रौर उनकी दिक्कतें और परेशानी इस सीमा तक पहुंच जायेंगी कि लोग कानून ग्रपने हाथ में ले लेंगे, जैसा कि कल जनसंघ के माननीय नेता महोदय ने कहा। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई और लोग भूखों मरें तो जनता कानून हाथ में लेगी, लोग ग्रापका घेराव करेंगे ग्रौर लूट पाट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर नेशनलाइजेशन से लोगों का भला होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन नेशनलाइजेशन के परिणाम आज जो कुछ हैं, वह हम देख चुके हैं, वह हमारे सामने आ गये हैं। अब सरकार विचार कर रही है कि चावल का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं मन्त्री महोदय, ग्राप से निवेदन करूंगा कि ग्रगर आप चावल का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो यह एक ग्रनमिटीगेटेड डिजास्टर (Unmitigated disaster) होगा। चावल का राष्ट्रीयकरण करने से मेरे खयाल में देश की बरबादी होगी ग्रौर ग्रापको भी यह लेकर डूबेगा। इससे भयंकर स्थिति पैदा होगी। यहां कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य विराजमान हैं, वह ग्रापको भड़का भड़का कर चावल का राष्ट्रीयकरण करायेंगे ग्रौर ग्रापके नुकसान से फायदा उठायेंगे। इनकी तो नीति ही यह है कि heads I win, tails you lose. They win in any case. दोषारोपण होगा वह ग्राप पर होगा, उनका कोई नुकसान नहीं। मुझे तो यह कहने में कोई पशोपेश नहीं कि चावल का राष्ट्रीयकरण इस देश के लिए एक ग्रनमिटीगेटेड डिजास्टर होगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : केवल हम ही नहीं भड़का रहे हैं, जो कुछ इनके ग्रन्दर बैठे हुए हैं और हजारों हरिजन ग्रौर मजदूर जो सड़कों पर काम करते हैं, वह भी यही चाहते हैं। आपने तो भीलों को गोलियों से भुनवा दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनके अन्दर छुपे हुए कम्युनिस्ट लोग चले गये है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कम्युनिस्ट तो दो चार होंगे, लेकिन हजारों मजदूर ग्रौर गरीब लोग भी यही चाहते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रूस में क्या हो रहा है ? वहां डेमोक्रेसी क्या है ? रूस के ग्रन्दर मजदूरों को वोट का अधिकार है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको डेमोक्रेसी कहां नजर आ रही है ? आपको अमेरिका में नजर आ रही है क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप किस को.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डूंगरपुर में डेमोक्रेसी थी वहां महारावल साहब के गरीब जंगल में लकड़ी काटने नहीं जा सकते थे । कहां की डेमोक्रेसी आपको नजर आ रही है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : डेमोक्रेसी भारत में है । हम चाहते हैं भारत में डेमोक्रेसी रहे । हम नहीं चाहते यहां अधिनायक वाद हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आपको क्या चिन्ता है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे यह चिन्ता है कि डेमोक्रेसी को घुन लग गया है अन्दर से । डेमोक्रेसी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के नीचे कराह रही है । शासन पंगु हो गया है । लोग महंगाई में मर रहे हैं । शासक बन्शी बजा रहा है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लाखों लोग आज भूखों मर रहे हैं । आप उनको खाद्यान्न मुहय्या करवा नहीं सकते । केवल नारेबाजी करते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोधपुर में दीवार गिरी तो करोड़ों का माल निकला था । वहां आप नहीं पहुंचे थे । आप तो उस समय किसी जज के सामने माई लार्ड कर रहे होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें बन्द करें । माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य हांडाजी ने कहा कि डूंगरपुर में डेमोक्रेसी थी । डूंगरपुर में तो नहीं थी, यह तो पच्चीस वर्ष पहले की बात थी । पर इन पच्चीस वर्षों में आपने क्या किया । रहा प्रश्न मेरी यहां मौजूदगी का । तो वोट से चुन कर यहां आया हूं । कोई हवा में उड़ कर तो आया नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर काफी चर्चा हुई । मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, नौकरशाही और सत्ताधारी की मिलीभगत की भी बातें सुनाई दीं । तो मैं यह निवेदन कर रहा था

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र इनमें कौन मियां और कौन बीबियां हैं ? तीन हस्बेण्ड हैं और एक बीबी है । हमारा लव तो दो से है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या बात है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अपने प्यार की बात बार बार क्यों बतलाते हैं आप ?

श्री लक्ष्मणसिंह : हांडा साहब का तो लव दो से था । मैं तो कहता हूं पोलीगेमी है । और मोनोगेमी है । बात तो एक ही हुई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी एडल्टरी है या क्या है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : नेशनेलाइजेशन आपने किया अन्न का । करते ही गेहूं का भाव

(श्री लक्ष्मणसिंह)

एक दम शूट अप हुए। अगर एक वस्तु के दाम एकदम बढ़ते हैं तो सहानुभूति रखते हुए दूसरी वस्तुओं के भी भाव बढ़ते हैं। गेहूं के भाव बढ़े तो दूसरे मोटे अनाज के भी बढ़े। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण गेहूं के व्यापार का हुआ उसके पहले गेहूं के भाव जिनको आप जखीरेबाज, मुनाफाखोर आदि आदि कहते हैं उन्होंने भी इतने नहीं बढ़ाये। उनके वक्त में भी इनके भाव 110) 115) रुपये क्विन्टल थे। मक्का 80) 90) रुपये क्विन्टल था। बाजरा 65) 70) रुपये क्विन्टल था। आज राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ? भाव दुगुने हो गये, पौने दो गुने हो गये। क्या यह सफल राष्ट्रीयकरण है? आज अन्न के भाव 200) रुपये क्विन्टल है और मैंने तो सुना है बम्बई में चार सौ रुपये क्विन्टल हो गये हैं। 180) रुपये क्विन्टल गेहूं यहां है, बाजरा 160) 165) रुपये क्विन्टल तक पहुंच गया है और शक्कर की तो यह दुर्दशा है कि सैकड़ों गांवों में लोगों को गरीब लोगों को तो मुंह मीठा करने को शक्कर भी नहीं है। शक्कर का नब्बे प्रतिशत कोटा ब्लैक में बिक जाता है। गांवों में शक्कर आती है नहीं।

तो सरकार इस सम्बन्ध में सजग है या आंख मूंदकर के लीपापोती करना चाहती हैं। लीपापोती करना चाहती है और आंख बन्द किये बैठी है तो क्यों? ऐसी उसकी क्य मजबूरी है? इन ब्लैक मार्केट करने वाली आपकी मशीनरी को तो आप सम्भाल सकते हैं, दूसरों को भी सम्भाल सकते हैं? आपके पास आपकी आर्मरी में एक से एक बढ़कर नाकामयाब हथियार हैं। भारत रक्षा कानून आपके पास है। आपको इनका उपयोग करने से किसने रोका? यह तो दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। बड़े शर्म की बात है यह सरकार के लिये।

केरोसिन तेल का यही हाल है। सैकड़ गांवों ऐसे हैं जिनके पास बत्ती तक जलाने को तेल नहीं है। एक आदिवासी ने यहां तक कह दिया कि मिट्टी का तेल दर-असल आज की व्यवस्था को देखते हुए इत्र हो गया है। इत्र अब कहां से लाया जाय।

इसके उपरान्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने अब तक कितने चोर बाजारियों, कालाबाजारियों, जखीरेबाजों आदि को सजा दी है? कितना गल्ला पकड़ा गया, कितने छापे मारे? वास्तविक बात तो यह है कि आपके अन्दर एक कुलक्षण बैठा है। एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं, तो दूसरी सांस में राइट लैफ्ट, रूस से और सी. बी. आइ., से भी हाथ मिलाना चाहते हैं। और इस कुलक्षण के दबाव से दब कर आप अनाज के जखीरेबाजों को भी संरक्षण दे रहे हैं तो आपकी नीति न तो गधा है न घोड़ा है। यह तो खच्चर, दोगली, नीति है। या तो आप डेमोक्रेसी पर स्ट्रिक्ट रहें या फिर आप डिक्टेटरशिप पार्शल डिक्टेटरशिप डिक्लेअर कर दें। अगर आपको सी. बी. आइ. से मिलना है तो शत प्रतिशत मिल जाइये। शत प्रतिशत जिनकी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं वह अपना लीजिये। अगर यह सब कुछ आपको नहीं करना है तो ऑर्थोडाक्सी रूप से वास्तविकता को सामने रखते हुए चलिये। देश की आज जो आन्तरिक दशा है सोच समझ के साथ

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उसका निराकरण करना चाहिये। काले बाजारियों का मैं समर्थन नहीं करता। पर सच्ची बात कहने में डर भी नहीं है। वितरण की व्यवस्था इन काले बाजारियों के हाथ में जिस तरह की थी उससे भी बदतर दुर्दशा आपकी वितरण व्यवस्था ने कर दी है। आपने क्या भला देश का किया? आज जगह जगह फूड राइट्स हो रहे हैं। उदयपुर में हुए, जोधपुर में हुए, बम्बई में, भोपाल और इन्दौर में हुए। मैसूर और केरल भी नहीं बचेंगे। सब जगह सारे देश में अशान्ति और असन्तोष व्याप्त है। Atmosphere is surcharged with alarms.

यह सब क्या हो रहा है? बिजली की व्यवस्था आपकी टूटी जा रही है। यू. पी. में आज बड़ी बुरी दशा है। आप हम सब जानते हैं कि आज देश का सारा वातावरण एक तरह के तनाव, रोश और आक्रोश से व्याप्त है। आज समाचार-पत्रों में करीब साल भर से रोज खबरें आती हैं कि आज फलां जगह, आज फलां जगह कहीं अश्रु गैस, कहीं गोली और कहीं लाठी चल रही है। क्या इस सब का उत्तरदायित्व इस सरकार पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण क्या है? आज युवकों में फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। निराशावादी हो गये हैं लोग। खासकर नौजवानों के अन्दर तो इतनी निराशा घर कर चुकी है कि वे बिलकुल दृढ़ संकल्प हैं, कानून को हाथ में ले लिया जाय। यह उनकी मान्यता बन गई है कि यह सरकार निकम्मी है।

व्यापार करना है तो स्वस्थ प्रतियोगिता के सिद्धान्त पर करना चाहिये। सरकार करे। अवश्य करे। पर दूसरों को भी वह व्यापार करने का अधिकार होना चाहिये। तब सरकार को पता लगेगा कि किस तरह से व्यापार किया जाता है। दूसरों को तो व्यापार करने का अधिकार छीन लें और स्टेट की मोनोपोली का सिद्धान्त अपनावें और फिर लोगों की हालत बद से बदतर कर दें और महगाई को आसमान में चढ़ा दें तो यह तो कोई नीति नहीं है। यह तो दुर्नीति की पराकाष्ठा है।

अगर आप सब कुछ करना चाहें तो यह नहीं होगा। या तो शासन कर लें या व्यापार कर लें। दोनों नहीं होगा। नीतिकार ने कहा भी है? एक हि साधे सब सधे सब साधे सब जायं। एक चीज करनी है, तो ठोस रूप से करिये। उसमें सफलता प्राप्त कर लें फिर दूसरी चीज की ओर कदम बढ़ायें। सब कुछ भी करना चाहें और कुछ नहीं कर सकें तब तो किंकर्तव्यविमूढ़ होंगे ही, नहीं होंगे तो क्या होंगे?

मैं समझता हूं कि ह्यूमन प्राब्लम मानवीय समस्या भी एक बड़ी जटिल समस्या आज होती जा रही है। आज के आपके समाजवादी देश में भ्रष्टाचार, नौकरशाही, भाई भतीजावाद अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। देश में इसको देखकर लोग अवसरवादी हो गये हैं। आपके पास अपने निष्ठा वाले आदमी नहीं है। राष्ट्रीयकरण की शुभ भावना से ओतप्रोत कार्यकर्त्ता आपके पास नहीं है। इसमें जो नैतिकता चाहिए वह नैतिकता नहीं है। अनुशासन और निष्ठा आपके आदमियों में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं रह गई है। राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई है। आपाधापी नीचे से ऊपर तक पूरी रफ्तार से चल रही है। जहां पर ये तीन चीजें नहीं हैं वहां पर आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट में समाप्त करता हूं।

यह मेरे बिलकुल समझ से बाहर की बात है। खाद्यान्न मन्त्री जी का मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यापारी चोरी से गल्ला बाहर ले जा रहा था सलूम्बर के एस. डी. ओ. ने उसे पकड़ा और उस के सारे गल्ले को लोगों में लुटवा दिया और लुटवाने के पश्चात उस अनाज को मनमाने तौर से वितरित कर दिया। अगर एस. डी. ओ. ने यह वितरण किया तो स्वयं एस. डी. ओ. ही कानून की अवहेलना करता है। सरकार आंख मूंद कर कुछ नहीं करती है तो व्यवस्था की यह पराकाष्ठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सप्लाइ और डिमाण्ड का यह प्रश्न है, उपभोग और उपभोक्ता का यह प्रश्न है और अगर इसमें सामंजस्य नहीं है तो असन्तुलन हो जायगा और वही असन्तुलन आज हम देश में देख रहे हैं।

आप कहते हैं प्राइसेज को कन्ट्रोल करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को कन्ट्रोल करेंगे, वह भी कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं वितरण की व्यवस्था ठीक करेंगे, वह वितरण की व्यवस्था भी आपके बस की बात नहीं है। आप कन्ट्रोल क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्राइसेज गैलप एन्ड शूट अप हो रही है। पापुलेशन, जिसको आप कन्ट्रोल करने की बात कहते हैं, वह विस्फोट हो गई है। आखिर सरकार क्या कर रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

अभी आपने आर्थोडाक्स मेथड को अपनाया और किसान को यह विश्वास होने लगा कि किसान अपनी चीज को बाजार में लायेगा तो उसको मुनाफा मिल जायगा। इससे गेहूं बाजार में आया और बिकने लगा। अन्यथा आप कितने घरों में छापे लगाते और गल्ला बाहर निकाल कर वितरित करते। वितरण भी करना आप को नहीं आता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं यह कदम उठाना चाहते हैं, यह किसके हित के अन्दर है? यह भी मेरी समझ के बाहर है।

मोटे कपड़े के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं– पांच मीटर प्रति परिवार पर मंथ की व्यवस्था की है वह भी नहीं मिल पाता है। आखिर गरीब आदमी को मोटा कपड़ा चाहिए तो उनकी आवश्यकतानुसार उनको मिलना चाहिए। आज बाजार में कोयला नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, शक्कर नहीं। केरोसिन की आपकी जो व्यवस्था है मैं उसके लिये कह ही चुका हूं। उसके साथ साथ विद्युतिकरण आपने किया है। आज हालत यह है कि आधे समय भी बिजली नहीं पहुंचती है और पूरे रेट्स के साथ कीमत वसूल करते हैं, यह मेरे ख्याल में शासन की व्यवस्था लज्जाजनक है।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude it now.

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपको यही सुझाव दूंगा अगर वर्तमान परिस्थिति को काबू में लें और बड़े व्यापारियों के साथ सरकार को जो कुछ करना है करे । उनको व्यापार मत करने दीजिये लेकिन छोटे व्यापारियों के साथ आप ऐसा मत करिये । वे अनाज को अवेरेंगे, मुनाफा भी कमायेंगे लेकिन जनता को राहत भी देंगे । आखिर आपके सप्लाई आफिसर क्या करते हैं ? ट्रक भर भर कर आते हैं, कबूतर उनको खाते रहते हैं । उनमें छेद कर दिया जाता है और अनाज का गोलमाल किया जाता है । इस तरह भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है । इस भ्रष्टाचार के उपरान्त भी वे रेड हैन्डेड पकड़े जाते हैं और उस पर भी लीपापोती हो जाती है । ऐसी व्यवस्था में, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि 25 वर्ष के कांग्रेस के राज्य ने जनता को क्या दिया— भूखमरी दी, महंगाई दी और जलालत दी । अगर आप को यहीं का यहीं वतीरा अपनाना है तो अपनी हठधर्मी को कायम रख कर चाहे जो कुछ करिये वरना विरोधी दल की बात को सुनकर उस पर भी आपको आचरण करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कल डेढ़ घण्टा अपने वक्तव्य में लिया । मैं समझता था अगर कुछ समय बच पाता तो माननीय सदस्यों को डिबेट में हिस्सा लेने का और मौका मिल पाता लेकिन मन्त्री महोदय जब तक सारे हाउस को थका न दें तब तक ये चलते नहीं हैं । उनके लम्बे चौड़े वक्तव्य के बाद जब सब परेशान हो कर उठने लगे तब माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान आया वक्तव्य को बन्द करने का । कल की डिबेट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखी होगी बड़ी शिथिल रही । इसलिए जो कुछ उत्तर दें, वह कम से कम शब्दों में दें । ये दूसरे मौकों पर और समय ले सकते हैं । मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि कल के भाषण में कोई नई बात नहीं है । हम बराबर पढ़ते रहे हैं, आपके भाषण को, वक्तव्य को और कइयों के भाषण को- यही तो आपने कहा, देश भर में मूल्य वृद्धि है इसलिए शान्त हो जाओ और भूखे मरो । सब जगह यह स्थिति है इसलिए शान्त हो जाओ—आपने यही तो कहा, संसार भर में महंगाई है इसलिए चुप रहो । आपके नेताओं ने भी कहा छः महीने और शान्त रहो । इसके बाद एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि उसके बाद मौत····

श्री शंकरलाल (पाली) : यह तो आप ने ही कहा था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी यह बात आपसे ही कहलाना चाहता था, आपने कह दिया । ऐसा ही एक के बाद एक का जवाब आपने दिया और फिर कहते हैं डेफिसिट फाइनेन्सिंग है, वह भी सब जानते हैं । फिर दुबारा कहा, शरणार्थियों पर खर्च हो गया, इससे कौन परिचित नहीं है । फिर आपने कहा बंगाल को अन्न देना पड़ा, इसे भी सब जानते हैं । ब्लेक मनी, जखीरेबाजी आदि आधे घण्टे के भाषण के तथ्यों को सब जानते थे । अगर आप इन सब विषयों पर मौन ही रहते तो ठीक था । आपने कहा,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रोक्योरमेंट के हिसाब से राजस्थान का दूसरा नम्बर आया है। मैं समझता हूं राजस्थान की भूख इससे नहीं बुझ सकती है। दूसरे नम्बर पर आया, मेडल मिला है—पहला पंजाब का है। भूखे को आवश्यकता होती है, वह अनाज की आवश्यकता। दूसरा फिर आपने कह दिया, वितरण व्यवस्था हम तेज कर देंगे। यही विवादास्पद प्रश्न है। वितरण व्यवस्था और आप तेज करें। वितरण व्यवस्था आपके बूते के बाहर है। वितरण व्यवस्था नौकरशाही के हाथों में है। एक मार्के की बात और आपने कही— मैंने जो निर्णय लिया है यह मन्त्री मण्डल का है"। यह बहुत बड़ी बात है या—सेल्फ डिफेन्सिंग है, इसमें डिफेन्स की भावना है। आपने कहा, निर्णय मन्त्रिमण्डल के हैं। यह प्रश्न आज बहुत तलब है, जिससे राजस्थान चिन्तित है, जिस पर सारे राजस्थान की निगाहें हैं, वह मूल्यों की वृद्धि में फ्लड भी आ जाता है और अकाल भी आ जाता है। आज इससे सारा राजस्थान चिन्तित है और आप कहते हैं उन्हीं पर मंत्रीमण्डल का निर्णय हुआ है। सभी मंत्री मंडल के निर्णय हैं। किन्तु आप देखिये मन्त्रिमण्डल की स्थिति भी देखें। एक एक मन्त्री को इन मुद्दों पर परेशानी होनी चाहिये, एक एक मन्त्री को चिन्तित होना चाहिये। इस सदन की डिबेट को प्रत्येक मन्त्री को सुनना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। लेकिन मन्त्रिमण्डल तो बलि का बकरा है। गृह राज्य मन्त्री जरूर यहां बैठे हैं, आपने इन निर्णयों को मन्त्री मण्डल का बताया वह सदन में मन्त्रियों के न होने से सही नहीं मालूम देता। मैं तो यह कहता हूं कि डि-जोरे मुख्य मंत्री अस्वस्थ है लेकिन डि-फैक्टो, मुख्य मंत्री भी यहां नहीं है....

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): डि-फैक्टो मुख्य मन्त्री कौन हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: डि-फैक्टो सारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अलग हैं और डि-जोरे सारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री अलग हैं। डि-फैक्टो और डि-जोरे मुख्य मन्त्री अलग अलग हैं। डि-जोरे को तो हमने बनाया और डि-फैक्टो मुख्य मन्त्री कौन हैं यह सब जानते है इसलिए इस बात को अपने आप में प्रश्न-वाचक रहने दीजिये। इसलिए मैं कह रहा था डि-फैक्टो मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हैं। मैं आपकी भावनाओं को ही व्यक्त कर रहा हूं, आप यही समझ रहे हैं कि वे मुख्य सचिव हैं, इसलिए मैं आपकी बात पर दाद दे रहा था।

आज महंगाई का प्रश्न है ...

श्री शंकरलाल (पाली): मैं तो समझता हूं नहीं, आप किसको समझते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं महंगाई के प्रश्न पर निवेदन कर रहा हूं। आप बात करते हैं, वह यह करते हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्नों के आधार प्रकट करना चाहते हैं। सारे राजस्थान की जनता को हम भूख से नहीं मरने देंगे, नियंत्रण करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज ये बातें किस आधार पर कर रहे हैं। देश की गुलामी अब इस समय हटती तब आप कहते, सारी स्थिति को काबू में करेंगे तो समझ में आता। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 साल के बाद तो हमारी डेमोक्रेसी और जनतन्त्र वयस्क हो गया है। 25 साल के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस प्रश्न पर कि जब स्वतन्त्रता संग्राम में हम लोग रत थे हम जनता से कहा करते थे कि भारत साधन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सम्पन्न है। हम कहते थे कि यह पिछड़ापन विदेशी शोषण है। उस समय हमने यह नारा लगाया और अब वह प्रश्न 25 साल के बाद भी भारत पिछड़ा हुआ है अब तक कायम है। 25 साल के बाद तो भारत का कोई शोषण नहीं हुआ है। हम शोषक हैं और जनता उसकी सब्जेक्ट है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि बार बार हमारे देश की हालत के लिए कहा जाता है कि बाहर के देशों में भी ऐसी हालत है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, दूसरे देशों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। समाजवादी और साम्य-वादी देशों में यह महंगाई की स्थिति नहीं है जो आप कहते हैं। अगर केपीटिलिस्ट कन्ट्रीज के बारे में आप कहते हैं तो जापान को लीजिये, जर्मनी को लीजिये, वहां यह स्थिति नहीं है। अगर दूसरे कन्ट्रीज का उल्लेख करते हैं तो हमारा स्टेन्डर्ड आफ लिविंग और उनका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग, उनकी इनकम और हमारी स्थिति–इनमें मुकाबला कहां है?

इसके पहले मैं कोई स्थानीय स्थिति पर नहीं कहना चाहता हूं। हम अकाल के दिनों में लोगों के सान्निध्य में रहे हैं, फ्लड के दिनों में भी लोगों को देखा है। अभी माननीय सदस्य उधर से बैठे हुए कह रहे थे कि आपने तो लोगों को भूख से मरने पर नियंत्रण लगा दिया था। जनता ने आपको कहने की पाबन्दी पर कहा भी कि हम मरेंगे। लेकिन उफ नहीं करेंगे, मौत के आंकड़े नहीं लिखायेंगे और इसका उल्लेख नहीं करेंगे। जनता ने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके माना है। अकाल के दिनों में आपने मजदूरों को देखा होगा, अकाल के दिनों में आपने किसानों को देखा होगा। दो किलो पर जिसने अपने परिवार को पाला, तीन किलो पर जिसने अपने परिवार को पाला उस आदमी को अब हम कहें कि हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, कब्र में जाने वाले व्यक्ति से कहे कि हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे है?

फ्लड के दिनों में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां यातायात ठप्प हो गया आपकी सारी व्यवस्था जहां ठप्प हो गई, उस फ्लड से संतप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में हम कहें कि तुमको अनाज मिला या नहीं मिला? मैं सारे राजस्थान के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। महंगाई के प्रश्न को तो हटा दीजिये लेकिन वितरण व्यवस्था से जो कुछ देना चाहा वह भी आदमी के मुंह तक नहीं पहुंचा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर डिवीजन के प्रश्न पर नहीं कहना चाहता हूं मैं आज मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य अखबार में पढ़ रहा था, उन पर उपेक्षा का ख्वामख्वाह आरोप लगाया जाता है उदयपुर डिवीजन का, यह गलत है। मैं मानता हूं यह भी गलत है और इसलिए गलत है कि अकाल राहत मन्त्री अकाल के दिनों में कई दौरे उदयपुर डिवीजन के कर चुके हैं। वहां की जनता की दुर्दशा, दर्द और दाह को बहुत नजदीक से देखा है, कराहते हुए उन्हें आपने देखा है और दूषित वितरण व्यवस्था से कैसे अनाज पहुंचता है कैसे नहीं पहुंचता है, उनके दर्द को बहुत देखा है। कई बार आपने दौरा किया और मुख्य मन्त्री जी ने उदयपुर डिवी-जन के कई बार दौरे किये हैं। जो अध्ययन दल भी उदयपुर डिवीजन में आया। एक दल फ्लड रिलीफ के लिए आया था और उस क्षेत्र का दौरा भी किया। राजनेता एक यंत्र जिसको हेलीकोप्टर कहते हैं और जो आकाश

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में उड़ता है उसमें बैठकर और 6–7 हजार रुपये रोज के किराये पर मनोरंजन के तौर पर कि कैसा सुन्दर दृश्य दिखता है आसमान से विप्लव का, उन्होंने भी अवलोकन किया था। मैं कहता हूं कि क्या यह उपेक्षा नहीं है उदयपुर डिवीजन की। आपने विश्वास दिलाया है और अध्ययन दल भी आया है। इस सन्दर्भ में मेरे व्यंग को आप समझ सकते हैं। उदयपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर आबादी मीलों की सबसे ज्यादा है। मैं यह शिकायत करूं कि आपकी सरकार उपेक्षा करती है तो भी फिजूल है। इसलिए फिजूल है कि उपेक्षा करने वाला है कहां? सरकार ही नहीं है।

हमारा मन्त्री मण्डल दस व्यक्तियों का है और प्रशासनिक प्रश्न बहुत जटिल हैं राजस्थान के उनको हल करना मन्त्री मण्डल का कार्य है। तो आज मन्त्री मण्डल कहां है? तो मुझे इसकी अजीब तस्वीर नजर आती है। आपने आज ही देखा कि सदन में सवाल तो दूसरा किया जा रहा था और मन्त्रीजी ने विचार कर जवाब दूसरा देना शुरू किया। मन्त्री मण्डल की क्षमता, मन्त्री मण्डल की अकर्मण्यता, मन्त्री मण्डल की योग्यता और अयोग्यता के सन्दर्भ में इस मन्त्री मण्डल से कोई निर्णय लिया जाये यह सम्भव नहीं और मन्त्री मण्डल वह भी जिसके मुख्य मन्त्रीजी सदा बीमार रहते हैं, जिसमें डि-फैक्टो मुख्य मन्त्री काम करते हैं, उस मन्त्री मण्डल से क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह सारे राजस्थान की उपेक्षा है। मैं डिवीजन विशेष की उपेक्षा के लिए नहीं कहता।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सारे प्रश्न जब सामने आते हैं तो हमारे सामने मुल्क आता है। जब हम कहते हैं 26 साल के बाद हम आदमी के मुंह में दाना देना चाहते हैं, मुर्गी जितना खाये उतना दाना देना चाहते हैं तब जापान की प्रगति सामने आती है। कई मुल्क सामने आते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं। जापान जो युद्ध में ध्वस्त हो गया, जापान जिसको रा-मेटिरियल नहीं मिलता था, जापान जिसको मजदूर नहीं मिलते थे और जापान जिसकी अर्थव्यवस्था खराब थी और जापान जिसे अमेरिका को कम्पन्सेशन देना पड़ रहा था, जापान जिस ने अमेरिका से पैसा लोन पर लिया और सबको चुका करके पैरों पर खड़ा हो सका। जापान की आय मालूम है प्रति व्यक्ति कितनी है? यह आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि सन् 47 के बाद 25 गुना प्रति व्यक्ति की आय जापान में बढ़ी है। यह क्यों है? इसलिए कि आदमी वहां का कहता है कि मेरा मजहब मेहनत है। इसलिए कि वहां का आदमी मानता है कि मेरी प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा राष्ट्र के उत्थान में है। यदि हम भी श्रम को मजहब मान लें, हम भी मान लें कि हमारी प्रतिष्ठा राष्ट्र के उत्थान में है। लेकिन कहें कैसे? कौन रास्ता दिखाने वाला है? रास्ता दिखाने वालों में मेरा ख्याल है कि आप एक व्यक्ति है जो दिखा रहे हैं, जो राजस्थान की भुखमरी को भुखमरी से बचाने का चिन्तन करते हैं। आप मूल्य नियंत्रण के लिए चिन्तन करेंगे, इन मूल्यों पर आप नियंत्रण करेंगे और आप करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्रिमण्डल में ज्वाइन्ट रेस्पोन्सीबिलीटी की बात जब आप कहते हैं तो ज्वाइन्ट रेस्पोन्सीबिलीटी मानी जावे ख्वाब है। ये सब आपके

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

व्यक्तिगत निर्णय है। इसलिए ज्वाइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी वाली बात इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में नहीं आए। माननीय सदस्यों का सम्मान नहीं रखें यह आश्चर्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय पर चिन्तन करने के प्रश्न पर इनको यहां पर बैठना चाहिए था इसलिए मैं जापान का उदाहरण दे रहा था।

आपने कल कहा कि हमारा डेफिसिट फाइनेन्सिग है और केन्द्र पर आपने जिम्मेदारी छोड़ दी कि यह केन्द्र का प्रश्न है। कल तीन-चार प्रश्न तो आपने केन्द्र पर डाल दिये। लेकिन जनता केन्द्र को नहीं देखेगी, राजस्थान की जनता यहां के प्रशासन को देखेगी। आपने बजट के सम्बन्ध में कहा कि बजट में घाटा है और बजट में घाटा है केन्द्र के। और उसी के साथ ही साथ रुपये की क्रयशक्ति घटी है। फ्रांस में स्थिति इसी तरह से खराब हुई थी जब पत्थर उठाने वाले आदमी को, अपने सिर पर बोझा उठाने वाले आदमी को, जो रोटी के साथ प्याज खाता था और वह प्याज राहत देता था गरीब आदमी को वही प्याज, गेहूं की कीमत जाने दीजिए, मोटे अनाज की कीमत जाने दीजिए, लेकिन प्याज जो तीस पैसे में एक किलो मिलता था अब तीस पैसे में दो सौ ग्राम मिलता है। प्याज चला गया है। इसका मतलब है कि आदमी की सब्जी चली गई, आदमी को मिलने वाला प्रोटीन चला गया जो उसे थोड़ा बहुत मिलता था। जो चीज 1961-62 में सौ रुपये में मिलती थी अब वह मिलती है 266 रुपये में। यह हमारे प्राइजेज की स्पायरल है और गेहूं जो सरकारीतौर से 80-85) रुपये क्विन्टल मिलता था वह बाजार में डेढ़ और दो सौ रुपये क्विन्टल मिलता है। इसलिए आश्चर्य बढ़ता गया हमारे राष्ट्र में।

अभी महारावल साहब ने कहा था कि अभाव और आश्चर्य का राज्य है राजस्थान और राजस्थान ही नहीं देश में। हम आए दिन इस इन्तजार में रहते हैं कि समाचार पत्र आए और हम देखें ताजा समाचार। उन समाचारों में सारा पैट्रोल गायब। स्कूटर पर जाने वाला बाबू इन्तजार करता है पैट्रोल के अभाव के सम्बन्ध में, और कार में चलने वाला व्यक्ति भी इन्तजार करता है पैट्रोल की कमी में। राशन की क्यू। उसके साथ गैस का चूल्हा जला करता था और अभी तक जो गृहिणियां चूल्हा जलाने से बेखबर हो गई थी, अब लकड़ियां और कोयले ला रही हैं। तो वह गैस गायब, लकड़ी भी गायब और कोयला भी गायब। इसी तरह यह सारे आश्चर्य हैं और हम बार बार कहते हैं आश्चर्य है। गन्ने की प्रगति आश्चर्यजनक, गेहूं की प्रगति आश्चर्य जनक, मोटे अनाज की प्रगति आश्चर्यजनक और हरित क्रांति आश्चर्यजनक। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रूस में क्रांति जनता ने की। और जहां कहीं भी बड़ी क्रांतियां हुई वह जनता की क्रांतियां गिनी गई हैं लेकिन हमारे यहां क्रांति, हमारी हरित क्रांति है जिसको तथाकथित वैज्ञानिक हरित क्रांति, नेताओं की हरित क्रांति ही कही जा सकती है इसका जनक कौन है। क्रांतियों की जनक जनता हुआ करती है, यहां जनक नौकरशाह हो गया है और जनक वह तथाकथित वैज्ञानिक हो गया है जिसके हाथ में हरित क्रांति है और जो क्रांति शब्द से जो क्रांति से हुंकार निकलती है, हुंकार भरा हुआ जो शब्द है उसको बदनाम कर दिया है

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नौकरशाही ने । हरित क्रान्ति आरम्भ हुई तो नाज गायब हो गया । क्रान्ति के साथ ही नाज गायब । क्रान्ति में उभरता है नेतृत्व उभरती है जमीन, क्रान्ति से जलजला पैदा होता है । नया रास्ता बनता है । किन्तु यहां क्रांति से गल्ला गायब हो गया । और वेतन बढ़ा तो क्रयशक्ति पर अंकुश लग गया । ऐसी ही क्रांति हमारे देश में है । उत्पादन बढ़ा, और हम कहते हैं कि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन खाने वालों के ही मुंह बढ़ते चले गए और बराबर बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों की हालत और खराब होती जा रही है । हमने अहिंसा की दुहाई दी और हम आज भी अहिंसा की दुहाई देते हैं किन्तु हिंसा बढ़ती जा रही है । इसलिए हम बोलना बन्द कर दें । हम कहते हैं कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे लेकिन शिक्षा में विकृति हो रही है । इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम यह बांग देना बन्द कर दें तो जनता में घुटन आएगी । जब आपके द्वारा क्रांति करने की बात बन्द हो जाएगी तब जनता के अन्दर घुटन आएगी, जनता में निराशा होगी और यह घुटन अपना रास्ता अपने में से खुद निकाल लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । इसलिए मैंने कहा कि आपने वायदा किया और गल्ला गायब हो गया । मैं क्रांति के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन आपकी क्रांति चीजों को गायब कर देती है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार का ध्यान आप दिलायें इस हरित क्रांति की ओर । आप आफ दी ट्रेक हो गए हैं । आपकी सफेद क्रांति, हरी क्रांति और दूसरी क्रांतियां क्या हैं ? आपने जनता को आफ दी ट्रेक करने के लिए ये शब्द चुने हैं । आपने कहा कि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है । गत वर्ष में, पिछले वर्षों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है गेहूं में और 80 लाख टन अनाज जो सरकारी भंडार में आना था वह कहां गया । थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जब चर्चा हुई तब आपने कहा है कि हम स्थिति को काबू में कर लेंगे, वितरण व्यवस्था को ठीक कर देंगे । राष्ट्रीयकरण की अफवाह पैदा होने के साथ ही राष्ट्रीयकरण असफल हुआ । इसको असफल करने में कौन जिम्मेदार है । असफल करने वाली आपकी नौकरशाही है । अफवाह जब चली तो व्यापारियों ने उस अफवाह को पकड़ा । व्यापारी नौकरशाही के मन को समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है । प्रश्न यह है कि नौकरशाह व्यापारी को समझता है कि नहीं समझता है । यह प्रश्न प्रश्नवाचक नहीं है । नौकरशाह व्यापारी को खूब समझता है, अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए व्यापारी नौकरशाह को समझता है, उसके मन को समझता है । केवल अफवाह पर इस व्यापारी ने जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उससे पैसे लिए और उसी से माल खरीदा । उसने अपने भंडार भरे और आपको मैदान में अकेला रख दिया इस व्यापारी ने । इसलिए जब आप यह कहते हैं कि हम व्यवस्था को ठीक कर देंगे, वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित कर देंगे यह प्रलाप है । नौकरशाही के हाथों में यह व्यवस्था देकर आप यह ख्वाब देख रहे हैं । वह पूरा नहीं हो सकता । यह व्यापारियों के साथ सांठ गांठ है नौकरशाही की जिसने राष्ट्रीयकरण को असफल करने का पूरा पूरा प्रयास किया है । जब मैं प्रश्न पर आता हूं तो आप कहते हैं कि जनता ने अपने हाथ में मामला लिया है । कई राजनैतिक दल, प्रगतिशील दल हैं उन्होंने इसको

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

समझा लेकिन सरकार इस प्रश्न को समझ नहीं सकती। उन्होंने घेराव करना शुरू किया, उन्होंने छापे मारने शुरू किए और जोधपुर में तो प्रकृति ने साथ दिया। एक व्यापारी के यहां मकान की दीवार ढह जाने से लाखों मन गल्ला प्रकट हो गया। व्यापारी यह समझता था कि करोड़ों रुपये और लाखों रुपये इकट्ठा कर लूंगा लेकिन प्रकृति ने साथ दिया और गल्ले को बाहर निकाल दिया और लोगों ने उसको बेच दिया मैं कह रहा था कि छापा मारने की बात, घेराव की बात जनता अपने हाथ में ले रही है। ऐसी बात क्यों हो रही है? अंधेरे कमरे, जिसमें आपका गल्ला पड़ा रहता है, उस अंधेरे कमरे का ज्ञान नौकरशाह को है और उस अधिकारी को है, यदि नहीं होता तो स्थिति दूसरी होती।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल आपने आंकड़े दिए कि हमने इतनों के चालान किए। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां जनता के इन दलों ने छापे मारे, नाज को निकाला, लोगों को दिया तब जिनके अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में यह दुकानें आई उन अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्या कदम लिया? यह नहीं हो सकता कि यह अधिकारियों की जानकारी में नहीं हो। यह अधिकारियों को सांठ गांठ थी जिनसे मिलकर व्यापारियों ने यह सब कुछ किया लेकिन आपने उन अधिकारियों को पेनेलाइज करने के लिए क्या किया। लेकिन उन अधिकारियों को पेनेलाइज करके एग्जाम्पल सैट करना चाहिए था। लेकिन आप क्या करेंगे, आप तो खच्चर पर जाने वाले नाज को पकड़ेंगे, भैंसे पर जाने वाले नाज को आप पकड़ेंगे। आप कहते है कि भ्रष्टाचार को रोक लेंगे, आप क्या रोक लेंगे भ्रष्टाचार को ....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

Five minutes more.

यह आपके बूते की बात नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं मिटूंगा या भ्रष्टाचार मिटेगा। मेरा खुद का अपना अनुभव है कि जब आपने इण्टर डिस्ट्रिक्ट के पोइन्ट पर अनाज के निष्कासन पर रोक लगाई तो उस रोक ने कइयों को लखपति बना दिया। वह रोक कई लोगों को, हाकिमों और पुलिस को लखपति ही नहीं, करोड़पति बना गई। इस खामोश, बेहोशी से तो आपका भ्रष्टाचार इस स्थिति के साथ बढ़ता रहेगा। भ्रष्टाचार को रोकने वाला नौकरशाह है आपके लिए कमिटेड नहीं है, वह प्रतिबद्ध नहीं है आपकी मान्यताओं के साथ। ऐसी हालत में यह आपका ख्वाब है कि आप भ्रष्टाचार को रोक लेंगे।

अब मैं घाटे की अर्थ व्यवस्था के संबंध में अर्ज करूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने माना है कि आमदनी तो कम है और खर्चा ज्यादा है। चार सौ करोड़ रुपयों की कटौती केन्द्र में और सौ करोड़ की कटौती करने का आग्रह किया है। शायद आप भी कुछ करने जा रहे हैं। टेक्सेशन को सपोर्ट दिया जा रहा है इस प्रकार की कटौती से। ये दोनों ही प्रश्न आपके बूते के बाहर हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि 16 परसेन्ट करेन्सी नोट को इश्यू करके आपने इस डेफिसिट फाइनेन्सिंग को दूर करने का प्रयत्न किया है। बाजार की हालत क्या है? बाजार में आपका नोट है। बैंक में आपके उसकी तुलना में डिपोजिट्स स्वर्ण नहीं हैं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जिससे आपके नोट की कीमत नहीं है। नोट तो बाजार में चला गया और चीजें कहां हैं? चीजें आगे दौड़ती हैं और नोट पीछे पीछे दौड़ता है। इसलिए यह आपका घाटा है और यही घाटा अर्थ व्यवस्था की विकृति का कारण है। घाटा तो आपका वर्षों से चला आ रहा है और वर्षों से चली आ रही गलतियां ही इसका कारण हैं, जिनको कि आपने नहीं सुधारा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी चीजों के पीछे पैसा दौड़ रहा है और इसको रोकना आपकी क्षमता के बाहर है।

मैं आपकी इस हरित क्रान्ति के प्रश्न पर थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। आपने सोनार 64 गेहूं का अन्वेषण किया, खोज की, शरबती सोनार 64 गेहूं की काफी चर्चा हुयी है। यह लाल गेहूं है। जब यह गेहूं मेक्सिको से आया तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसका रंग बदला। लाल रंग से दूसरा रंग बदला और कहा यह पौष्टिक हैं, इनमें प्रोटीन है। इसमें दूध है और दूध, प्रोटीन सबकी भ्रान्तियां पैदा करके इसको बेचा। लोगों को कहा गया कि यह बहुत अच्छा बीज है परन्तु किसानों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा इससे चारा नहीं होता है। अधिक फसल नहीं होती। सोनार गेहूं में आपने तब्दीली की जो कि मेक्सिको से आया था। धीरे धीरे यह अनपापुलर होता चला गया। हमारे वैज्ञानिकों ने बिना खोज किए, बिना जांच किए, इसको अच्छा बता दिया। इस तरह वैज्ञानिक राजनेता के साथ दौड़ता है और इसके साथ लग कर प्रचार करता है— परन्तु इसकी वैज्ञानिक जांच नहीं होती है। पत्रों में आ जाता है और इसकी रिसर्च नहीं होती है। इस प्रकार आज का वैज्ञानिक राजनेता के साथ दौड़ लगा रहा है और वैज्ञानिक अपने कर्त्तव्य को छोड़ता चला जा रहा है। इसी तरह से 1970 में पूसा वैज्ञानिक मेले में एक चावल का प्रदर्शन किया गया। कहा गया बड़ा सुगन्धित है। बड़ा अच्छा है। इसका बड़ा प्रचार हुआ। अन्वेषण किया है पूसा इन्स्टीट्यूट में और इसका प्रचार चल रहा है अन्त में क्या हुआ। अन्त में यह कहा गया कि इसको प्लास्टिक नामक रोग लग जाता है और इसके बीज को बंद करना पड़ा। एक चीज का अन्वेषण खतम हुए बिना ही प्रचार प्रसार हो जाता है। इसी प्रकार से मक्का के बारे में कहा गया। इसका अन्वेषण, आविष्कार किया है। कहा गया कि इसमें प्रोटीन है। यह भी कहा गया कि अब बच्चों को दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की एक कोलोनी के विद्यालय के बच्चों पर इसका परीक्षण किया गया और इसको खिलाने के बाद बच्चों को पेचिश आंव हो गई। तो यह प्रश्न आपके अन्वेषण का है। इस प्रचार का आधार क्या है? कितना अन्वेषण इस पर किया गया है? वह सब का सब फेल हो गया है। वहां के वैज्ञानिकों की राय आपके सामने रखना चाहता हूं। यह हरित क्रान्ति का दौर पीछे पीछे क्यों चला गया। यह हरित क्रान्ति वैभव सम्पन्न काश्तकारों तक ही पहुँच पायी है। तीन बीघा जमीन रखने वाला किसान इस हरित क्रान्ति से लाभान्वित नहीं हो पाया है। आप परीक्षण कर रहे हैं खाद और बीज पर। किसान को सीमेन्ट नहीं मिल रही है और उसके अभाव में जितना उनका काम था वह ठप्प हो गया है। उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वह आप जानते हैं। लेकिन यह क्रान्ति आप कर रहे हैं, यह हरित क्रान्ति वैभव सम्पन्न किसानों के लिए कर रहे हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जो कोऑपरेटिव के जरिये खाद और बीज प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी कमर टूट गयी है, उस मजदूर, वह किसान को खाद और बीज मिलने वाला नहीं है। यों तो आप कहते हैं खाद और बीज के लिए कि संकट की स्थिति है। यह संकट की स्थिति सामान्य किसानों के लिए हो सकती है। आप आगे कहां बढ़ना चाहते हैं। आप स्वयं इसको देखें। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बीज का अन्वेषण आप करें—ऐसा बीज तैयार करें जिसमें खाद अधिक न लगे, पानी अधिक न लगे। क्या हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा बीज निकाला है जिसमें खाद अधिक न लगे और पानी अधिक न लगे? सामान्य किसान तभी जिन्दा रह सकता है जब आपका उत्पादन बढ़े, महंगाई कम हो। लेकिन आपका यह प्लानिंग, यह अन्वेषण सामान्य किसान को खाद नहीं दे सकेगा, बीज नहीं दे सकेगा। सहकारी समितियां और सभी वैभव सम्पन्न किसानों के लिए है। 25 साल के बाद भी हमने क्या किया? हमने गरीबी की सीमा को निर्धारित किया है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज आपने गरीब को कंगाल कर दिया गरीब अलग शब्द रह गया है और कंगाल अलग शब्द रह गया है। आपने एक ऐसे समाज की रचना की है जिसके सिर पर छत नहीं है, जिसके मुंह में दाना नहीं है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। 25 साल की यह हमारी उपलब्धि है। आंकड़ों के जंजाल में उत्कर्ष की उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि हम सब सदस्य स्थिति को समझ कर किसी स्थिति पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह

श्री शंकरलाल (पाली)

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि राजस्थान के अन्दर खाद्यान्न की जो स्थिति बिगड़ी और जो आवश्यक वस्तुओं के भाव ऊंचे गये, वह देश में और उसके सारे प्रांतों में जो स्थिति रही और विश्व की जो स्थिति रही, उसका भी कुछ असर था। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने किस प्रकार से स्थिति को संभाला और प्रशासन उसमें कहां तक सफल हुआ और कहीं उससे भी ज्यादा कुछ किया जा सकता था? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी अपने जवाब में इसका उत्तर दें कि राजस्थान के अन्दर गेहूं का, मोटे अनाज का कुल कितना प्रोडक्शन लास्ट इयर में हुआ था? जो आंकड़े हैं और जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका तुलनात्मक दृष्टि से जो हमारा प्रोडक्शन हुआ उसका लेखा जोखा दिया जाए। राजस्थान के अन्दर जो उत्पादन हुआ था वह राजस्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था लेकिन व्यवस्था अच्छी न होने के कारण, वितरण व्यवस्था अच्छी न होने के कारण, उसको ढंग से प्रशासन ने नहीं संभाला और इसिलिए स्थिति बिगड़ी। इसलिए हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार से क्यों कर स्थिति आई? उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि आने वाले वर्ष में स्थिति सुधरेगी क्योंकि आगामी फसल अच्छी होगी, यह ठीक है। लेकिन यह बात

(श्री शंकरलाल)

स्वीकार करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर मैं पाली जिले के दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे कि मेरा वास्ता रहा है। इस बात को इस सदन के माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि बहुत कुछ स्थिति में जो बिगाड़ आया, यह संकट रहा वह इसलिए कि भारत सरकार से अनाज का कोटा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने अपनी टिप्पणी में बताया है, वह हमको मिलना चाहिए था। यह भी उन्होंने बताया कि दूसरे प्रान्तों से भी उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन जो भी नाज हमारे पास उपलब्ध था उसकी किस प्रकार से आपने व्यवस्था की है। उदाहरण के तौर, पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि जो हमारा फूड कार्पोरेशन, अपना खाद्य निगम है यह करीब 5-6 तारीख को जिलाधीश को कोटा देता था, कम देता था जितना चाहिए था उतना नहीं देता था, लेकिन अगर आप पाली के रेकार्ड को मंगाकर देखें तो, जिलाधीश के द्वारा उसका एलाटमेंट महीने की आखरी तारीख आती थी तब किया जाता था। 5-6 तारीख को एफ. सी. आई. एलाटमेंट कर दे तो उसका एलाटमेंट गांवों में भेजने के लिए, शहरों में वितरण करने के लिए 28-29 तारीख को करने का क्या मतलब है? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जांच करने से पता चलता है लेकिन लोगों में प्रचार है कि उसके बारे में बार्गेनिंग होता था। जो व्यापारी ज्यादा कुछ दे सकता था, जो जिलाधिकारी को खुश करता था आखिर में जाकर जो ज्यादा फायदा दे सकता था, उसको जाकर आखिर में कोटा एलाट होता है। महीने के 20-25 दिन इसी में चले जाते थे और पाली की जनता को फूड का एलाटेड कोटा नहीं मिलता था। इसका कारण खाद्य मंत्रीजी जानने की कोशिश करेंगे और सदन को बतायेंगे कि पाली जिलाधीश के पास कब पहुंचा और उन्होंने क्यों नहीं एलाट किया?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके अलावा मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि गांव मांडिया है वहां पर कोटा दिया गया, उसका वितरण केन्द्र पाली में रखा और गांव वालों से कहा गया कि पाली में आकर ले जाओ जबकि गांव मांडिया के लोग लेने को तैयार हैं। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था वितरण की व्यवस्था के बारे में और जिले में कोटा नहीं मिलने से हो रही है।

दूसरी बात यह कही गई टिप्पणी में कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं। इस बात की जांच करावें कि आपके आदेशों का पालन कहां तक हुआ? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि रानी मार्केटिंग सोसाइटी जब व्यापार कर रही थी और ठीक ढ़ग से कर रही थी तो उसका कोटा कैंसिल करके किसी व्यक्तिगत आदमी को क्यों दिया गया? इसकी शिकायतें की गई लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। एक डी. एस. ओ. दूसरा डी. एस. ओ. और तीसरा डी. एस. ओ. सब बदल गये, उसका नतीजा क्या हुआ? आपके आदेशों का पालन कहां तक होता है? सहकारी समितियों का प्रस्ताव होता है और कोटा तक लेने को जाते हैं, लेकिन जिलाधीश कहता है कि यह तो हमारी मर्जी पर है। प्राथमिकता देने की बात हमारी इच्छा पर है मैं आपको, उपाध्यक्ष

(श्री शंकरलाल)

महोदय, यह बताऊंगा कि कितनी दरख्वास्तें सहकारी समितियों की वहां पर पड़ी रहीं और कितने इन्डिविजुग्रल्स को कोटा दिया गया और आपके आदेश आपके कागजों में धरे रहे और उसका कोई पालन नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा आज भी गांवों या शहरों में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर नाज के वितरण में तो कम से कम समदृष्टि रखें। यह क्या बात हुई कि कहीं पर चार किलो, कहीं पर छः किलो दें शहरों में और गांव वालों को दो किलो दें? आपका क्या आधार था? आप यह जानते हैं कि गांव की जनता आन्दोलन नहीं कर सकती, गांव के खेतिहर मजदूर और गरीब आदमी आवाज नहीं उठा सकते इसलिए दो किलो देकर उनको खुश कर सकते हैं। यह दो किलो भी दो-तीन महीने तक नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि कई जगहों पर 2-3 महीनों तक का कोटा नहीं मिला है। अगस्त सितम्बर का कोटा पाली जिले में अभी तक कई गांवों में नहीं गया है वहां ज्यादा देने की बात तो छोड़ दीजिये कई गांवों में तो दो किलो भी नहीं दिया गया है बल्कि 750 ग्राम का कोटा दिया गया है, डूडनौद गांव में जिसको खाद्य मंत्रीजी भी जानते हैं। इसका आप पता लगाएं, कि अक्टूबर में कितना प्रति परिवार कोटा दिया गया है। यह गांव और शहर की भावना है। मैं नहीं कहता कि शहरों को कम दिया जाय। शहरों को भी दिया जाय, लेकिन परिश्रम करने वाले लोग गांवों में ज्यादा है। शहरों में तो कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, लेकिन जो दिन-रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं उसको बराबर नाज नहीं दिया जाय यह कहकर कि गांव में तो कम भी चल सकता है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना ग्रामीण जनता के साथ असमानता का व्यवहार है और उनके साथ कितनी बुरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके अलावा जो भी आदेश होते थे उन आदेशों का कतई पालन नहीं होता है बल्कि उनके विपरीत काम होता है। मैं यह घटना सुनाऊंगा जिसको खाद्य मन्त्रीजी भी जानते हैं कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिबन्ध लगाया गया, जब यह कहा गया एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं नहीं जायेगा तब पाली जिले के जिलाधीश ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसने कितने हजार टन गेहूं पाली जिले के बाहर भिजवा दिया। कौन से सरकार के आदेश थे। किस आदेश के जरिये इतने टन अनाज की बोरियां, गेहूं की बोरियां पाली जिले के बाहर गई। लेकिन इसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। पाली जिलाधीश का ट्रांसफर हो गया। मैं कहता हूं कि Transfer is no punishment. इतना ही नहीं मैं कई दूसरी बातें बताऊंगा। माननीय सदस्य इस बात को आश्चर्यजनक बात मानते हैं कि एक आई. ए. एस. कैडर का व्यक्ति इस प्रकार के धन्धे कर सकता है। लेकिन उसने खुद ने स्वीकार किया है और पाली जिले से गेहूं बिना सरकार के आदेश के बाहर भेज दिया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कहता हूं कि चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई हो चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, जो सरकार के आदेशों का पालन न करें

(श्री शंकरलाल)

और आदेशों के विपरीत काम करें उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय वरना आपकी नीति कागजों में ही दबी रह जायगी वह यह कहते हैं कि आपकी सरकार की नीति है उसमें दुःख भी हो सकता है तो आपको सहन करना पडेगा । इस तरह से सरकार की नीतियों का मखौल उडाया जाता है आफिसरों के द्वारा ।

मैं खाद्य मंत्रीजी को याद दिलाऊंगा कि जब वो पाली पधारे थे तो गांव वाले लोग, बाढ़ से पीडित लोग सैंकडों की तादाद में आकर खाद्य मंत्रीजी के प्रम्मुख पेश हुए थे मैं स्वयं भी मौजूद था । उन्होंने कहा कि दो दिन से अनाज नहीं मिल रहा है । गांवों में अनाज नहीं पहुंच रहा है बाढ के कारण हमें अनाज दिलाइये । खाद्य मंत्रीजी आप इसको व्यक्तिगत न लें आप बहुत जल्दी में थे । आपने कहा था कि मैं केवल एक घंटे के लिए पाली में आया था । और आपने कहा था कि व्यवस्था करूंगा । आपके जाने के बाद जिलाधीश ने कहा कि मंत्री महोदय का आदेश यह हुआ है कि गांवों में जब आवागमन के रास्ते न खुल जायेंगे तब तक कुछ नहीं देंगे। आप सोचिये की वह लोग दो दिन से आये हुए थे और बाढ के कारण आवागमन में रुकावट के कारण माल नहीं पहुंचा सकते तो जो पाली में आ गये उनको तो दें । उनसे कहा जाय कि गांव के रास्ते खुलेंगे जब अनाज पहुंचाया जायगा तब तक वे क्या करते । उपाध्यक्ष महोदय, उसको बाद में पाली के अन्दर कुछ सेवा-संस्थाएं हैं उन लोगों को जिनको खाद्य मंत्रीजी ने कहा था कि व्यवस्था करके जाऊंगा उनके जाने के बाद में भी व्यवस्था नहीं हुई और दो दिन से भूखे बैठे हुए थे तो उन लोगों को रोटी उन सेवा संस्थाओं ने खिलाई । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं था, क्या जिलाधीश का यह कर्त्तव्य नहीं था ? लेकिन उनको यह कह कर टाल दिया कि गांव में पहुंच जायगा जबकि रास्ते खुलेंगे और जो लोग गांवों से लेने आये थे वह गांव में पहुंच जाय । जब तक रास्ते खुलेंगे 7 दिन में या 8 दिन में तब तक वह जिन्दा रहेंगे या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो खाद्यान्न के अन्दर वितरण की व्यवस्था में जिस प्रकार की गडबड यहां पर हुई है वह इस तरह से हुई । आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि सीमेंट के वितरण के अन्दर जो पाली का रहने वाला है उसको परमिट दिया जाता है और सुमेरपुरा का आदमी है उसको परमिट दिया जाता है पाली का, पाली जाकर लाओ । यह नहीं कि सुमेरपुर वाले को सुमेरपुर का ही दिया जाय । आप इस बात की जांच करायें । क्या परमिट देने का काम कलेक्टर का है कि 10 बोरी दी जाय, 5 बोरी दी जाय, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर मुझे बडा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से यह हो रहा है । आप आंकडे मंगा कर देखें कितना पाली से सीमेंट कहां कहां के लोगों को दिया गया और सुमेरपुर के आदमी को पाली आकर लाने को कहा और पाली के आदमी को सुमेरपुर आकर ले जाने को कहा गया ।

इसी तरह धान प्रोक्योरमेंट की बात हुई लोग गांवों में कहते थे कि हमारे गांव का अनाज आप ले जाना चाहते हैं बाहर और हमारे गांव में अनाज लाना चाहते हैं बाहर से । तो हमारे गांव का अनाज यहीं क्यों नहीं

(श्री शंकरलाल)

दे दिया जाता है । तो वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है । हमारे यहां का अनाज है, वह कोटा जायेगा और कोटा का अनाज हमारे यहां आयेगा । जनता को आप को अनाज सप्लाई करना है, इसलिए इस व्यवस्था में सुधार होता तो लोगों पर कम बोझ पड़ता । आवागमन के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष: There is a long list of your party.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 3 रु० किलो भी अनाज नहीं मिल रहा है। तिल्ली का तेल 11 रु. किलो है । उपाध्यक्ष महोदय, ये भाव ऊंचे चढ़े है । इस प्रकार से दुर्व्यवस्था हुई है । मै समझता हूं, यह ठीक है कि हम इसका कारण सार्वजनिक परिस्थितियों को कह सकते हैं । लेकिन इसका एक कारण सरकारी प्रशासन और अधिकारी है । हमारे माननीय सदस्यों ने कहा था और मैं भी उस बात को दुहराता हूं कि आपकी पोलिसी इसलिए असफल होती है कि उसकी क्रियान्विति ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो इस पोलिसी में विश्वास नहीं करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री ने कहा है कि जहां जहां धान इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो विजीलेंस कमेटियां हैं, वह बताये कि कहां कहां धान इकट्ठा है। इसके लिए विजीलेंस कमेटियों को कोई कानूनी पावर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मंत्री की सीख बिलकुल ठीक है। आज 20-20 आदमी आकर कहते हैं कि जमाखोरों के पास अनाज जमा है, अमुक आदमी के पास जमा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस आदमी को पहले ही इत्तिला हो जाती है कि तुम्हारे यहां रेड होने वाली है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शेम, शेम ।

श्री शंकरलाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, विजीलेंस कमेटी को अधिकार होना चाहिए । उनको माल को सीज करने का अधिकार होना चाहिए । गांवों के आदमी इस प्रकार से सोचते है । मैंने स्वयं जिलाधीश को नाम लिख कर भेजा था। वहां सात दिन तक कोई सरकारी आदमी नहीं गया । जब वहां पर सरकारी आदमी गये तो मेरे पास इत्तिला आयी कि दो दिन पहले ही वहां से माल हटा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जनता आन्दोलन नहीं करे। घेराव नहीं करे। लेकिन विजीलेंस कमेटी को अधिकार हो कि जहां धान जमा है,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उसको सीज कर दें । दो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, उनकी मीटिंग होती हैं । फूड कमेटी की मीटिंग होती है । लेकिन कितनी मीटिंग होती हैं ? तीन तीन महीने मीटिंग नहीं होती हैं । हमारे यहां तो फेमिन के समय मीटिंग हुई, उनके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई । कौन पूछता है उनको । गांवों में पटवारी होते हैं, अफसर होते हैं, वह अपनी इच्छा से काम करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, दो बार आपने घण्टी बजा दी है ।

(श्री शंकरलाल)

सभी को इस बात का पता है कि राजस्थान में फोर्जेड राशन कार्ड की जांच हो रही है। आज कितने ही फोर्जेड राशन कार्ड हैं। उनको क्या सजा होनी चाहिए। जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं हुई है। आप अपनी मशीनरी के द्वारा जो करना चाहते हैं, वह कर नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप की जो मौजूदा मशीनरी हैं, अगर आप अपनी पालिसी को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे आदमियों को उसमें मुकर्रर कीजिये जो आपकी खाद्य नीति में विश्वास करते हों, राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास करते हो, जो दिलो दिमाग से इसकी पूर्ति करना चाहते हों। फिर आप यह कहे जाते हैं कि नीतियों का पालन नहीं होता है और पूर्ति नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली रबी की फसल की हमें आशा लगी हुई है। लेकिन दशहरे तक कहीं भी बीज नहीं पहुंचा है। पाली जिले में नहीं पहुंचा हैं। गवर्नमेंट को उन्होंने यह कहा है कि हमको बीज दीजिये। खाद दीजिये। फिर भी आप कहते हैं कि बीज और खाद समय पर दे देते हैं। दशहरा बीज डालने का समय है लेकिन न तो समय पर बीज देते हैं और न समय पर खाद पहुंचती है।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता था उनका स्वप्न और हमारा स्वप्न राजस्थान में साकार हो सकता है यदि आप वह बीज और खाद लोगों को समय पर पहुंचा दे। जहां पर जमीन गीली पड़ी हुई है उसे बोने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं, बीज नहीं है, खाद नहीं है। फिर आप कितनी ही कहते रहिए कि फसल अच्छी नहीं होगी। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इधर से उधर से अनेक माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये गये हैं। एक ओर तो मुकम्मिल तौर से राष्ट्रीयकरण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी ओर नौकरशाही को राष्ट्रीयकरण सफल न होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरे बाढ़ और अकाल और नौकरशाही को कारण बताकर इस कारण को समस्या की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने भी इस सदन में इस बात को प्रस्तुत नहीं किया है कि राज्य की आर्थिक नीतियां, राज्य की नीति भी इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं और मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मैं यह नहीं कहता हूं कि नौकरशाही जिम्मेदार नहीं है। बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार की नीतियां मुख्य रूप से इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में हमारी राष्ट्रीय आय घटती जा रही है। वह 1.16% हो गई है। ग्रोथ 2.5 है। और 1972-73 के अन्दर राष्ट्रीय इन्कम की रेट आफ इन्क्रीज जीरो डिग्री के करीब करीब आ गई। इसके साथ साथ इन्डस्ट्रियल ग्रोथ, लेबर प्राडक्टिविटी, लेबर सेक्टर की ग्रोथ बड़ी तेजी से घटती जा रही है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर हमारी नेशनल ग्रोथ 1970 के अन्दर 5 पर्सेंट थी, वह 1972 तक केवल 3 पर्सेन्ट रह गई है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

1972 तक घट कर 3 परसेन्ट आखिर आ गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ को आप देखें तो घट कर 3 पर्सेन्ट आ गई है और 1972 में 2 पर्सेन्ट तक आ गई है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिलेशन के अन्दर इतना स्टोप फाल हुआ है, इसके लिए केवल ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदार ठहरा दें ? आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमारी नीतियां भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। यू. एन. ओ. की रीसेन्ट सर्वे के अन्दर ऐलानिया तौर पर यह बात कही गई है कि भारतवर्ष के अन्दर 80 पर्सेन्ट लोगों को खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता है, पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड रिसर्च की रूरल हाउस होल्ड की सर्वे रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सामने आ गई है, जो भयानक रिपोर्ट है। उसके अनुसार आज हमारे देश भारतवर्ष के अन्दर, 20 करोड़ व्यक्ति केवल 68 नये पैसे पर गुजारा करते हैं, 10 करोड़ व्यक्ति केवल 42 नये पैसे पर गुजारा करते हैं, 5 करोड़ केवल 32 नये पैसे में गुजारा करते हैं और एक करोड़ केवल 22 पैसे पर गुजारा करते हैं। इन सब का औसत निकालें तो 42 नये पैसे आता है, जो महीने में केवल 12 रुपये 60 नये पैसे होता है। सदन में माननीय सदस्य 8 किलो की बात करते हैं अनाज देने की, मैं 12 किलो अनाज देने की बात करके चलता हूं, इतना अनाज जीवित रहने के लिए चाहिए, चाहे आप केवल 4 किलो हर महीने में दीजिये, दो किलो चावल दीजिये, एक किलो पुराना चावल दीजिये, 80 ग्राम चीनी दीजिये तो हर महीने 8 रुपये 92 नये पैसे की सामग्री उसे खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद में तीन रुपये रह जाते हैं, जिसमें से लकड़ी खरीदे, कोयला खरीदे, कपड़ा खरीदे, बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करे या अपना कफन खरीदें। यह स्थिति होती जा रही। इसके साथ साथ जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय केवल 45 करोड़ रुपया ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया था, यह जो कुल कर्जा दिया हुआ था उसका 1.6 परसेन्ट होता था। आज नेशनलाइज्ड बैंक का, इंडस्ट्रियल कोर्पोरेशंस का, फाइनेंसियल कोर्पोरेशन आफ इंडिया और जो लोन देने वाले डिफरेन्ट कोर्पोरेशंस है, का एक्जामिनेशन किया जाय तो साढे चार सौ करोड़ रुपया बड़े बड़े फाइनेंशियल कोर्पोरेशन द्वारा मोनोपोलीज को दिया है, केवल 75 घरानों को यह रुपया दिया गया है। 125 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया है। इस 125 करोड़ रुपये का भी एनेलेसिस करें तो आप पायेंगे कि इसके अन्दर से कुलकस, बड़े बड़े पीजेन्ट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा चला गया है। इसके अन्दर फरदर एक्जामिनेशन करें तो मार्जिनल किसान और छोटे किसानों की बहुत स्थिति सोचनीय होती चली जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर फ्लड और फेमिन केवल हमारी बढ़ती हुई कीमतों का कारण है, तो मैं सारे राजस्थान की मिसाल पेश करना चाहूंगा। आप फेमिन के आंकड़े देखें, मैं मानता हूं, इस वर्ष अकाल बहुत बड़ा अकाल था और उसने राजस्थान की दो तिहाई जनता को ग्रस लिया और अठारह हजार गांव उससे प्रभावित हुए। 1968-69 में अकाल पड़ा, वह छोटा अकाल नहीं था, उससे 22,700 गांव प्रभावित हुए थे और उसने राजस्थान की 1 करोड़ 31 लाख जनता को ग्रस लिया था डस लिया था। इसके साथ साथ इस टाइम के अन्दर एग्रीकल्चर प्राइस इन्डेक्स देखें, जो आपकी खुद

(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)

की किताब में दिये आंकड़े हैं तो 1968 में एग्रीकल्चर प्राइस इन्डेक्स देखें, तो वह 78.69 मिलेगा। कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स इस सिलसिले में देखेंगे तो कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स इतना नहीं चढ़ा है, 1968 के अन्दर कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 194 थी और जो अच्छा वर्ष बताते हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय उसमें केवल 198 हुआ और इसकी तुलना के अन्दर 1971 के अन्दर 193 हुआ। लेकिन 1972 तो अकाल का वर्ष है, केवल यह आंकड़े 210 और 250 के ऊपर कहीं कहीं पहुंच गये। इसलिए केवल अकाल ही इस सारी महंगाई का कारण हो ऐसा नहीं माना जा सकता है, यह आंकड़े उसके स्पष्ट गवाह हैं। इसके साथ साथ मैं छोटी बात पूछना चाहूंगा, सन् 1952 के अन्दर सारे देश के अन्दर 5 करोड़ 50 लाख टन अन्न पैदा हुआ। आज सारे देश के अन्दर 10 करोड़ टन अन्न पैदा हुआ। उस समय देश की आबादी 38 करोड़ थी। उस समय यह हालत हो गई थी देश के अन्दर कि गांवों के अन्दर भाव 12 रुपये के ऊपर आ गये थे। 10 करोड़ में से तीन करोड़ टन केवल गेहूं पैदा होता है और देश की आबादी 55 करोड़ मान लें और उसमें से 20 करोड़ नाबालिग मान लें और 10 करोड़ बालिग मान लीजिये वह आधा गेहूं खाते हैं। गेहूं का 12 किलो के हिसाब से लगायें तो सारे वर्ष के अन्दर आपका 7 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न होता है। इसके बाद 2 करोड़ 90 लाख टन गेहूं और बच जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान लूं, जो शिन्दे साहब ने कहा, पार्लियामेंट में घोषणा हुई है, 10 परसेन्ट ढुवाई के अन्दर और स्टोरेज की गलती के चला जाता है। इसके बाद भी 2 करोड़ टन अनाज सारे देश में बचता है। मैं इस तरफ से बोलने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य बतायें, यह 2 करोड़ अनाज कहां चला गया। आखिर कोई गोदाम है, जहां जाकर यह छुपा देते हैं या कोई जखीरेबाज हैं, जिनके पास जाकर यह छुप जाता है। जो गेहूं के आंकड़े माननीय मंत्रीजी ने दिये हैं वह भी इन्ट्रेस्टिंग हैं। अगर अच्छे वर्ष का प्रोडक्शन देखिये तो हमारा प्रोडक्शन 18 लाख टन होता है। आज सारे भारतवर्ष के अन्दर 80 लाख टन अनाज प्रोक्योर करने की बात कही थी, राजस्थान को तीन लाख टन अनाज प्रोक्योर करने का जिम्मा मिला, वहां जैसा कल बताया, 1 लाख 25 हजार टन अनाज प्रोक्योर किया। इस प्रोक्योर्ड अनाज के आंकड़े स्पेसिफिक कीजिये कि कहां से कितना गेहूं प्रोक्योर कर लिया तो उसका चित्र प्रस्तुत होगा, आपने केवल 80 हजार टन गंगानगर जिले से किया, जिसमें तहसीलवाइज किया जाय तो आपने 50 हजार टन केवल हनुमानगढ़ से प्रोक्योर करने का टार्जेट बनाया वहां से 20 हजार टन अनाज मिला और बोर्डर के क्षेत्र से; जहां सुरक्षा की गारन्टी नहीं है, 60 हजार टन अनाज प्रोक्योर किया। फिर बाकी सारे राजस्थान से आपने क्या प्रोक्योर किया? केवल 45 हजार टन प्रोक्योर किया। आपने कोटा को छोड़ दिया, अलवर को छोड़ दिया, आपने सरप्लस इलाकों को छोड़ दिया और गंगानगर में से 1 लाख टन प्रोक्योर करने का टार्जेट था, वहां से 80 हजार टन प्रोक्योर करके आये। मैंने यहां अखबारों में समा बांध दिया, फेमिन कमेटी के अन्दर चौधरी रामचन्द्र के रिश्तेदार हैं,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उन 50 आदमियों की लिस्ट दी थी और यह चैलेंज दिया था, इन पचास आदमियों से पचास हजार टन अनाज प्राप्त हो सकता है। अगर कलेक्टर के अन्दर हिम्मत है, अगर वह छापा मारे, और इन पचास आदमियों के यहां छापा मारे तो, उपाध्यक्ष महोदय, पचास हजार टन प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अगर आप सारे राजस्थान के अन्दर स्टाक्स की पोजीशन देखें तो कोई सरप्लस एरिया नहीं था जहां स्टाक्स नहीं थे। लेकिन जब हमने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय हाउस में इस बात की घोषणा की गई कि 1 मई तक 20 क्विन्टल अनाज और डेढ क्विन्टल अनाज प्रति हेक्टर वह रख सकेंगे। लेकिन इस मियाद को हम बढ़ाते चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मई से 15 मई हुई, 15 मई से 31 मई हुई, 31 मई से बढ़ कर 15 जून हुई, 15 जून से बढ़ कर 30 जून हुई, 30 जून से यह मियाद बढ़ कर 15 अगस्त हो गई और 15 अगस्त के बाद आज सितम्बर-अक्टूबर के महीने में घोषणा हो गई कि राजस्थान का प्रोड्यूसर किसी भाव के ऊपर अपना अनाज बेच सकता है। मैं माननीय मंत्री से निहायत अदब से पूछना चाहता हूं, कौनसी हैड लाइन तय की ? माननीय मंत्री यह बात कहते हैं कि केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस राज्य के सारे मंत्री भविष्यवक्ता है। अनाज की लेवी फिक्स नहीं की थी 25 पर्सेन्ट, लेकिन माननीय मंत्री रामचन्द्र चौधरी ने गंगानगर में घोषणा कर दी कि 25 पर्सेन्ट लेवी तय की है। अभी किसान को मनमानी कीमत पर अनाज बेचने की इजाजत नहीं दी थी कि चन्दनमल बैद ने 15-16 को अजमेर में घोषणा कर दी कि पैदा करने वाले को खुली छूट दी जानी चाहिए कि मर्जी आये जिस भाव पर अनाज बेचे। और अभी चावल के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कबीनेट में चर्चा हुई थी उसमें आपने किसी बात का फैसला नहीं लिया और मंत्री महोदय, चंदनमलजी बैद गंगानगर के अन्दर तपाक् से पहुंचे जहां राजस्थान में सबसे अधिक चावल पैदा होता है और उन्होंने घोषणा कर दी कि सरकार चावल का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। कहां है आपकी कलेक्टिव जिम्मेदारी ? कैबीनेट में आप कुछ भी कहते हैं, जो कानून आने वाला होता है, पहले ही जाकर कहते हैं। यह तो अनाज के प्रोक्योरमेंट की स्थिति रही।

मोटे अनाज के साथ में जो खिलवाड़ किया राजस्थान ने देखा। लाखों मन चना गंगानगर के बाहर जा रहा है, अलवर, झुंझुनू, जालोर और बांसवाड़ा से जा रहा है। मोटा अनाज निकलता चला जा रहा है राज्य का लेकिन मंत्री महोदय को इस बात की चिंता नहीं और चिंता भी हुई तो देर से। गंगानगर की फूड कमेटी के अन्दर नोहर और भादरा के प्रधानों ने, विधायकों ने एक मत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि नोहर भादरा चौकियों से 500) रु. ट्रक का लेकर, जिसकी कीमत बढ़कर एक हजार तक हो गई, एस०डी०एम० और इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस लगातार चना भेज रहे हैं, प्रस्ताव पर गंगानगर जिले के आठों विधायकों के हस्ताक्षर थे, प्रस्ताव पर 9 प्रधानों के हस्ताक्षर थे। हमने कहा चने को रोको, यह मद्रास में जा रहा है, कलकत्ता में जा रहा है, यह 80) रु० में खरीदा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लेकिन मई के अन्दर चना निकला। बाद में चना रखने की बात पैदा हुई और मक्की, बाजरा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में भूखे नंगे राजस्थान को लांघता हुआ राजस्थान से बाहर निकलता गया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। और कदम उठाया भी तो क्या? पहले तो आपने प्रोक्योरमेंट किया नहीं। आपका 15 अगस्त तक खुले स्टाक्स रखने का तांडव नाच चलता रहा। एक सितम्बर को गंगानगर में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बादल का 500 क्विंटल अनाज पकड़ा गया, उनके कदमों के नीचे पड़ा है। उसका क्या हुआ? किसान यूनियन ने आन्दोलन किया। यह बात दूसरी है कि वहाँ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिसका क्राइटेरिया यह है कि एक हजार एकड़ से कम जमीन वाला उसका सदस्य नहीं हो सकता, उसमें कोई हरिजन महिला नहीं है, केवल चौधरी रामचन्द्रजी के नेक सहाबजादे चेयरमैन हैं, गंगानगर जिला स्वतन्त्र पार्टी के प्रेसीडेन्ट श्री रामसिंह उसके सदस्य हैं, जनसंघ के जो जनरल सक्रेटरी हुआ करते थे वह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अन्दर प्रवेश कर गए हैं, स्वतन्त्र पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रामलाल वह सदस्य हैं। मक्खा जिसकी तीन हजार एकड़ की जमीन है वह सदस्य हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कमेटी के प्रेसीडेन्ट और पंजाब अकाली पार्टी और बादल साहब की खुली साजिश थी। बादल साहब आए और उन्होंने घोषणा कि मैं 6 सितम्बर को एक हजार आदमी लेकर आऊंगा और सत्याग्रह करूंगा लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गांवों में पहुंच गए, गोदामों के ताले तुड़वाए और 500 क्विंटल गेहूं को पकड़वाया, बादल साहब की 6 सितम्बर नहीं आई।

अब मोटे अनाज के बारे में देखिए। जौ की स्थिति को देखिए, सिवाय गंगानगर को छोड़करजौ का एक्सपोर्ट सारे राजस्थान में बन्द है। गंगानगर से कहा गया कि जौ का एक्सपोर्ट करें लेकिन उसकी कीमत 150 तक चली गई इस एक्सपोर्ट के कारण। आज जौ लुप्त हो गया, धीरे धीरे और जगह भी एक्सपोर्ट की आज्ञा दी। आपने सादुलपुर के अंदर जो जौ का छिलका निकलता है, उसका परमिट चूरू के जेठमल तुलसीराम को दिया। क्या चूरू में जौ पैदा होता है? आपको स्पेशल जानकारी है तो बात दूसरी है लेकिन तुलसीरामजी एक्सपोर्ट करते रहे और उन्होंने लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। कोटा में आपने एक्सपोर्ट खोला। अलवर की सरोज मिल को 50 गाड़ियों का एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया, उसको मालामाल कर दिया आपने।

आपने कैसे कैसे लाइसेंसेज दिए? एक लोकूराम भोजूराम रामगंजमंडी के व्यापारी हैं, उनको आपने 1400 बोरी का परमिट दिया केन्द्रीय सरकार से चापड़ का कि वह वह राजस्थान में अच्छा चापड़ लाए। चापड़ लेकर राजस्थान में नहीं पहुंचे, सारे का सारा चापड़ दिल्ली की गडोदिया मार्केट में 28) बोरी से बिका गया। फर्जी बिल्टी राजस्थान में बनाई गई और बाद में प्रार्थना-पत्र दिया गया कि चापड़ राजस्थान का जो अकालग्रस्त पशु है वह भी नहीं खाता। इसलिए आपने आज्ञा दे दी और वह खुले तौर से बेचते हैं और वह चापड़ कागजों में ही आया, बिल्टियां बनी और कागजों में ही बिका। इतना ही नहीं आपने 1939 क्विंटल चारा खरीदा, यह कहां बटा? क्या यह गोदामों में नहीं गया? क्या वह अकालग्रस्त भूखे पशु के पेट में गया?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा और चावल की जो स्थिति होती चली गयी, वह आपके सामने आने वाली है। चने की स्थिति आपने देखली। आपने अभी 25 प्रतिशत लेवी लगाई। साथ ही साथ खुली छूट दे दी और आज क्या हो रहा है ? आप और भारत सरकार उपभोक्ता को आकाश में आने वाले बादल की तरफ उंगली दिखा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है लेकिन हमारे भारतवर्ष में 35 पर्सेन्ट जमीन तो सिंचित है और बाकी जो मिट्टी हमारे यहां की 65 पर्सेन्ट बचती है वह सिंचित साधनों से युक्त नहीं है। और राजस्थान में तो सिर्फ 12 पर्सेन्ट जमीन ऐसी है जो कि सिंचित भूमि है और बाकी इसके अलावा 19 पर्सेन्ट जमीन ऐसी है जो दूसरे साधनों से सिंचित होती है बाकी जमीन ऐसी है जो कि सिंचित नहीं है। आप और आपकी भारत सरकार हमेशा से आकाश दिखाते रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस साल कई जगहों पर वर्षा हुई लेकिन आपने आज तक किसानों को बोने के लिये बीज तक नहीं दिया। आज जैसलमेर में लाखों एकड़ जमीन बिना बोये पड़ी है। बाड़मेर और चूरू में भी लाखों एकड़ जमीन बिना बोये पड़ी है। इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के पास जौ और चना नहीं है। क्योंकि इसने सारे का सारा जौ और चना एक्सपोर्ट कर दिया। आप कहां से लायेंगे किसानों को बीज देने के लिये ? आपने सारे के सारे इन मुनाफाखोरों से मिलकर लाखों रुपये की सांठगांठ की है। आज आपकी गलत नीतियों के कारण मुनाफाखोरों ने लाखों रुपये कमाये हैं। आज आपके पास नहीं, जौ नहीं तो जो आशा वर्षा होने से किसानों को बन्धी थी वह आशा धूल में मिल गयी। अब कहां से आयेगा चने का बीज और कहां से आयेगा जौ का बीज ? अब आप बिना बीज के धरती माता को कैसे बोयेंगे ?

इसके साथ साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल आपके सम्मुख रखना चाहूंगा जिससे मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार राजस्थान की केबीनेट और राजस्थान के खाद्य मन्त्री को कोई चिन्ता इस बारे में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने होल्डिंग के लिये राजस्थान प्रिवेन्शन आफ होल्डिंग आर्डर 12-2-1972 को निकाला। उस राजस्थान प्रिवेन्शन आफ होल्डिंग के सैक्शन 5 के तहत होल्डर के ऊपर चैक लगाया गया है और सैक्शन 6 के तहत आपने उन प्रावधानों को नहीं मानने पर सजाओं का प्रावधान किया है। वैसे तो आपने कई कानून बनाये हैं होल्डिंग के लिये डी. आई. आर. असेन्सियल कॉमोडिटीज एक्ट वगैरह है। मगर उनके अन्तर्गत होल्डिंग करने वाले के खिलाफ वहां पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रोविजन्स को राजस्थान सरकार काश्तकारों पर तो काफी प्रभावशाली ढंग से लगाती है। वह काश्तकारों को अनाज की कीमतों के लिये बाध्य करती है, उनको कन्ट्रोल करती है, और उनके खिलाफ कदम उठाये जाते हैं लेकिन इन मोटे मोटे अनाज के व्यापारियों को आपने मोटे अनाज को किसी भी कीमत पर बेचने की खुली

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

छूट दे दी । उसको आपने कन्ट्रोल नहीं किया । आपने व्यापार मण्डल को लिखित में दे दिया कि यह कीमतों वाला कन्ट्रोलिंग आर्डर आप पर लागू नहीं होगा, आप जितना चाहे मुनाफा कमाओ । आप पर इसके लिये कोई एक्ट लागू नहीं होता । यह रियायतें आपने खास तौर से इन व्यापारियों को दीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर अनाज के संबन्ध में, मैं आपसे निवेदन करूं तो आपके सामने कई स्केन्डल्स आयेंगे और इतने सारे स्केन्डल्स हो जायेंगे कि आपके कानों की खिडकियां खुल जायेंगी । मगर मैं आपको ज्यादा नहीं कह कर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पिछली 19 मई को आपके राजस्थान प्रदेश के कांग्रेसाध्यक्ष ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करके कहा कि गवर्नमेंट ने गेहूं का नेशनलाईजेशन किया है उसके लिये सरकार प्रोक्योरमेंट गेहूं का कर रही है उसमें राज्य सरकार की मदद की जानी चाहिये और जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता अगर इसमें सरकार की मदद नहीं करेगा तो उसे मैं कांग्रेस से बाहर निकाल दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात प्रदेश के कांग्रेसाध्यक्ष श्री गिरधारीलाल व्यास ने कहा कि जो कोई भी इस सरकारी नीति में मदद नहीं करेंगे उसकी गर्दन पकड़ कर कांग्रेस के बाहर निकाल दूंगा । अनाज का होर्डिंग करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता को गर्दन पकड़ कर बाहर कर दूंगा । आज मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने कांग्रेसियों की गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दिया ? मुझे यहां पर सब की गर्दनें मौजूद दिखायी देती हैं जो कि अभी तक कांग्रेस में बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यों तो लिस्ट बताऊं तो काफी ज्यादा हो जायेगी और समय भी आप मुझे नहीं देंगे लेकिन आपको मैं यह निवेदन करूं कि अकेले गंगानगर में आज भी सैकडों सफेद वस्त्र धारी कांग्रेसी घूम रहे हैं जिन्होंने लाखों क्विन्टल गेहूं जमा कर रखा है। इसलिये मैं कुछ खास खास चुनिन्दे लोगों के नाम ही बताना चाहता हूं । पहले गंगानगर जिले के एक श्री रामनाथ चौधरी हैं जिनके अकेले के पास 20 हजार क्विन्टल गेहूं जमा था, उनका किसी ने चालान नहीं किया क्योंकि वह श्री चौधरी राजस्व मन्त्री के बहनोई हैं दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री सेवासिंह हैं जिनके अकेले के पास 62 हजार क्विन्टल गेहूं जमा है लेकिन न कोई उन्हें पकड़ता है और न ही उन्हें कोई गर्दन पकड़ कर कांग्रेस से बाहर ही करता है । अब थोड़ा मैं प्रदेश के नेताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पहले तो आप लीजिये आपकी पी. सी. सी. के जनरल सेक्रेट्री श्री ओंकारसिंह जो कि खींवसर के ठाकुर हैं उनके पास 400 बीघा जमीन है । उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने 400 बीघा उपजाऊ जमीन दबा रखी है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनके पास से कितना अनाज, गेहूं प्रोक्योर किया ? दूसरे मेरे सामने बैठे हैं जोशी जी जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पास भी कुआ है, जमीन है इन्होंने कितना गेहूं प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत दिया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बान्दीकुई): ओन ए पोईन्ट आफ आर्डर । ये मेरे पास कौनसा कुआ बता रहे हैं ? मेरे पास जो जमीन है उसमें एक छटांक भर गेहूं भी नहीं हुआ अगर कोई साबित कर दें तो उपाध्यक्ष

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

महोदय, मैं वह पूरी जमीन जितनी भी है उन्हे भेट कर दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खैर साहब, आपके कुआ बटवारे में नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे आता भी कैसे वह तो बीलाड़ा और ओसिया के लोगों के पास है । आज बीलाड़ा में 15 हजार कुए हैं वहां से किसी ने गेहूं प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं दिया । इसके अलावा जोधपुर के पास में एक जवाई बान्ध है जिसमें 8 करोड़ तीस लाख एकड़ जमीन है जो कि सिंचित भूमि है उस फार्म से एक भी क्विन्टल गेहूं सरकार को नहीं मिला । वहां का फार्म का मैनेजर जसवन्तसिंह थानेदार है। आप उन्हें पूछिये उन्हें कितनी खाद मिली, और उन्होंने कितना गेहूं सरकार को प्रोक्योरमेंट के तहत दिया ? पहले साल जो खेती हुई उसमें से मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय एक भी क्विन्टल गेहूं नहीं दिया।

श्री सज्जनसिंह : (सुमेरपुर) : आपको शायद यह पता नहीं होगा कि पिछले साल कितनी भूमि उसमें इरिगेट हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य से मैं अभी एकेडेमिक डिसकशन नहीं करने जा रहा हूं।

श्री सज्जनसिंह : यह जसवन्तसिंह क्या कोई कांग्रेस का मेम्बर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जसवंतसिंह थानेदार वह व्यक्ति है जिसने 25 हजार रुपये रिश्वत के एक मर्डर केश में लिये और जब उसके खिलाफ शिकायत हुई तो उससे हुई स्तीफा दिला कर उस सारे केस को रफा दफा कर दिया और आज वह एक बड़े काश्तकार बन गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इनके नाम पर एक कहावत याद आ गयी वह यह है कि सारी दुनियां एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो इनकी तारीफ यह है कि यह हमारे खाद्य मन्त्री जो के साले है। इसी प्रकार चाड़डी गांव, जो कि जोधपुर जिले में है, के अन्दर कोई गुमानमल, पुरुषोतम और महिपाल सिंह का फार्म है। मैं खाद्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी खाद इनको दी ? और उन्होंने राज्य सरकार को कितना गेहूं दिया ? इसके बाद में थोड़ी मैं यह भी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस फार्म में 830 बीघा जमीन है पर आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वह भी खाद्य मन्त्री जी लोगों का है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा अपने राजस्थान के स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के चेयरमैन श्री जयकिशन शर्मा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : वह जयकिशन मैं नहीं हूं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का चेअरमैन।

श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा : आप कहां से बीच में बोल पड़े। आपको कौन बनाता है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन का चेअरमैन। अभी तो बहुत से दिग्गज यहां पर तुम्हारे से पहले बैठे हैं, तुम्हारा नम्बर नहीं आने वाला है। आप निश्चिन्त रहें। हां तो, उपाध्यक्ष महोदय, अभी 20-21 सितम्बर को कुछ ट्रक अनाज के पकड़े गये थे और अलवर के अग्रवाल ट्रेडिंग एण्ड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कम्पनी, कुंदनलाल एण्ड कम्पनी, प्यारे लाल एण्ड कम्पनी और रामजीलाल एण्ड कम्पनी का अनाज उस ट्रकों में था। एक दो का नाम मैं इसलिए नहीं लेऊंगा क्योंकि बेकार में गुमानमलजी साहब नाराज हो जायेंगे। लेकिन यह कुंदनलाल एण्ड को. फर्म का जो ट्रक है वह ट्रक नम्बर आर. जे. एल 95 है। इस ट्रक को कौन नहीं जानता और उस ट्रक के मालिक रामजीलाल को भी सभी जानते हैं क्योंकि वह एफ.सी.आई. के एजेन्ट थे। और इसमें उन्होंने लाखों रुपये के अनाज का गोलमाल किया। बाद में उन्हें चार्जशीट भी दी गयी थी पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बावजूद ट्रक पकड़े जाने के उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्योंकि उस ट्रक में कौन बैठा था यह मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें श्री जयकिशन जी का बेटा बैठा हुआ था और उस ट्रक और फर्म में श्रीजयकिशनजी की स्त्री की पार्टनरशिप हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयकिशनजी की सांठ गांव से अलवर के अंदर काफी तेजी से स्मगलिंग चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हैं। स्मगलिंग करने वालों को भी उनकी ओर से इनाम दिया गया है। खाद्य मंत्रीजी द्वारा उनको इनाम दिया गया है। मंत्री महोदय ने उनके स्मगलिंग से खुश होकर कृषि ऊपज मंडी का सदस्य भी नियुक्त कर दिया है।

कोटा के अन्दर सरदार अजीतसिंहजी, प्रधान, लाडपुरा पंचायत समिति। प्रसिद्ध आदमी हैं। 700 एकड़ के अन्दर हल चलाते हैं। गांव रामपुर के एक हजार हरिजन रोते फिरते हैं। पानी नहीं लग सकता है लेकिन ग्रो मोर फूड प्रोग्राम में 500 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। 250 एकड़ जंगलात की तोड़ी है। यदि किसान जंगलात तोड़ते तो उनको जेल के सीकचों में बन्द कर दिया जाता। लेकिन सरदार साहब ने बिना किसी सेंक्शन के जंगलात को तोड़ दिया। कोई परवाह नहीं। बूंदी के राजा साहब ने जंगलात को बेच दिया कोई परवाह नहीं. जंगलात तोड़ दिया सरदार साहब ने कोई परवाह नहीं। 2॥-3 किलो सरदार साहब की पगड़ी का बोझ है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे कितना किलो अनाज वसूल किया गया? कितना अनाज उनसे रिकवर किया गया? यह मैं खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

बड़े गर्व के साथ यहां कहा गया कि हमने 313 में गिरफ्तार किया। पशु भी पकड़ लिये। मैं पूछना चाहता हूं किस किस को गिरफ्तार किया? गंगानगर में राजस्थान नहर बनी है। राजस्थान नहर एक तरफ और गंगानगर जिला दूसरी तरफ। दूसरे किनारे पर बीकानेर जिला। राजस्थान केनाल के जोन्स बने हुए थे। जोन्स की दूरी तोड़ी नहीं थी। मजदूर, काश्तकारी करने वाला गेहूं लेकर आटा लेकर गंगानगर से बीस पच्चीस फीट को पार करके बीकानेर चला जाता था। शक्करगढ़ हैड पर पुलिस चौकियां थीं, एस. एच. ओ. और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर करोड़पति हो गये। कितना अनाज पकड़ा? क्या सरदार रिछपालसिंहजी का अनाज पकड़ा? क्या मिलीचन्द जी का अनाज पकड़ा? क्या पुखराजजी का अनाज पकड़ा? क्या रामलालजी का अनाज पकड़ा? क्या राजस्थान, क्या पंजाब? क्या पंजाब के प्रकाश सिंह बादल का मुचलका लिखाया? आप

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कहते हैं कि 313 में पकड़ें। खूब ! क्या किसी भूपति को आपने पकड़ा ? क्या आपने जसवन्तसिंह को पकड़ा ? आपने तो उन मेहनत करने वाले गरीब मजदूर और हरिजनों को पकड़ा। 313 के अन्दर एक भी जखीरेबाज नहीं है जिसका आपने चालान किया हो। महारावल साहब ने सोशलिस्टिक कन्ट्रीज पर आक्षेप किया।

श्री उपाध्यक्ष : This is academic discussion ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is factual discussion

चूंकि महारावल साहब कभी पढ़ने का कष्ट करते नहीं। वाशिंगटन टाइम्स पढ़ लेते हैं। यू० एन० ओ० के द्वारा जो कि तमाम संसार के देशों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, उसकी रिपोर्ट को वे पढ़ने का कष्ट करते नहीं। यदि वे यू० एन० ओ० के द्वारा दी गई रिपोर्ट को पढ़ते तो उनको ज्ञात होता कि सारे वर्ल्ड की प्राइसेज के बारे में, सारे एग्रो रिलेशन्स पर, सारे इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स पर यू० एन० ओ० की रिपोर्ट है। उसमें यू० एन० ओ० ने बताया कि समाजवादी देशों में दस से प्राइसेज स्टेबल हैं। केपेटेलिस्ट्स देशों की हालत मालूम है ? आज जापान का येन और जर्मनी का मार्क सारी दुनिया में छा गया है। और आज डालर की क्या दुर्दशा हुई है वह आप हम देख रहे हैं। वह आज ठोकरों से रुल रहा है। हमारे महारावल साहब कहते हैं, रूस की दुहाई देते हुए कहते हैं कि एक क्षेत्रीय राज्य है। महारावल साहब बहुत बुजुर्ग हो गये हैं। दुनियां की पुस्तकें पढ़ने का कष्ट कीजिए। जापान एक पूंजीवादी देश है, जर्मनी एक पूंजीवादी देश है लेकिन जर्मनी और जापान में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, कन्ट्रोल्ड पदार्थ हैं वह सरकार के हाथ में हैं। समाजवादी देशों में भी चेकोस्लावेकिया, पोलैंड, फिनलैंड, वहां पर भी खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते हैं मिनिमम वेज 800 मार्क हैं। मक्खन यहां आपको डेढ़ रुपये में एक किलो मिलता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कम्पलीट रिलेशन्स हैं, कम्पलीट पार्टनरशिप है कम्पलीट एडजस्टमेंट है। अमेरिका की बात करते हैं वाशिंगटन टाइम्स पढ़ कर जहां स्पेशलिस्ट, डाक्टर्स आदि भौतिक प्रदर्शन करके बेबी नाच करते हैं और उनका भौतिकवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनिट।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा, महारावल साहब को यह भ्रम है कि कम्युनिष्टों के कारण से राष्ट्रीयकरण हो रहा है। वे वास्तविकता को देखें। कांग्रेस में दक्षिणपंथी लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस में इजारेदार और भूपतियों के मालिक बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस में शशिभूषण जैसे लोग भी बैठे हुए हैं। उनके लेख पढ़ने की कोशिश करिये। उन्होंने कहा है कि एडल्ट्रेशन करने वाले के लिए, मिलावट करने वाले के लिए गोली के सिवाय और कोई चीज हो नहीं सकती। आज कांग्रेस के अन्दर मजदूर भी बैठे हैं और कांग्रेस के अन्दर करोड़पति भी बैठे हैं। कांग्रेस के अन्दर छिपी हुई दक्षिणपंथी ताकतों को उखाड़ दिया जायगा प्रगतिवादी ताकतों के द्वारा। आप बार बार कम्युनिस्टों की दुहाई देते हैं।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

आपस में दो व्यक्तियों का प्यार है । आपका तो चार का गठबन्धन है। पका नहीं, तीन स्त्री हैं और एक पुरुष या तीन पुरुष हैं और एक स्त्री हैं। जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और हमारे एस० पी० भी उधर फिट हो गये हैं। हमने जब कांग्रेस से समझौता किया था तो यह कह कर किया था कि इन्दिरा हमारे एक हाथ में फूलों की माला है और दूसरे हाथ में जूतों की माला है। यदि आपने जो जनता से वायदे किए उनको पूरा करेंगे तो फूलों की माला आपके गले में होगी और यदि जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया तो जूतों की माला आपके गले में जनता डालेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खाद्य मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट सुना । उससे यह स्पष्ट नहीं है कि खाद्यान्न की जिम्मेदारी स्टेट की है या सेन्टर की। ऐसा लगता है कि खाद्यान्न की पूर्ति करने की जिम्मेदारी सेन्टर की है। अब सेन्टर की है तो स्टेट की फिर कहां तक है यह स्पष्ट नहीं है ।

(3.00 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

होलसेल ट्रेड का जहां तक सवाल है और आवश्यक वस्तुओं के भावों का जहां तक सवाल है इसमें कुछ की शार्टेज हो सकती है, और कुछ की प्राइसेज इनफेलेशन वजह से बढ़ी हो, यह भी हो सकता है। पर एक बात की वजह से यह प्राइसेज बढ़ी हैं। स्केअरसिटी साइकोलोजी बनने से यह सब हुआ है। और दूसरा कारण हुआ होर्डिंग का। इन दो कारणों से कीमतें बढ़ी हैं। वरना खाद्यान्न के मामले में राजस्थान डेफीसिट नहीं है, सरप्लस है ।

खाद्य मन्त्री जी ने तीन साल के आंकड़े दिए हैं। 1970-71 में बम्पर क्राप हुई और 80 लाख 60 हजार टन की पैदावार हुई। 1971-72 में 57 लाख 80 हजार टन हुई और 1972-73 में 48 लाख 90 हजार टन खाद्यान्न पैदा हुआ। 1969-70 में 37 लाल टन हुआ. 1968-69 में 33 लाख 37 लाख टन हुआ। 1968-69 के मुकाबले में 1972-73 में 48 लाख टन अधिक हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में हालांकि अकाल रहा बरसों तक इसके बाद भी सरप्लस रहा।

इसके बाद मेरा मानना यह है कि यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह स्टेट की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करावे। जब 48 लाख टन पैदा होता है तो उस में से आठ किलो बड़े को और चार किलो छोटे को भी आप राशन दें तो साल भर में 28 लाख 70 हजार टन ही होता है जब कि हमारा उत्पादन आपके ही आंकड़ों के अनुसार 48 लाख टन है। आप सारे राजस्थान में सभी को इतना अनाज आसानी से दे सकते हैं। आप 15 किलो प्रति व्यक्ति तक भी दे सकते हैं। इस हिसाब से भी 38 लाख टन तक ही होता है। कमी होनी नहीं चाहिए। अब कमी होती है तो इसका एक ही कारण समझ में आ सकता है कि हमारे वितरण का प्रबन्ध ठीक नहीं है। और जैसा खाद्य मन्त्रीजी ने कहा कि 1 लाख 70 हजार टन हमें जुलाई-अगस्त-सितम्बर में सेन्टर से भी मिला और उसमें

(श्री पी० के० चौधरी)

से हमने 1 लाख 52 हजार टन का वितरण किया। इसमें भी करीब करीब 50 हजार टन हमारे पास में बचा हुआ है।

अब जहां तक अवेलेबिलिटी का प्रश्न है है राजस्थान में अनाज की कमी नहीं है। आज यह कहना कि फूड ग्रेन की कमी है राजस्थान में, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। अब हम लोगों से प्रोक्योर क्यों नहीं कर पाये लोगों को अवेलेबल क्यों नहीं करा पाये? इसमें एक कारण तो यह है कि हम समाजवादी तौर तरीकों में वितरण की व्यवस्था में जनता का इन्वाल्वमेंट नहीं कराते तब तक वह व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी बात खाद्य मन्त्री ने स्टेटमेन्ट में बताई कि हमारा प्रोक्योरमेन्ट टारगेट का 49 परसेन्ट ही रहा। पंजाब के बाद हमारा दूसरा नम्बर तब भी रहा। अब 49 पर्सेन्ट भी मानें तब भी हमारा 1972/73 में उत्पादन हुआ उसमें साढ़े सात आठ लाख टन का सरप्लस था। अब वह व्हीट है कहां? वह होर्डर के पास गया। अब वह चाहे काश्तकार हो या व्यापारी हो।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अनाज की कमी राजस्थान में नहीं है। मैं एक बात की ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि समाजवाद के कार्यक्रम को आप तब तक इम्पलीमेन्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें इन्स्टीट्यूशनल चेन्ज न लावें। मौजूदा आपका जो बुर्जुआ स्ट्रक्चर है उसके जरिये आप समाजवादी कार्यक्रम लागू करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसका नतीजा हमने देख लिया। पर जहां प्रोग्रेसिव कदम उठाये गये वहां रिजल्ट अच्छा रहा। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने हैं। तीसरा चिल्ली का है। चिल्ली के लिए मैं कोटेशन देकर कहना चाहता हूं कि मार्च 1972 में प्रेसीडेन्ट अलान्दी ने एक राउन्ड टेबल कान्फ्रेंन्स बुलाई। इसका जिक्र चिलियन रोड टू सोशलिज्म के भाषण में उन्होंने किया।

"President Bilende of Chille declared on March 1972 in in Round Table Conference' On Chillean Road to Socialism' Thus we want to use the Burgeos institutional frame work to achieve the Changes in the political, economic and social field which the country is demanding and needs aid to achieve Socialism."

कहने का मतलब यह था कि हम समाजवाद का कार्यक्रम लेना चाहें और उसको इम्पलीमेंट करना चाहें तो इन्स्टीट्यूशनल चेन्जेज करना पड़ेगा। लेकिन वह फैल हुआ है, उसमें एक बात जाहिर है जो पोलिटिकल विल है, उसको बताया नहीं है, डिमोन्सट्रेशन किया नहीं है। मैं समझता हूं We have not determined our political will. वरना आज स्थिति यह नहीं होती। इतना अनाज आपका पैदा हुआ है, यह आपका फिगर बताया है। 1969-70 में भी आपका पैदा हुआ था 37 लाख टन मतलब आज जितना पैदा हुआ है इससे करीब 11 लाख टन कम पैदा हुआ था। इसलिए जो स्थिति आज पैदा हुई वह स्केयरसिटी की वजह से नहीं हुई। वह होर्डिंग की वजह से हुई है।

(श्री पी० के० चौधरी)

अब मैं हाइ प्राइसेज के बारे में कहना चाहता हूं । जैसा वित्त मंत्री महोदय ने कोटेशन दिया है एन्युअल रिपोर्ट फार दी इयर जुलाई, 1972 टू जून, 1973 से एन्युअल रिपोर्ट एक साल की है, उसका रेफरेन्स देना चाहता हूं । उस रिपोर्ट में कहा गया है । मैं कोटेशन सुना देता हूं-

"The most disquieting aspact of the Indian economic scene during 1972-73 (year June-July) was nearly 22% rise in the index number of the wholesale price, a major factor responsible for price rise was excess demand in the economy and thus in turn had been caused by the sharp rise in the Government expenditure in 71-72&72-73" यानि रिजर्व बैंक ने जो प्राइस राइज का कारण दिया है उसमें यह कहा है कि सरकार को 1972-73 में जो एक्सेस डिमाण्ड पेश हुई वह एक्सेस डिमान्ड सरकार ने जो खर्चा किया है उससे हुई है । अब सरकार ने कितना एक्सेस खर्चा किया है, कितना डेफिसिट किया है, उसके फिगर मैं देना चाहता हूं जो फोर्थ फाइव इयर प्लान बना है उससे पांच साल का हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग 811 करोड़ रुपये का होगा। परन्तु जो एक्चुअल हुआ है 1971-72 में वह 808 करोड़ का हुआ है । 1972-73 में 866 करोड़ का हुआ है और 31 अगस्त, 1972-73 है उसमें 700 करोड़ का हो चुका है और 1973-74 प्लान के फोर्थ इयर में 2330 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा अभी तक कुल हुआ है वह है 2930 करोड़ रुपया । इस के साथ साथ पिछले तीन साल में बैंक क्रेडिट का एक्सपेन्सन हुआ । 1970-71 में 721 करोड़ रुपया, 1971-72 में 935 करोड़ रुपया और 1972-73 में 1037 करोड़ रुपया, यानि बैंक क्रेडिट 2693 करोड़ रुपया का हुआ····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो तीन मिनिट में, जस्ट फिनिश करता हूं ।

अब इस साल एक्सपेक्टेड है 900 करोड़ रुपया । इस प्रकार जो डेफिसिट फाइनेन्स हुआ है वह 970 करोड़ और बैंक क्रेडिट 6563 करोड़ का । तो एक्सेस फन्ड सर्क्यूलेशन में आया तो प्राइस हाइ नहीं होगी तो क्या होगा । बैंक क्रेडिट का एक्सपेन्सन हुआ है ।

1972-73 का जो वर्ष है उसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनका जो लोन एन्ड एडवान्सेज रहा है उसका 52 पर्सेन्ट बिग इन्डस्ट्रियलिस्ट को दिया और 17 पर्सेन्ट फूड ग्रेन डीलर्स को दिया । इस पैसे से होर्डिंग भी हुआ है । सभी जगह होर्डिंग हुआ है और इसी वजह से एक्सेस हुआ है । 4-4 11. साल के अन्दर एक्सेस नोट छाप दें और बैंक क्रेडिट का भी एक्सपेन्सन कर दें वह भी इसी तरह होता है । रियल वेल्यू नहीं होता है । 1500 करोड़ रुपये का एक्सपेन्सन हुआ है । इस वजह से प्राइस बढ़ी हैं । आपने अपने भाषण में कहा बांगला देश के रिफ्यूजीज रहे उस वजह से हुआ है । मैं उसका खण्डन करना चाहता हूं । 325 करोड़ 1972-73 में खर्च हुये । इस 325 करोड़ में 120 करोड़ टैक्स से वसूल हो

(श्री पी० के० चौधरी)

गया, 200 करोड़ बाकी रहते हैं, जो स्टाम्प्स पर टैक्स लगाया है वह भी 1972-73 में वसूल किया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 400 करोड़ के एडीशनल टैक्सेज लगाये। 69 करोड़ का बैंक से कर्जा लिया है, 40 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। 1972-73 में इस प्रकार के टैक्सेज से और ओपन मार्केट से आपको मिला है और हर करेन्सी में मिला है। इसलिए यह कहना बांगला देश से रिफ्यूजीज आये थे, उन पर खर्चा किया गलत दलील है।

दूसरी बात आपने यह कहीं, यह फेमिन में खर्च हुआ है। फेमिन में 1971-72 और 1972-73 में 17 करोड़ का कुल खर्चा हुआ — सारे हिन्दुस्तान में 317 करोड़ का हुआ है। उसमें एडीशनल टैक्सेज 1972-73 में आपको मिला है 180 करोड़ और स्टेट्स को 90 करोड़। सेन्टर को मार्केट से 478 करोड़ और स्टेट को 140 करोड़—इतना करोड़ रुपया आपको मिला है। इसलिये यह कहना फेमिन की वजह से आपको करना पड़ा, वह भी आपकी दलील गलत है। Over and above what it was already.

दूसरी बात मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपने कहा, 400 करोड़ का कट कर दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने और उसके फलःस्वरूप यहां भी कट कर दिया। यह कट किया जा रहा है डवलपमेंट एक्सपेन्डिचर में से डवलपमेंट आउट ले 400 करोड़ में से 340 करोड़ कट किया और 60 करोड़ डवलपमेंट प्लान्स में से लेने का मतलब यह होता है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेन्डिचर में कट कर रहे हैं। फाइनेन्स उसमें कट करना चाहता है प्लान आउट ले में कट करना इन्वेस्टमेंट एक्सपेन्डिचर में कमी करना और जो दूसरे एक्सपेन्डिचर हैं उसमें कट नहीं करना, उसका नतीजा उलटा होता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक पाइन्ट पर और मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमको एक नोट मिला है इसके संबंध में कि पेट्रोलियम प्राडक्ट की कमी है और उसमें यह बात बताई गयी है कि हमको पेट्रोलियम प्राडक्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं और वह बाहर से लाने पड़ते हैं। यह सारी बातें इसमें आई हैं। इसमें एक निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि बाहर से सप्लाई नहीं आती है, यह सही है आज जो गल्फ कन्ट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज हैं उन्होंने सप्लाईज में रोक डाली है लेकिन असली बात यह है कि सेन्टर प्रपोज करता है कि कट करेंगे। तो एक्चुअली हमारी जो बेसिक गलती हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की है।

सभापति महोदय, पिछले दस सालों में हमारे देश का जो इनर्जी बेस है उससे हमने शिफ्ट किया है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दस सालों से हम जानते हैं कि जो हमारे देश का एक साल का कन्जम्प्शन है वह 30 मिलियन टन क्रूड आइल का है जबकि हमारा प्राडक्शन सिर्फ 7 मिलियन टन ही है। हमारी जो रेल्वे हैं उस सारे का हमने डीजेलाइजेशन किया है। आपको याद होगा कि हमने जो चितरंजन का कारखाना बनाया था वह स्टीम एंजिन बनाने के लिए बनाया था लेकिन अब उसको डीजल एंजिन

(श्री पी० के० चौधरी)

में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा जो हमने इन्डस्ट्रीज लगाई हैं उसमें भी डीजल आइल यूज करने की बात हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम जानते हैं हमारे देश में डीजल 1/3 ही प्राडक्ट होता है और बाकी का बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है और दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना पड़ता हैं।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो डीजल है और पैट्रोलियम प्राडक्ट्स हैं उसका 10 पर्सेन्ट ही सिर्फ प्राइवेट कन्ज्यूमर्स के काम आता है और 30 पर्सेन्ट गवर्नमेंट करती है और 30 पर्सेन्ट इन्डस्ट्रीज करती हैं। अब हमने हमारी सारी इन्डस्ट्रीज और रेल्वे को डीजल की ओर स्विच ओवर कर दिया है तो जब तक हम इसकी तरफ नहीं सोचेंगे तब तक यह प्राब्लम हल नहीं होगी।

फर्टीलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं। एफ. सी. आइ. का जो रिसर्च एण्ड डवलपमेंट डिवीजन है उसने तय किया है कि हम नेचुरल रिसोर्सेस पर बेस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हैं और हम डीजल की तरफ स्विच ओवर हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग हमारा गलत है। आप कमी करो लेकिन प्राइवेट कार और ट्रक्स को भी बन्द कर दोगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि आज डीजल प्रोड्यूसिंग कन्ट्रीज युनाइटेड हैं वह सप्लाई के ऊपर जरूर रेस्ट्रिक्शन करेंगे हमारे यहां The entire railway industry has been given diesel.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Half a minute

पल्सेस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 1964-65 में जितना हमारे हिन्दुस्तान में कल्टीवेबल एरिया था टोटल उसमें 15 पर्सेन्ट एरिया पल्सेस के लिए था और उसमें पल्सेस पैदा होती थी। आज 1970-71 में वह एरिया 13.20 पर्सेन्ट हो गया याने 2 पर्सेन्ट एरिया घटा है और हमारे राजस्थान में भी घटा है। सभापति महोदय, जहां इरींगेशन फेसेलिटीज कम होती है वहां यह पल्सेस होती हैं और जहां इरींगेशन फेसेलिटीज ज्यादा होती हैं वहां दूसरी क्राप्स होती हैं और इससे पल्सेस का दाम बढ़ेगा।

बस, सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। अगर हम इसको कामयाब बनाना चाहते हैं तो जो पीसमील ट्रीटमेंट है उससे काम नहीं चलेगा। हमें प्लानिंग के साथ चलना चाहिए और पॉलिटिकल विल के साथ चलना चाहिए।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी, आज फूड पालिसी के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि चाहे कीमतों के ऊपर बोलें या फूड पॉलिसी के ऊपर बोलें यह राष्ट्र की इकॉनामी के साथ वास्ता रखता है। हमारा यह ख्याल था कि राज्य सरकार और विशेषतौर पर फूड मिनिस्टर और कांग्रेस के कर्ता धर्ता इस बात की सही रीडिंग करेंगे कि फूड पॉलिसी का क्या इम्प्रेशन पड़ा, जब से अनाज को हमने टेक-ओवर किया उसका क्या असर पड़ा और राष्ट्र के अन्दर इसकी पालिसी के ऊपर विश्वास बढ़ा

(प्रो० श्री केदार नाथ)

या नहीं ? एक कामन काश्तकार, एक कामन मैन और कामन उपभोक्ता पर इसका क्या असर पड़ा ? मैं सोचता हूं कि उसके दिमाग की सही रीडिंग लें तो जब वह बाजार में जाता है तो उसको डबल मार्केट मिलता है, उसको डबल प्राइज मिलती है जब वह बाजार में जाता है तो देखता है कि कुछ कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज और कुछ अनकन्ट्रोल्ड कमोडिटीज हैं और जो कीमत तय की गयी है उसमें चीज नहीं मिलती और पूरी क्वांटिटी में नहीं मिलती। तो इस राष्ट्रीयकरण का असर हम यह सोचते थे कि शायद एसेन्शियल कमोडिटीज हमारे हाथ में आ जायेंगी, हम यह मान कर चलते थे कि एक रुपये किलो में तो अनाज मिल जायेगा और इससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी और सही तरीके से डिस्ट्रिब्यूशन होगा। यह मानकर उपभोक्ता के सामने हम इस पालिसी को लेकर गये थे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज फेल हुई या नहीं यह इन्डीविजुअल मिनिस्टर का सवाल नहीं है, कांग्रेस एज पार्टी का सवाल है। इसको फेल करने में सबका हाथ है, हम कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं कहते कि वह आइसोलेटेड है। सरकार की पालिसी कहां फेल हुई ? आज की मिक्स्ड इकॉनामी, केपिटलिस्ट इकॉनामी, जिसके ऊपर सरकार चल रही है, क्या सारी की सारी फेल हुई या नहीं और मैं मानकर चलता हूं कि कौन अच्छा है, कौन माड़ा है—समूचे तौर पर सरकार इस बात पर फेल हुई है।

सभापति महोदय, जब हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट की पालिसी क्या है। शुरू से हम कहते रहे कि जो मार्केट है और जो सरप्लस है आप वहां पर प्रोक्योरमेंट कीजिए और अगर दूसरे बाजारों से प्रोक्योर कर लीजिए। आपने होलसेल ट्रेडर्स को समाप्त कर दिया लेकिन, सभापति महोदय, आप बाजार में जाइये, देहात में जाइये वहां उनकी एक्सस अभी कायम है। किसी न किसी तरीके से होलसेल ट्रेड चल रहा है और चीजें होर्डिंग हो रही हैं। अमीर काश्तकार अपने पास सरप्लस को मेन्टेन किये हुए बैठा है। आज आप लेवी नहीं लगा सकते क्योंकि काश्तकार बहुत मजबूत है और आप डरते हैं। अगर आप लेवी लगा दें सरप्लस मार्केट के ऊपर तो आपका 3 लाख टन जो प्रोक्योरमेंट का टार्गेट तय किया था वह पूरा हो जाता। आपके पास डिस्ट्रिब्यूशन के लिए पूरा बफर स्टाक होता और सही तरीके से बचा सकते थे। अब भी आइन्दा राइस के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, एसेन्शियल कमोडिटीज के बारे में यह कहते हैं कि वन स्टेप बैकवर्ड और दो स्टेप्स फारवर्ड हैं तो इसका मतलब है आपने उसके लेटर्स ले लिए लेकिन कन्टेन्ट्स को निकाल दिया। एक स्टेप बैकवर्ड तब होता है जब सारे मास को पूल करते और अपनी नीतियों से आगे बढ़ाते तो मैं मानकर चलता। राइस के बारे में आप पीछे आए राइस के बारे में पीछे गए, एसेंशियल कमोडिटिज के बारे में पीछे गए और प्रोक्योरमेंट के बारे में फेल रहे और आप कहते हैं कि हम दो स्टेप फारवर्ड चल रहे हैं। मौजूदा सरकार यह कह सकती है कि दो मिलियन टन वीट रूस से मिलेगा, खरीफ की फसल अच्छी होगी और आगे संतोष का वक्त आयेगा, आगे कोई तकलीफ नहीं आयगी। प्राइजेज के बारे में आप कहते हैं कि यह वर्ल्ड फेनोमिना है, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप दूसरे देशों की

(प्रो० श्री केदारनाथ)

इकोनोमी को देखेंगे, सोशलिस्टिक कण्ट्रीज की इकोनोमी को देखेंगे जिन्होंने मिक्स्ड इकोनोमी को पार करके सोशल इकोनोमी को अडोप्ट कर लिया है, उनको आप देखेंगे तो वहां पर कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं। कीमतें बढ़ी हैं लेकिन पांच दस पर्सेंट से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। मैं यह मानता हूं कि जो डवलपिंग कण्ट्रीज हैं, जहां इकोनोमिक कंस्ट्रक्शन हैं वहां कीमतें बढ़ती हैं लेकिन वहां पर भी कीमतें बढ़ने का प्रपोर्शन होता है, वहां पर कभी दस बारह पर्सेंट से ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ती हैं। लेकिन यहां चालीस पर्सेंट, पचास पर्सेंट कीमतें बढ़ी हैं। चार गुना, पांच गुना तक कीमतें बढ़ी हैं। मैं यह मानता हूं कि मनी का सर्क्युलेशन मिनिमम हुआ करता है। कितना मनी आप सर्क्युलेट करने जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जब आप डेफिसिट फाइनेंशिग लेकर चलते हैं जो और करेंसी का ओरिजिन होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। आपके इस सिस्टम में इन्हेरेन्ट कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप इन डिफिकल्टीज को पार नहीं कर सकते। जब तक आप होडिंग को कन्ट्रोल नहीं करते, स्पेकुलेशन को नहीं रोकते, कांग्रेस में बैठे बड़े बड़े बुर्जुआओं के साथ काम करते हैं आप इसको नहीं रोक सकते, ऐसी मेरी मान्यता है। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए, स्टेबलाइज्ड इकोनोमी के लिए, मैं सभापति महोदय, आपको दो चार सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे खाद्य मन्त्री ने यह कहा कि हमने इण्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इसलिए खोला कि इससे कीमतें बन्धेगी, हमने कंज़्यूमर के इन्ट्रेस्ट को देखा है, मगर कब देखा आपने। अप्रेल और मार्च, सभापति महोदय, 90)रु. क्विटल में हमारे काश्तकार ने चना बेचा, वह अपना माल बेचने बाजार में आया और उसी समय हरियाणा में 135) और 140) रुपये में चना बिका। जितना चना आपके यहां हुआ उसका आधे से ज्यादा चना हरियाणा और पंजाब में बिका। इसका काश्तकार को फायदा नहीं मिला, सरकार टैक्स वसूल नहीं कर पायी। कुछ लोग, व्यापारी लोग वहां पर चना ले गए और उन्होंने इसका फायदा उठाया। व्यापारियों ने काश्तकार से 90) रुपये के भाव में चना ले लिया आज वही चना, आपको 25 परसेन्ट लेवी को छोड़कर, दो सौ रुपये के भाव में वह बेच रहा है और सौ रुपया क्विन्टल कमा रहा है। किसको आप मार्जिन दे रहे हैं, किसको प्रॉफिट दे रहे हैं। कंज़्यूमर के नाम पर किसको फायदा दे रहे हैं? सांगरिया में, गंगानगर में रातों-रात चना खरीदा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के अन्दर चना काण्ड हुआ, माननीय खाद्य मन्त्री जांच करें कि इसमें किन किन लोगों का हाथ है जिन्होंने दो दिन पहले खरीद की चने की। ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनका रिलेशन किसी मन्त्री और आफिसर्स से है। मैं यह कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगता हूं कि किसके मार्फत यह चीज लीक आउट हुई है? केबिनेट का फैसला कैसे लीक आउट हो गया और लोगों ने किस प्रकार इसका फायदा उठाया? आपका यह कह देना कि यह वर्ल्ड फेज और वर्ल्ड फिनोमिना है और खरीफ की अच्छी फसल आने से आप इसको रोक लेंगे और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक कर लेंगे, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, यह

Page No. 86

(प्रो० श्री केदारनाथ)

सन्तोष की बात नहीं है। मेरा चार्ज है कि जिस सरकार की सोलिडिरिटी नहीं है, जिसके दिमाग में विश्वास नहीं है, पोलिटिकल बिल के साथ काम करने की क्षमता नहीं है, लोगों की नब्ज नहीं पहचानती, इम्प्लीमेंटेशन की अपनी स्थिति को सुधारती नहीं है, उस सरकार पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आइन्दा स्टेबलाइज कर देगी कीमतों को।

अब मान्यवर, हमने अनाज को खोल दिया, काश्तकार को छूट दे दी। जैसा मैंने निवेदन किया प्रोक्योरमेंट के बारे में कि दिसम्बर में फैसला कर दिया ए.आइ.सी.सी. ने कि होल सेल ट्रेड नहीं रहेगा। लेकिन आपने रिटेलर को विश्वास में नहीं लिया, जनता को विश्वास में नहीं लिया तो कैसे आप सप्लाई लाइन को कायम रख सकेंगे, कौनसा तबका आपके साथ में होगा, इसके ऊपर आपने नहीं सोचा। एक रिटेलर, कच्चा आढतिया, जो एक रुपये क्विन्टल के कमीशन पर धन्धा करता है और जो आपकी सप्लाइ लाइन को कंज्यूमर से जोड़ता है, कौंफिडेन्स में नहीं लिया। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं रही, सरकार ने कोई कदम नहीं लिया और इसीलिए सरकार इसमें फेल हुई। प्रोक्योरमेंट की डेट्स बढ़ाई गई। होल सेल ट्रेड के नेशनलाइजेशन की घोषणा तो कर दी गई लेकिन सरकार के पास इसका कोई इन्तजाम नहीं था, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था तो आपने काश्तकार को कह दिया कि मण्डी में जाओ और किसी भाव में बेचो। किन लोगों ने इसका फायदा उठाया ? इन्हीं होल सेल ट्रेडर्स ने। जो ओनेस्ट काश्तकार थे उनके दिमाग में डर था कि वह 20 क्विन्टल से ज्यादा अपने पास गेहूं नहीं रख सकते, उसके दिमाग में यह डर था कि 15 जुलाई के बाद अगर 20 क्विन्टल से ज्यादा अनाज रहा तो सरकार छापा मारेगी, जब्त करेगी, सजा दे देगी, गिरफ्तार करेगी और इस डर से उन्होंने अपना अनाज बेच दिया। लेकिन आज भी किन लोगों के पास में अनाज है, किन लोगों ने अनाज आज भी अलग अलग मकानों में, अलग अलग कोठों में और तहखानों में छिपा लिया है। आप इसको जानते हैं। आज आप किनको छूट दे रहे हैं मंत्रीजी, कंज्यूमर के फायदे के लिए, प्राइजेज को स्टेबलाइज करने के लिए और इसका फायदा कौन उठा रहे हैं। वे ही होर्डर्स, मुनाफाखोर, स्पेकुलेटर्स इसका फायदा उठा रहे हैं।

मान्यवर, मैं अर्ज करूंगा कि जब मार्केट में डबल प्राइजेज हों, मार्केट में डबल मार्केट चलता हो, उस समय हम वर्ल्ड फेज और वर्ल्ड फिनोमिना की दुहाई देकर यह कहें कि हमारी इण्टरनेशनल मोनीटरी मार्केट में बड़ी साउण्ड पोजीशन है, डेफिशिट फाइनेंशिंग में 10 हजार करोड़ का ब्लैक मनी हो और फिर हमारे खाद्य मंत्री कहें कि इन्टरनेशनल मोनीटरी मार्केट में बड़ी साउंड है तो यह गलत आंकड़े मत दो और अपने आपको इस तरह से कन्फ्यूज मत करो। इसलिए मैं आपको दो चार सुझाव देना चाहता हूं कि आयन्दा के लिए प्राइजेज का क्या कण्ट्रोल हो। मान्यवर, मैं एक बात को मानकर चलता हूं कि जब तक कीमतों के बारे में पूरा जायजा नहीं हो, एक चीज खेत से पैदा हो और कारखाने में बनकर आपके पास बाजार में आवे तो क्या उसका प्राइज रिलेशन होना चाहिए। कोस्ट

(प्रो० श्री केदारनाथ)

आफ प्रोडक्शन क्या हो और जब खेत से निकल कर उपभोक्ता तक पहुंचे तो उसका क्या रिलेशन हो। जब तक इस प्रिंसिपल पर आपकी इकोनामी बेस्ड नहीं हो आप आयन्दा भी प्राइजेज को स्टेबलाइज कर देंगे, कभी नहीं हो सकेगा। पन्द्रह साल पहले हमारे लीडर की यह मान्यता रही है डेढ़ गुना से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। जब खेत में प्रोडक्शन होता है और बाजार में कारखाने के मार्फत माल पहुंचता है उसका रिलेशन डेढ़ गुना होना चाहिए और जो चीज आप काश्तकार से खरीदते हैं, और उपभोक्ता को देते हैं तो उसमें पन्द्रह रुपये से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जब तक आप इसका प्लानिंग नहीं करते, डेफिनेट सीमा नहीं बांधते, आपकी इकॉनामी को इस पर बेस्ड नहीं करते आप उपभोक्ता को इससे बचा नहीं सकते। आप अपनी इकॉनामी को स्टेबलाइज नहीं कर सकते आप कहते हैं कि दस किलो बाजार से खरीदो और चार किलो डिपो से मिलेगा और डिपो में लेने के लिए, सभापति महोदय, तीन तीन घन्टे लग जायं, एक मिल का लेबरर सुबह अपने काम पर जाता है, तीन घन्टे डिपो में नष्ट करता है और उसके बाद भी बाजार में अनाज खरीदता है तो क्या आपके इस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से उसका संतोष हो सकता है? कैसे आप डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सुधार सकते हैं? आपकी प्रोक्योरमेंट पोलिसी फेल रही, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं, आप बफर स्टाक कायम नहीं कर सके, प्राइजेज की हालत यह है, ब्लैक मनी पर काबू नहीं कर सके, स्पेकुलेशन हटा नहीं सके ब्लैक मार्केट हटा नहीं सके और फिर आप कहते हैं कि इकोनामी पोजीशन साउन्ड है, कहां साउण्ड? आपने सारे के सारे पार्टी लिम्स को काट दिया है और आप कहते हैं आपकी इंटरनेशनल मोनीटरी पोजीशन साउण्ड है। मेरा खाद्य पोलिसी के बारे में सारी केबिनेट पर चार्ज है कि इसमें पोलिटिकल विल का लेक है, पालिसी फार्मेशन में लेजिस्लेशन का गैप रहा है और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर गैप रहा है और यह गैप कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते वाइड हो जाता है। कौन इसको फिलअप करेगा? कौन इसको भरेगा? न आप मास मूवमेन्ट में विश्वास करते हो। कांग्रेस पार्टी के लोग मास मूवमेन्ट में विश्वास करते हो, यह मैं मान कर नहीं चलता हूं। असेम्बली में कोई बोल जाए तो उसके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन की बात आप करने लगते हैं। कार्यवाही करने की बात आप सोचते हैं। तो वह पार्टी कब मास फिलोसफी के बारे में सोच सकती है? वह क्या जाने कि मास फिलोसफी क्या है और कैसे वह उसको फिलोसफीने में विश्वास कर सकती है? यह मेरी धारणा नहीं है। यह मेरी मान्यता नहीं है। आज सारे राजस्थान को ऐसा बना दिया गया है जब आपको फैसला करना पड़ेगा कितना अनाज हम ले सकते हैं और किसकी मार्फत ले सकते हैं। हमारी प्रोक्योरमेन्ट की पोलिसी क्या हो, यह आपको तय करना होगा। आपने 20 क्विन्टल का तय कर दिया और कह दिया हरियाणा और पंजाब ने भी यह तय नहीं किया। 20 क्विन्टल तो क्या आप तीस क्विन्टल भी कर दें तो कोई बात नहीं है क्योंकि एक पांच सदस्य के परिवार के काश्तकार, जिसके दो बैल और एक भैंस हो, का एक साल में इससे अधिक खर्चा होगा। यह कोई ज्यादा नहीं था। आप

(प्रो० श्री केदारनाथ)

इससे भी अधिक रखने की इजाजत देते और बाकी जो उसके पास सरप्लस था, उस पर लेवी करते तो आपका यह जो टार्गेट था वह पूरा हो जाता और हरियाणा और पंजाब से अच्छे लगते। परन्तु आपने यह नहीं किया, उल्टे लोगों को चोरी करना सिखा दिया। असर यह हुआ कि लोगों ने तहखानों में अनाज जमा कर दिया, दूसरों के यहां पर अनाज रख दिया इस कानून से बचने के लिए ताकि कानून के अनुसार माल जब्त न हो सके। इतना ही नहीं, काश्तकार को बीज के अलावा गुजारे के लिए भी रखने की छूट आपने दी। आपको इसका अन्दाजा नहीं था? आप काश्तकार के बेटे हैं। आप काश्तकार की भाषा मेरे से अधिक बोलते हैं मगर अभी तक काश्तकार की नब्ज को आपने नहीं पहचाना है। मोटे अनाज का इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट आपने खोल दिया चना में छूट दे दी। मैं समझता हूँ कि इससे कन्जूमर को कोई फायदा नहीं हुआ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति जी, असेन्शियल कमोडिटिज की कीमतें तब तक स्टेबलाइज नहीं होंगी जब तक कि उसकी पैदावार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी पर्चेज यह सारा का सारा सरकार के हाथ में नहीं आता। मोटे अनाज का क्या, सारा व्हीट और चने, का मार्केट आपके हाथ में हो तभी इस देश में सेल्फ इकॉनामी पैदा होगी और तभी कीमतों में स्टेबीलाइजेशन होगा। तभी कन्जूमर और छोटे काश्तकारो को फायदा होगा। आप हर कदम हाफ हार्टेडली उठाते हैं। वन स्टेप फार्वर्ड और टू स्टेप बैक वर्ड यह घोषणाएं आप करते जाते हैं परन्तु ये तमाम घोषणाएं घोषणाएं रह जाती हैं। पालियामेन्ट में व्हीट की कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई थी। हमारी प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री बोलते हैं व्हीट की कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। हमने लुधियाना में इसका एक्सपेरिमेन्ट करके देख लिया है। जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह ठीक है। अब 7 रुपया क्विंटल प्रोक्योरमेन्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। चने की कीमत भी आपने बढ़ायी है, राइस की कीमत भी आपने बढ़ाई है। इसीलिए जब हम कहते हैं तो आप मानते नहीं है। इसी प्रकार, मान्यवर, पिछली दफा हमने लेवी लगाने की बात यहां पर कही थी। चालीस पर्सेन्ट आप ले लेते और 60 परसेन्ट की छूट दे देते तो आपके पास बफर स्टाक हो जाता और काश्तकारों को भी फायदा हो जाता। अब आप अनाज का इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट हटा रहे हैं। परन्तु फिर भी अनाज बाजार में नहीं आ रहा है। कहां से आवे? आपको मालूम नहीं है कि कितना अनाज पैदा हुआ है और कितना स्टेट से बाहर चला गया है। इसके साथ ही निवेदन करूंगा, हमारे खाद्य मंत्री जी तो यहां नहीं हैं, मन्त्राणी जी हैं, वे मेरी बात को चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचा दें. चने में स्केन्डल हुआ है। चने के मूवमेंट में स्केन्डल हुआ है। जो खोला गया है उसमें स्केन्डल हुआ है। किस स्टेज पर हुआ है यह नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इस स्केन्डल की जांच की जानी चाहिए। वे कौन आफिसर हैं जिनकी मार्फत यह बात लीक आउट हुई है। वे कौन से व्यापारी हैं जिन्होंने रातों-रात अनाज को इकट्ठा किया, खरीदा और बाहर जाकर बेचा। यह मेरा चार्ज सारे मंत्री मन्डल पर है। एक मंत्री के ऊपर नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए

(प्रो० श्री केदारनाथ)

तभी मालूम पड़ेगा कि आप काश्तकारों को फायदा देना चाहते थे या कन्ज्यूमर्स को देना चाहते थे मैं यहां पर पार्टी पोलिटिक्स की डिबेट में नहीं पड़ना चाहता हूं। कम्युनिस्टों का क्या रोल रहा, जनसंघ का क्या रोल रहा—मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु यह एक चीज सामने आयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई तबका, कोई पार्टी सरकार की पालिसी और होडिंग के खिलाफ जनमत तैयार करे और इन्दिराजी को बतावे वह इससे नहीं बच सकती है। ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। सब के सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका हिस्सा है। वे इससे अलग नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि कम्युनिस्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके लिए कन्डेमनेबल है, जिम्मेदार हैं और उन्हें इसकी रेस्पान्सिबिलिटी को भुगतना पड़ेगा। जब तक नीतियों को नहीं सुधारा जाएगा प्राइज स्टेबीलाइज नहीं होगी, इकानामी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री पूनमचंद विश्नोई :

श्री पूनमचंद विश्नोई (भीनमाल) : सभापति महोदय, दो दिनों से खाद्यान्नों का अभाव अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव, कीमतों की बढोतरी पर इस सदन में चर्चा चल रही है और माननीय सदस्यों में, मंत्री महोदय ने इन सबके कई कारण बताए हैं। खास तौर से यह बात कही जा रही है कि कीमतों की इतनी असाधारण बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि पिछले कुछ वर्ष अकाल के हुए, साथ ही बंगला देश की समस्या आई, हमारे यहां पर शरणार्थी आए और फिर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। युद्ध से निबटे तो भयंकर अकाल का सामना हमको करना पड़ा। उत्पादन कम हुआ और दूसरी तरफ इस कारण से कीमतें बढ़ गई। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि विकास शील देशों में कीमतें बढ़ती हैं और दुनियां भर में कीमतें बढ़ी हैं और साथ ही साथ यह भी कभी कभी वाह वाही के लिए कह देते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी हमने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया है। यह समस्या है देश की, जनता की आम समस्या हैं और उसमें ये सब कारण हैं। कुछ न कुछ तो इन कारणों से कीमतों में बढ़ोतरी हुई लेकिन अकाल ही इन सब चीजों के अभाव का कारण हो, यह मैं नहीं मानता हूं। इस देश की गरीब जनता के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल जो असली कारण है उसको नहीं ढूंढा गया तो आगे जाकर हमारे सामने यह समस्या विकट रूप धारण कर लेगी। पहला प्रश्न तो यह है कि ये कुछ कारण हो सकते हैं अभाव के और हो सकता है कि उन्हीं के कारण चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई हो। एक कारण अकाल का हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि सब से बड़ा कारण यह है कि पिछले 20/25 सालों में हमने जो प्लान्स के ऊपर खर्चा किया है, वे प्लान्स तो अच्छे थे, देश के लिए उपयोगी थे और उनमें बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, चाहे सिचाई का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगीकरण का क्षेत्र हो, चाहे विद्युतीकरण का क्षेत्र हो, उसमें देश ने भारी तरक्की की है परन्तु एक पक्ष उसमें ऐसा भी है कि इन सब से हम को जितना लाभ

(श्री पूनमचंद विश्नोई)

मिलना चाहिए, जितनी तेजी से आर्थिक विकास हम को करना चाहिए था, उतनी तेजी से हम नहीं कर सके हैं और जो छोटी छोटी योजनाएं खेती-बाड़ी की थीं, पशु-पालन की थीं, सामाजिक सेवाओं की औद्योगीकरण की थीं, उन सब में हम निश्चित तौर से असफल रहे हैं और इसमें आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अरबों रुपयों का खर्चा हुआ है। खर्चा अधिक हम कर दें कर्जा ले करके और आमदनी उस चीज से ही नहीं तो बोझ ही है और चीजों का अभाव होगा और कीमतों में बढ़ोतरी होगी।

आप आज सोचियेगा कि हमारा प्रशासनिक तन्त्र इतना भारी भरकम हो गया है कि जहां आज से 25 साल पहले एक आदमी काम करता था वहां पर 20-25 लोग काम करते हैं। जब विकास किया गया और कुछ नई योजनाएं हाथ लीं तो स्वाभाविक था कि प्रशासन-तन्त्र बढ़ता ही, लेकिन जिस अनुपात से बढ़ा है मैं समझता हूं कि बहुत ही अधिक है और इसके ऊपर इतना भारी खर्चा हुआ है; जनता पर बहुत ही अधिक बोझ हो गया है, फिर भी हम यह सोचकर बैठे रहें कि अकाल के कारण कीमतें बढ़ी हैं, तो मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है।

आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर हम हर साल राजस्थान में 60 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। टैक्निकल शिक्षा दी जाती है, मेडीकल शिक्षा दी जाती है, खेती-बाड़ी की शिक्षा दी जाती है, पशु-पालन की शिक्षा दी जाती है और दूसरी साधारण शिक्षा दी जाती है। शिक्षा तरक्की की बुनियाद है। हमारी यह कल्पना थी कि हमारी मेन पावर इस तरह की हो जायेगी 10-15 साल के अन्दर कि खेती का रूप बदल जायगा पशु-पालन का तरीका बदल जायगा, उद्योग-धन्धे बदल जायेंगे, और कई नई वित्तीय संस्थाएं खड़ी कर दी जायेंगी और नये लोग हमारे उत्पादन को दुगुना और चौगुना कर देंगे। लेकिन 60 हजार करोड़ रुपया खर्च करने पर भी हम किस नतीजे पर पहुंचे। मैं नहीं कहता कि पढ़ाई बुरी है। पढ़ाई में बुराई नहीं है। हमारी मनोवृत्ति में बुराई है, लेकिन कमजोरी पढ़ाई के अन्दर यह है कि आज गांव के अन्दर आठवीं पास लड़का घर के अन्दर सोता रहता है और पशु-पालन का काम नहीं करता है और 60 बरस के उसके मां-बाप काम करते हैं। वह नौकरी चाहता है और नौकरी भी ऐसी चाहता है कि जहां पर ऊपर की आमदनी हो जो कि गरीब जनता पर भार के रूप में है। यह मनोवृत्ति है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। तो अपनी शिक्षा की योजनाएं असफल हुई हैं इससे आप डिनाई नहीं कर सकते।

दूसरी और योजनाओं को लीजिये। कुछ दिनों पहले मैंने प्रश्न पूछा था। उसका जवाब आया था कि हमारे यहां करीब 500 ट्यूबवैल हैं जो इसलिए खोदे गये थे कि उनसे हम खेती की तरक्की कर सकें और इतना पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सकें, कि अकाल का मुकाबला कर सकें। हमें सुनकर अफसोस होता है, सच्चाई कुछ और हो सकती है, मेरे पास जो उत्तर आया है उसके अन्दर एक ट्यूबवैल का बताया है जैसलमेर क्षेत्र में कोई गांव है उसका नाम

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मैं भूल गया हूं अच्छा सा नाम है, वहां पर 75 एकड़ में ग्वार बोई गई और वहां पर आंधियां ज्यादा आईं तो वह ग्वार उड़ गया इसलिए कुछ नहीं हुआ। अकाल का समय था तो इस पैसे का उपयोग हो। ट्यूब वैल की बड़ी कैपेसिटी है। मैंने इसको जोड़ा है कि इतनी बिजली की मात्रा उपलब्ध हुई। नलकूपों से, जिनकी 8 हजार गैलन प्रति घंटा के कैपेसिटी है, 17 लाख गैलन प्रति घन्टा जल उपलब्ध है और 500 ट्यूबवैल पर 5 करोड़ रुपया खर्चा किया है। वहां पर आदमी भी है, मकान भी हैं बने हुए हैं बने हुए और यन्त्र भी लगे हुए हैं, फिर भी 5 करोड़ का हर साल वजन बढ़ता है और मूलधन और ब्याज से हम घाटे के अन्दर जा रहे है। बिजली की बहुत तरक्की हुई है। बिजली की उन्नति की आधारशिला है। आज के जमाने में औद्योगीकरण के लिए और सब के लिए आवश्यक है। जितनी योजनाएं आपकी ली गई हैं वह उपयोगी योजना ली गई हैं और 6–6 मील तक लाइन ले जाकर एक कुए को बिजली दी गई है तो यह घाटे का सौदा है। खेती-बाड़ी के अंदर हर साल करोड़ों रुपयों का खर्चा करते हैं। कई दफा वाहवाही ले लेते हैं कि नया बीज दे दिया, नया खाद दे दिया। कुछ कन्ट्रीब्यूशन रहता है खेती के विश्वविद्यालय के लोगों का असल में कुछ चीजें नये जमाने की यों ही आ जाती हैं। आज ट्रान्जिस्टर्स गांव-गांव में फैल गये, फटफटी कैसे फैल गई, साइकल कैसे फैल गई ? तो कुछ जमाने के साथ में फैलती हैं। तो यह नहीं हो सकता है कि नया बीज और नया खाद कृषि विभाग नहीं होता तो नही आता हमारे पास। दूसरे आदमी ले जाते। पुराने जमाने में भी लाया करते थे। लेकिन असल में देखा जाय तो जितना फायदा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ।

पशुधन, पशु-पालन का महकमा बहुत बड़ा है। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि वे सब पशु-पालकों के नाम बता दें। अच्छे पढ़े लिखे पशु-पालकों को जानते होंगे लेकिन उनके अधिकारी नहीं जानते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 25 सालों में हमने नई नस्ल दी है....

श्रीमती सुमित्रा : दी है जरसीम।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप गायों की बात छोड़िये। आर्टीफिशियल इन्सेमीनेशन से कोई नई नस्ल पैदा नहीं की। आपका नाम नहीं आया होगा, हम भी इधर-उधर घूमते फिरते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : जरसीम वगैरह की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह बाहर से इम्पोर्ट कर के दी है। इसका भी लिमिटेशन है। आप हरसौल को ले लें, जरसीम को ले लें, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दुनिया में बैलों से खेती होती देखी है पाकिस्तान में या बंगला देश में यह भारत की ही गायों की खासियत है वह दूध भी देती है और हल चलाने के लिए बैल भी देती हैं। दुनिया की कोई गाय दोनों चीजें नहीं दे सकती। हरसोल और जरसीम का बछड़ा पैदा हो जायगा तो वह तो मारने के ही काम आयेगा उसका क्या करेंगे लेकिन मैं गाय खा नहीं सकता। तो इस तरह की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

यह इस प्रेक्टिकल योजनाएं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, उन पर बड़ा भारी खर्चा हो रहा है।

कोग्रापरेटिव से हम यह आशा लेकर चलते थे कि उससे उद्योग धन्धे बड़े छोटे पनपेंगे, मार्केटिंग पनपेगा, जो मशीन एक आदमी को उपलब्ध नहीं हो सकती वह सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी। क्या हमने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। नहीं कर सके हैं। केवल इतना ही कह देते हैं कि हम साहब ऋण देते हैं। ऋण के लिए तो ऐसा है कि आप एक तहसीलदार को मुकर्रर कर दें और हर एक काश्तकार का खाता उसको दे दे और उसको भेज दें तो जाकर 200-200 रुपये वहीं दे देगा। वह खातेदार काश्तकार को 200) रुपया दे देगा इस तरह ऋण की व्यवस्था हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने योजनाओं पर बड़ा भारी खर्चा किया है, और उसके कारण हमारे ऊपर बड़ा भारी वजन बढ़ गया है। यह हमारे राज्य का ही सवाल नहीं है हमारे सारे देश का सवाल है।

भू-संरक्षण का कार्य हुआ, बान्धों का का कार्य हुआ, पुल बने। एक बात पर मुझे बढ़ा अचम्भा है, बान्धों पर लिखा है कि इस बान्ध में इतने फीट पानी भरेगा, इतना गैलन पानी आता है इस तरह से सब नाम लिखे हुए हैं, इन्जीनियरिंग का जितना विज्ञान है सब लिखा है। मैं एक सवाल इन्जीनियरों से पूछना चाहता हूं कि कुतुब मीनार और अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ पुल अभी तक बरकरार हैं और चम्बल का पांच करोड़ का पुल खडा खडा क्यों गिर गया बिना पानी के बांसवाड़े का 50 लाख का पुल क्यों बह गया, घोसाले का पुल क्यों बह गया और जालोर का पुल क्यों बह गया। सीमेंट कान्क्रीट और स्टील के बने हुए पुल बह गये और कुतुबमीनार और अलाउद्दीन का पुल पत्थर के बने हुए हैं वह अभी तक भी है। इसमें हमारी कमजोरी है। अनाप शनाप खर्चा किया है, बहुत बड़ा खर्चा किया है। राजनैतिक कारणों से हम यह प्रचार कर रहे हैं कि बरसात हो गई। जैसे मेंढ़क बोलने लगते हैं वैसे सब नेता बोलने लगते हैं कि भावों में गिरावट आ जायगी। बरसात नहीं हुई तो कहने लगते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, कुदरत पर हमारा काबू नहीं है। यह हमारी बुनियादी कमजोरी है। इसके अन्दर हमको जाना पड़ेगा। नहीं जायेंगे तो जनता खड़ी खड़ी मर जायगी। इस साल बरसात नहीं होती तो धरा रह जाता यह सब लवाजमा और जनता मर जाती। जनता के साथ हम बहुत बड़ा गैर इन्साफ कर रहे हैं। एक बात कह दी जाती है कि साहब हमने भूख से एक भी नहीं मरने दिया। कोई 16 दिन तक अनशन पर बैठा रहा हो उसे एक रोटी दे दी। तो वह भूख से मरेगा नहीं। आप नारा दीजिये कि हम दो टाइम रोटी देंगे। यह कोई नारा नहीं है कि हमने भूख से मरने नहीं दिया है। हमारा खर्चा अनाप शनाप हुआ है। हमें अपने खर्चे पर विचार करना है, सोचना है। इसका दोषी कौन है? कोई यह कह दे, कांग्रेस पार्टी है या विरोधी पक्ष है जो सलाह देता है। मेरा विचार है, अपने सभी दोषी है। वैसे हम ज्यादा दोषी हैं। जिस दल के आदमी शासन में हैं, वह ज्यादा दोषी हैं। हमने 25 साल तक जनतन्त्र को निभाया है। यह दुनियां में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने लोगों ने एवज में बुरा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

प्रशासन दिया है। हड़तालें होती हैं, घेराव होता है, जिससे उत्पादन में कमी होती है और नुकसान होता है। मूल योजना में लग जायें। लेकिन छोटी मोटी सामाजिक सेवा में इस्तेमाल किया जाये, जैसा कि रोज इस्तेमाल होता है। आज सर्विसेज में भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए अपने सभी दोषी हैं। हमारा चरित्र ठीक नहीं है। अपन सभी के साथ काम किये हुये हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उनको निकाल सकें। हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा। अपने को यह करना पड़ेगा। हमारी जो शर्त है, उसके ऊपर ही हम सेवा करेंगे। वरना हमको वोट नहीं मिलेंगे। वोट नहीं मिलेंगे तो हम चिन्ता नहीं करेंगे। हम ऐसा न सोच कर रात दिन वोटों की चिन्ता में पड़ते हैं। जब योजना बना रहे हैं, वह कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। हड़ताल करना है। इसलिए कि उसको असफल करना है। घेराव है। बिजली है। पचासों बातें हैं जो होती हैं। सत्तारूढ़ दल को अपने बारे में यहां शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमने अगर काम उलटा किया है, करते हैं तो सुनना पड़ता है। इतना ही नहीं समझना है कि यह टेम्परेरी है। जैसे जुकाम है, मिट जायेगा। हमारा खर्चा चलता ही रहा है। इसका अपव्यय हुआ है। इस ही वन्दिश होती है, तभी हम काम कर सकेंगे। खाद्य समस्या के बारे में जैसा कि बिजली की टाल हो जाय। कर्मचारियों की हड़ताल हुई। एक महीने तनख्वाह नहीं मिली। लोगों को पता चल गया। लेकिन जिस व्यक्ति को 12 महीने तनख्वाह नहीं मिले। बरसात नहीं हो, खेती खराब हो जाये। भीख मांगनी पड़े, अनाज के लिए, राज्य के अन्दर बैठे हुये हैं। साधन होते हुये भी, बिजली या तेल के अभाव में खेती जल जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। एक विधवा औरत थी। एक ही लड़का था उसका। बरसात में उसका धन भी वह गया और लड़का भी। जब लोगों ने उससे कहा कि बहुत बुरा हुआ। तो उसने कहा कि लोगों के हिसाब से बुरा हुआ। लेकिन बरसात से लोगों का कल्याण हो गया। इसलिए सबसे अच्छा हुआ है। इस साल अकाल के क्षेत्र में जोधपुर में 18 जून को बरसात हुई है। एक तहसील के अन्दर अकाल में मवेशी मर गये थे। मैं आपको कहता हूं कि मन्त्री महोदय, सभी कोशिश करके हार गये डीजल नहीं मिला। लेकिन डीजल मौजूद था। किस काम आने वाला है यह जिस दिन बरसात हुई। खेती एक बहुत बड़ा आधार है। बिजली पिछले दिनों मार्च के महीने में फेल हो गई। मेरा निवेदन है कि प्रशासन को यह देखना चाहिए।....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उत्पादन कम होगा। मैं, मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन सी चीज है जो मिलती नहीं है। मिलती है लेकिन कीमत ज्यादा है। गेहूं है, केरोसिन है। दूध की भी चीजें है। सब कुछ है लेकिन दुगनी कीमत देनी पड़ती है। तो फिर प्रशासन किस लिए है। व्यवस्था है, अधिकारी है। लेकिन इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? यह कमजोरी है। इसको निकालना चाहिए। अगर निकाल देते हैं तो कोई कारण नहीं है कि समस्या का हल नहीं हो। इस साल अच्छी फसल हुई है। इस साल से अगले साल तक पिकअप कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सूण्डा ।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, जो चर्चा चल रही है, मैं भी उसी दिशा में दो चार शब्द जोड़ देता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो पहले ही दुबले हो रहे हैं ।

श्री झाबरमल सूण्डा : क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने निवेदन किया कि आप तो पहले ही बहुत दुबले हो रहे हैं ।

श्री झाबरमल सूण्डा : आज जो कुछ भी हमें मूल्य वृद्धि के बारे में देखना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मुरार जी की तरह इनसे भी भूख हड़ताल करवायेंगे क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन्हीं की पार्टी के प्रतिनिधि हैं ।

श्री झाबरमल सूण्डा : हम इस परिस्थिति से निकल नहीं सकते हैं । इसका इण्टरनेशनल असर पड़ता है । निश्चित रूप से डवलपिंग कन्ट्री में डेफिसिट बजट होगा और इन्टरनेशनल प्राइसेज का भी असर पड़ेगा । परन्तु हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से जो चीज दुरुस्त हो सकती है, जिसको हम ठीक तरीके से चला सकते हैं, और फिर भावों में गिरावट आ जाय तो फिर हमारी गलती है, सरकार के द्वारा पैदा की हुई गलती है । सभापति महोदय, मैं सबसे ज्यादा दोष इस मामले में जो खाद्य के मामले में संकट उत्पन्न हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी को देता हूं, जिन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला असामयिक समय पर । अगर सरकार को राष्ट्रीयकरण करना ही था तो उसके लिए भी समय का इन्तजार करती । हमने पहले भी देखा है, सबने महसूस किया है, सबका इत्मिनान है, अगर एक देश दूसरे कन्ट्री पर हमला करता है, तो हमला करते वक्त हमलावर कन्ट्री ने परिस्थितियों का अवलोकन नहीं किया है तो वह कन्ट्री हार गया है । यह एक बड़ी बात है । यह भी ऐसा है, हमें युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी थी, उस समय की परिस्थितियों को देखना था । जब भयंकर अकाल सूखे के कारण पड़ रहा था, हमारे पास एडीकेट स्टाफ नहीं है, हमारे पास गोदाम नहीं हैं, हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम इस अनाज के मामले को सुधार सकेंगे । जब इन्दिरा गांधी ने अभी चण्डीगढ़ में यह कहा कि छः महीने और इन्तजार करने से सब ठीक हो जायगा तो छः महीने और इन्तजार कर सकते हैं । लेकिन अगर समय पर ध्यान रखा जाता तो फूड प्राब्लम जिस स्थिति में आज है, मेरे ख्याल से, इस स्थिति में नहीं हो सकती थी ।

दूसरे फूड के मामले में जो कुछ किया गया है नेशनेलाइजेशन के बाद, मैं यह मानता हूं, जन प्रतिनिधियों का इसमें जरा भी सहयोग नहीं लिया गया है । विधान सभा स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन आज तक एक दिन भी मीटिंग नहीं हुई है । उसमें शायद सब पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस के भी थे, वह एक रोज भी नहीं बैठी है, और न उसमें कोई फैसला किया गया है न विचारों का आह्वान किया गया है, जिससे फूड के मामले में हम किसी

(श्री झाबरमल सूण्डा)

नतीजे पर पहुंच सकें। यह सब अधिकारी स्तर पर फैसले होते हैं और अधिकारी स्तर पर लागू किये जाते हैं। किसी फूड मूवमेंट की बात है तो प्रोड्यूसर, कन्ज्यूमर और सब पार्टीज को कान्फीडेंस में ले कर सफल की जा सकती है। मैं कहता हूं कि यह सरकार जनता के नुमाइन्दों का सहयोग लेने में फेल हुई है। अधिकारी स्तर पर सारी बातें हुई इसलिए मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई। इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया।

खाना ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी समय का इन्तजार नहीं करता है, पैसे की तरफ नहीं देखेगा। बीजू और खाजू, जिसको खाना है वह किसी भी कीमत पर लेगा और जिसको बीजना है, वह भी किसी कीमत पर लेगा। अगर हम व्यवस्था ठीक ढंग से करते तो इस परिस्थिति में नहीं पहुंचते। चाहे जो चाहें, आज सबमें डबल चेनल चलता है क्योंकि मिक्स्ड इकानामी के साथ में दोहरी व्यवस्था समाज में कर दी है एक कंट्रोल्ड और दूसरी अनकंट्रोल्ड। यह मिक्स्ड इकानामी का अंग नहीं था, लेकिन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कामोडिटी का पर्सेन्ट तय किया, इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिला है। अभी विश्नोई जी ने कहा, इस देश में हर चीज मिलती है, मगर भारी दामों में। मैं आंकड़ों में जाकर नहीं कहता हूं, मान्यवर, यह बात सर्व विदित है कि राजस्थान में भूख से कोई नहीं मरा है। मैं यह नहीं मानता, लोग बहुत दिनों तक भूखे रहे। जो फेमिन में रहे लेकिन चीजें उनको मिलती रही, भारी कीमत पर मिलती रहीं। दोष हमारी प्रणाली के अन्दर यह है कि डिस्ट्रिब्यूशन कलेक्टर की निगरानी में हुआ। वे अकाल में फंसे थे, फेमिन वर्क देख रहे थे। उनको फूड डिस्ट्रब्यूशन की जिम्मेदारी सौंप दी, इसलिए कलेक्टर यह नहीं देख सके कि राशन कार्ड कितने बने हैं, अनाज अमुक दुकान पर पहुंचा है या नहीं, अनाज पीछे से आ रहा है या नहीं। खाद्य मंत्री ने कहा कि आठ हजार फेअर प्राइस शाप थीं, उनको आप सोलह हजार कर दीजिये, 40 हजार कर दीजिये। केवल संख्या बढ़ाने से लाभ नजर नहीं आया क्योंकि जो दुकानें थीं, आठ हजार दुकानों में ऐसी दुकानें नहीं थीं जो सबको चार किलो अनाज दे सके। नम्बर बढ़ाने से फेअर या चीपर प्राइस शाप्स का नम्बर बढ़ाने से खाद्य समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं यह नहीं मानता कि सप्लाई नहीं रही, किसी को लेना है तो वह ब्लेक से ले लेगा। बाजार में मौजूद है। लेकिन अगर सरकार होर्डिंग रोक देती, चाहे किसान के पास हुआ या चाहे बड़े ट्रेडर के पास हुआ तो मैं समझता हूं कि होर्डिंग को रोकने के बाद तुरन्त अनाज निकल कर बाहर आ जाता। लेकिन होर्डर पर सरकार ने अंकुश नहीं लगाया। यह नारा लगाया कि हमने इसको हटा दिया है, तो जैसा केदार जी ने कहा था, उनके गोदाम हैं वह एक जगह न होकर बीस जगह होंगे, तीस जगह होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोड्यूसर को कान्फीडेंस में नहीं लिया। इसके फेल होने का, असफल होने का कारण यही था कि प्रोड्यूसर को कान्फीडेंस में नहीं लिया। यही वजह है कि अनाज जो, आपको सप्लाई करता है, उसने सप्लाई नहीं किया। मेरी मान्यता है, उसने सप्लाई नहीं किया। लेकिन प्रोड्यूसर को कान्फीडेन्स में लेने के

(श्री झाबरमल सूण्डा)
लिए आपको यह करना चाहिए था कि जो जो उसकी आवश्यकतायें थीं, उनको आप भारी कीमत पर देते तो भी वह लेने को तैयार था। लेकिन आपने समय पर नहीं दीं, जैसे बिजली की जरूरत है। मैं, मान्यवर, आपसे यह कहूंगा कि यह 1 लाख 42 हजार टन अनाज सरकार के द्वारा लेने की बात कही, मैं यह कहता हूं सवाई माधोपुर और नीम का थाना में बिजली की कटौती की, बिजली के कनेक्शन में कटौती की, बिजली की कटौती नहीं, लेकिन कुछ लोग अपना पैसा जमा नहीं करा सके, इसलिए सेल्फ कनेक्शन काट दिये, पांच सौ, सात सौ और एक हजार। इसलिए एक सब डिवीजन से जितना अनाज राजस्थान के लिए इकट्ठा हो सकता था उससे सरकार को हाथ धोना पड़ा। बिजली का मामला खाद्य के साथ जुड़ा हुआ है, यह सर्व विदित है। इसके अलावा फर्टीलाइजर नहीं मिलता है। जो मिला है वह मिक्स्ड हैं। मेरा अनुभव है, जो फर्टीलाइजर है और जो बाजरे का बीज दिया है, शंकर बाजरे का, उससे जमीन में एक जहर पैदा हो गया है। इससे जो बाजरा देशी है उसमें भी वही रोग लगने लग गया है, जो संकर बाजरे में लगता है। इसलिए साइन्स का ढंग से प्रयोग नहीं होने की वजह से उसे नुकसान हुआ। इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में कैसे इसमें सुधार हो। आज किसान को बीज के मामले में ठगा, पानी में ठगा, फर्टीलाइजर में ठगा, बिजली सप्लाई में ठगा और उसकी किसी बात की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। आज किसान के पास साधन नहीं हैं कि अपनी बात को आपके पास तक पहुँचा सके। न उसके पास समय है क्योंकि वह चौबीस घण्टे का लेबर है। चौबीस घण्टे का लेबर कोई संगठन नहीं बना सकता इसलिए वह अपनी बात आपके पास तक नहीं पहुंचा सकता। आज मजबूर होकर, जब अनाज नहीं मिल रहा है, किसान के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। यदि किसान हल चलाना बन्द कर दे तो कहर पड़ जायगा। लेकिन आप जानते हैं कि हल चलाना वह बन्द नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसने हल चलाना बन्द कर दिया तो वह खुद ही मरेगा। आप इसलिए इत्मिनान से बैठे हुए हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसका नेशनल इकानामी के ऊपर असर पड़ रहा है तो आज आप सोच रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि आपको फूड प्राब्लम को हल करना है तो अब भी किसान को कान्फीडेन्स में लेना आवश्यक है। उसके साथ कोआपरेट करेंगे तो अनाज के मामले में, मेरे ख्याल में, इस स्टेट में कभी कोई प्राब्लम नहीं होगी। वैसे फेमिन हमेशा से रहता आया है और आयन्दा भी पेश होता रहेगा। लेकिन किसान आपको अपने पास से देगा आपको अन्न सप्लाई करके जिन्दा रख सकेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस सरकार ने जो समाजवादी होने की घोषणा की है, वह थोथी साबित हुई है। इससे लोगों का विश्वास उठ गया है। आज मंत्री हैं या जो लोग समाज के दूसरे पदों के ऊपर आसीन हो गये हैं, जिनसे समाज का निर्णय प्रभावित होता है, आज वह लोग समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, वह सेल्फ के प्रति उत्तरदायी हैं-यह मेरी मान्यता है। इसका समाज पर प्रभाव होता है। आज बड़े बड़े लोगों पर गम्भीर चार्जेज लगाये जाते हैं, इस सदन के प्रांगण पर लगाये जाते हैं, मंत्री पर लगाये जाते हैं उनका आज तक निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए लोगों का विश्वास डगमगा गया है कि यह सरकार

(श्री भाबरमल सूण्डा)

ऐसा निर्णय ले सकती है जिससे चाहे कनिष्ठ हो या वरिष्ठ–उस पर असर डाल कर समाज के माहौल को शुद्ध बनाया जा सकता है। आज इस प्रशासन ने जो किया हैं तो केवल एक बात की है कि हमारी मान्यता को बदल दिया है। आज हमारी मान्यता यह हो गई है कि जिसके पास पैसा है, वह बड़ा है। उस पैसे का जरिया क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सोर्स क्या है, उस पर वह ध्यान नहीं देते हैं। जिस किसी तरह से समाज में पैसा जिसने इकट्ठा कर लिया वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है कम्युनिस्टों की भाषा में सरमाएदार कहते हैं। आपने उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा है, वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है क्योंकि आपने मान्यता बदली। अगर प्रशासन मान्यताओं को उस लेविल पर ले जाएं जब चरित्रवान् व्यक्ति की इज्जत होती थी, अगर लोग सुनना चाहते थे तो उसी से सुनना चाहते थे जिसका चरित्र होता था, विपरीत आचरण के व्यक्ति की बात नहीं सुनते थे। आज स्टाक होल्डर है जिसने पूंजी जमा कर रखी है, वह समाजवाद की बात कर रहा है तो उसकी मान्यता का, उसकी बात का समाज पर कोई असर नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस बात को ईमानदारी से समाज में लागू करना हो तो हमें चरित्र की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और वह जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, मैं सारे अधिकारियों को लपेटना नहीं चाहता, लेकिन जो नुमाइन्दे हैं, उनके खिलाफ कोई बात होती है तो सामने आकर निराकरण करना चाहिए। अगर समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी तो हम नेशनेलिटि पर आ जायेंगे। आज देश का एक व्यापारी पाकिस्तान के साथ व्यापार करके पैसा इकट्ठा करता है, हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा था उस समय वह पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ था, हम उसको सम्मान का प्रतीक मानते हैं। ऐसे आदमी जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है, उनको डी. आइ. आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार करना चाहिये या जेलों में रखना चाहिये। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हम यदि नेशनेलिटि की तरफ ध्यान देंगे, राष्ट्रीय चरित्र की तरफ ध्यान देंगे तो हम ब्लेक की तरफ ध्यान नहीं देंगे।

इस खाद्यान्न के मामले में सबसे बड़ा दोष अगर किसी संगठन का है तो एग्रीकल्चर डाइरेक्टरेट का है। ग्राम सेवक से लेकर डाइरेक्टर तक अपने कर्त्तव्यों में फेल हुए हैं। हमने यह तो जरूर सुना है कि हवाई जहाज से स्प्रे करवाया गया। उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। हमने सुना है कि मैन्यूर दे दिया, बाजरे और गेहूं का बीज दे दिया, लेकिन इस सम्बन्ध में कदम कदम पर स्कैंडल मिलेंगे। समाज को जगह जगह ठगने की बात मिलेगी। मैं चाहता हूं कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर डाइरेक्टोरेट का पुनर्गठन करना पड़ेगा और उन लोगों को बिठाना पड़ेगा जो कृषि के मामले में एक्सपर्ट्स हैं और किसान के प्रति वफादार हैं।

अदर कमोडिटीज के मामले में जैसे सीमेंट, चीनी है इस पर दोहरा सिस्टम कायम किया है। 40% ओपन मार्केट में और 60% चीनी मिल रही है कन्ट्रोल रेट पर। अगर ब्लेक मार्केट खत्म करना है, अगर हम लोगों को एक भाव में चीनी देनी है, हाई प्राइस ही हो, जैसे विकसित देशों में होती है लेकिन जो दूसरी बातें हैं इनसे ब्लेक मार्केट को बढ़ावा मिलता है और जो कमोडिटी कन्ट्रोल रेट पर बिकने को होती है वह दूसरे

(श्री झाबरमल सूण्डा)

तरीके से उसी मार्केट प्राइस पर जाती है । आज जब मैं बस में आ रहा था, तो चोमू के अध्यक्षजी की कान्स्टीट्यूएन्सी के एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले 20-25 दिनों में कम से कम 40 या 45 हजार लिटर घासलेट चोमू चला गया । लेकिन आज भी वहां क्यू लगती है..........

श्री श्रीराम गोटेवाला : चोमू का एग्जाम्पल आपने दिया । उनमें कामन सेन्स कम होता है ।

श्री झाबरमल सूण्डा : ये सारे का सारा व्यवस्था का सवाल है चीनी के लिए भी क्यू लगाओ । चीनी बाजार में से गायब हो गई । हमने डबल सिस्टम कायम कर रखा है । हमें ऐतराज नहीं अगर सारी चीजें कन्ट्रोल रेट पर बिके लेकिन सिस्टम एक कर दें ताकि ब्लैक के लिए ज्यादा गुंजाइश न रहे । जन प्रतिनिधि जितने भी हैं चाहें किसी भी पार्टी के हों, इस सेट अप में मैंने देखा है, वे सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, उनको अपनी बात को मनवाने का कोई रास्ता नहीं है । चाहे विधायक हों, चाहे प्रधान हों शिकायत कर दी और उसके बाद शिकायत कर जांच करने जो जाता है वह उससे कम से कम 6 डिग्री नीचे का आदमी......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रिमंडल में मंत्रियों की भी यही हालत है, शिकायत कर सकते हैं, वहां डिफेक्टो मुख्य मंत्री बैठा हुआ है ।

श्री झाबरमल सूण्डा : चाहे संविधान में परिवर्तन हो जन प्रतिनिधियों को जांच अधिकार होने चाहिएं । अगर जांच के अधिकार नहीं हों तो जो कुछ हो रहा है उसमें शिकायत के बाद उस अधिकारी के ऊपर का व्यक्ति जांच करे । हमने एक बार कहा था कि रिश्वत लेते कोई पकड़ा जाए । तो रिश्वत देकर वह छूट जाए । एक मूंगफली बेचने वाला व्यापारी है । अगर उसके सामने आप बिरला, टाटा को भी गाली देंगे तो वह नाराज होगा क्योंकि वह भी ट्रेडर है, व्यापारी है । इसलिए अगर हम अधिकारी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच भी अधिकारी करता है । रामायण की एक बात मुझे याद है, जब श्री राम ने नदी को पार किया था तो केवट ने उनसे कुछ नहीं लिया । उनसे कहा था कि आप भव सागर से लोगों को पार करते हो मैंने आपको गंगा पार कराई है तो दोनों एक क्लास के हो गए क्योंकि पेशा एक ही था । एक अधिकारी के खिलाफ हम शिकायत करेंगे और उसकी जांच अधिकारी ही करेगा तो कभी भी निर्णय सही नहीं हो सकता इसलिए संगठन को बदलना है कि जन प्रतिनिधि ही अधिकारी के खिलाफ जांच करे, ओपन जांच करे । मैं जानता हूं कि जांच का सिस्टम बदलना पड़ेगा अगर हमें इस प्रशासन को स्वच्छ और सुन्दर बनाना है ।

श्री सभापति : श्री शिवचरण माथुर ।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान की खाद्य समस्या और आवश्यक वस्तुओं के भावों के बढ़ाने के संबंध में कल से सदन में चर्चा हो रही है । इस सदन में मुझ से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने जहां सरकार की नीति की आलोचना की, वहां इस बात को बहुत स्पष्टरूप से कहा कि राजस्थान और देश की खाद्य समस्या में बिगाड़ आया और जो भावों में वृद्धि हुई उसका मूल कारण राष्ट्रीयकरण था । सभापति महोदय, जिसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं मैं माननीय सदस्यों को यह

(श्री शिवचरण माथुर)

निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की नीति केवल दुनियां के समाजवादी देशों में ही नहीं बल्कि दुनियां के अन्य प्रजातान्त्रिक देशों में भी सफल रही है। और जो अगर यह मानते हैं कि यह सिर्फ समाजवादी देशों में ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो यह कहना अपने आप में तथ्यों से परे होने की बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि समाजवादी नीति में विश्वास रखने वाले देशों में जिनमें प्रजातान्त्रिक पद्धति और जहां मिश्रित अर्थ व्यवस्था है वहां राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं होती तो यह कहना गलत होगा। यहां पर हमारे देश में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह पूरे अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। हमारे यहां तो सिर्फ गेहूं का सीमित व्योपार हाथ में लिया था। पूरा राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। मैं तो इसको सबसे बड़ी विडम्बना मानता हूं। दरअसल में हम इसे राष्ट्रीयकरण नहीं कह सकते। राष्ट्रीयकरण में तो ऐसा होता है कि सारा का सारा व्यापार सरकार के हाथ होता और जो भी पैदावार होती उसे सरकार खरीद लेती। बाजार में जितना भी सरप्लस अनाज आता है उसको सस्ते भाव से या निर्धारित मूल्यों के अनुसार खरीद लिया जाता ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा मिलता और उपभोक्ताओं को भी आराम से अनाज मिल पाता। लेकिन हमारे यहां तो जो भी हुआ वह हाफ हार्टेड ली सिर्फ गेहूं का राष्ट्रीयकरण ही किया गया।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने चुनावों में यह मेनडेट रखा कि हम समाजवादी अर्थ व्यवस्था से देश को आगे बढा सकते हैं। तो इसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारे भारतवर्ष में पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस का राज्य चला आ रहा है, लेकिन विशेषतौर से सन् 1969 के बाद में, जबकि हमारी प्रधान मन्त्री ने जनता के सामने एक क्लीयर कट प्रोग्राम समाजवादी नीतियों के अनुसार रखा, जनता के सामने एक क्लीयर कट वरडिक्ट दिया तो हमें पिछले चुनावों, जो सन् 1971 में हुए थे, उसमें काफी भारी संख्या में जनता ने हमें चुनकर भेजा। इसका कारण हमारे कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में दी हुई हमारी समाजवादी नीति थी, जिसमें राष्ट्रीयकरण की नीति को मूलभूत नीति मानकर बनाया गया था। उसमें हमने यह कहा था कि हम आवश्यक वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण करेंगे उसका नतीजा यह हुआ जनता ने समाजवादी सिद्धान्त को अच्छा मानकर समाजवादी नीतियों से देश को आगे बढ़ाने में समर्थ माना। सभापति महोदय, हमने जनता के सामने एक पोजेटिव प्रोग्राम दिया और जनता ने उसको मानकर उसमें विश्वास करके हमें बहुत भारी बहुमत दिया, और जब जनता ने हमें बहुमत दिया इसका मतलब है कि उन्होंने हमें बहुमत दिया वरडिक्ट दे दिया कि आप समाजवादी नीतियों से देश को आगे बढ़ायें। तो हमें राष्ट्रीयकरण की नीति को, समाजवाद के सिद्धान्त को हमें मूलत: मानना पड़ेगा हमें उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि समाजवाद के सिद्धान्त पर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो मैं उन्हे यह कहना चाहूंगा कि जनता को हमने एक पोजेटिव प्रोग्राम दिया और जनता ने कांग्रेस की

(श्री शिवचरण माथुर)

समाजवादी नीतियों को अपनाकर हमें बहुमत दिया। तो उस वरडिक्ट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमने समाजवाद के नाम पर जनता से वोट मांगे और जनता ने हमें भारी बहुमत से जिताया। सभापति महोदय, कांग्रेस को हमेशा विधान सभा में मेजोरिटी मिली है लेकिन मैं समझता हूं कि इतना भारी बहुमत कांग्रेस को कभी नहीं मिला। हमारी विधान सभा में 184 सदस्यों में से कांग्रेस को 147 सीटें मिलीं। यह कांग्रेस की घोषित समाजवादी नीतियों का कारण है। इसलिये मैं अपनी बात कहने से पहले यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद में राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाना जरूरी होता है। हमारे यहां पर समाजवादी नीति होने के बावजूद भी पूरी तरह से अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं करने का बड़ा कारण यह था कि प्रदेश में अकाल की स्थिति थी तो हमने सोचा कि पहले प्रयोग के तौर पर सिर्फ गेहूं का ही व्यापार हाथ में लिया जाय। चूंकि हमारे देश के खाद्य मंत्री और हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री ने यह कहा था कि रबी की फसल गेहूं की बहुत ही अच्छी होने वाली है और हमारे यहां प्रदेश में ऐसा अन्दाजा लगाया गया था कि रबी की फसल से करीब 17.50 लाख टन गेहूं की पैदावार हो जायेगी यानि करीब 18 लाख टन गेहूं पैदा हो जायेगा और पूरे देश में करीब चार करोड़ टन गेहूं हो जायेगा। उसके प्रोक्योरमेन्ट के लिये हमें वन सिक्स्थ आफ दी प्रोडक्ट प्रोक्योर करनी थी तो हमारे प्रदेश में इस हिसाब से करीब तीन लाख टन गेहूं और पूरे देश में करीब 80 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेन्ट करने का टारजेट था। जहां तक सवाल राष्ट्रीयकरण नीति का है वह तो हमने घोषित कर दी और उसके अनुसार हमने गेहूं का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया लेकिन मैं समझता हूं कि उन नीतियों का अच्छी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो सका। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि आज जो गांवों में ट्रेडर्स बैठे हैं वे लोग किसानों को काफी ज्यादा सहूलियतें देते हैं जिसके कारण हमें हमारी नीति, मैं समझता नहीं मिल सकी थी। हमें पुराने ट्रेडर्स, जो कि हजारों साल से यह धन्धा करते आ रहे थे, उन्हें हटाना था इसलिए हमें काश्तकारों को काफी सहूलियतें देने की जरूरत थी। आज काश्तकार को सरकार समय पर बीज नहीं देती, उसे खाद्य नहीं देती तो काश्तकार क्या करेगा। इसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि आज हमारी गेहूं की राष्ट्रीयकरण की नीति पूरी तरह सफलता नहीं प्राप्त होने का कारण हमारी फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया व वेअर हाउसिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया की, जो मशीनरी है, उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया। आपको किसानों को समय पर तकावी देनी चाहिये थी ताकि काश्तकार आपका साथ देता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि काश्तकारों ने, जनता ने काफी हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे ही क्षेत्र में एक तहसील को सरप्लस एरिया घोषित किया गया। सभापति महोदय, मैं मेरा प्रेक्टिकल अनुभव बताता हूं कि हमने प्रोक्योरमेन्ट के लिये उस तहसील के गांव गांव में घूमे और काश्तकारों से प्रोक्योरमेन्ट के बारे में बातचीत की तो उन्होंने चर्चा के दौरान यह कहा कि कांग्रेस की अनाज की, जो राष्ट्रीयकरण की नीति है, वह गलत नहीं है क्योंकि हमें जितना पैसों का फायदा अनाज के मूल्यों में मिला है वह पहले कभी भी हमको नहीं मिला था। 76) रुपये का

(श्री शिवचरण माथुर)
भाव व्यापारी ने कभी नहीं दिया। 40) 50) 60) 65) से अधिक नहीं दिया। किन्तु अब 67 का भाव दिलाया। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमें मौके पर पैसा दे दें और उसके लिये हमको इधर उधर भागना नहीं पड़े। जो अनाज दें उसके बदले उत्पादन करने वाली जो चीजें हैं, जैसे सीमेंट है, खाद है, वह हमें उपलब्ध करा दें यही हम चाहते हैं।

मैं आप से कहना चाहता हूं। मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है। एक एक गांव में जाकर के हमने ऐसे ऐसे किसानों से अनाज लाने की कोशिश की, जिनके पास दस क्विन्टल भी अनाज नहीं है। हमने उनको कहा कि सरकार की अच्छी नीति है और जो कुछ भी वे इसमें योगदान हो सके वह देने की कृपा करें। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक किसान के पास पांच छः क्विन्टल होते हुए भी किसी ने आधा क्विन्टल, किसी ने एक क्विन्टल अनाज देने की कोशिश की और जो सरकार के टारगेट थे उनको उन छोटे किसानों ने पूरा करने की कोशिश की। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनके पास 500, 500 क्विन्टल अनाज था, किसी के पास दो सौ क्विन्टल था, किसी के पास तीन सौ क्विन्टल अनाज था उनको काफी कहने के बावजूद भी उन्होंने टारगेट पूरा करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी टारगेट एचीव हुआ वह बड़े किसानों की बजाय छोटे किसानों द्वारा, जिनके पास चोरी 2 होल्डिंग्स होते हुए भी उसको पूरा करने की कोशिश की।

(4.42 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, उन छोटे किसानों की ओर यह योगदान किया गया। जब छोटी 2 होल्डिंग वाले किसान 1 लाख 42 हजार टन गेहूं दे सकते हैं, जिनके पास स्वयं के पास प्रोड्यूस बहुमत कम परसेन्टेज थी, लेकिन बड़े किसानों से सही रूप में वसूल करने की बात होती और अच्छी मशीनरी इसके लिए अपोइन्ट की जाती तो निश्चित रूप से, जो भी टारगेट फिक्स अप किये गये, उनको पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जो कुछ भी टारगेट में दिया वह केवल छोटे किसानों ने ही दिया। बड़े किसानों से अनाज को मोहैया करने की कोशिश नहीं की गयी। छोटे किसानों की होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपनी प्रोड्यूस को बाजार में लाते हैं, उनके लिये यह जरूरी हो जाता है, इसलिये भी वे ले आये लेकिन बड़े किसानों की होल्डिंग कपेसिटी होती है और वे यह जानते हैं कि यदि उन्होंने अपनी प्रोड्यूस को होल्ड करके रखी तो सरकार निश्चितरूप से कीमतें बढ़ायेंगी। सरकार ने जो टारगेट डेट्स रखीं उसके बाद 15 अगस्त होगयी जो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई जिसके अन्दर सरकार ने यह माना कि भाव बढ़ने के कारण यह है कि सरकार ने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और इसीलिये सरकार ने उनको हटाने की कोशिश की। 10 सितम्बर को कांग्रेस की रैली में रामलीला मैदान में सरकार ने यह ऐलान किया और कहा कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट रेस्ट्रिक्शन है उनको तीन दिन के अन्दर हटा लेंगे। हमारी कमेटी गंगानगर से आरही थी। गंगानगर में पहली चौकी आती है वहां रुके तो चौकी वाले से पूछा कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट के लिये आर्डर आया हो तो हमें बताइये। उसने कागज बताया। उस कागज में लिखा हुआ नोटिफिकेशन नम्बर

(श्री शिवचरण माथुर)

सच एन्ड सच, इज हीयर बाइ" सेक्रेटेरियेट के आर्डर तार करके भेजे हुए थे। ज्यों की त्यों तार की कापी उस नाकेदार के पास में थी जो कि अंग्रेजी नहीं समझता है और जिसको यह भी ज्ञान नहीं था कि पहले का नोटिफिकेशन क्या था। हमने उससे पूछा इसका क्या मतलब समझे ? तो उसने कहा कि मैं नहीं समझता। यहां के अधिकारियों ने, जिनका हुकम मैं मानता हूं, उन्होंने कहा है कि अनाज को आने मत दो। किसान आया भी तो किसान को एक क्विन्टल की सीमा से बाहर जाने की इजाजत दे दी। उसने कहा कि किसको किसान कहें और किसको नोनकिसान कहें। सब को रोक देते हैं। इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाये उसके बाद की हकीकत बताना चाहता हूं। सेक्रेटेरियेट का तार आया और ज्यों का त्यों भेज दिया। यहां पर पूछा तो कहा की मेरे पास यह तार था। गंगानगर कलेक्टर के पास नहीं था। मैंने कापी करके भेजी। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी काम अपने हाथ में लेती कम से कम उसके लिए इम्प्लीमेन्टेशन की मशीनरी अच्छी होनी चाहिये और यदि इम्प्लीमेन्टेशन की मशीनरी अच्छी नहीं है, और उसके लिये अच्छी तैयारी नहीं है तो कितनी ही अच्छी नीति हो वह इम्प्लीमेन्ट नही हो सकेगी और वह नीति असफल हो जायेगी।

अभी पी. के. चौधरी साहब कह रहे थे। 5½ लाख या 7 लाख टन के करीब अनाज था। यदि 50 परसेन्ट टारगेट की बात करते तो भी इजीली वह टारगेट पूरा हो सकता था। लेकिन हमने उसकी चिन्ता नहीं की। जिस प्रकार से अनाज आया उसको लेने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े जखीरेबाजों को यह मौका मिला की वह सरकार को अनाज न दें। उनको यह मालूम था कि निश्चितरूप से वे सरकार पर दबाव डाल सकेंगे। छोटे किसानों को नुकशान हुआ। चार महीने के बाद जब हम क्षेत्र में गये तो हमें यह कहने लगे कि आपने ही तो कहा था कि यदि 76 के भाव में गेहूं सरकार को दोगे तो उसके बाद में आपको सीमेन्ट मिलेगा, खाद मिलेगा और उसके लिये कार्ड बांटेंगे। वे बीज हमको नहीं मिले। खाद विभाग ने कहा था कि हमने कार्ड्स छपवाये हैं और उसके आधार पर किसानों को खाद और सीमेन्ट मिलेगा।

आज समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को सहीरूप में काम में लाना चाहते हैं तो केवल प्रशासकीय मशीनरी को दृढ़ करने की कोशिश करें 400। 450 एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर्स और इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये हैं। वे बनने वाले हमारे भाई हैं। वे बहुत बड़ी पूंजीवालों के पुत्र नहीं हैं। लेकिन सरकारी पॉलिसी के प्रति जो एक विश्वास होना चाहिये, एक निष्ठा होनी चाहिये उसको लेकर नहीं भेजे जाते हैं रॉ-हेन्ड्स हैं। वे डिस्ट्रिक्ट में जाकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी शुरू में ही जिस मशीनरी का यह आधार हो तो क्या होगा ? नीतियों में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार ने आज जो नीतियां अपनायी हैं 25 साल सैंकडों साल के बाद भी इतिहास लिखा जावेगा तो इन नीतियों में कोई दोष नहीं मिलेगा। यदि नीतियों के इम्प्लीमेन्टेशन में कोई खराबी रहती है तो दोष नीतियों का न होकर उसके इम्प्लीमेन्टेशन की मशीनरी का है। जनता का पूर्ण विश्वास लेकर आये है। मुझे समझ में नहीं आता कि जनता ने जब इतना बड़ा विश्वास दिया हो तो छोटी

(श्री शिवचरण माथुर)

2 बातों में हम क्यों रुकें और क्यों इन नीतियों की क्रियान्विति में असफल सिद्ध हों ? जब जनता ने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया तो हम यह कोशिश करते कि यह सहीरूप में इम्प्लीमेन्ट हो तो निश्चितरूप से राष्ट्रीयकरण की नीति सफल होती। मैं यह नहीं कहता कि गेहूं का सरकारीकरण बिल्कुल असफल रहा है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हमको जितनी अच्छी सफलता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली और उसके कारण ही जहां चावल के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया तो भारत सरकार यह सोचती है कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया वह सफल नहीं हुआ और यदि गेहूं के सरकारीकरण में सफल होते तो जनता में विश्वास पैदा होता और चावल व्यापार को लेने का हौंसला बढता। इसलिये केन्द्रीय सरकार अलग अलग राज्यों को चावल के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करने के लिए इजाजत देनी पड़ी मैं यह बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण और समाजवाद को सही तौर से सफल बनाना है, जिसको जनता ने स्वीकार किया है, तो उसके लिये आवश्यक भूमिका है उसको पूरा करना होगा केवल नारावाजी करते रहने से जनता का समाजवाद में और राष्ट्रीयकरण में विश्वास टूट जायगा। इन नीतियों को सही रूप में इम्प्लीमेन्ट करना ही इन नीतियों में जनता का विश्वास पैदा करना है और इनको सफल बनाना है।

पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण होता है वह मालूम नहीं पड़ता है उसमें चेतना नष्ट हो जाती है और कोई महसूस नहीं करता है। अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब बनता रहता है। समाजवाद इस बात की गारन्टी है कि किसी का शोषण न हो। किसी का शोषण नहीं होने दिया जायगा। जो उचित मेहनत करता है उसको पूरा मौका दिया जावेगा और दूसरे व्यक्ति को उसका शोषण नहीं करने दिया जावेगा। यह समाजवाद की मूल गारन्टी है और इसको क्रियान्वित करना है। यदि इस गारन्टी को पूरा नहीं किया तो मैं निश्चितरूप से कहता हूं कि जनता का समाजवाद के प्रति विश्वास उठ जायगा। इसलिए इस मूल बात को समझ कर दृढ कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित बात है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जनता का सहयोग हमें प्राप्त है।

मैं थोड़ी अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे यहां छोटे छोटे किसान ने सरकार को अनाज दिया। पर उसको बदले में कुछ नहीं मिला। न खाद मिला, न बीज मिला। इस साल फसल अच्छी थी, पर वर्षा अधिक होने से सब गल गई। रुपये में चौदह आना फसल नष्ट हो गई। 67 दिनों तक लगातार सूर्य के दर्शन नहीं हुए। इतनी वर्षा हुई। अभी भी खेतों में पानी भरा है।

दूसरी फसल अच्छी हो सकती है। पर इस अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किसान को आवश्यक सभी साधन देने होंगे। उनके लिए खाद का और बीज का प्रबन्ध करें और भी जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था करिये। किसान को आपकी समाजवादी नीतियों में विश्वास है। किसान आपकी रीढ की हड्डी है। किसान और मजदूर आपके मजबूत स्तम्भ हैं। वे आपके आह्वान पर बड़े से बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं। सरकार गहराई से इस पर विचार करे। बहुत सावधानी से जनता के

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रतिनिधियों से मिल बैठकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

प्रधानमन्त्री कहती हैं कि जगह जगह सजगता समितियों का निर्माण हो। पर अभी हमने केवल नाम के लिए विलेज स्तर पर खाद्य परामर्श समितियां बना दी है। उनमें पूरा जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। जनता के सही प्रतिनिधि, जो पंचायत समितियों, जिला परिषदों व पंचायतों में बैठते हैं और भी जिनकी गांवों में जनता के बीच साख है, उन सबको सम्मिलित करके उनको अधिकार दीजिए। केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे पर अगर सरकार रही तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम अपनी नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। न अभी तक कर पाये है, न आगे भी कर पावेंगे। वे ही कठिनाइयां होंगी, जो आज तक होती रही हैं। जनता के प्रतिनिधियों के अलावा भी जिनकी गांवों में साख है, रेस्पेक्ट है, उनको साथ लेकर आप अपनी समाजवाद की नीति को आगे बढ़ाइये। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सबको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों की समाजवाद में निष्ठा बढेगी और समाजवाद की दिशा में हमारे कदम आगे ही बढ़ते जावेंगे।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल छंगाणी। (अनुपस्थित)

श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : सभापति महोदय, आज जनता पीड़ित है और भूखी है। दोनों पक्ष वाले इस बात से चिन्तित हैं। सोच रहे हैं कि जनता के इस दुख का निवारण कैसे किया जाय ? मैं यह कहूंगा कि हमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि इस दुख का मूल कारण क्या है ?

जनता के दुख और भूख को दूर करने के लिये राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। खाद्यान्न का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें पहले गेहूं को लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि प्रतिक्रियावादी पार्टियां और अन्य न्यस्त स्वार्थ वाले व्यक्ति इस राष्ट्रीयकरण की हमारी पालिसी को फेल करने में मैदान में उतर पड़े। जब तक हमारी मशीनरी चले, उससे पहले ही अपनी जीपें आदि आवागमन के साधन दौड़ाये। किसानों को भयभीत किया। कहा गया कि अगर तुम अपना अनाज बाहर ले जाओगे तो सरकार छीन लेगी। इस तरह का प्रचार किया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फिर तुम्हारी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया ? भ्रष्टाचार का पैसा कुछ पेट में ज्यादा पड़ गया था इसलिये सुस्त पड़े रहे। आप चुस्त नहीं रहे। सत्ता के सारे साधन सारी सरकारी मशीनरी आपकी पीठ पर थी, आपके पास भी साधन कम नहीं थे, फिर पीछे कैसे रहे ?

श्री किशन मोटवानी : हमारी जनसंघ पार्टी ने और स्वतन्त्र पार्टी वाले लोगों ने क्या किया कि लोगों को भ्रान्ति में डाला, भयभीत किया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने निर्भय क्यों नहीं किया ? आपके पास तो बहुत ज्यादा कार्यकर्त्ताओं और साधनों के अम्बार थे ? आपका असर क्यों नहीं पड़ा किसानों पर ?

श्री किशन मोटवानी : पैसे वाले व्यापारी सामने आये। पैसा दिया किसानों को कहा कि अनाज का पैसा तो हमसे लो, और उसे आपके नाम से अपने खलिहानों में रखे रहो। किसान बेचारा भोला भाला। पैसा पा लिया और वह अनाज उन व्यापारियों की तरफ से अपने पास रख लिया।

(श्री किशन मोटवानी)

तो इस तरह से अनाज बाहर नहीं आया तो जनता दुखी हुई। जनसंघ पार्टी ने आज भी झूठा ढकोसला यह किया कि किसान को बहकाया और अनाज नहीं देने के लिये उकसाया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकार तो आपकी है। सारी मशीनरी आपके पास है। कानून आपके पास है। आपने उससे काम क्यों नहीं लिया। आपके पैर कच्चे थे। ऊपर से समाजवादी और कम्युनिस्ट लगते हो, पर अंदर से पूरे सामन्ती हो। व्यापारियों से तो आपकी सांठ गांठ थी। आप कानून से कैसे काम लेते। अन्दर से व्यापारियों से आप मिले हुए थे। पैसा चाहिये था आपको चुनाव लड़ने के लिये और अपने ऐश के लिये।

श्री किशन मोटवानी : आप बोल चुके मुझे बोलने दें आप। शान्ति से सुनें आप मुझे। बीच में व्यवधान न डालें।

तो मैं कह रहा था जनता उत्पीड़ित है। यह ढकोसला उनका नया नहीं है, पुराना है। कल जब जनसंघ के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो डेमोक्रेसी में बड़ी आस्था की बात कर रहे थे। डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की गरिमा को बढ़ाने की बात कह रहे थे। पर कल ही उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की वकालत की जिसने अध्यक्ष के आसन पर चांटा मारा। तो ऐसे लोगों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। वह झूठा ढकोसला करते हैं। झूठ बात कहते हैं। जनता को भुलावे में डालने के लिए ऐसा नारा लगा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां योजनाबद्ध तरीके से हमारी समाजवाद की पालिसी को फेल करने के लिये चले। उनके साथ तीसरा वर्ग भी था। उसने भी अपनी भूमिका निभाई उसने भी कुछ हमारी पालिसी में कोई आस्था नहीं रखी। प्राक्योरमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन की हमारी योजना को सभी ने, इन लोगों ने, मिलकर फेल किया। उन्होंने साथ दिया प्रतिक्रियावादियों का और फलस्वरूप आज हम चिन्ताजनक स्थिति में फंस गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकारी मशीनरी जनसंघ की है या आपकी या आपके शोहर कांग्रेस की है ? आपने अपनी मशीनरी को गीयर अप क्यों नहीं किया ? आपके साथी स्वयं आपके प्रति ईमानदार नहीं थे। इससे तो साफ झलकता है। दाल में कुछ काला है। जनता ने तो आपको पूरे बहुमत से चुनकर भेजा था। फिर क्या कमी थी आपको ? अपनी असफलता की खीझ दूसरी पार्टियों पर दोषारोपण लगाकर निकालना चाहते हो। अपने निकम्मेपन का अपने भ्रष्टाचार का, अपनी पैसे के प्रति लोलुपता का दोष दूसरों पर डालना चाहते हो।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय दो घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मंशा है कि सदन का समय दो घन्टे के लिए बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घन्टे के लिये बढ़ाया गया।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी व्यवस्था में यह निश्चित है कि जनसंघ और प्रतिक्रियावादी ताकतें जरूर सक्सेस हुई हैं और इन्स्ट्रूमेंट बनी हैं। हमारी इस पालिसी को फेल करने में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो आपकी निष्क्रियता और सेठों से पैसे ऐंठने के लालच में हुआ है। अपने अंदरूनी भ्रष्टाचार और निष्क्रियता का दोष दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हो ?

श्री किशन मोटवानी : मैं कहता हूं कि जनता गिन गिन कर इसका बदला आपसे लेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जनता ने तो भारी बहुमत में आपको काम करने के लिए भेजा है। काम करने का पूरा मौका और निश्चिन्तता आपको दी थी जनता ने तो। पर आप फेल हुए हैं अपने काले कारनामों के कारण। अपने स्वयं के भ्रष्टाचार के कारण। आप स्वयं ईमानदार नहीं थे, अपनी पालिसी के प्रति आप स्वयं निष्ठावान नहीं थे। आप तो हराम का खाना चाहते थे इन सेठों के साथ और नौकरशाही के साथ मिलकर और आपने इन दोनों के मार्फत इस गरीब जनता को स्वयं ने दोनों हाथों से लूटा खसोटा है, खाया है। सरकारी मशीनरी को भी आप काम में लेने से शर्माते थे। जनता तो आपको समझेगी समय आने पर। जनता को आप इस तरह से भुलावे में नहीं डाल सकते। जनता सावधान है। बारीकी से आपके कारनामों को देख रही है। जनता के सामने आपके काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया है।

श्री किशन मोटवानी : तो इस सारी व्यवस्था में जब हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो एक प्रश्न आता है डिस्ट्रिब्यूशन का। अगर यह व्यवस्था सुन्दर और सही हो तो हम जितनी भी विरोधी पार्टियाँ है उनको नाकामयाब कर सकते हैं उन्हें अपने गलत मनसूबों को पूरा करने में। तो हम उस चीज को ओवर पावर कर सकते है आज हमारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जो है, वह पुराने ढांचे पर चला आ रहा है। 68 में जब शुरू किया गया था तभी से राशन कार्ड चले आ रहे है, तभी की दुकाने चली आ रही है। कोई नियमित रूप से डिस्ट्रिब्यूशन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को हम 4-5 ढंग से सुदृढ़ बनायेंगे तो जो जनता की आज दिक्कतें है, उनका पूर्णतया हल कर सकेंगे।

सबसे पहले कई बार अवाज उठी कि बोगस कार्डस है, इनको इलेमिनेट किया जाय। मेरे ख्याल से 10 महीने से ज्यादा हो गये। मंत्री महोदय ने यह जरूर कहा था कि अभी अकाल राहत कार्यों की व्यवस्था में लगे हुये है इसलिये इसको ले नहीं सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं वह बिलकुल सेपेरेट बॉडी है, सप्लाई डिपार्टमेंट अलग है उसका राहत कार्यों से कोई सरोकार नही है। मैं आज पूछना चाहता हूं राहत कार्य बन्द हुये अर्सा हो गया। मैं अजमेर का ही एग्जाम्पिल देता हूं-दो महीने से मीटिंग नहीं हुई और न कोई कार्य चलाने की बात हुई। क्यों नहीं वहां कार्यवाही शुरू की गई। दो बातो में पूरा किया गया और कहा गया इसमें भी टाईम लगेगा। मैं कहता हूं इसको वार फुटिंग पर नहीं लेंगे तब तक नुकसान उठाते जायेंगे। अजमेर में मेरे ख्याल से 30 पर्सेन्ट बोगस कार्डस है, अगर इनको इलेमिनेट किया जाय तो आपकी व्यवस्था ठीक हो जायगी। कलक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था लेकिन केवल यहां पर मीटिंग करके तय कर दिया कि अकाल राहत कार्य में लगे हुये है इसलिये अभी नहीं कर सकते है।

मैं और निवेदन करूं कि जो मैंने ब्यूरोक्रेटिक क्लास पर एक आक्षेप लगाया है, मैं प्रमाण सहित आपके सामने पेश कर सकता हूं कि कितना लेक आफ कार्डिनेशन है और लगता तो बड़ा मामूली है लेकिन उसका इम्पेक्ट जनता पर बुरा पड़ता है।

(श्री किसन मोटवानी)

जब अजमेर में 8 किलो से 2 किलो करने की घोषणा की गई तो मंत्री महोदय को एक टेलीग्राम दिया गया। जिस टेलीग्राम के फलस्वरूप मुझे सफलाई विभाग से टेलीग्राम आया कि "Central allocation reduced by 5000 tons. Will enhance on increase again. Gram being allotted." उसके बाद एक पत्र असिसटेन्ट कमिश्नर, फूड का दस्तखत किये हुआ उसी संदर्भ में मुझे मिला। मुझे प्रसन्नता हुई। वहां के लोगों को बताया। वे लोग खुश हुये कि कोई इमदाद मिली। 10–12 दिन वेट किया, उसके बाद कलक्टर साहब से मिले। जब उनको टेलीग्राम बताया, लेटर बताया तो उन्होंने बताया इस संदर्भ में न कोई लेटर उनके पास आया और न कोई टेलीग्राम ही आया और न कोई अलोकेशन ही आया। मेरे कहने का मतलब है इस किस्म की चीज को लेक आप कोर्डिनेशन ही कहना चाहिये और मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूं।

दूसरी एग्जाम्पिल लास्ट मन्थ में 14 तारीख को अखबारों में आया कि अजमेर को 13 हजार बोरी गेहूं का अलोकेशन हुआ था। 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कलक्टर महोदय, जिला प्रशासन उस पर सोया रहा और मन्थ के लास्ट दिनों में हर दुकानदार के पास गये और कहां 100 बोरी आज लीजिय। उन्होंने भागा दौड़ी करके 9 हजार बोरी के पैसे जमा करा दिये और बाकी का लेप्स हो गया। यह अखबारों में 6-7 दिन बाद आया। हमने भी उनसे बात की। उसका कोई स्पष्टीकरण आज तक अखबारों में नहीं आया। कोई कन्ट्राडिक्शन सरकार की तरफ से नहीं आया तो हम क्या माने कि जो अखबार में आया वह सत्य है और जो जिला प्रशासन ...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनिट और लूंगा। जिला प्रशासन ने डेलीबरेटली अपनी निष्क्रियता का एग्जाम्पिल पेश किया। हमने राष्ट्रीयकरण की पालिसी इसीलिये अपनाई कि बिचौलिये दूर हो जाय। जो लाभ बिचौलिये ले जाते हैं वह हट जाय परन्तु हमारी जिला प्रशासन ने एक बिचौलिया और खड़ा कर दिया और उस बिचौलिये के मुत्तलिक हमने डिपार्टमेंट कन्सर्न, चीफ मनिस्टर सबको पत्र लिखे परन्तु आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। कोई उत्तर आज तक नहीं आया। उसमें जिला प्रशासन जरूर कहता है कि उस व्यक्ति ने हमारी मदद की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मक्का उठाई पंजाब से और अजमेर लाया और उसको उसने सरकारी ऐजेन्सी से डिस्ट्रिब्यूशन नहीं की और मनमाने ढंग से बेचा। पालट्री फार्म में दे दी। अजमेर में एक बड़ी पालिट्री फार्म का मालिक है उसने उस सबको कन्जूम कर लिया। यह सब उदाहरण जो मैं दे रहा हूं इसी मकसद से दे रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वह सही ढांचे में आ जाय और इमानदारी से काम करे ताकि जनता को राहत मिले।

उसके बाद जो जिला बन्दी हटाने का नोटिफिकेशन आया उससे दुविधा पूर्ण स्थिति पैदा हो गई। किसान किसी भी भाव बेच सकता है परन्तु रिटेलर एक निर्धारित रेट से बेचेगा उसी संदर्भ में हमारे सामने एक समस्या आई। हमारे यहां रेलवे मजदूरों

(श्री किसन मोटवानी)

की बहुतायत है और जैसा कि उनसे मेन्युअल लेबर लिया जाता है परन्तु उसके बावजूद भी जब उनको चार किलो राशन दिया गया तब भी उस मजदूर ने आपका साथ दिया और कोई ऐजीटेशन नहीं किया। वे एक डेमोक्रेटिक पद्धति में विश्वास रखते हुये जिस किस्म की चीज करनी चाहिये थी वह की और उनकी यूनियन ने एक निर्णय लिया कि हम पैसा लगाकर बाहर जहां सरप्लस है डिस्ट्रिक्ट्स है, अनाज लायेंगे। उनकी एक को-आपरेटिव सोसायटी भी है, वह भी लाने को तैयार है परन्तु जिला प्रशासन ने कहा यह कानून की परिधि में नहीं आता है और हम छूट नहीं दे सकते हैं। उसके विपरित इसी समस्या के समाधान हेतु कलक्टर महोदय ने मेयों कालेज को इस तरह का परमिट दिया क्योंकिवहां बड़े बड़े अफसरान के लड़के पढ़ते है। उन्होंने अन्य डिस्ट्रिक्ट्स से अनाज लाकर अपने लड़कों को बेचा। जैसा कहा फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिये लाये होंगे, उस भाव में जिस भाव में लाये-नो प्राफिट नो लोस बेसिस पर बेचा। उसी तरह बांगड़ सेठ को परमिशन दी गई। इसी तरह की क्या हम रेलवे मजदूरों को परमिशन नहीं दे सकते है और अगर कानून का प्रावधान ऐसा है तो कानून में संशोधन लाइये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वे मजदूरों के लिये ऐसा प्रावधान बनायें जो यूनियन के मार्फत अनाज लाना चाहते हैं वे नो प्राफिट नो लास बेसिस पर ला सके ताकि आम जनता को राहत मिले।

इन्ही शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, जो इनकी इनएक्टिवनेस है और कौल्यूजन की बात है, इन पर कार्यवाही करे। जनसंघ प्रतिक्रियावादियों ने न काम किया है उसका परिणाम तो आने वाले समय में जनता उनको देगी और उसके जो परिणाम होंगे वे अच्छे नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्यान्न के अभाव के बारे में और अन्य आवश्यक वस्तुओं और मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगा।

खाद्यान्न के अभाव और मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में एक आम चर्चा जो आम लोगों में आम तौर पर हुआ करती है वह ऐसी है कि किसी भी वस्तु पर जब सरकार अधिकार जमाती है, सरकार उस वस्तु का नियन्त्रण अपने हाथ में लेती है तो लोगों के अन्दर ऐसी धारणायें उत्पन्न होती है कि वह वस्तु अब न प्राप्य होगी साधारणतया और अगर प्राप्य होगी भी तो ऊँची कीमत पर होगी। वस्तुतः सरकार किसी भी वस्तु को अपने हाथ में लेने से यह इरादा नहीं रखती कि यह साधारण जनता को अप्राप्य हो, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाकर, जो स्वार्थी हैं, जो समाजद्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, मुनाफाखोर हैं और जमाखोर भी हैं, वह लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि सरकार ने कोई भी चीज हाथ में ली उसके बाद वह चीज अप्राप्य हुई। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिये कि यह पालिसी सैद्धांतिक रूप में कोई गलत नहीं है। आज यदि अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि जो भी अनाज आज फेयर प्राईज शाप पर, चाहे

(श्री गोपाल जोशी)

4 किलो मिलता है, 6 किलो मिलता है या 5 किलो मिलता है और जिस रेट पर आज मिलता है, वह नहीं मिलता। आज निश्चित रूप से यह अनाज हमको 80 से 90 पैसे एक किलो के हिसाब से मिलता, वह नहीं मिलता लेकिन उसमें खामियां हैं। इसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार है।

मैं कहता हूं कि पालिसी और सिद्धांत में यह कभी गलत नहीं हो सकता। इसमें मैं समझता हूं कि इम्पलीमेंटेशन हो रहा है वह गलत हो रहा है। हमारे आफिसर्स लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि इसको किस तरह से इम्पलीमेंट किया जाये। जब राष्ट्रीयकरण की बात हुई और जिस रोज से राष्ट्रीयकरण लागू हुआ एक दिन पहले भी हमारे आफिसर्स लोगों को यह मालूम नहीं था कि हमको इसके बारे में क्या करना है। वे लोग मेन्टली तैयार नहीं थे कि हमें इस बारे में क्या करना है, और क्या होगा आगे? इसलिए यह पालिसी काफी हद तक उनके कारण से भी फेल हुई। आफिसर्स लोग जिसमें खास तौर से एन्फोर्समेंट आफिसर्स हैं, इन्सपेक्टर्स हैं 'दे आर आलमोस्ट शोपकीपर्स' कुछ लोग उनमें भ्रष्ट भी हैं, उन लोगों ने इसको ठीक तरह से इम्पलीमेंट नहीं किया और अगर यह पालिसी असफल रही है तो इसका एक कारण यह रहा है।

वैसे जहां तक इम्पलीमेंटेशन का सवाल है राशनिंग किया गया, कार्डस भी बनाये गये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कार्ड्स के आधार पर यदि हम यदि हम देश की जनसंख्या को नापें तो यह चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जायगी। क्योंकि हमारे देश में इतने बोगस कार्ड्स बनते हैं कि यह 80 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते हैं, जो कि चीन की जनसंख्या से भी अधिक है। तो इस प्रकार से आज हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाते हैं। यह मैं समझता हूं कि इम्पलीमेंटेशन ठीक नहीं होने के ही कारण है।

गेहूं का राष्ट्रीयकरण हाथ में लिया। स्टाक भी था, बाजार में बिकता भी था, कुछ भाव कम भी हुए लेकिन लोगों ने देखा कि राष्ट्रीयकरण हो रहा है इसलिए भाव कम हो जायेंगे लेकिन अचानक राष्ट्रीयकरण के दूसरे दिन ही सारा का सारा अनाज गायब हो गया और एक दाना भी कहीं बाजार में किसी होलसेल या छोटे डीलर के स्टाक में नहीं मिला। तो आखिर कहां गया? था तो वहीं लेकिन इस प्रशासन ने एक दाने को भी जब्त नहीं किया। कहीं पर भी छापे नहीं मारे, कहीं भी माल सीज नहीं किया। अगर वह चाहते तो कुछ दिन हफ्ते भर पहले मार्केट का स्टाक ले सकते थे, सब गोदामों का पता लगा सकते थे कि कहां कहां गोदाम हैं, कितने हैं और पांच, सात रोज में कितनी बिक्री हो सकती थी और उसे बढ़ा कर बता सकते थे। यह करते तो शायद एक तारीख से जब राष्ट्रीयकरण किया था उस दिन अनाज मिल जाता लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें प्रशासन की ढील हुई है और उन्होंने कहीं भी माल बरामद नहीं किया। जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि 84 हजार क्वि० सीज किया गया तो यह गवर्नमेंट की मशीनरी ने किया है या जनता ने करवाया है यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे यह मालूम है कि जनता ने सतर्क होकर खुद कई जगह गोदामों में

(श्री गोपाल जोशी)

जाकर कुछ ऐसे माल पकड़वाये हैं, सी०पी० आई० के लोगों ने भी पकड़वाये हैं और दूसरों ने भी पकड़वाये हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट मशीनरी से तो ज्यादा पब्लिक सतर्क है और वह बनाती है लेकिन हमारी यह मशीनरी इसमें असफल रही हैं, यह मानना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जैसा कि आपकी खाद्य टिप्पणी में बताया गया है कि हमारी स्टेट में 1972-73 में करीब 48.9 लाख टन अनाज पैदा हुआ है और जैसा कि खाद्य मन्त्रीजी ने बताया कि करीब 11 लाख टन की हर महीने आवश्यकता है। ऐसा है तो 15 लाख टन हमको साल भर में चाहिये। फिर भी 33.9 लाख टन बचा हुआ रहता है। अब यह बचा हुआ खाद्यान्न है यह न तो सरकार ही अपने हाथ में ले पाई और न ही जनता तक पहुंचा। आखिर यह कहां गया ? किसी न किसी के पास तो रहा ही है। इतना सरप्लस अनाज होते हुए भी हम इसको अपने कब्जे में नहीं कर सके और 3 लाख टन का जो हमने टारगेट रखा था वह भी पूरा नहीं कर सके और जनता को भी नहीं दे सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे इलाके से आता हूं कि जहां गेहूं पैदा नहीं होता याने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से और गेहूं पैदा नहीं होने के कारण से हमें उसकी दिक्कत होती है और शुरू शुरू में जब हमने राष्ट्रीयकरण किया तो हमारे बीकानेर में उसके लिए आन्दोलन भी हुआ क्योंकि उस समय गेहूं हमें बिल्कुल नहीं मिला। आन्दोलन हुआ, गिरफ्तारियां हुई और मुझे मानना पड़ेगा कि हमारे बीकानेर के जिला प्रशासन ने कोशिश करके 8 किलो गेहूं प्रतिमाह देने की व्यवस्था करवाई और दो चार महीने तक यह व्यवस्था रही भी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि अब हालत बहुत विकट हो रही है। इस महीने में दो किलो गेहूं भी शायद नहीं दे पाये, ऐसी हालत हो रही है। यदि दो किलो भी नहीं दे पायें और हमारे यहां गेहूं और दूसरा अनाज इतना सरप्लस है तो किस तरह से शांती बनी रह सकती है, कैसे लोग आन्दोलन नहीं करेंगे, यह कैसे सोचा जा सकता ?

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मन्त्री महोदय ने कहा कि आन्दोलन करने से या घेराव करने से कोई फायदा नहीं। फायदा तो नहीं है लेकिन लोगों को कैसे समझाया जाय कि भूखे भी रहो और आन्दोलन भी मत करो। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि लोग इसमें बहुत आन्दोलित हैं, पीड़ित हैं और उनको राहत मिलनी चाहिए।

जहां तक मूवमेंट का सवाल है आपने मूवमेंट खोला भी है लेकिन गंगानगर जो हमारे पास का इलाका है और अनाज बहुतायत में है वहां से अनाज आज के आर्डर के हिसाब से 2 क्विन्टल प्रति व्यक्ति ला सकता है या 20 क्विन्टल एक कृषक ला सकता है। न तो प्रति व्यक्ति 2 क्वि० लाने की क्षमता रखता है और न ही 20 क्वि० कोई कृषक ही वहां से लाकर बेच सकता है। तो अभी तक वह अभाव की स्थिति बनी हुई है। तो मन्त्री महोदय से मैं य

(श्री गोपाल जोशी)

प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि वहां गेहूं आए या दूसरा अनाज आए और लोगों के अभाव की पूर्ति की जाय। इसमें एक तो यह हो सकता है कि आप चाहे किसान को गेहूं की मात्रा लाने की जो छूट है उसको अधिक कर दें। सौ क्विन्टल कर दी जाय या किसी कॉआपरेटिव के मार्फत खुले मार्केट में खरीद कर फिर हमारे यहां वितरण की व्यवस्था की जाय। या फिर आप कोई दूसरी व्यवस्था उचित समझते हों, वह की जाय ताकि लोगों को अनाज मिल सके। अन्यथा वहां पर लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां पर निश्चित रूप से आन्दोलन करेंगे। आप भले ही कहें कि आन्दोलन

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

करने से कुछ नहीं हो सकता है लेकिन लोग आन्दोलन करके अपनी रंजिश, अपना दुख दर्शाने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं थोड़ा दो मिनिट और लूंगा।

दूध की कमी के बारे में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बीकानेर में दूध वाले बहुतायत में हैं और हमेशा बहुतायत रही है। परन्तु आज कल इन दिनों में दूध की वहां पर कम्पीटिशन हो रही है। एक ट्रेन तो देहली मिल्क सप्लाई की जाती है, इसके अलावा गो सेवा संघ अलग से कर रहे हैं, एक राजस्थान डेयरी फार्मिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्कीम, प्राइवेट तौर पर अलग कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर बड़ा भारी कम्पीटिशन हो रहा है और इस कारण से भावों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लगातार हमारे यहां फैमिन पड़ने से कई गायें मर गई, कई गायें माईग्रेट हो गई, कई ग्राभन नहीं हुई जिससे दूध की कमी आई। दूध की कमी है इसलिए खोया बनाना बन्द कर दें तो क्या इससे अचानक कोई जादू के डन्डे से दूध की बरसात होने लगेगी ? खोया के लिए, जबकि दूसरी स्टेट्स में, दिल्ली और दूसरी जगहों में अब जब कि समय आया है, सर्दी के दिनों में जहां पर भी बैन लगा हुआ है उसको भी हटाने जा रहे हैं ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : रसगुल्लों पर भी फर्क पड़ेगा।

श्री गोपाल जोशी : मैं यही कह रहा हूं, आप इस बात को समझ गए। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा नहीं है इसलिए कहना पड़ा। तो मैं कहना चाह रहा था कि इससे दूध की कमी तो बहुत कुछ दूर होने वाली नहीं है लेकिन जो लोग छोटा मोटा खोये बनाने का धन्धा करते हैं वे लोग अपने रोजगार से वंचित हो जायेंगे। मैं इसलिए आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब दूसरी स्टेटों में दिल्ली जैसी स्टेट में, जहां अभी दूध पर बैन है, वहां पर भी बैन लिफ्ट हो रही है और हम बैन लगाने की सोच रहे हैं, यह उचित नहीं है। हमें उत्पादन बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

हमारे यहां पर आई. सी. डी. है जिसकी ओर थोड़ा ध्यान देने की बात है। हमारे कहां बीकानेर में आई. सी. डी. डिपार्टमेन्ट, इंटेंसिव कैटल डवलपमेंट स्कीम है, जिस पर

(श्री गोपाल जोशी)

आज तक मेरे ख्याल से करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ है, लेकिन कैसा सघन पशु विकास योजना का कार्य हुआ यह पता नहीं चलता । मेरे ख्याल से अधिकतर तो अधिकारियों की तनख्वाह में ही सारा रुपया निकल गया या कुछ खरीद फरोक्त, क्रय–विक्रय कर लिया, या फिर घोटाले कर लिए और उन घोटालों में रुपया निकल गया, पशु विकास के नाम पर सांठगांठ हो गई, कुछ चारा खरीद लिया, कुछ लोग इसमें सस्पेंड भी हुए हैं । लेकिन इस सघन पशु विकास योजना में कितना पशुओं का इम्प्रूवमेंट हुआ, कितने आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन किए और इससे दूध का कितना उत्पादन बढा दिया, यह बात सोचनी पड़ेगी । एक करोड़ रुपया लगा कर भी कुछ नहीं कर पाये तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा । चाहे पशु-पालन का सवाल हो, चाहे चना और अनाज का मामला हो, चाहे दूध का मामला हो, उत्पादन बढ़ाने की ओर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है । इसके इम्प्लीमेन्टेशन की ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है ।

इसी तरह से सीमेन्ट, कोयला आदि के बारे में बातें है ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हो सकता है कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण से और बिजली की कमी के कारण से कमी आई हो और इसीलिए वितरण व्यवस्था में भी कमी हो सकती है । लेकिन जब हम सोचते हैं लगता है हमारे अधिकारीगण इनएफिशियेन्ट और इन्कोम्पीटेन्ट हैं जो हमारी पालिसी को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाते हैं और जमाखोरों, मुनाफाखोरों और दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, वे लोग करप्ट हैं, हमें इनको ठीक करना होगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भावों में कमी आ सकती है और अभाव की भी पूर्ति हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत ।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्यान्न के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में और मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि पहले के वक्ताओं ने इस पर बहुत प्रकाश डाला है । मैं इतना ही आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक खाद्यान्नों के उपलब्ध कराने वाले किसानों का सवाल है, ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त जब किताबों में पढते थे तो उनको भोला किसान, गरीब किसान कहा जाता था और जब देश आजाद हुआ तो यह सोचते थे कि शायद यह बात मिटेगी, क्योंकि किसान की तरक्की होगी, किसान अच्छा बनेगा, क्योंकि यह किसानों का देश है, अस्सी प्रतिशत जनता, जो इस देश में निवास करती है और किसानों का यह महादेश भारत है, तो जब तक यह मान्यता कि किसानों की तरक्की नहीं होगी देश की तरक्की नहीं हो सकती । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर पंचवर्षीय योजना में किसान की तरक्की की बात तो की जाती है लेकिन देश की जनता इस बात को जानती है कि किसान की तरक्की नहीं हुई है । जब तक किसान की तरक्की नहीं हो जाती देश का उत्पादन नहीं बढेगा, देश की तरक्की नहीं हो सकती ।

(श्री शंकरसिंह रावत)

जहां तक अनाज की समस्या है, देश के सामने इसका संकट है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अन्न की समस्या हल करना चाहते हैं तो हमें किसान को सहूलियतें भी देनी होंगी। किसान के कुए तक बिजली पहुंचाने की बात है और हर प्लान में यह कहा जाता है कि इतने गांवों में बिजली पहुंचाई जावेगी और किसी गांव में बिजली पहुंचाते हैं तो उस गांव के चालीस पचास कुवों में से चार पांच को बिजली देकर ही गिनती कर लेते हैं कि इतने गांवों में बिजली पहुंचा दी, इतने गांवों को बिजली मिल गई। मैं इस व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। मैं यह निवेदन करूंगा कि कई दफा कटौती के सवाल आते हैं, बजट के अन्दर कटौती की बात आती है लेकिन कटौती होती क्या है ? एक जगह से आदमियों को हटा कर दूसरे जगह बिठा दिया, सरप्लस कर दिया लेकिन इससे होता क्या है। अहमदिया की टोपी महमदिया के माथे और महमदिया की टोपी अहमदिया के माथे। कटौती हुई कहां ? मैं निवेदन करूंगा कि दरअसल अगर किसी प्रोजेक्ट को कट आफ करना है तो पूर्णरूप से कट आफ कर दें। किसानों के बारे में कृषि मन्त्री महोदय को, खासतौर से इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे प्लान हैं जो किसानों के फायदे के हो सकते हैं, किसानों के कुओं पर बिजली ले जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि वे आपको भ्रम में डालते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कई ऐसे विभाग है जैसे वन विभाग, कितने वन कट गये हैं, इसी तरह से परिवार नियोजन को देखें, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पंचायत समितियों में कम्पीटिशन के आधार पर ऐसे आपरेशन हुए हैं जिनके पहले से ही बच्चे नहीं होते थे उनके भी आपरेशन किये गये क्योंकि गिनती में तो गिन लेंगे, आपरेशन करा लो। क्या फायदा होगा इससे ? पंचायत समिति के प्रधान के पद पर मैं भी कई वर्षों तक रहा हूं और कम्पीटिशन की वजह से ये सब होते रहे हैं। इसलिये जो भी योजना को कटआफ करना हो, दस में से पांच ही रखें लेकिन पूरी तरह से कटआफ करें तो आपकी कटौती हो सकती है। होता क्या है कि जो बातें पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गई वही बातें आज भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलती है और आगे भी पचास पंचवर्षीय योजनाओं में भी यही बातें चलती रहेंगी तो भी हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि पहले भी हमारे स्वर्गीय पं० जवाहरलालजी, जो प्रधान मंत्री थे उन्होंने साफ कहा था कि विकास की दृष्टि से खाद और रसायनिक दवाओं से ही जब तक पूरा उत्पादन नहीं बढ़ेगी हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय कम से कम इस बात को सोचें और ठोस योजनायें बनायें। आज पंचायत समितियों के पास क्या काम है। अगर तकावी दिलाने की बात भी होती है तो वह कहता है कि हमारी ड्यूटी नहीं है। आज पशुपालन के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति है इस विभाग में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि घोड़ी के कितने थन होते हैं। कोई दो और कोई चार बताता है। तो उनको किताबी ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान नहीं। है इसलिये वे किसानों की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। यही किसान देश को अन्न का उत्पादन कर देता है। अकाल की समस्या सरकार के सामने बड़ी भारी थी। मैं इसके

(श्री शंकरसिंह रावत)

लिए सरकार को जरूर बधाई देना चाहूंगा कि अकाल में उनने अच्छी व्यवस्था की है। परन्तु हमारी, जो मशीनरी है, जो व्यवस्था है, उसमें दोष है। परन्तु हम प्रशासन पर काबू नहीं कर पाए हैं। जो काम हम कराना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। जिन चीजों को आप पकड़ना चाहते हैं उनके लिए आप पहले से ऐलान कर देते हैं जिससे वे काबू में नहीं आ पाती हैं। एक प्रकार से चेतावनी दे दी जाती है। इसलिए जो प्रशासन की व्यवस्था में कमी है, उनके दोषों को निकाल कर हमें काम करना चाहिए। परन्तु हम स्वयं अन्धे होकर इस प्रशासन से काम ले रहे हैं और यह प्रशासन सरकार को पीछे की ओर ले जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खाद की समस्या का सवाल है यदि आज ही इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो आगे जाकर यह बड़ी समस्या हो जाएगी। यह ठीक है कि इस वर्ष रबी की फसल ठीक होगी। यह सब कह रहे हैं। परन्तु अभी से प्रोग्राम बना कर चलने से सब इसकी सराहना करेंगे। व्यापारी प्रशासन को सहयोग नहीं दे रहे हैं। कर्मचारी हड़ताल कर रहा है परन्तु किसान किसको कहें? उसके कुए पर बिजली खराब हो जाए तो यही कर्मचारी उससे दस, पन्द्रह रुपया ऐंठ लेता है। इसलिए इस पर सरकार को सोचना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। अन्नदाता को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम भी उसके साथ साथ कमजोर होंगे। इसलिये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कमी को दूर करना चाहिए। खाद समस्या के हल के लिए कोआॅपरेटिव्ज का सहयोग लिया जाना चाहिए था। खाद्य मंत्री जी या सहकारिता मंत्री जी आंकड़े देकर यहां पर बतावें कि कितनी सहकारी समितियों को इस व्यवस्था में, इस काम में लगाया गया। हमको इसके लिए एक ठोस नीति बनाना चाहिए। कोआॅपरेटिव्ज सोसाइटी के माध्यम से हमको इस काम को करना चाहिए। आज इन्डीविजुअली लोगों को यह धन्धा दिया जा रहा है। वह चाहे उसको बेच देता है। जन प्रतिनिधि उसको क्या कह सकता है? जन प्रतिनिधि जाकर यही कह सकता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं, अजमेर का डी. सी. ओ. है जो भ्रष्टाचारी है। उसने पैसा काफी कमा लिया है इन दिनों में। एक तरह से खून और मांस उनके मुंह पर लग गया है। उनका उद्देश्य पैसा बनाना है। इसमें जन प्रतिनिधि क्या करेगा? आज ये कर्मचारी ऐसा अनाज खरीद कर ला रहे हैं जिनको कि जानवर तक नहीं खा सकते हैं। ऐसा अनाज वितरित किया गया है जिसमें कि धतूरा मिला हुआ है। जो कि आदमियों के खाने के लायक नहीं है। अकाल में मजदूरों को, किसानों को जो कुछ मिला उससे उन्होंने गुजारा किया और वे अकाल से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी से हमें आगे के लिए सोचना है। आज किसानों के कुओं में पानी भरा है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सरकार ने सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जमीन का अलाटमेन्ट शीघ्र किया जाना चाहिए। परन्तु कुओं पर बिजली जाने वाली नहीं है। तीन हजार रुपया देने की बात और कर दी है और तभी कुओं पर बिजली जाएगी। आज किसानों के पास

Page No. 115

(श्री शंकरसिंह रावत)

पैसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि अगर सरकार को खाद्य की समस्या को हल करना है तो इसके लिए उसे गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोपों से काम नहीं चलने वाला है। हम जांच में पड़ेंगे तो प्रशासन क्या करेगा ? अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाता है तो उसको हटा देना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके नाम को बदल दीजिए। अधिकारी—आज अधिकारी आधा कार्य करने वाला रह गया है। पूरा कार्य तो वह करना जानता ही नहीं है। जो क्लर्क लोग हैं, वे हर कार्य में कलर लगा देते हैं। इसलिए किसानों की जो समस्या है वह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। जनता में सभी दल समाहित हैं और सभी दल किसानों के कल्याण के लिए सोचते हैं और इसलिए सभी दलों का खाद्य की समस्या के बारे में सोचने का उत्तरदायित्व है। सबको मिल कर सोचना चाहिए। अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के बारे में उसको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह अवश्य है कि हमारे प्रांत और देश में दैनिक वस्तुओं का अभाव है। यह अभाव देशव्यापी है जैसा कि, खाद्य मंत्री जी ने यहां पर बताया है और मैं भी इससे सहमत हूं परन्तु देशव्यापी समस्या केवल गल्ले के मामले में है। परन्तु जो दूसरी चीजें हैं वे सरकार की गलत नीतियों के कारण हैं और एक प्रकार से इनका बनावटी अभाव है। इसका दूसरा कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था है जिससे प्रायः इन चीजों का, वस्तुओं का अभाव हमारे सामने मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी चीज को सुलभ कराने के लिए सब से पहले उत्पादन की आवश्यकता है। इसलिए उत्पादन की व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। फिर जो लोग गलत काम करने वाले हैं, जैसे जमाखोर वे भी इन वस्तुओं के अभाव में सहयोगी हैं। परन्तु जब तक उत्पादन नहीं करेंगे तब तक अभाव तो बना ही रहेगा। सब से अधिक कमी गल्ले की है और इससे अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। पिछले 25 वर्षों में हमने गल्ले के उत्पादन में क्या किया ? नमक, मिर्ची से लेकर हर जरूरत की चीज के लिए आज दरवाजे पर भटकना पड़ता है। खेती करने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है। खाद नहीं है, सीमेन्ट नहीं है, बिजली नहीं है। कोई कुआ बनाना चाहें तो उसके लिए आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं है। आज आप किसानों को क्या दे रहे हैं। उत्पादन के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं? एक तरह से आज उपभोक्ताओं को जो चीजे वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं उसमें उसको दस गुणी कीमतें अधिक देनी पड़ रही हैं। इन वस्तुओं का महंगा होने का मुख्य कारण आपकी वितरण व्यवस्था है। वितरण व्यवस्था में, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार सुधार नहीं करेगी, भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेगी सुधार नहीं होगा। इसको जो कागजी कार्यवाही है उसको कम किया जाना चाहिए। जिस समय आपने गल्ले

(श्री मीठालाल)

का राष्ट्रीयकरण किया हमने विरोध किया था, कहा था जल्दबाजी में न करिए। उस समय हमको प्रतिक्रियावादी कहा गया। हमने यही कहा था कि आप इसमें जल्दबाजी न करें। हम भी यह मानते हैं कि यह अच्छी चीज है। कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के अन्दर में हैं परन्तु गल्ले के राष्ट्रीयकरण में सरकार ने जल्दबाजी की है। आप यह चाहते थे गेहूं का राष्ट्रीयकरण करके आप जनता को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध करावें, इस उद्देश्य में यह सरकार सरासर फेल हुई है। प्रत्येक राज्य में सभी स्थानों पर समुचित व्यवस्था कायम करना, गेहूं की जमाखोरी को रोकना, जिससे बराबर वितरण होता रहे और किसानों को पूरा मूल्य मिले और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार गेहूं सारे साल भर एक कीमत पर मिल सके। यह आपके तीन उद्देश्य थे। राष्ट्रीयकरण के मामले में यह तीनों के तीनों फल हो गये। उसका कारण केवल आपकी नीतियां, जल्दबाजी और ऊपर से थोपी हुई चीज होना है। आप मन में जानते थे कि आगे जाकर यह फेल होगी। आपने नैतिकता से नहीं सोचा और आपने किसानों और व्यापारियों को दोषी माना। आपने उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि आपको सीमेंट मिलेगा, पतरें मिलेंगे और गेहूं, नहीं लायेंगे तो बिजली नहीं मिलेगी खाद नहीं मिलेगा। किसानों से आपने खरीदे लेकिन उत्पादन पर जो कीमत थी उस समय तो उस समय सब चीजें महंगी थी और आपने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको केवल मेरी कान्स्टीटुएन्सी लालसोट तहसील के लिए कह सकता हूं कि वहां पर पानी है और आप उसको बिजली दे दें तो आप हर साल उस तहसील से चार लाख क्विन्टल गेहूं ले लें। लालसोट को बिजली दे दें और उनके लिए खाद और बीज की व्यवस्था कर दें। आज जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए एकमात्र धारणा यह बन सकती है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण किया था फर्स्ट अप्रेल को। उसके बाद गेहूं का सारा व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीयकरण किया गया उसके ऊपर यह देखा गया कि अधिकारियों और व्यापारियों ने मिलकर जिस ढंग से, आपके कार्यालय से 12-4-73 को आपका एक आदेश निकला। 12-4-73 को जिला सप्लाइ अधिकारी, बीकानेर ने निकाला चार नाम दिये गये कि निम्नलिखित व्यापारियों को गेहूं की इतनी बोरियां गंगानगर जिले से लाने के लिए ट्रान्सपोर्ट एजेन्ट नियुक्त किया जाता है। उक्त व्यापारी जिले में गेहूं वितरण करने के लिए उपलब्ध करायेंगे। जो व्यापारी जमाखोरी करते हैं, वह आपकी छत्रछाया में आपके विभाग की छत्रछाया में करेगा और व्यापारियों को लांछित और कलंकित करने वाले हैं वह आपकी छत्रछाया में रहते हैं। इनके नाम हैं गंगाशहर के गोलेछा, लक्ष्मीचन्द गोलेछा, रामलाल आदि इन सबको 1100-1100 क्विन्टल का लाइसेन्स दिया था। क्या भाव लाये और किस भाव बेचा इसके अन्दर आपने कुछ नहीं किया? 10 हजार क्विन्टल गेहूं लाकर बीकानेर में लाकर बेचा। यह राष्ट्रीयकरण को बदनाम करने की बात है तो यह जो आपके अधिकारी वगैरह हैं वह इस तरह के हैं।

(श्री मीठालाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् लेवी लगाई और 2 नवम्बर से राजस्थान से बाहर मोटा गल्ला जाना बन्द किया गया। उसके पश्चात् 13 नवम्बर से कुछ जिलों में, 9 जिलों में मोटा नाज बिल्कुल बंद कर दिया और कुछ पर लेवी चालू की गई, और कुछ दिनों के बाद किसानों को छूट दी। टौंक और मालपुरे के दो-तीन जिलों में छूट दी, और उसमें कौन सा जिला था जिसमें 10 हजार टन गल्ला प्राप्त हो गया? लेकिन मैं समझता हूं कि 1 हजार टन भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, और बहुत बड़ा परिवर्तन बाद में आया। आपके मारवाड़ में 170,175 रुपये बाजरे का भाव था और आपकी लेवी उस क्षेत्र में 80,100 रुपया तक थी। मक्का का 70-80 रुपये का भाव था। इस ढंग से न लेवी मिली और न नाज मिला। यह उन अधिकारियों की साठ-गांठ थी। उनसे मिले हुए व्यापारी थे उन्होंने फायदा उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में 8-10 हजार बोरियां ज्वार की पकड़ी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उन बोरियों का क्या हुआ? क्या वह व्यापारी थे? नागौर के व्यापारी जो उन अधिकारियों से सांठ गांठ रखते थे वह आकर परमिट ले गये और सवाई माधोपुर से नागौर और जोधपुर में ले जाकर उन व्यापारियों ने बेचा। न अपने को सेल्स टैक्स मिला और न उपभोक्ताओं को सस्ता गल्ला मिला। महज आपकी नीतियों के कारण सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ। आखिर में न मालूम महकमे वालों से उनकी अनबन हो गई कि उन्होंने दखल किया और उनको वह परमिट वापिस लेना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, चने के मामले में आपने पहले पाबन्दी लगाई राजस्थान से बाहर ले जाने की, लेकिन इसके पश्चात क्रय विक्रय संघ के नाम 30 जून, 1973 आपके यहां जयपुर की ओर से आदेश लाकर दे दिया कि 25 पर्सेन्ट की लेवी के आधार पर क्रय-विक्रय संघ अपना चना राजस्थान से बाहर भेज सकता है। लेवी लेकर के उसको बाहर भेजने की इजाजत दी। इसमें कितना बड़ा काण्ड हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय कि क्रय-विक्रय संघ में नेशनल एग्रोकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन सोसाइटी लिमिटेड ने अपनी ब्रांच स्थापित की और नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड व्यापारियों से साठ-गांठ की कि हमारे नाम का ठप्पा लगवा ले जाओ और राजस्थान के बाहर चना भेजो चार बोरी 150 के भाव में खरीदो तो 600 का उस समय भाव था और 3 बोरी 515 में ली और 172 के भाव में चना बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने नेशनल एग्रीकलचर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड से ठप्पा लगवा कर बाहर भेज दी। सोसाइटी ने माल देखा नहीं केवल बिल बनवा कर ठप्पा लगवा लिया और ठप्पा लगवाने के लिए उन्होंने 50-70 रुपया चार्ज कर लिया। इस तरह से 9 लाख रुपये का घोटाला हुआ और क्रय-विक्रय संघ और नेशनल को-ऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड ने नाजायज तरीके से फायदा उठाया और उसका भार जनता के माथे पर चढ़ा है वह आपके अधिकारियों की वजह से।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जेठमल तुलसीराम और चांदमल सादूलपुरिया दोनों को चना बाहर ले जाने की छूट दी सूरतगढ़ से। बिना लेवी 20 पर्सेन्ट की दिये ही वे

(श्री मीठालाल)

ले जा रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि बिना लेवी दिये हुए ही आपको बेवकूफ बनाकर राजस्थान से बाहर ले गये चना । उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं जेठमल तुलसीराम बीकानेर वाले की फर्म ने पता नहीं आपसे मिलजुल कर, आपके विभाग से मिलजुल कर, सरकार से मिलजुल कर अपनी ब्रांच यहां पर स्थापित की और यहां से चना ले गये तामिलनाडू और तामिलनाडू सरकार से बाजरा 80 की रेट में लेकर यहां राजस्थान में महंगे भाव में लाकर दिया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उस पर कोई टैक्स नहीं। वह बिना टैक्स दिये ही तामिलनाडू चना ले गये और वहां से बाजरा लाकर यहां पर दिया । इस तरह से 5000 क्विन्टल का इस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ है और उसमें लाखों रुपयों का गबन और घोटाला हुआ है। इस फार्म ने और चौथमल सादूलपुरिया ने 66-67 में मोठ काण्ड किया था। इनको 30 हजार क्विंटल मोठ का परमिट दिया गया था। यह वही पार्टी है जिसको सूरतगढ़ से चना एक्सपोर्ट करने का परमिट दिया गया। यह सूरतगढ़ से बीज के नाम से चना बाहर ले गये और आज तक उसकी कोई एन्क्वायरी नहीं है। यह दो तीन पार्टियां मिली हुई हैं। वह आपकी छत्रछाया के अन्दर यह कर रही हैं। इस ढंग की आपकी गलत नीतियां हैं और वे अधिकारियों से मिली हुई हैं इस वजह से सारे के सारे यह काण्ड होते हैं और आपको व्यापारियों को बदनाम करने का मौका मिल जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 1, 1½ महीने पहले चावल का भाव 200 से 300 और 400 का हो गया था, लेकिन बम्बई के क्रय-विक्रय संघ को 30 हजार टन चावल का कोटा दिया गया जबकि राजस्थान में उनका प्रतिनिधि नहीं आया। जब चावल का भाव 200, 210 का था, मोटे चावल का बाजार में उस समय व्यापारियों से डाइरेक्ट बम्बई डिलीवरी 290 रुपये में खरीद लिया, लेकिन जब आपने देखा कि बवण्डर मचने वाला है और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी है और सारे राजस्थान में यह समाचार फैलेगा और जब चावल की खरीद सारी दुकानों पर पार्टियों की होने लगी तो पता नहीं कि सांठ गांठ अधिकारियों की बनी या न बनी उसको अचानक केन्सिल कर दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में 50 हजार क्विन्टल चावल भेजा और परमिट दिया वह क्यों हुआ और फिर वह कैन्सिल क्यों किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अभी कुछ दिन पहले आपका जो कृषि विभाग है, उसके जरिए बीज के टेन्डर्स निकाले। मन्त्री महोदय को मालूम है कि टेन्डर 9 तारीख को खुले और खोलने के बाद जब उन बीजों के भाव बाजार में बहुत कम थे और लेवी अलग थी, वहां रेट्स कम थे लेकिन लेवी के डर से टेन्डर्स नहीं दिए। उन्होंने इजाजत दी कि उत्तर प्रदेश से बाजरा लायेंगे, हरियाणा से ज्वार और मध्यप्रदेश से भी लाने के लिए परमिट मिलेगा और टेन्डर में ज्वार की रेट 167, बाजरा 181, मक्का 161, ग्वार 181, मोठ 141, मूंग 301) । अचानक 9 तारीख को टेन्डर्स खुले। इस बीच में मंत्री महोदय से व्यापारी भी मिले कि इससे भी कम रेट्स में हम देने को तैयार हैं। कुछ देर के लिए फाइल रुकी लेकिन फिर टेन्डर्स

(श्री मीठालाल)

पास कर दिए और पैसे को नहीं देखा, बीज की क्वालिटी को नहीं देखा, न लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया। जांच की कोई शर्त ही नहीं। 90 प्रतिशत पेमेंट हाथों हाथ मिल गया और दिल्ली का बीज मारवाड़ और नागोर साइड में गया, कलक्टरों और जिला कृषि अधिकारी ने मनाही कर दी कि यह बीज कोई नहीं ले रहा है लेकिन...

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाहर चावल भेजने का परमिट आपको नहीं मिला ?

श्री मीठालाल : आपके कई लोग हैं जिनको मिला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनमें साझेदारी आपकी भी शायद हो।

श्री मीठालाल : बीज के मामले में मंत्रीजी ने जांच करवाने का आश्वासन दिया लेकिन वह जांच आज तक नहीं हुई और पेमेंट भी हो गया। अधिकारियों की लापरवाही थी। एक आदेश निकला 30 मार्च, 1973 को कि जौ में 4 प्रतिशत जब तक गेहूं की मात्रा होगी तब तक गेहूं में शामिल नहीं किया जाएगा अगर ज्यादा होगी तो गेहूं में शामिल करेंगे। लेकिन अंग्रेजी वाले आदेश में 4 प्रतिशत था और हिंदी वाले में 40 प्रतिशत। व्यापारी लोग ज्यादातर हिंदी में ही गजट पढ़ते हैं, उन्होंने 40 प्रतिशत समझा, अब जाकर दुबारा सरकार ने संशोधन किया कि वह 4 प्रतिशत ही है और दूसरा आदेश निकाला है।

अभी कृषि उपज समिति का टैक्स, जो पहले केवल 25 पैसे था, वह बढ़कर एक रुपया किया है और माल जोधपुर में बिक रहा है, वहां से लेकर जयपुर आए तो फिर टैक्स लगाया, अलवर में गया फिर एक रुपया टैक्स लगाया। तो वह तो उपभोक्ता पर पड़ता है। जो 25 पैसे पहले था वह एक रुपया कर दिया और कृषि उपज समिति में पहले से काफी फण्ड है, कहीं भी ग्रामीणों के विकास के लिए खर्च नहीं किया जा सकता लेकिन 25 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया कर दिया, हाइकोर्ट में रिट पिटीशन भी चल रही है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि 4–5 रुपए जो बढ़ेंगे, वह उपभोक्ता पर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त सीमेंट और खाद के बारे में निवेदन करना है। संसार में सबसे ज्यादा महंगा खाद भारत में है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, जो बना हुआ है उसमें तीन तरह का सीमेंट वितरण करते हैं, जिसमें सरकारी उद्योग और प्राइवेट पार्टीज भी हैं लेकिन सरकार का कोई आदमी जाता है सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में तो सीमेंट नहीं देते हैं, समय पर बिल्कुल सीमेंट नहीं देते हैं लेकिन प्राइवेट पार्टीज को, जो घूस के पैसे देते हैं, उनको देते हैं। बाकी के जो पब्लिक सेक्टर के हों या उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं उनको नहीं मिलता। प्राइवेट पार्टीज मनचाहा पैसा देकर मनचाहा सीमेंट लेते हैं और गोटेवाला की कांस्टीट्यूएंसी में शालीमार सिनेमा या अम्बर सिनेमा में एक एक हजार कट्टे सीमेंट के लगे हुए हैं, ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझ से पूछ लेना मैं बता दूंगा।

श्री मीठालाल : ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, सरकार से छिपा हुआ नहीं है।

(श्री मीठालाल)

कपड़ा तो केन्द्रीय सरकार का मामला है लेकिन विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इतना एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले दो महीने में 1½ गुना मूल्य हो जाएगी। आज भारत सरकार से निवेदन करें कि एक्सपोर्ट कम से कम करें जिससे यह सुलभ हो सके।

मोटे अनाज के मामले में, चावल के मामले में, जो राष्ट्रीयकरण की नीति को स्थगित किया है, उसके लिए मैं मानता हूं कि भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है लेकिन चावल का मामला अधर में लटका हुआ है। फसल चालू हो गई, हनुमानगढ़ और कोटा में फसल चालू हो गई लेकिन लेवी के मामले में कोई नीति घोषित नहीं की। इसलिए मंत्री महोदय, साथ ही साथ चावल की लेवी की नीति के बारे में घोषणा कर दें और वक्तव्य दें। जो कुछ दिन पहले रैली के रूप में तमाशा किया था। कांग्रेस पार्टी उसी सरकार की है और वही तमाशा करे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि व्यापारियों को 500 क्विन्टल तक रखने की पाबन्दी लगाई जाए। कच्चे आढ़तियों के पास किसान गल्ला लेकर आयेंगे। एक एक आढ़तिये के पास एक एक हजार क्विन्टल माल रोज आता है और बिक जाता है। लेकिन जब 300 व 500 क्विटल की सीमा बंधी जाएगी तब किसानों का माल कौन लेगा? वह किसानों को मना कर देंगे। इसके अतिरिक्त चावल मिल वालों या दाल मिल वालों का क्या होगा? उन पर सीमा बांधी जाएगी तो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस सीमा को रोका जाए और चावल की लेवी के बारे में घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर सिटी): मैं उस नगर से आ रहा हूं जहां पिछले 6 महीने में बुरी तरह से अनाज के भाव बढ़े हैं। अप्रेल में तीन किलो गेहूं दिया गया। जुलाई अगस्त में 6 किलो दिया गया और सितम्बर में फिर तीन किलो। बाजरे का भाव 160) तक चढ़ चुका है और खुले बाजार में जब छूट दी गई किसानों को, वह गेहूं अभी नहीं आया है। इस समय 175) रु० है। हमारे यहां केन्द्रीय कर्मचारियों ने भूख हड़ताल चालू कर रखी है। सरकार ने अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैं उन कर्मचारियों से मिलकर आया हूं। उन्होंने बताया उपभोक्ता एक बोरी कैसे ला सकता है और उत्पादन 30 क्विंटल से ज्यादा, जो उनके पास पड़ा था वह लाकर बेच सकता है। अगर कोई लाता है तो व्यापारी

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्शा यही है आर्डर की।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो राज्य कर्मचारी, जिनकी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं रेल विभाग की, पी० एण्ड टी० वालों की उन्होंने कहा हम सरप्लस क्षेत्र से गेहूं लावें, इस बारे में मन्त्री महोदय, अपनी नीति स्पष्ट करें। यह तो मैं कुछ विशेष परिस्थिति के बारे में निवेदन करता हूं। अब मैं खाद्य परिस्थिति के बारे में निवेदन करूंगा। इस वर्ष अकाल पड़ा। वैसे 25 वर्ष से अकाल पड़ते आये हैं। लेकिन पिछले सालों विदेशों से अनाज मिलता था। कुछ गिफ्ट के आधार पर भी मिलता था। अब वह नक्शा बदल गया है। जून, 1952 में सोवियट रूस में गेहूं में कमी आ गई। उन्होंने अमेरिका से खरीदा और गेहूं का भाव बढ़ता गया। जुलाई, 1972 को हमारे

Page No. 121

(अमृतलाल गहलोत)

गोदामों में 9 मिलियन टन अनाज मौजूद था। यह मानकर चलते थे कि हमें अनाज का इन्तजाम नहीं करना है। 71-72 में हमारे राजस्थान में बाजरे का भाव 32 रु० क्विन्टल तक हो गया था। जोधपुर में 40 का भाव था। इस समय बाजरे को रखने के लिए गोदाम मिल नहीं रहे थे। राजाओं के गढ़ों में भरा गया। इस वर्ष देश के दो तिहाई भाग में अकाल पड़ा। राजस्थान के 26 जिलों में से 24 में अकाल पड़ा। नतीजा क्या हुआ? 9 करोड़ मिलियन टन एकाएक कम पड़ने लगा। ज्योंही अक्टूबर, नवम्बर आया तो विदेशों की ओर नजर डाली। सोचने लगे कि विदेशों से आ जाएगा। यह राष्ट्रीयकरण की आपकी व्यावहारिक नीति है? जापान ने सारे अनाज का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। मुझे वहां की रिपोर्ट्स पढ़ने का मौका मिला है। उनके फार्म्स में इतना अनाज पैदा हुआ है कि उन्होंने इण्टरनेशनल टेण्डर इन्वाइट करके एक्सपोर्ट किया है। कम्प्लीटली वहां अनाज का राष्ट्रीयकरण है। लेनिन ने एक वक्त कहा है— Grain is the currency of all currency.

आपने गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण इस विचार से किया कि गेहूं के भावों को कण्ट्रोल कर लेंगे। लेकिन 100-125 के भाव गेहूं बढ़ने लगा। आपको नवम्बर, दिसम्बर से मार्च, 73 तक 2 मिलियन टन गेहूं देना चाहिए जोधपुर में। लेकिन अप्रेल में जाकर दिया गया, वह भी दूसरे सप्ताह तक दे सका क्योंकि अनाज का जहाज आ नहीं रहा था। व्यापारियों को मालूम था कि अनाज को स्थिति खराब है। किसान था, वह भी जानता था, सरकार लायेगी कहां से? व्यापारियों ने फायदा उठाया। अब क्या हुआ? अगर हमारे पास 2 मिलियन टन गेहूं होता तो शहरों में दिया होता। अप्रेल, मई में जरूरत पड़ेगी यह मालूम था। एक तो गेहूं का राष्ट्रीयकरण करना और दूसरे अनाज को किसान के पास छोड़ देना, यह गलत है। आज गेहूं से ज्यादा महंगा बाजरा है। All this was done half-heartedly.

इस प्रकार आपकी सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। यह नेचुरल प्राडक्ट है उन सबके ऊपर आपको राष्ट्रीयकरण लागू करना था एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह होता, व्यावहारिक कि लेवी लगाते और छोटे किसानों को छोड़ देते। लेकिन हमारे पास मशीनरी नहीं है। साधन नहीं है। शक्कर हमें साल भर में देते हैं। 8 क्विन्टल, 10 क्विटल, 12 क्विटल की कमी है। जो कमी है उसे मार्केट से पूरा करते हैं। यदि यह दूसरा तरीका एडाप्ट करते, यदि हम लेवी लगाते, छोटे किसानों को छोड़ देते तो वह व्यावहारिक होता। राजस्थान मे 35 लाख एकड़ में गेहूं की खेती हुई है। साढ़े 17 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। छः लाख टन सरप्लस हुआ है। यदि पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति सफल होती तो हमारे गोदामों में छः लाख टन होना चाहिए था। यह तो कहो गंगानगर जिले ने हमारी लाज रखी है। नहीं तो अजीब स्थिति हो जाती। कोटा जयपुर से हम कुछ नहीं ले पाये हैं। राजस्थान में महत्वपूर्ण मार्केटिंग मण्डी है। वहां से हम ले नहीं पाये हैं। तो जो यह 6 लाख टन सरप्लस गेहूं है, यह कहां पड़ा है? या तो धनवान किसानों के पास है या व्यापारियों के पास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तो गवर्नमेन्ट ने इजाजत दे दी है मनमाने भावों में बेच दो।

श्री अमृतलाल गहलोत : आखिर कहां से लाते हैं बाजार में जो गेहूं आया है? मार्केट से चोर बाजार का गेहूं खाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सब ने नहीं खाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नमेंट केन्टीन में गेहू नहीं आया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमको तो निकाल दें।

श्री अमृतलाल गहलोत : हमने रेस्टोरेण्ट में खाया है। उसने कहा है कि हम इसी प्रकार से लाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भाखरा क्षेत्र को सींचने वाले निकल जायेंगे तो वह भी निकल जायेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : किसने इस का फायदा उठाया। इसका फायदा जो उत्पादक हैं, उसको नहीं है। किसान को नहीं है। उपभोक्ता को फायदा नहीं है क्योंकि उसे सस्ता अनाज नहीं मिलता। असामाजिक तत्व ने और भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया। हमने इससे किसको पनपाया है। हमने भ्रष्टाचारी को पनपाया है। चोर बाजारी करने वालों को पनपाया है और हम विधायक भी इस पाप के भागी हैं क्योंकि यह सिद्धांत ठीक है, नीति ठीक है लेकिन यह अव्यवहारिक है, और हमने इस अव्यवहारिक नीति का पालन किया है। विदेशों से जो अनाज हम मंगाते हैं, वह जून 1972 में 1.55 डालर पर बुसल था, वह भाव था, यह अमेरिका का भाव था, सितम्बर 1972 में यह 5 डालर प्रति बुसल हो गया, जो रुपये में होता है 150 रुपये क्विन्टल। इसके साथ ही शिपिंग चार्जेज इन्क्रीज कर दिये गए हैं, पहले 10 डालर शिपिंग चार्जेज थे वह 25 डालर पर टन हो गया है। इस वक्त जो अमेरिका से ह्वीट लाया जा रहा है वह 160 रुपये पर क्विन्टल पड़ता है और यहां बेचा जाता है 185 रुपये प्रति क्विन्टल। भला हो रूस का कि उसने हमें दो मिलियन टन इस संकट की घड़ी में दे दिया है, वरना कैसी हालत हमारी होती। इधर इन्द्र भगवान की भी कृपा है, अगर खरीफ की फसल भी धोखा दे जाती तो हम कहां पर खड़े होते। इसलिए यह बहुत बड़ा सबक है, लेसन है। इसलिए भविष्य के लिए खाद्य की स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि विदेशों से आपको अनाज मिलेगा नहीं, अमेरिका डालर मांगता है, वह हार्ड करेन्सी में भुगतान मांगता है, वह हर देश पर दुनियां के तरीके से अंकुश करना चाहता है। इसलिए यह देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका और आबादी डेढ़ करोड़ प्रति वर्ष बढ़ती रही तो भगवान ही इस देश का मालिक है। और भगवान की कृपा नहीं हो तो कोई इस देश को बचाने वाला नहीं है। इसलिए दूरदर्शिता से देखें, यह ढिलमिल नीति है, यह हाफ हार्टेड नीति है, यह कहीं हमें ले नहीं बैठे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, इस विषय में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उन सब पर तो गौर फरमायेंगे मंत्री महोदय, मैं भी उनके साथ में, आपकी कृपा हुई इसलिए एक दो बात कहना चाहता हूं यह जो राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रश्न है,

(6.12 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

यह अन्य किसी पार्टी के दबाव से अपनाया है, यह विरोधी बेंचेज से एक चार्ज लगाया गया। पहले तो मैं इसे गलत मानता हूं क्योंकि सबने इसे माना है, इसे उचित नीति माना है। ऐसा समझ कर इसे लेकर चले हैं। यह सही नीति है, इस पर भी हमारा विश्वास है। अब इस विश्वास को लेकर जब हमने आगे चलने की बात सोची थी, तब हम फेल कैसे हो गये— सोचने की यह बात है। जो भी बातें यहां हमें कही गई इसमें कोई शंक नहीं है कि हम पूरे तौर पर सब अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सके— यह एक कारण है। सबसे बड़ा कारण सीमित दायरे में गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था का था। लेकिन इसके साथ ही सरकारी मशीनरी ने भी साथ नहीं दिया। हम जो भी राजस्थान में व्यवस्था का जिम्मा लेते हैं, यह समझते है कि सरकार यह कहती हैं कि जिला स्तर पर यह व्यवस्था है, उसमें एफ सी. आई. का बहुत बड़ा सहयोग इस व्यवस्था में मिला है। लेकिन एफ. सी. आई. के जो भी आदमी व्यवस्था करने के लिए जिला स्तर पर है और छोटे गोदाम तहसील स्तर पर है, उनमें जिन व्यक्तियों को बिठलाया है, उनके खिलाफ बड़ी शिकायत सुनने को मिलती है। जो भी परमिट तहसीलदार के यहां से लेकर एफ. सी. आई. के गोदाम पर रिटेलर जाता है तो प्रत्येक रिटेलर से एफ. सी. आई. वाले व्यक्ति पचास रुपये से सौ रुपये तक लेते हैं। नागौर जिले का उदाहरण मैं माननीय मंत्री को नोट करवाना चाहता हूं। प्रत्येक रिटेलर से पचास से लेकर सौ रुपये के बीच में एफ. सी. आई वाले लेते हैं। रिटेलर को जब हमने जिम्मा दिया कि इस महंगाई के वक्त में, बढ़ी हुई कीमतों के जमाने में, धान की कमी के समय में एक छोटे दायरे में उस अनाज को बांट दे। वह कहता है कि हम जिस भाव से बांटें, कौनसा खर्चा इसमें जोड़ें। जब परमिट लेने तहसील में जाते हैं तो पांच से दस रुपये परमिट का लेते हैं और जब धान लेने के लिए जाते हैं तो पांच पांच मर्तबा जो दूर जगह है, एफ. सी. आई. का जहां गोदाम है, वहां गाड़ी लेकर जाते हैं और उसका किराया लग जाता है। वह लोग माल वक्त पर देते नहीं हैं। वह कहते हैं माल आया नहीं है। वहां माल दिख जाय और वह कहे कि माल दूसरे को देते हो तो हमें क्यों नहीं देते हो तो वह कहते हैं कि ले जाना है तो दो चोरी हमारी ले जाना पड़ेगी और बेचनी पड़ेगी। यह एफ. सी. आई. की चोर बाजारी हो रही है। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी गोदाम है फिर भी रिटेलर को लॉस हो रहा है। हम सोचते हैं कि अच्छी व्यवस्था होगी तो रिटेलर कम नहीं तोलेगा, ज्यादा दाम नहीं लेगा, वक्त पर अनाज देगा। लेकिन यह सारी की सारी कमी व्यवस्था के अन्दर ऊहापोह पैदा करने वाली है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री दीपंकर)

माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह की व्यवस्था में कमी है, उन कमियों को किसी तरह से दूर किया जाना चाहिए। जब तक यह कमी दूर नहीं की जायेगी तब तक नीति कितनी ही सही हो, सिद्धान्त कितना ही अच्छा हो, मन में कितने ही खुश हों कि हमने बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन आम जनता को समय पर चीज पहुंचाने में, आम जनता को समय पर चीज मिलने में, सस्ती मिलने में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। जनता को समय पर चीज न मिलने से और महंगी मिलने से सरकार की बदनामी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि जो इस तरह की व्यवस्था है उसमें सुधार लायें।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक ही बात है, आप चाहे किसी महकमे की बात ले लीजिये, अभी हड़ताल भी हुई थी, इस हड़ताल के वक्त भी एक तरफ राजस्थान में जन और धन को बचाने की समस्या थी, और उससे सरकार निपटना चाहती थी, लेकिन राज्य कर्मचारियों को विभिन्न राजनैतिक दलों ने उकसाया, जिनका कि यह उद्देश्य था कि सरकार को दबोच दें और सरकारी कर्मचारियों ने भी ज्यादा महंगाई भत्ता पाने की कोशिश की। इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग थे उनके कारण से राजस्थान को बड़ी भारी हानि पहुंची। हड़ताल के समय जो हम फसल बो सकते थे, क्योंकि वर्षा जिस समय हुई, उसका असर पड़ा था। लेकिन वक्त पर उनको बीज नहीं दे सके, न उन तक तकावी पहुंचा सके। मैं नागौर जिले की बात कह सकता हूं। वहां पर बहुत सारी जमीन बिना बोई हुई पड़ी है। उसकी वजह यही है कि लोगों के पास न समय पर बीज पहुंच सका और न तकावी पहुंच सकी। एक तहसील में किसी को पचास हजार, चालीस हजार रुपया भेज दिया। इससे किस तरह से बुवाई हो सकती थी, किस तरह से खेती हो सकती थी— यह सोचने का प्रश्न है। सरकारी स्तर पर यह आम बात हो गई है कि इस सरकार का जितना लाभ ले सकते हैं लिया जाना चाहिए। इसलिए चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो— वह लाभ ले रहा है। और सरकार बड़े मजे के साथ देख रही है। उसके आदेश काम में नहीं आ रहे हैं, उसकी नीति इसलिए फेल हो रही है, फिर भी यह सरकार देखे जा रही है। आम लोगों में चर्चा थी कि हम समाजवादी व्यवस्था से जनता की तकलीफों को दूर करेंगे। लेकिन इस सरकारी व्यवस्था, मशीनरी के जरिये इस व्यवस्था को फेल कर दिया गया है। इससे सरकार के प्रति जनता में एक तरह का अविश्वास पैदा हो गया है और यह मानने लगी है कि हमने जिस बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिता कर भेजा है, इस पार्टी ने जो कुछ कहा, जो कुछ करने की घोषणा की, वह किसी स्तर पर नहीं कर पा रही है। इससे जनता में बड़ा भारी रीएक्शन है, इसलिए आयन्दा के लिए पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए कि अच्छी व्यवस्था कर सकें। अगर व्यवस्था अच्छी नहीं कर सके तो हमें बाइज्जत हट जाना चाहिए वायदे से ताकि लोगों को भ्रम नहीं हो कि हम जनता को जो कुछ कहें उसे पूरा करें नहीं तो हमें उनमें गलतफहमी पैदा नहीं होने देनी चाहिए।

Page No. 125

श्री श्रीराम गोटेवाला : वायदे से क्यों हट जाना चाहिए। वायदा पूरा करना चाहिए।

श्री दीपंकर : पूरा करने की स्थिति में नहीं सरकार। आज यह स्थिति है इसके लिए क्या कहा जा सकता है। अगर सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं तो सरकार फेल्योर है। जनता के सामने हमें ठीक कहना है कि यह तो हो जायेगा। वैसे सिद्धान्त अच्छा है, अच्छी नीति है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : जूंए की खातिर घाघरा क्यों फेंके। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडी : मर जायेंगे तब करेंगे।

श्री दीपंकर : इसमें कोई शक नहीं, किसी टाउन की जन गणना के आधार पर जो पापूलेशन मानी गई है, उससे दुगने तिगुने राशन कार्ड चालू हैं। राशन कार्ड बनाने का म्युनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव आफिसर को और बहुत सी जगह पर तहसीलदार को अधिकार दिया हुआ है। वह रिटेलर से मिला हुआ है, इसलिए हर एक व्यक्ति को तीन सौ, चार सौ रुपये पैदा होते हैं। अब घोषणा की गई है कि नये कार्ड छपवा रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है, न राशन कार्ड का चैकिंग हो रहा है। इसकी व्यवस्था नहीं की जायगी तो यह नीति फेल होगी। हमारी नीति को फेल करने का यह बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, यह भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से चैक कराइये। किसी तरह से पुराने राशन कार्ड बन्द हों और नये राशन कार्ड, जितने घर में व्यक्ति हैं उनके बन कर मिल जाय, जिससे कितनी मात्रा में चीज दी जाती है वह बराबर उनको मिल जाय। आज किसी घर में तीन व्यक्ति हैं लेकिन राशन कार्ड 40 का बना हुआ है। वह आज ब्लेक में बेचता है। लेकिन पांच जिसके घर में है और पांच का राशन कार्ड बना हुआ है वह व्यक्ति राशन की दुकान पर जाय तो उसे नहीं मिलता। राशन समाप्त हो जाता है। यह क्या व्यवस्था है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं, वह है चीनी की व्यवस्था के बारे में। आज आप चीनी और कपड़े का वितरण क्रय विक्रय संघ के द्वारा राजस्थान में कराते हैं। सभापति महोदय, क्रय विक्रय संघ से चीनी और कपड़ा का जो वितरण हो रहा है उसके बारे में काफी शंका पैदा हो रही है। सभापति महोदय, राजस्थान में क्रय विक्रय संघ का इतिहास काफी काला रहा है। आज मैं आपको मेरे चुनाव क्षेत्र लाडनूं की बातें बताता हूं जहां पर 90 हजार आदमियों को कपड़े की जरूरत है। वहां पर सिर्फ तीन हजार लोगों के लिये कपड़ा भेजा जाता है। वहां पर हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और एक सीटी बजाकर अपने अपने व्यक्तियों को कपड़ा बांट कर चले जाते हैं। तो सभापति महोदय, यह चीनी और कपड़े की वितरण की व्यवस्था आज गांवों में, तहसीलों में है वह काफी त्रुटिपूर्ण है। यह तो ठीक है कि आप सहकारिता को बढ़ावा दें लेकिन सहकारिता के अन्दर ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति बैठे हों उन्हें अगर आप बढ़ावा देते हैं तो इसे

(श्री दीपंकर)

आपको बन्द करना पड़ेगा। उसके अन्दर बैठकर गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को सजा देनी पड़ेगी। उसकी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जो कुछ भी व्यवस्था आप करें उसमें क्रय विक्रय संघ में सुधार करने की आवश्यकता है। आज आपने सवाई माधोपुर टोंक से नागौर जिले में ज्वार भेजी गयी है उसमें परमिटों को प्राप्त करने में लोगों को इन सरकारी अधिकारियों को हर बोरी पर दो दो चार चार रुपये देने पड़े थे। तो अब बेचने वाला यह कहता है कि हम कौनसे हिसाब में इस पैसे को जोड़ें और कितनी कीमत उस अनाज की वसूल करें। आज तहसील स्तर पर जिला स्तर जहां पर यह जिला रसद अधिकारी वगैरह हैं वहां एक एक जिला रसद अधिकारी ने पांच से लेकर दस लाख रुपये तक कमाये है।

सभापति महोदय, उनकी कोठी के आगे लोग उस तरह बैठे रहते हैं जैसे कि किसी मिनिस्टर साहब की कोठी पर बैठे रहते हैं। उनके दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज वह लोग खुले आम रिश्वतें ले रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि राजस्थान में कहने को तो आपने एक एन्टी करेप्शन डिपार्टमेंट खोल रखा है क्या वह कुछ नहीं कर सकता। वैसे अखबारों में भी काफी चर्चाएं इनके रिश्वत लेने की आती है लेकिन आज तक किसी भी जिला रसद अधिकारी को एन्टी करेप्शन डिपार्टमेंट ने नहीं पकड़ा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपकी यह क्या समाजवादी व्यवस्था है कि आप एक व्यक्ति को तो आधा घन्टा दे देते हैं बोलने के लिये और दूसरे के लिये समय की पाबन्दी की घन्टी लगा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि सदन का समय सिर्फ सात बजे तक के लिये ही बढ़ा था और काफी सदस्यों को बोलना भी है।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, काफी महत्वपूर्ण विषय है मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं आखिर मेरा भी कोई अधिकार है। आपको समय की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मेरी सुनें आपके चीफ ह्विप ने ही अभी मुझे लिख कर भेजा है कि किसी भी सदस्य को दस मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जाय।

श्री दीपंकर : चीफ ह्विप ने यह व्यवस्था सही नहीं दी।

श्री सभापति : आप अपना भाषण दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री दीपंकर : मैं दो मिनट में तो कैसे समाप्त कर सकता हूं। मुझे काफी कहना है।

श्री सभापति : आप दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री दीपंकर : अगर आप मुझे कहने की अनुमती नहीं देंगे तो मैं इसके विरोध में अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सोगानी।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, आज सदन में दो दिन से महंगायी के बारे में बहस चल रही है काफी लोगों ने बहुत कुछ कहा। वैसे कई बातें तो कामन ही हैं। मैं, जैसा कि आपने फरमाया, सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। सभापति महोदय, आज लोगों के मन में महंगाई के प्रति काफी फस्ट्रेशन है। यह फस्ट्रेशन सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि अगर आप बाजार में औरतों के मुंह से भी सुनेंगे तो सिवाय महंगाई की चर्चा के सिवाय कुछ नहीं सुनेंगे। औरतों ने इस महंगायी पर तो गीत भी बना लिये हैं। अजमेर में एक जगह पर महिलाओं द्वारा मुझे भी उन गीतों को सुनने का मौका मिला ··

एक माननीय सदस्य : आप औरतों से गाना सुनने कहां चले गये हमें तो सुनायी नहीं दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गाना नहीं घेराव किया होगा।

श्री माणकचन्द सोगानी : अगर आपको सुनना है तो उसके लिये आपको अजमेर चलना पड़ेगा। खैर सभापति महोदय, यह महंगाई सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स में भी काफी है। लेकिन सवाल यह है कि इस महंगाई का कारण क्या है? इसका पहला मुख्य कारण तो अकाल है और दूसरी हमारे यहां की वितरण व्यवस्था दोष पूर्ण है। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ कहा उसको दुबारा तो नहीं दोहराऊंगा लेकिन इसके बारे में कुछ निवेदन जरूर करूंगा। महंगाई का एक कारण तो यह है कि जो विदेशों से अनाज आता था वह तो बन्द हो गया। इसके अलावा अमेरिका के मारकेट से रूस और चीन ने जाकर गेहूं खरीद लिया और उस दौड़ में हम गेहूं खरीदने में काफी पीछे रह गये इससे हमें काफी नुकशान पहुंचा। इसके अलावा महंगाई होने का मूल कारण यह भी है कि प्रोडक्शन हमारा उतना ज्यादा नहीं हुआ कि जिससे हमारी अनाज की कठिनाई समाप्त हो सके और कुछ सस्ती दरें अनाज की हो जायें। महंगाई समाप्त होने के लिये प्रोडेक्शन ज्यादा होना बहुत जरूरी है तभी चीजों के भाव गिरेंगे। अभी हमारी भारत सरकार ने इसके लिये एक वान्चू कमेटी का गठन किया था उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश करदी है और उसमें कुछ सिफारिशें महंगाई को समाप्त करने के लिये की गई हैं। हालांकि उन सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू तो नहीं किया गया है लेकिन धीरे धीरे उन्हें लागू करने की सम्भावना है। वान्चू कमेटी ने यह सजेशन दिया है कि हमारे यहां पर नोटों का डीमोनेट्राईजेशन कर देना चाहिए ताकि जो आज काला धन पेरेलल चल रहा है वह समाप्त हो जाये। आज मुंहमांगी कीमतों पर लोग खरीद लेते हैं वह बन्द हो जायेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हर पांच साल बाद नोटों का डीमोनेट्राईजेशन हो जाना चाहिये ताकि लोगों को नोटों का मोह नहीं रहे और कीमतें स्थिर रहें। अभी तक जैसा मैंने निवेदन किया कि वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई है लेकिन अगर वह लागू हो जाये तो कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा प्रोडेक्शन का तालमेल बैठाना बहुत ही जरूरी है। अगर वह बैठ जाता है तो काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक बात खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं वह

(श्री माणकचन्द सोगानी)

है अजमेर के बारे में। हमारे यहां पर आपने गेहूं के भाव 91 रुपये प्रति क्विन्टल रखा है वह भी उपलब्ध नहीं है और बाजार में गेहूं 200) रुपये क्विन्टल तक के भाव बढ़ गये थे। अभी आपने जब किसानों को बाजार में गेहूं लाने की छूट दी तो 140 रुपये क्विटल के भाव तक बाजार में हो गये। सभापति महोदय, अजमेर एक ऐसा शहर है जिसमें ज्यादा आबादी हमारे यहां पर रेलवे वर्कशाप में काम करने वाले लोगों की है अगर वर्कशाप वहां से उठ जाय तो अजमेर शहर मे, मैं समझता हूं कि शायद किशनगढ़ की तरह हो जाय। वहां पर जब लोगों को अनाज की काफी किल्लत हुई तो उन लोगों ने अपने रेलवे अधिकारियों से बात चीत की तो उन्होंने 50 हजार रुपया उन्हें अनाज की खरीद के लिये दिया लेकिन अब सवाल यह है कि यह गेहूं आवे कहां से, क्योंकि बाजार में तो एक बोरी काश्तकार लाता है और बेच देता है अतः इसके लिये, जैसाकि जोधपुर में आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें या किसी को परमिट दे दें ताकि वह गेहूं काश्तकार से लाकर दिला दें वरना जनता का कोई कानून बनाने से फायदा नहीं होता फिर ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा। अब उपभोक्ता तो एक एक बोरी के लिये कहां खरीदने जायेगा। और एक साथ इतनी बोरियां बिना परमिट ला भी नहीं सकते तो आप ऐसी व्यवस्था उनके लिये करें कि उन लोगों को अनाज मिल जाये। वह लोग लाकर बेचना नहीं चाहते है आप चाहें तो देखलें। वह तो खुद उपभोक्ताओं के खाने के लिये लाकर रखेंगे। वह लाकर बंटवारा उस अनाज का कर लेंगे। इसके लिये आप चाहें तो कोई अंकुश लगा दें कि कहीं वह बेच तो नहीं रहा है। और इसके अलावा कुछ परसेन्टेज अगर सरकार लेना चाहती है तो वह भी लेलें। चाहे तो सरकार उसमें पांच परसेन्ट तक का नफा उससे लेलें। अगर वे वहां से 130 रुपया क्वि० के भाव से भी लाते हैं और पांच सात रुपया फ्रेट चार्जेज भी हो और आप पांच पर्सेंट अपना कमीशन लगा दीजिये और उनको 140 रु० क्वि० में भी दे दीजिये ताकि उपभोक्ताओं को वह चीज तो मिल सके। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज दिन में बहुत सज्जन आये थे और घेराव के लिये आये थे। वे घेराव मंत्री महोदय का भी करते और हमारा भी करते हमने कहा कि खाद्य की बात चल रही है। शाम को हमारी सुनने के बाद उनकी विचार धारा बदल गई और वह सुविधा दे सकें जो कि मिलनी चाहिये, जो न्याय संगत भी है। अन्याय संगत होती तो ठुकरा देते। आप उपभोक्ता को दिलाना चाहते हैं और उत्पादन कर्ता से दिलाना चाहते हैं। आप के बीच में रिटेलर कोई नहीं आ रहा है तो कृपा करके आप ध्यान दें। वह नहीं कर पाये तो टूल डाउन होकर 50 हजार रुपया, जो वैस्टर्न रेलवे ने दिया है उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। बोम्बे की एक मशीनरी पचास हजार रुपया देती है तो जयपुर की दूसरी मशीनरी का उनको सहयोग हो जाय तो क्या हर्ज है इसीलिये ये विचार आपके सामने रखे हैं।

प्रकृति का प्रकोप जो कुछ है उसका मुकाबला इतना जल्दी नहीं कर पाते। लेकिन जो साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना चाहिये। सदन में बैठे हुए सब ही माननीय सदस्य जानते हैं कि हिन्दुस्तान ऐसा देश है

(श्री माणकचन्द सोगानी)

कि जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। 24 घंटों मीठा पानी मिलता है। वह मीठा पानी बहकर समुद्र में खारे पानी के साथ मिल जाता है। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इजराइल की मिसाल हमें दी गई। मैं सुनता ही था किन्तु प्रमाणिक रूप से नहीं जानता था। जहां जंगल, क्या कहना चाहिये कि रेतीले मैदान थे वहां पर वे आज खेती कर रहे हैं। हमारे यहां मीठा पानी उपलब्ध है लेकिन वह खारे पानी के साथ जाकर मिल जाता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमने इतनी लड़ाइयां लड़ीं लेकिन हमनें इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमें चाहिये कि हम खेती की ओर पूरी तरह से ध्यान दें। हमें धक्का लगता है और चतुर नहीं होते हैं तो लोग हमारे ऊपर हंसेगे। हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उनका वक्त पर हमको फायदा उठाना चाहिये। सदन में कई वार यह बात आई है कि गंगा नदी से राजस्थान में पानी लाया जा सकता है। इसके लिये गवर्नमेंट प्रयत्नशील होगी। इसके लिये कोई विलम्ब नहीं करके शीघ्र ही कदम उठाने चाहिये। मैं समझता हूं कि दूसरा सत्र बुलायें तब आपकी ओर से इस सम्बन्ध में घोषणा होगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर इस मसले पर दवाव देकर पैसे का सदुपयोग इस प्रकार से कर सकें कि राजस्थान में गंगा की नहरें आयें और राजस्थान उनसे फायदा उठा सकें।

वीकर सेक्शन की बात चली कि लोग बाग बहुत दुःखी हैं। इसमें शक नहीं है कि दिन भर की मजदूरी के बाद बाजार में चक्की पर जाकर, जो आटा मिलता है वहां से वे 1½) रुपया 2) रुपये में किलो भर आटा लाते हैं। राशन कार्ड बनाने के लिये लोग आया करते हैं लेकिन एक तरफ सही आदमी हैं लेकिन राशन कार्ड बनता नहीं दूसरी तरफ लोग कह चुके हैं कि चीन की तरह आबादी बढ़ गयी, वे बोगस राशन कार्ड के कारण से हैं और उन बोगस राशन कार्डस् को खत्म करना चाहिये। जितना विलम्ब करते हैं उतनी अधिक दिक्कत आती है। चार किलो सप्लाई कर रहे हैं। यदि बोगस राशन कार्डस हट जावेंगे तो जो लोग सही रूप में राशन लेने वाले हैं वे ही लेंगे और उससे अधिक भी उनको दिया जा सकेगा। जिस मशीनरी पर विश्वास नहीं है उसको हटा कर दूसरी मशीनरी लगा कर उन बोगस राशन कार्डस् को खत्म कर देना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जहां गेहूं के लिये एक बात समझ में आती है दूसरी तरफ दिक्कतें जनता के सामने आती हैं वे भी तो बड़ी ही कष्टपूर्ण हैं। जैसे घी की बात ही ले लीजिये वहां जनता को सप्लाई नहीं होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसा घी ?

श्री माणकचन्द सोगानी : अच्छा किया आपने यह भी क्लीअर करवा लिया। शुद्ध घी का भाव 25) रु० किलो पर चल रहा है। मैं उसके लिये कुछ कहना नहीं चाहता। आपने अच्छा किया इसको खुलासा करवा लिया। मैं उस घी के लिये बात कर रहा हूं जो राशनकार्ड पर मिलता है। वह रथ, डालडा, मालती आदि। उसमें मिलावट आ रही है। परमात्मा

(श्री माणकचन्द सोगानी)

बचाये। लोग बाग पैसा देते हैं और बीमार होते हैं और डाक्टरों के पास आते हैं और दवाओं का बिल बनता है। मिलावट के मामले में मिलावट करने वालों को पकड़ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं कह सकता कि गोली मार दी जाय। लेकिन डेमोक्रेसी में कानून कायदे हों लेकिन ऐसे आदमी को जो बेसन में मिलावट करता है, घी में मिलावट करता है, अन्य चीजों में मिलावट करता है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है उसके लिये पार्लियामेंट या असेम्बली सख्त से सख्त कानून बना सकती हैं। कोड़े लगा सकती है तो वह कानून बनाना चाहिये। पांच आदमियों को भी यदि इस प्रकार की सजा दे दी तो उसका बड़ा असर होगा। ऐसे केसेज में सख्त कदम उठाना निहायत जरूरी है।

श्री सभापति: श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): श्रीमान् सभापति महोदय, बहुतों ने महंगाई के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। खाद्य मंत्री जी उनका उत्तर देंगे। उत्तर से पेट भरेगा या राशन मिलेगा यह मैं नहीं कहता अभी, यह तो मैं उनका उत्तर सुनने के बाद ही कह सकूंगा। लेकिन आज 25 वर्ष की आजादी के बाद भी हम यहां यह कहने बैठे हैं कि हमने अमेरिका के मार्केट से खरीदने में बिलम्ब कर दिया, चीन और रूस पहले पहुंच गये। समाजवाद पर लोगों का बहुत बड़ी निष्ठा थी इसलिये हम जीत गये। लेकिन कहना चाहूंगा कि समाज अशिक्षित है इसलिये नारों से जीत गये। काम से नहीं जीते हैं। कांग्रेस का बहुमत है यह सर्व विदित है। लेकिन घोर अव्यावहारिक और अवास्तविक नीतियों के कारण जो असफलतायें हमारे सामने आयी हैं उनको छिपाकर दूसरे चक्कर में उलझा कर नारे बाजी में आजायें तो ये रास्ते जनता का कभी उत्थान नहीं कर सकते।

आज गेहूं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या गेहूं नहीं है? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों को समाप्त करो यह कहते हो। आज जो वितरण का काम करते हैं क्या वे भी बिचौलियों से कोई कम हैं? यदि आप इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे तो 85 से 90 प्रतिशत भ्रष्ट व्यापारी और कांग्रेस के चट्टे बट्टे ये काम करते हैं। गेहूं में मिलावट करके ब्लेक मार्केट में बेचते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आपके पास और क्या हैं कहने को?

श्री भानुकुमार शास्त्री: आप भी राशन के गेहूं में मिलावट करते हो क्या? उत्पादन बढ़े इसकी चिन्ता नहीं है। यह हमने विचार नहीं किया। गेहूं का राष्ट्रीयकरण करने से पहले आपने यह विचार नहीं किया कि इसमें कितनी लागत लगेगी, किस तरह के साधन और मशीनरी इसके लिये चाहियेगी। आपकी एक्सपर्ट कमेटी बैठी भी थी। उसने बताया भी था कि इस सारे ट्रेड में 3000 करोड़ रुपयों की पूंजी लगेगी। मैं कहता हूं कि अगर यही तीन हजार करोड़ की पूंजी आप खाद्यान्न उत्पादन के तौर तरीकों में, उसके लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध कराने में लगाते तो वह बढ़ा हुआ उत्पादन अपने आप ही जनता के बीच में आता।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पर आपने निदान उल्टा किया और राष्ट्रीयकरण कर लिया। आपको भ्रष्ट मशीनरी के कारण आप इसमें फेल हुए। जनता को दर दर का भिखारी बना दिया। दाने दाने के लिये मोहताज कर दिया। राजस्थान में घर घर की हालत खराब कर दी। अनाज नहीं मिलता, तेल नहीं मिलता, दालें नहीं मिलती, मोटा अनाज नहीं मिलता, खाद्य तेल नहीं मिलते।

खाद्य मन्त्री जी ने अपनी अकर्मण्यता अपनी मशीनरी के भ्रष्टाचार के कारण, जो इस राष्ट्रीयकरण में असफलता मिली, इसका दोष छिपाने के लिये प्रकृति को कोसा है, प्राकृतिक कठिनाइयों का रोना रोया है। ये कारण बता दिये, पर यह नहीं कहा कि स्वयं की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण यह सब हुआ है।

संसद में खाद्य मंत्री ने वनस्पति घी के विषय में बताया कि जो तेल इम्पोर्ट करते हैं वह देर से आया? देर से क्यों आया? कौन दोषी है इसके लिये? उसको आपने सजा दी? फिर तुर्रा और। वह देर से आया पर इसके बाद भी अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच कर मद्रास पहुंच गया। जहां लोग इसे पूछते नहीं। वहां तो लोग सरसों का तेल और नारियल के तेल पर चलते हैं। यह दोष मंत्री जी नहीं बताते तो आपका खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। आपके तरीके से उत्पादन बढ भी नहीं सकता। आप उत्पादन का प्लानिंग बनाते हैं। किसके लिये? पांचवीं योजना में 250 करोड़ का प्रावधान छोटी कारों के लिये आपने रखा है। उनका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। रेफ्रीजरेटरों के लिये प्रोवीजन रखा है। एयर-कण्डीशनर्स निर्माण किए जाते हैं। ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं। इनसे क्या होगा। इनसे पेट नहीं भरेगा। खाद्यान्न की जगह इनसे काम नहीं चलेगा। संयम रखना होगा आपको। ठीक से प्लानिंग करनी होगी। तब जाकर भूखमरी मिटेगी। आप यह 3000 करोड़ रुपया खाद्यान्न उत्पादन में लगाते तो उत्पादन में वृद्धि और वितरण में समानता लाते तो रास्ता निकल सकता था। पर यह रास्ता नहीं अपना कर आप राष्ट्रीयकरण के चक्कर में पड़ गये। यह आपका राजनैतिक हल था। इसका जो हल होना चाहिये था वही हुआ। परिणाम जो निकलना था वही निकला। भ्रष्टाचार का बीज बोवेंगे तो फल भी वही निकलेगा। आपने ज्यों ही अन्न की, गेहूं के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की, बाजार से उसी दिन गेहूं गायब। आपने एक काम और किया। आर्टीफिशल बेरियर्स लगाये जिलेबन्दी करदी। एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं नहीं ले जाया सकता। एक गांव से दूसरे गांव ले जाने में भी दिक्कत खड़ी की गई। उदयपुर के पास चितौड़ के लगे हुए गांव में 110 और 120 रुपया क्विन्टल तक गेहूं बिक गया और उदयपुर में 180) 200) रुपये में बिका। अब नाके पर चौकी पर सरकार ने सौ रु० का आदमी रख रखा है। दस रुपये का नोट उसे दो और भरा हुआ अनाज का ट्रक ले जाओ। आज जो वह सौ दो सौ पाने वाला आदमी था मालामाल हो गया। कई लखपति हो गये। इस तरह से ये आरटिफिसियल बेरियर जो आपने कायम कर दिये कई भ्रष्ट आदमियों के लिये वरदान सिद्ध हो गये।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

समय कम है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि खाद्यमन्त्रीजी ने राजस्थान भर में फेअर प्राइस शाप्स की संख्या 8 हजार बताई है। मुझे इसमें सन्देह है। मेरे ख्याल से 6 हजार दुकानें है फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इन आठ हजार दुकानों में से 32 हजार गांवों में अनाज कैसे वितरित किया जायेगा? कितनी दूकानों पर अनाज मिलता है?

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे नगरों में राशन में अनाज नहीं। राशन डिपो खाली पड़े हैं। शहरों में तो फिर भी किसी तरह मिल जावेगा। पर दूर पर्वतीय इलाके के निवासियों की हालत तो बड़ी बदतर आपने कर दी है। महीनों से लोगों ने वहां गेहूं की शक्ल नहीं देखी। उदयपुर के गांवों के आदिवासी वन वासी लोगों को माइलो तक नहीं मिला। मैं जिस इलाके से आया हूं वहाँ वही हालत है।

राष्ट्रीयकरण की घोषणा तो आपने कर दी पर इसको इम्पलीमेन्ट करने के लिए मशीनरी को मैंन्टली तैयार नहीं किया गया आज वनवासी लोगों को अनाज का दाना नहीं मिलता। हैलीकॉप्टरों से जाकर आप दिग्दर्शन जरूर कर आये पर सही स्थिति यह है कि उदयपुर के सारे डिस्ट्रिक्ट में वनवासी इलाके में एक गांव में भी एक दाना गेहूं का नहीं मिलता है। जानवरों के खाने लायक अनाज का भी एक दाना नहीं मिला है। जो सड़ा गला अनाज बीच में एक आध बार भेजा या उस तक को लेने के लिये लोग दूर दूर गांवों से आते हैं।

आप कहते हैं प्रोक्योरमेन्ट नहीं हुआ न आज हो पा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों नहीं होता? सबने किसान की वकालत की। मैं भी करना चाहूंगा। आप किसान से अन्न लेना चाहते हैं। पर उसकी वाजिब कीमत देना नहीं चाहते। आप मुद्रा स्फीति के चक्कर में आकर विदेशी मुद्रा के चक्कर में पड़कर विदेशों से तो अनाज मंगाने जा रहे हैं और उसकी कीमत 110 और 136 रुपया क्विन्टल देने जा रहे हैं पर भारत के किसानों को उतना भी नहीं देना चाहते। क्यों? फिर किसान क्यों देगा आपको? फिर किसान को आप सहूलियतें भी क्या देते हैं? आज किसान को क्या मिलता है? बिजली उसको नहीं मिलती, जो थोड़ी बहुत मिलती है, वह समय पर नहीं मिलती, उसमें भी उसे बड़ी तवालत और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। खाद और बीज नहीं मिलता, कोई भी तो सामान उसे समय पर और सही कीमत पर उपलब्ध नहीं होता। फिर हम चाहते हैं कि वह कम पैसे पर अपना उत्पादन दे। मुझे भय है कि अगर हमने पूरा पैसा किसान को नहीं दिया उसकी उपज का तो वह गेहूं पैदा करना बन्द कर देगा। दूसरी जिन्स पैदा करेगा। आप गेहूं की कम से कम सौ रुपया क्विन्टल की कीमत उसे दें। और दूसरी सभी आवश्यक सुविधाएं और साधन उसे उपलब्ध करावें। अब अगर वह गेहूं नहीं उत्पन्न करेगा तो सरकार कहेगी कि आपके खेतों पर कब्जा किया जावेगा। फिर किसान आज अपनी भूमि का स्वामी है वह स्वामी नहीं रहकर उस हालत में केवल एक रखवाला हो जावेगा, भूमि सरकार ले लेगी और उसका भूस्वामी सरकारी गुण्डों के इशारे पर जबतक नाचने वाला नहीं बनेगा तबतक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इस सरकार को चैन नहीं रहेगा । सरकार उससे छीन लेगी उसकी भूमि । यह किसान को उसकी भूमि से बेदखल करने का भयंकर षडयन्त्र है ।

आप उचित कीमत नहीं देना चाहते और चाहते है कि किसान आपको अपनी उपज दे दें । कहां से देगा वह इतनी कम कीमत पर सारी उपज ? तो किसान को उसकी मेहनत का पूरा पैसा दिया जावे । सौ रुपया कम से कम आप दीजिए । फिर उत्पादन भी वह करेगा और सरकार का षडयन्त्र भी सफल नहीं होगा ।

मैंने जिन भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया उसके कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा । इनको देखते हुये मैं यह मानने को तैयार नहीं कि आज जो लोग उच्च सत्ता पर बैठे हैं, मन्त्री मण्डल में बैठे हैं उनको इन सबकी जानकारी नहीं है । जानकारी उनको है, बल्कि सब काम उनकी देखरेख में संरक्षण में होता है, यह भी मैं कह सकता हूं इन बातों को देखकर तो । यह नहीं हो सकता कि इन मन्त्रियों की आंखों में धूल झोंक कर व्यापारी और अफसर मिलकर परमिट से बाहर अनाज ले जाते हैं । मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जिस जिस को इस तरह का परमिट दे उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि किस किस व्यापारी को किन किन शर्तों और रेट पर अनाज बाहर ले जाने अथवा बाहर से यहां लाने का परमिट दिया जा रहा है । इससे सबकी नजरों में सरकार की कार्यवाही रहेगी । अब जिनको परमिट दिये जाते हैं वे एक तो कांग्रेस के कृपापात्र होते हैं । दूसरे गलत तरीकों से गलत लोगों को ये दिये जाते हैं, गलत शर्तों पर दिये जाते हैं । मैं एक एक का नाम लेकर बताऊंगा तो यह सारी बात स्वतः स्पष्ट हो जावेगी । मैं चाहूंगा कि यह परमिट प्रथा सरकार समाप्त कर दें । अपने विभाग के मार्फत या अपने निगम के मार्फत सरकार स्वयं यह कर सकती थी । जिन बिचौलियों को खतम करने का नारा ये लगा रहे थे इस राष्ट्रीयकरण के द्वारा उन्हीं बिचौलियों को जनता को लूटने के लिये फिर से गले लगा रहे हैं ? कितनी विचित्र बात है यह । अब पचास हजार टन मक्का उदयपुर ले जाने के लिये हरियाणा से, चार अपने कृपा पात्रों को सरकार ने परमिट दिये । इस पर उनको तीन रुपया प्रति क्विन्टल का कमीशन दिया गया । अब यातायात का खर्चा भी उनको दिया गया । 1600 रुपया प्रति ट्रक के भाव से ।

जोधपुर के जिलाधीश ने चने की निकासी पर 31 मार्च 73 को रोक लगा दी । 8 मई को उसे हटा दिया । अब एक ही फर्म ने 8 मई व 9 जून के बीच में 11500 बोरी चना जोधपुर से गुजरात और महाराष्ट्र में भिजवा दिया और इसलिये कि वहां दूने भाव पर यह बिक रहा था । अब वह माल भी जोधपुर से नहीं लदा । भगत की कोठी से वैगनों में लदा । यह क्या तमाशा है । एक महीने में तो इसकी तंगी हो गई और दूसरे महीने में बहुतायत हो गई और परमिट देकर उसे गुजरात और महाराष्ट्र में भिजवा दिया । दूने भाव में बिकने का एक मात्र लालच उनके मन में था । यह है इस सरकार के काम करने का और राष्ट्रीयकरण करने का तरीका ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तीन ही दिनों में यह सारा खेल हो गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैसर्स जेठमल तुलसीराम को भरतपुर से बीकानेर में अनाज लाने का परमिट दिया गया। 1600 रुपया प्रति ट्रक का भाड़ा उसको दिलाया गया। जबकि वास्तविक भाड़ा 700) रुपया प्रति ट्रक ही उसे लगा। 900) रुपया प्रति ट्रक किसकी जेब में गया यह आसानी से समझा जा सकता है। मैसर्स भोलाराम दुलीचन्द को जयपुर से सरदारशहर अनाज भेजने के लिये 900) रुपये प्रति ट्रक का भाड़ा स्वीकार किया गया। जबकि वास्तविक भाड़ा 350) रुपये प्रति ट्रक से ज्यादा नहीं था। यह बीच की रकम किसकी जेब में गई। समझने वाला समझ सकता है।

हरियाणा पंजाब से पचास हजार क्विन्टल मक्का उदयपुर ले जाने के लिये परमिट दिया गया चार व्यापारियों को। इन लोगों ने उदयपुर में अपने नाम से फर्म कायम करके सरकार के विभाग में नाम रजिस्टर कराकर यह सारा काम किया है। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स बंशीधर रामविलास

(2) लोकुराम भोजुराम

(3) गोविन्दराम रामकिशोर

(4) अचलदास मोहनलाल

इनको परमिट दिया गया। एक क्विन्टल पर तीन रुपया कमीशन दिया गया। जबकि ये लोग राष्ट्रीयकरण से पहले महज बारदाने पर धन्धा करते थे। उदयपुर में एक व्यापारी है बंशीलाल चवरलाल मूंदड़ा। बांसवाड़ा से उदयपुर छः हजार बोरी मक्का व गेहूं का परमिट दिया गया। तीन रुपया क्विन्टल के कमीशन पर। लाने का जो भाड़ा खर्च होगा वह सारा का सारा जिलाधीश दें करेगा। तो यह सारा गोरखधंधा इस सरकार का राष्ट्रीयकरण की आड़ में धड़ल्ले से चल रहा है। इन पर से मेरा तो यह स्पष्ट चार्ज है कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिली भगत है। सारे भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और भ्रष्ट सत्ताधारियों का यह षडयन्त्र है। ये सब मिलकर इस तरह से चल रहे हैं कि आज गरीब को अनाज मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। मेरा यह कहना है कि दूर करने का इसका एक ही रास्ता है, उत्पादन में वृद्धि वितरण में समानता और उपभोग में संयम हो और उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है जब उनकी समस्याओं का समाधान जुटाया जाय। अन्य प्रान्तों में किसानों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। उनका जो खर्चा एक क्विन्टल पर पड़ता है, वह सरकार देती है किन्तु हमारे यहां पर सरकार नहीं देती है। वहां किसानों पर टैक्स माफ है, हमारे यहां टैक्स लगाते हैं। सरकार यातायात की सुविधा नहीं देती, पैसा नहीं देती, खाद और बीज समय पर नहीं देती और अन्त में वह दिन आयेगा कि किसान गेहूं अपने खेतों में बोयेगा नहीं और सरकार की जो मंशा है कि इस अनाज के राष्ट्रीयकरण की परिधि के अन्दर साम्यवादियों का जो इरादा है कि श्रमिकों के हाथ से भूमि छीन ली जाय ऐसी ही सरकार अपनी नीति बनाना चाहती है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

अन्त में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार उत्पादन में वृद्धि करे और वितरण में समानता लाये और उपभोग में संयम को तब जाकर कहीं इन समस्या का समाधान हो सकेगा अन्यथा नहीं ।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज ।

(6.53 सायं)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है मैं भी उसमें थोड़ी सी चर्चा करूंगा । मंहगाई के विषय में लम्बी चौड़ी चर्चा हो रही है । मेरा सुझाव यह है कि उत्पादन के विषय में हमारी सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती नहीं है । हमारा विभाग उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना चाहती नहीं है । उत्पादन का स्टोर होता है, कौनसे स्थान पर होता है यह आजतक हमको पता नहीं चला । उत्पादन आज सारे देश की समस्या है और फिर आज हमें उत्पादन का पता नहीं । हम विश्वास करते हैं कि उत्पादन पानी और खाद से बढ़ेगा और वह हमारे पास होगा तभी काम चलेगा ।

हरित क्रान्ति के बारे में मैं आज सदन को सुझाव देना चाहता हूं, सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं । हरित क्रान्ति में यह जिम्मेदारी नहीं है कि किसी बात पर किसी को छोड़ दिया जाय ... (अश्रव्य) .. आज कृषि अधिकारी को पता नहीं कि फलां टैंक टूट गया या फलां मोरी टूट गई और इससे कितना उत्पादन गिरेगा ।

हमने पहले भी सुझाव दिया था हमारे यहां मोरी और चादर बन जाय तो लाखों मन अनाज ज्यादा होगा । इसका कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । आज तो यह हालत है जिसके हाथ में लाठी होगी वह पानी पिलायेगा । लाखों रुपया सरकार का इस काम में लगा हुआ है । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं हम उत्पादन के लिए सारा खर्चा वहन कर लें । नदी, नाले और छोटे छोटे टैंक पर अधिक जोर दिया जाय, उनकी मरम्मत की व्यवस्था रखी जाय तो उत्पादन में काफी सुधार होगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे माननीय जनसंघ के नेता और स्वतन्त्र पार्टी के नेता महारावल साहब, उन्होंने यह कहा महंगाई बढ़ रही है और उसकी आलोचना होती है । जब आपको मालूम है यह एक प्रान्त और एक राज्य की समस्या नहीं है । देश जरूर आत्म निर्भरता पर कन्ट्रोल करेगा और अधिक धन का उपयोग करेगा । खाद और पानी पर ज्यादा जोर देंगे । हमारा इतना कार्यक्रम जिसमें करोड़ों, अरबों रुपया बरबाद हो गया लेकिन आज तक उसका फायदा नहीं ले पाये । हम गांवों से वसूली करें, यह भी हमारे सामने समस्या है । आज हमारे गांव में बहुत पुरानी जमीनों को बांटा जा रहा है । अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं । आज हमें चादर, सीमेन्ट, अनाज, शक्कर नहीं मिलती है और सरकार की किसी नीति का पता नहीं चलता है ---

(अश्रव्य) ...

हमने गर्दिश के दिन देखे हैं, हमने 56 का काल भी देखा है···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री चतुर्भुज)

अब इसलिए सरकार से निवेदन है, जिनको ये चीजें नहीं दी गई है, उनको दें। क्या वहां के कृषि अधिकारी को पता नहीं हैं, क्या प्रशासन को इस बात का पता नहीं है लेकिन सब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। हजारों मन धान है, जिसको आप दें नहीं सकते हैं। यह कैसे पार पड़ेगी। हम ही उस योजना का प्रबन्ध करें और हम ही आलोचना करें। आज यह बात किसी को पसन्द नहीं।

(समय समाप्ति सूचक दीर्घ घण्टी)

मैं जिलाधीशों को देवता के समान मानता हूं लेकिन प्रशासन की नीति ऐसी है कि····

(पुनः समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय जबतक कि मंत्री महोदय का जवाब समाप्त न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

सहमति है।

श्री चतुर्भुज : मैं निवेदन कर रहा था इसी जमाने में जुलाई-अगस्त में टोडा-रायसिंह में कोई वस्तु नहीं मिली। धान, शक्कर, मैदा, सूजी टोडा में दो महीने तक नहीं मिली। हम पूर्व में निवेदन कर चुके हैं। हम जिलाधीश के पास भी पहुंचे थे किन्तु हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज यह सदन में निवेदन करना चाहता हूं इसकी जांच करवा ली जाय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, उन पर कार्यवाही की जाय। क्या आप उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं मानते हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है ··

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री चतुर्भुज : इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच अवश्य की जाय, मुझे इससे असन्तोष है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की सबसे बड़ी प्रोब्लम तो हमारे यहां है इसलिए हमें समय दिया जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त कर दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह इश्यू ऐसा है कि सब लोग बोलना चाहते हैं चाहे दो दो मिनट ही दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था और मैं एक मिनट भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री जी को सुन लें उसके बाद में कोई बात हो तो बीच में पूछ लें। (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऐसा है कि दो मिनट में आप (श्री रघुनाथ विश्नोई) अपनी बात कह दीजिए।

श्री गौरीशंकर मुनीम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जाऊं ? सुबह से खड़ा हो रहा हूं और फिर भी बोलने का समय नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद आपको मौका दे देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों को अनाज तो नहीं मिला फिर समय का संकट क्यों उत्पन्न करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष जी, महंगाई के बारे में जो बहस अन्तिम दौर से गुजर रही है और मुझे समय बहुत कम मिला है मैं माननीय मंत्री-जी का ध्यान मेरे जिले की ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म रूप में कह दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बारे में आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जैसी भयंकर बाढ़ आई थी उस बाढ़ से घिरे इलाके के अन्दर अनाज का इन्तजाम नहीं किया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, 25 गांव ऐसे हैं कि जहां उनकी फसल समूल नष्ट हो गयी और कलेक्टर ने सांचोर तहसील के लिए 700 क्वि० अनाज अलाट किया था लेकिन रास्ते नहीं होने के कारण से वह भी नहीं पहुंचा। ऐसी हालत में वहां के लोग भूखमरी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इसलिए ऐसे लोग, जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं और जहां एक भी दाना उपलब्ध नहीं है, वहां के लिए 200 क्वि० अनाज एक बार एअर ड्रापिंग के जरिये गया था और उसके बाद आज तक इन्तजाम नहीं है तो इस बारे में मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत अनाज है वह बाढ़ से प्रभावित लोगों को दिया जाये और जालोर में फूड कारपोरेशन के गोदाम में अनाज पड़ा है उसको दिया जाये।

उपाध्यक्षजी, दूसरी बात यह है कि अनाज की कमी तो है ही और उसकी वजह से पूर्ण रूप से सहकारी गोदामों में अनाज नहीं होने की वजह से पूरा वितरण समय पर नहीं हो सका परन्तु अब मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर फूड कारपोरेशन के गोदाम में 16 हजार क्वि० प्रक्योर्ड गेहूं पड़ा है और उसके बारे में आदेश दिया था कि बीज के समय काम में लाया जायेगा और अब तक बीज का इन्तजाम नहीं किया गया है तो पहले तो समस्या का समाधान किया ही है और आगे आने वाले समय में आज गेहूं के लिए लोग तरस रहे हैं और जिस भूमि का इनन्डेशन हो रहा है जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही में इसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गेहूं का

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

बीज देने का वायदा करके आये थे। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने क्या आदेश दिये इसका तो पता नहीं लेकिन मैं जनता की ओर से वहां के काश्तकारों के इन्टरेस्ट में अपील करना चाहूंगा कि 10 दिन के अन्दर अन्दर बीज के लिए जितना गेहूं उपलब्ध हो सके ट्रान्स-पोर्ट करने की व्यवस्था करें ताकि अभी बुआई शुरू हो गयी है और बाद में वह बीज काम में नहीं आयेगा इसलिए उसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराई जानी चाहिए।

दूसरे काश्तकारों को अपने बेरों के फाउन्डेशन भरने के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता है और पांच-छः हजार बोरे सीमेन्ट के इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के पास पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो छः सात हजार बैग्स हमारे जिले में काश्तकारों को कम से कम पांच-पांच और सात-सात बोरे देकर बेरों के फाउन्डेशन भरने के लिए सीमेन्ट की व्यवस्था करा दें तो अच्छा होगा। अभी इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट वालों को आवश्यकता भी नहीं है इसलिए वह सीमेन्ट आप काश्तकारों में वितरण करायें।

इसके अलावा हमारे वहां पर करीब 50 ट्रेक्टर्स एग्रो इन्डस्ट्रीज के जरिये भिजवाये जायें क्योंकि प्राईवेट ट्रेक्टर्स में कम्पीटीशन ज्यादा होगा तो उनकी रेट्स भी कम होगी। बैलों से काश्त होने वाली नहीं है तो एग्रो इन्डस्ट्रीज के मार्फत ट्रेक्टर्स व्यवस्था कर दें तो उसके अन्दर भी काश्तकारों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा फर्टीलाइजर के बारे में आप शीघ्र व्यवस्था करें और दूसरी तो बाद की बात है अभी विशेष रूप से आपका ध्यान, क्योंकि समय मुझे बोलने के लिए कम दिया है, इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पीछे हुआ तो हुआ अब रबी की फसल के लिए इमीडियेटली जो कुछ भी कर सकें इसके डिजल व क्रूडाइल का इन्तजाम कर दें कि वहां सांचोर में डीजल और दूसरे आइल आसानी से मिल जायें। और उपाध्यक्षजी स्टेट मिनिस्टर आफ इन्डस्ट्रीज श्रीमती कमला जी बैठी हैं उनको हमने पिछली साल भी कहा था कि हमको समय पर क्रूड आइल नहीं मिला और फसल जल गयी। उस समय आपने कहा कि समय पर नहीं चेताया। मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है और डीजल की व्यवस्था नहीं हुई तो इस फसल की बोवाई नहीं होगी कांडला या गांधीधाम से आप चाहे डिप्टी सेक्रेटरी भेज कर या किसी भी आफिसर को भेज कर व्यवस्था करायें, नहीं तो ऑयल की व्यवस्था इमीडियेटली नहीं हुई तो बुआई में बहुत कठिनाई हो जायेगी और जो बाहर से ट्रेक्टर लेकर लोग जा रहे हैं उनके लिए डीजल का इन्तजाम नहीं है इसलिए इस बारे में अविलम्ब व्यवस्था करें ताकि बुआई के लिए क्रूड आइल, डीजल और दूसरे आइल की व्यवस्था हो सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में अविलम्ब व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गौरीशंकर जी मुनीम

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खाद्य समस्या और अन्य विषयों पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। खाद्य के विषय में मेरा निवेदन

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

यह है कि जब गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने तहेदिल से समर्थन किया कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उस पर हमारी सब की यही मन्शा थी कि इससे जनता को राहत पहुंचेगी लेकिन यह निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद में जिस रोज राष्ट्रीयकरण किया गया उसके चार रोज बाद में ही जो, चना, बाजरा और मक्का के भाव इतने ऊंचे हो गए कि 50 वर्षों में भी इतने ऊंचे भाव कभी नहीं हुए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण जब करना चाहते थे तो मैंने खाद्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं बड़ी खुशी है लेकिन आपके पास इन्तजाम भी है या नहीं? जब हमारे पास एक किलो तो है नहीं सौ किलो बांटने के लिए तैयार हो जायें तो कैसे काम चलेगा। मेरा मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण किया और इन्तजाम नहीं था। अब खाद्य मन्त्री जी कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा। मैं निवेदन करता हूं, सच अर्ज करता हूं कि अभी बारिश हुई उस बारिश के अन्दर हमारे यहां ऐसी जमीन है कि जो काली है और उसमें पांव धंस जाये तो निकल नहीं सकता। बारिस में लोग गांवों में नहीं पहुंच सकते। मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि कलेक्टर साहब बरसात होने वाली है, यह मैंने मई में कहा था, तो आप गांवों में अनाज का इन्तजाम तो करो तो उन्होंने कहा कि क्या करें होगा जो देखा जाएगा। मैंने कहा कि आखिर हम चुन कर आये हैं और आप आफिसर्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है लेकिन उन्होंने कुछ परवाह नहीं की और आप समझ लें कि मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता नहीं तो कहेंगे कि बनिया हैं पहले भी कहा गया था कि बनिया हूं, तो बनिया हूं तो हूं ही, दूसरा तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिला और तीन 2 दिन तक खाने को अन्न नहीं मिला, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका पहले से इन्तजाम करना चाहिए। शहरों में और बड़े 2 कस्बों में तो फिर भी महंगा सस्ता ले लेते है लेकिन गांवों में क्या हालत है। आप यह मान कर चलें कि हमारे जिले में गरीब जनता और गरीब किसान बहुत ज्यादा हैं। 80 प्रतिशत किसानों में से 15 प्रतिशत ही ऐसे होंगे जो मालदार हैं बाकी 65 परसेंट तो किसान ऐसे हैं जो मजदूरी करके काम चलाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं 15 मिनिट से कम नहीं बोलूंगा। या तो आप इजाजत दें नहीं तो बैठ जाता हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़, आर्डर।

श्री गौरीशंकर : आप मुझे तो सुन लीजिए। अभी बहुत सी बातें कहनी हैं मुझे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी तो बहुत कम कहा है, और कहिए।

श्री गौरीशंकर : मेरा निवेदन है कि इस तरह से ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो बैठने को तैयार है, आप बोलने की इजाजत दें।

श्री गौरीशंकर : ''''मैं खाद्य मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी हुआ सो तो हुआ लेकिन अभी जो बारिश ज्यादा हुई और इससे खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, बारिश के कारण फसल खत्म हो गई तो बतलाइए कि कहां से खाने को लायेंगे, कौन उनको खाने को देगा। जो गांवों में थे, किसानों की मदद करने वाले थे उन्होंने तो की लेकिन आगे कौन करेगा। इसलिए मेरा खाद्य मन्त्री जी से निवेदन है कि कृपा करके खरीफ की फसल तो खराब हो गई और इससे बेचारे किसान बहुत दुखी हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके जो रबी की फसल आती है, इसकी बुवाई का टाइम दशहरे और दीवाली के बीच में बोयी जाती है हमारे वहां पर, उसके लिए तो कृपा करके पूरा बीज दीजिए ताकि उनकी खरीफ की फसल तो खराब हो गई लेकिन रबी से तो फायदा उठा सकें और अपना पेट भर सकें। नहीं तो उनकी ऐसी दुर्दशा होगी कि वह जिन्दा भी कैसे रहेंगे। गरीब किसानों की हालत तो यह है कि खरीफ की फसल आई तो रबी की फसल पकड़ते हैं और रबी की फसल आती है तो खरीफ की फसल पकड़ते हैं और जो रुपया उधार लेते हैं वह चुकाते हैं। अब आप सोचिए कि न तो उनके पास पैसा है और उधर खरीफ की फसल खराब हो गई तो वे इतने दुखी है कि मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता हूं। कम से कम इतना तो बुवाई के वास्ते बीज दे दीजिए कि कम से कम यह रबी की फसल तो ले सकें। नहीं तो वह यह फसल भी नहीं बो सकता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, बीज लेगा कहां से। तो कृपा करके उनको कर्ज के तौर पर बीज दीजिए और इतना बीज दीजिए जितना वह मांगे। क्योंकि जमीन के हिसाब से झालावाड़ जिले को एक हजार क्विन्टल अनाज दिया तो मैं कहता हूं कि साहब एक हजार क्विन्टल से क्या होगा झालावाड़ जिले में। मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह फसल अच्छी लेनी है और अन्न की

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी तो नौ तो बजने दीजिए साहब। आपने फरमा दिया है कि खाद्य मन्त्री जी का भाषण न हो जावे तब तक सेशन चलेगा तो मुझे भी बोलने दीजिए।

अब मैं खास मुद्दे पर आ रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आप यह बीज दस दिन में पहुंचा दें और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर पार्टी के नाते'''

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दीजिए।

श्री गौरीशंकर : संक्षेप में नहीं, आज तो लम्बा ही होगा।

हमसे कहा जाता है कि गल्ला बताओ, हम कार्यकर्त्ताओं को कहा जाता है कि गल्ला पकड़ाओ। माफ करना, हम जिससे वोट लेकर आये हैं, जिसने हमें जिताया उसी को हम पकड़ायें क्या यही हमारा फर्ज है। आखिर यह सरकारी मशीनरी क्या करती है। कलेक्टर, झालावाड़ को मैंने कहा कि खानपुरा क्षेत्र में काफी गल्ला है आप उसको निकलाइये, लेकिन कलेक्टर

(श्री गौरीशंकर)

साहब ने न मालूम क्यों दूसरी बातों की वजह से या किसी के प्रेशर से ऐसा कुछ नहीं किया। जो बेचारे गरीब थे, छोटे व्यापारी थे उनको घेर लिया। एस. डी. एम. ने कहा कि गल्ला निकालो तो उन्होंने गल्ला तोल दिया लेकिन उसका भी उनको कुछ नहीं मिला। मैं यहां पर नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि पार्टी का सवाल है लेकिन आप समझ सकते हैं कि किनका प्रेशर हो सकता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं सही कह रहा हूं।

(व्यवधान अश्रव्य)

आप सुन लीजिये मेरी बात है। वे सवा सेर हैं तो मैं भी शेर हूं। मैं कम हूं क्या? मेरा निवेदन है कि जो कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं वे सब जानते हैं कि इतना अनाज इन लोगों के पास है, इतना अनाज बोया है और इतना चना बोया है, इतना गेहूं बोया है और इतनी पैदावार हुई है आखिर वह कहां गई? उन लोगों से तो कुछ नहीं लिया लेकिन जो बेचारे गरीब थे उनको एस. डी. एम. ने कहा तो कह दिया कि ले जाओ साहब तोल दिया लेकिन उसका भी पैसा उनको नहीं मिला यह कहां का न्याय है। उधर तो आप कहें कि गल्ला दो और

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनका गल्ला उनसे तुला लिया

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जो कुछ भी होगा वह भुगतेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री गौरीशंकर : आप खास तौर से बीज का प्रबन्ध कर दीजिए किसानों को कर्ज के तौर पर ..

श्री रामरघुनाथ : धन्यवाद।

श्री गौरीशंकर : धन्यवाद कैसे, अभी तो मैं इन समस्याओं की ओर आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिए।

श्री गौरीशंकर : मेरी अर्ज यह है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुन्शी जी को पूरा बहीखाता पढ़ने दीजिए।

श्री गौरीशंकर : यह बहीखाता नहीं है, यह तो मुनीम है जो आप सबका आदेश मानने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खाद्यान्नों के विषय में जो कुछ हुआ सो तो हुआ

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

लेकिन बात यह है कि मैं आपको....

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

अच्छी बात है और समस्याओं के विषय में फिर अर्ज कर दूंगा।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बढ़ते हुए भावों और खाने पीने की वस्तुओं के बारे में चर्चा हो रही है। बड़ी गम्भीरता के साथ यहां

(श्री शीशराम ओला)

पर बातें कही गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार के बारे में किसी ने इस प्रकार की चिंता जाहिर नहीं की कि गांवों में आज काश्तकार सबसे ज्यादा दुःखी और परेशान हैं। राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में काश्तकार अस्सी प्रतिशत रहते हैं और 70-80 प्रतिशत लोगों की समस्यायें इस सदन में बैठ कर कभी हल करने की बात नहीं सोची जाती। पिछले वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के दिनों में काश्तकार को अनाज ठीक से नहीं मिला। अनाज नहीं मिला तो नहीं मिला लेकिन उसके बाद उसके बैल, ऊंट, दूसरे पशु गाय, भैंसें व सब समाप्त हो गई क्योंकि ऊंट वगैरह बगैर चारे के मर गए। एक प्रकार से जो उसके पास साधन थे वह समाप्त हो गए। उन काश्तकारों को गांवों में रहने वाले काश्तकारों को गेहूं तो क्या दूसरा अनाज भी नहीं मिला। न मालूम किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को निभाया और इस समय को काट दिया। आज मंहगाई और खाद्य वस्तुओं के न मिलने की बड़े जोरों से चर्चा हो रही है। काश्तकारों ने कैसे भी करके अनाज पैदा किया। हमारे यहां बाजरे की फसल पैदा होती है जो सारे राजस्थान के हिस्से में नहीं खाया जाता लेकिन राजस्थान के दूसरे भी हिस्से हैं जहां बाजरा खाया जाता है और कुछ हिस्सों में थोड़े दिनों के लिए खाया जाता है।

बाजरा आज से तीन दिन पहले 160 रुपया क्विन्टल मिलता था इससे पहले इस से भी ज्यादा का भाव था। अब सरकार ने घोषणा की है कि वह अब 72 रुपये क्विन्टल बाजरा खरीदेगी। यह भाव इस सरकार ने तय किया है। वैसे अभी बाजरा बाजार में नहीं आया है। परन्तु बाजरे का भाव 80 रुपये तक हो गया है। इसलिए हम इस बात पर विचार करें, जिसे हम अनाज पैदा करने वाला कहते हैं, उसकी मंशा को जानें और कैसे अनाज पैदा अधिक करने के लिए उसको सहूलियतें दें। इस सदन के अन्दर यह चर्चा चल रही है। परन्तु जो धान पैदा करता है उसकी आज स्थिति क्या है। क्या वह अनाज पैदा करने लायक है? क्या उसको घाटा तो नहीं लग रहा है। 25 रुपये मन उसको चारा मिल रहा है। काश्तकार जिस जमीन पर अनाज पैदा करता है, काश्त करता है, उस पर कितना वह खर्चा करता है। उस खर्चे का अगर हम लेखा जोखा करें तो मैं समझता हूं कि एक क्विन्टल अनाज, बाजरा जिस भूमि पर वह पैदा करता है, उसका आपने 72 रु० का भाव रखा है। अब उस भूमि की पिलाई, बीजाई और उसका खर्चा कितना होता है, क्या इस भाव में उसका यह खर्चा निकल सकता है। क्या इस स्थिति में वह अनाज को पैदा कर सकेगा। क्या वह आगे चल कर पैदा करने लायक, काश्त करने लायक रह सकेगा। यहां लच्छेदार भाषण हम करते हैं। समाजवाद का नारा हम लगा रहे हैं परन्तु केवल नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। हमें काश्तकार के बेस को मजबूत करना चाहिए, इसके लिए आपको व्यवस्था करना चाहिए। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए केवल भाषण से काम नहीं चलने वाला है। एक तरफ हम चाहते हैं कि अनाज अधिक पैदा हो परन्तु काश्तकार को इसके लिए सुविधा नहीं मिलती है, काश्तकारों को सीमेंट नहीं मिलती है। मैं आपको यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले में अकाल राहत कार्यों के अंदर

(श्री शीशराम ओला

निर्माण कार्य हुआ। यह एक अच्छा कदम था। सूझबूझ का एक कदम था। कुओं का निर्माण हुआ। भविष्य में ये कुए अकाल को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। सीमेंट के अभाव में वहां पर कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। वे कुए के अन्दर गए और मिट्टी टूट गयी। उनके पास सीमेंट नहीं थी और वे मर गए। परन्तु दूसरी तरफ जयपुर में सिनेमाओं को सीमेंट दी गयी और काश्तकारों को सीमेंट नहीं दी गयी। इसी तरह काश्तकारों को अपने ट्रेक्टरों के लिए डीजल नहीं मिलता। इसी प्रकार उनको बीज नहीं मिलता और तकावी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें उनका कोई हित नहीं रखा जाता है। वे इस धरती के सही मायने में पुत्र हैं। राष्ट्र के सच्चे सपूत हैं परन्तु उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। एक तरफ भीषण रूप से महंगाई बढ़ गयी है। आज 20 प्रतिशत मजदूर गांव में रहते हैं। उनके पास न जमीन है और न रहने के लिए मकान है। ये मजदूर आज गांवों में रहते हैं उनको कोई सहूलियत नहीं दी गई है जबकि शहर के मजदूरों को सहूलियतें दी गई हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार हमें सोचना होगा इस देश में, यह अनाज की जो कमी है, वह कैसे हम पूरी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिये। यह व्यवस्था जब तक नहीं सुधर सकेगी जब तक कि आप किसानों को सहूलियतें नहीं देंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो टोटे का व्यापार करेगा सिवाय काश्तकार के। काश्तकार अनाज पैदा करके मण्डी में गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। वह किसी को भी यह नहीं बता सकता कि उसका कितना खर्चा हुआ है। दूसरे व्यक्ति उसके अनाज पर बोली लगाते हैं। सरकार उसके माल का भाव तय कर देती है चाहे इस सरकार को अमेरिका से अनाज मंगाने में 200 रुपया क्विटल खर्च करना पड़े परन्तु वह हिन्दुस्तान के किसान की कमर तोड़ रही है। और यह लालफीताशाही 72/- रुपये का भाव तय कर रही है। तब काश्तकार इस लायक नहीं रहेगा कि वह अनाज पैदा कर सके।

राशन कार्ड की जो बात है वह गम्भीर मसला है। एक तरफ लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ फर्जी राशन कार्डों के जरिये लाखों रुपयों का अनाज ब्लेक में बिक रहा है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिये। सरकार के पास जन संख्या के आंकड़े हैं, सरकार का अपना स्टेटिकल डिपार्टमेंट है उसके जरिये आप पकड़ सकते हैं। एक मिनिट का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। लाखों नकली राशन कार्ड हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकारी अधिकारियों को इसको चेक करना चाहिए। अनाज सही व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिये। इसलिए यह समस्या गंभीर बनी हुई है। यह संकट का समय है। जो व्यक्ति अनाज का ब्लेक करता है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उन्हें यह महसूस हो सके कि देश के संकट के समय कम से कम वे ऐसा कार्य तो न करें। यदि सरकार इन लोगों को पकड़ सकेगी तो यह एक बहुत बड़ा काम हो सकेगा। हमारे देश में फर्जी राशन कार्ड से अनाज लेकर ब्लेक में बेचा जाए यह सब से बड़ा जुल्म है।

(श्री शीशराम ओला)

इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी हो गया है···(घण्टी) जब तक काश्तकारों को अनाज पैदा करने के लिए हम सहूलियतें नहीं देंगे अनाज की समस्या आसानी से हल नहीं होगी। सारी सहूलियतें देंगे तो वक्त पर समस्या हल होगी। आज काश्तकार को बिजली नहीं मिलती। वक्त पर उसको बीज नहीं मिलता है। वक्त पर सीमेन्ट नहीं मिलती है। वक्त पर केरोसीन आइल नहीं मिलता है। हमने गांवों में दो किलो देने का तय कर रखा है। इस प्रकार गांवों के लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिल रहा है। परन्तु यह जो दो किलो अनाज राशन से देने का रखा है वह भी पूरा नहीं दिया जाता है। हमारी सरकार ने काश्तकारों का, गांवों का राशनिंग व्यवस्था में ध्यान नहीं रखा है। गांव वालों के लिए राशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज जो कुछ भी उनके पास है उससे वे किसी भी भाव में अनाज को ले रहे है। परन्तु आगे भयंकर संकट के समय में वे कायम रह सकेंगे, यह गम्भीरता से सोचने का विषय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारी सरकार ने यहां पर जो कुछ भी किया है वह दूसरी स्टेट के मुकाबले में ठीक किया है। बाहर से अनाज मंगाने की जो व्यवस्था है यह हमारे सरकार के जिम्मे नहीं था। यह जिम्मा भारत सरकार का है। परन्तु जिस तरह की हालात थी उसमें जो कुछ भी हमारी सरकार कर पायी है वह वाजिब है परन्तु काश्तकारों के साथ इस सरकार का भी सौतेला व्यवहार है।

दूसरा एक प्रश्न और है दूध का। मावे की मिठाई बाजार में न बनाई जावे इसके बारे में कहा गया। दूध की खपत बाजार में है। परन्तु इस योजना को बनाने वाले व्यक्ति इस बात को भूल गये हैं कि आज काश्तकारों के पास कितना दूध है। यह हो सकता है कि मई, अप्रैल, जून में दूध की कमी हो। परन्तु आज तो हर गांव में, हर काश्तकार के यहां पर दूध उपलब्ध है। अगर वह शहरों में नहीं आयेगा तो कहां जाएगा। उसको पैसा कहां से मिलेगा। प्रतिबन्ध से तो उसका दूध पड़ा रहेगा। आज खोवे पर प्रतिबन्ध लगाना मैं उचित नहीं समझता हूं। आज दूध की कमी नहीं है। दूध का कन्जम्पशन नहीं होगा तो काश्तकारों को नुकसान होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं तो उससे किसानों को नुकसान होगा, इसमें उनका हित नहीं है और न जनता का ही इसमें हित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महंगाई के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके समक्ष निवेदन करना है····

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत ही संक्षेप में। आपकी पहली घण्टी बजते ही मैं बैठ जाऊंगा। आप 15 मिनिट बाद में घण्टी दे दें।

सबसे बड़ा जयपुर कन्जूमिंग सेन्टर है और यहां पर जो वितरण की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में दिक्कतें है और इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जो दिक्कतें है, जिनका कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है उन सब के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बारे में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और सूक्ष्म में केवल-मात्र यह बात कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और जनता को यह कह कर कि पूर्णतया ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे उसके ऊपर चाहे विरोधी पक्ष की तरफ से हों चाहे इस पक्ष की तरफ से हों, यहां पर आये हैं। कहीं पर बीज के अन्दर घोटाला हुआ है और उस घोटाले के बारे में कहा है, चाहे चने की निकासी के सम्बन्ध में हो, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कल मंत्री महोदय डेढ़ घण्टे तक वक्तव्य दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि चने और जौ पर भारत सरकार की तरफ से कोई पाबन्दी नहीं है, और उसमें तीन दिन का नाटक जोधपुर के अन्दर खेला गया और उस नाटक में 10 लाख रुपये का घोटाला हुआ वहां पर लोगों ने मिलकर किया तो मैं मांग करूंगा कि उसकी, उपाध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन अपराधी है और इसकी वजह से राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था का सामना करना पड़ा।

बीज के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास आंकड़े हैं इस बात के कि बाजार रेट 340 का था और 450 का टेन्डर मन्जूर किया गया। हमने मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया मैंने और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने दिल्ली जाकर उनको सारे फीगर्स दिये कि यह राजस्थान में लूट हो रही है। इस राजस्थान के खाद्य विभाग के अधिकारीगण वह मिलीभगत करके इन सारे काण्डों में शामिल होकर इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस पर जांच के आदेश भी दिये, लेकिन मुझे पता नहीं कि किन वजूहात के कारण सारी जांच का नाटक समाप्त हो गया और तीन दिन में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि सारा आर्डर दे दिया गया और माल परचेज कर लिया गया और भुगतान कर दी गई, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि चाहे दोषी कोई हो, दोष का ज्यादा भागीदार हो सार्वजनिक जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा रखने के लिए यह जरूरी है कि विधायकों की एक कमेटी के द्वारा इस कार्य की जांच हो, और इस तरह की व्यवस्था जिन लोगों ने की है और जिन्होने राजस्थान के जन-जीवन के साथ में खिलवाड़ किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है। (विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)।

कोयले की जानकारी के बारे में पूर्ण वक्तव्य दिया गया है। उसके बारे में अधिक बात नहीं कहना चाहूंगा कि इस कोयले के सम्बन्ध में इसी विधान सभा में इसी सदन के अन्दर मैंने कई तथ्य प्रस्तुत किये थे। हमने इसके बारे में मंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके अन्दर राजस्थान सरकार को कोयले के बारे में कई जगहों पर नीचा देखना पड़ा है और सारे राजस्थान का कोयला दूसरी जगह पर जाकर बिका। इसकी जांच तो दूर रही उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं भिजवाया। कोई कार्यवाही की गई तो यह की गई कि एक अधिकारी से चार्ज लेकर दूसरे अधिकारी को दे दिया गया। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सारे काण्ड की जांच होना चाहिए और जो भी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दोषी पाया जाय उसके खिलाफ सख्त सजा की व्यवस्था की जाय ।

केरोसीन के ऊपर 3 अप्रेल को इसी सदन में विचार किया गया था तो मंत्री महोदया जो सौभाग्य से यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया था कि जांच की जायेगी । मुझे पता नहीं कि जांच किस स्तर पर हुई, क्या हुआ, जांच का परिणाम क्या निकला और जांच के परिणाम को सदन में कब अवगत करा देंगी । इसकी जानकारी मंत्री महोदया, जो कि यहां पर उपस्थित हैं वही देंगी ।

यहां पर सीमेंट के बारे में भी कहा गया । सीकर जिले में कुओं की प्रशंसा अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे । जिस प्रकार से सीकर जिले में चार हजार कुओं का निर्माण हुआ उसी प्रकार से झुन्झुनूं जिले में कुओं का निर्माण हुआ, और जयपुर जिले में अकाल से लड़ने के लिए कुओं का निर्माण हुआ । सीमेंट की व्यवस्था का प्रश्न था । सीमेंट की व्यवस्था करने की जो बात हुई है, तो मैं आंकड़े सहित आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो वक्तव्य दिया गया है, उसमें यह कहा था कि बिजली और पावर की कमी की वजह से सीमेंट नहीं मिला, और दूसरी तरफ ये आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि 1925 मेट्रिक टन का कोटा जयपुर जिले में तय किया गया । उसमें मई के अन्दर 1422 मेट्रिक टन का कोटा उठाया गया, जून में 1060 मेट्रिक टन उठाया गया, जुलाई में 706 टन उठाया गया और अगस्त में 1506 मेट्रिक टन का कोटा उठाया गया । यहां पर सीमेंट 26 और 28 रुपये बेग के अन्दर बिकता रहा, और 26 और 28 रुपये में ही बेग नहीं बिकता रहा मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा कि आप आदेश दें जिलाधीश को कि इसकी जांच की जाय कि एक बेग में 48 के० जी० सीमेंट होना चाहिए वह सीमेंट 35 के० जी० ही निकलता है । मैंने प्रमाण देकर बताया कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री इस रायल्टी में लाखों रुपयों की चोरी करती है और उसके बाद में जनता के साथ में खुलेआम धोखाधड़ी इस प्रकार से होती रहे । उन्होंने मेरे सामने जिलाधीश को कहा । मुझे पता नहीं कि वह जांच क्यों नहीं हुई क्यों जनता को 48 के० जी० के बजाय 35 के० जी० का सीमेंट का बेग दिया जा रहा है । सीमेंट का और भी विचित्र नाटक हुआ । मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि सीकर जिले में नकली सीमेंट बरसों तक बिकता रहा । बड़ी मुश्किल से जिस आदमी ने पकड़ा, और जिस जिलाधीश की माननीय सदस्य तारीफ कर रहे थे उस गरीब का स्थानान्तरण इस बात के लिए कर दिया गया कि उस आदमी ने जमकर काम किया था ।

जैसी सीमेंट की बात है उसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वेजीटेबल प्रोडक्ट के बारे में वैसी ही स्थिति है । एक तरफ सीमेंट की ऐसी स्थिति रही कि 1925 मेट्रिक टन का कोटा जयपुर जिले के लिए निश्चित था उसमें से 700 टन ही उठाया गया उसी प्रकार मेरे पास आंकड़े हैं, वेजीटेबल प्रोडक्ट के बारे में हुआ । हमारे देश में वेजीटेबल मैन्यूफेक्चरर्स एसोसियेशन है

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिसके माध्यम से भारत सरकार वेजीटेबल ऑइल का कोटा देती है, मुझे खेद है कि यहां पर यह हुआ कि एक एक किलो के लिए 6-6 घन्टों तक लोग लाइन में खड़े रहें और आपने 3 हजार टन का कोटा लेप्स कर दिया। बार बार इस बात के कहने पर कि मंगाइये बड़ी परेशानी हो रही है, लोग दुःखी हैं, लोगों को खाने को डालडा भी नहीं मिल रहा है, आपने नहीं मंगाया। देशी घी पर नियन्त्रण तो नहीं किया गया लेकिन दूसरे तरीके से 25 रु० की रेट पर जनता को मिले यह प्रस्ताव किया है तो देशी घी भी गायब हो गया न देशी घी मिलता है और न डालडा मिलता है। यहां की फेक्ट्री के माल को बाहर भेजा और बाहर से जो माल आने वाला था उस माल की व्यवस्था नहीं की गई। उसका परिणाम यह हुआ कि सारे शहर के 2 लाख राशन कार्ड के लिए और मेरे क्षेत्र के 2½ लाख व्यक्ति जिन राशन कार्डों से गेहूं, वेजीटेबल, घी और इन चीजों को परचेज करते हैं, उनके सामने यह स्थिति सामने आई है। मैं आज भी आप से निवेदन करूंगा कि आज 9 तारीख हो गई है लेकिन आज तक राशन का गेहूं नहीं मिला जो कि केवलमात्र 4 किलो मिलता है। मैं झुन्झुनु से आने वाले माननीय सदस्य श्री शीशरामजी की इस बात को मानता हूं लेकिन अब क्या करें यहां पर दूसरा काम करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा कन्जूमर्स सेन्टर जयपुर शहर है और जयपुर शहर के लोगों से कहें और उनसे गेहूं का उत्पादन कराया जाय तो आपके यहां के दूसरे काम रुकेंगे। मैं आपसे नम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप केवलमात्र व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वह बात बेजा है। मेरी पार्टी का कार्यक्रम है। मेरी पार्टी ने इस बात की ताईद की है कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण करके हमको सही चीज, सही मूल्य पर लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। यह व्यवस्था करने में, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें सामने आती हैं तो, हम उसका मुकाबला करेंगे। हमने सैंकड़ों वर्षों से जमी हुई व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और इन लोगों को हटाया था (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो सही कीमत पर सही चीज उपभोक्ता तक पहुंचे, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को करने में हम बुरी तरह से विफल रहे है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जब जनता के समर्थन पर हम विधान सभा में आकर बैठे थे तो हमने मांग की थी कि निरीक्षण के लिए समितियां बनें, मोहल्ला कमेटियां बनें। ऐसी मोहल्ला कमेटियां देखें कि कौन राशन कार्ड से सामान देने वाला दुकानदार कहां सामान देता है, कैसा सामान देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मोहल्ला कमेटियों के बजाय हमने एन्फोर्समेंट इन्स-पेक्टर्स की नियुक्तियां कीं। उनसे कितना घोटाला हुआ और कितनी कितनी गड़बड़ियां किन किन लोगों ने की वह किसी दूसरे मौके पर, जब बात आयेगी, तब कहूंगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कैसी विडम्बना है कि जिन्हें राजस्थान की दो करोड़ 57 लाख की जनता ने शासन करने का भार सौंपा है, जिन्होंने उनके कार्यक्रम से प्रभावित होकर, अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का भार सौंपा है, उन पर भरोसा नहीं किया और जो लूट पहले से ही मच रही थी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उसमें यह एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर को नियुक्त करने की बात और की। सदन के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, वे अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में बोले हैं। जो वितरण व्यवस्था की देखभाल करते हैं, उनके बारे में भ्रष्टाचार की चर्चा की है। एण्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट से जांच कराने की मांग की है। जयपुर में उसको 'अण्टी गरम महकमा' कहते हैं। जिन मुहल्लों में विधायकों की खाद्य समितियां बनाई थीं उनकी 15 दिन में मीटिंग हो, आज विधायक भी यह कह नहीं सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

इस प्रकार से इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने अपने एक नोट में लिखा है—

"सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की मांग को देखते हुये खरीफ और रबी की फसल की वसूली में कमी और बाजार में कम माल आने से महंगाई बढ़ी और जारी रही।

सरकारी खर्चों में काफी बढ़ोतरी भी इसका एक और कारण है। इस वर्ष में सरकारी खर्चों में 13.6% वृद्धि हुई है।"

यह तो लम्बी बात है। परन्तु मैं एक ही बात कहूंगा, इस सारे प्रोग्राम को इन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर पर आप छोड़ते हैं, जो कार्यक्रम की क्रियान्विति नहीं करना चाहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक, अनवरत, घण्टी)

यदि रूस की सरकार 20 लाख टन गेहूं नहीं देती तो गेहूं की क्या स्थिति हुई होती।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हमारी वितरण व्यवस्था में कमी है इसका उचित समाधान नहीं किया तो हमें निश्चितरूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अन्त में मैं मावे की मिठाई और दूध की बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस की 25 हजार की रेली जयपुर में निकली कांग्रेस के महा मन्त्री उसका उद्‌बोधन करने आये। वहां पर मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की कि तीन दिन के अन्दर मावे की मिठाई पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। केबिनेट ने फैसला ले लिया है। लेकिन खाद्य विभाग ने यह कह कर कि सेन्ट्रल इसका फैसला करेगा, उसको समाप्त कर दिया। मैं माननीय सदस्य शोशरामजी के कहने से सहमत हूं कि मावे की मिठाई पर प्रतिबन्ध लगाने का अब कोई महत्व नहीं रह गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिस जनता ने आस्था प्रकट की है, उसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : जोशी जी, एक डिब्बा रसगुल्लों का इनके यहां आप को जरूर पहुंचाना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सदन में आरोप लगाये गये हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वह गलत है तो उनको देखना है। अगर वह सही है तो चाहे वह कोई भी हो, उनको सजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मंत्रीजी

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मुंशीलाल : मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया है।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(अनेक मा० सदस्य बोलने लगे, शोर गुल, अश्रव्य)

श्री लूणाराम : हम सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

कांग्रेस दल के सचेतक महोदय ने जो लिस्ट दी थी, वह हम समाप्त कर चुके हैं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं···

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय···

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Is it the manner of behaving when the Chair is on its legs? I hope you will not interrupt.

जहां तक कांग्रेस विधायक दल का प्रश्न है, माननीय सचेतक महोदय ने सूची दी थी, वह समाप्त हो गई है। जहां तक जनसंघ दल का प्रश्न है, दो माननीय सदस्यों को अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय से माननीय सदस्य के समक्ष बात हुई थी। एक माननीय सदस्य बोलते हैं उसके अनुसार मैं मौका दे चुका हूं। इसलिए बाद में मौका देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। अगर यह व्यवस्था थी····

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों को अधिक बोलने का समय देते हैं। तो उनको भी····

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप यह कहते रहे। मुझे भी मजबूर होकर जयपुर की जनता की आवाज सुनाने के लिए बोलना होगा। मैं बोलूंगा। आप अपने सारजेन्ट को बुलाकर मुझे सदन से बाहर कर दें। मुझे चिन्ता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर की जनता का आज महंगाई में क्या हाल हो रहा है।

(शोरगुल – अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

(शोरगुल – अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष :(कांग्रेस पक्ष के कुछ मा० सदस्यों से) आप तशरीफ रखिये। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

जहां तक समय देने का प्रश्न है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। आप यदि रात के 12 बजे तक बैठना चाहते हैं तो वह अलग बात है। लेकिन सदन में हम कोई न कोई परम्परा रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि सारजेन्ट को प्रयोग में लाया जाये। मैं इस प्रकार की परम्परा का अभ्यस्त नहीं हूं। न मैं ऐसा चाहता ही हूं। माननीय सचेतक महोदय की ओर से यह रिक्वेस्ट थी कि साढ़े 6 बजे माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर होगा। अभी 8 बजने में 10 मिनट शेष हैं। इसके अतिरिक्त भी आप सदन की कार्यवाही को और भी विस्तृत करना चाहते हैं, तो यह आपको सोचना है।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री लूणाराम : आप फर्मा रहे हैं, हम निवेदन करेंगे. हमारे मुख्य सचेतक ने जो लिस्ट दी, उसके अनुसार कांग्रेस सदस्यों का टाइम नहीं है तो मुख्य सचेतक को बुलावा दीजिये और उनसे कहलवा दीजिये कि तुम्हारा टाइम नहीं है तो हम संतोष कर लेंगे।

श्री राम कुमार (सांगटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचेतक को तीन दफा निवेदन कर चुका हूं और मुझे समय देने के लिए फर्माया था कि अध्यक्ष महोदय के सामने लिस्ट रख दूंगा। चेअर की तरफ मुझे आदेश दे दिया है, इसलिए मैं सारी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चेअर का आदेश मिला कि मुख्य सचेतक की तरफ से लिस्ट दे दी गई है, और वह ख़त्म कर दी गई है, तो मैं समझता हूं कि मुख्य सचेतक हम जैसे काश्तकारों को, हम जैसे गरीबों को बोलने का मौका नहीं देते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि खाद्यान्न के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है। वास्तव में खाद्यान्न की समस्या है, खाद्यान्न के बढ़ते हुए भाव हैं। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी भावना रखी हैं ··

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी भावना फर्माइये।

श्री रामकुमार : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि खाद्यान्न की समस्या वास्तव में राजस्थान के अन्दर रही है और राजस्थान के अन्दर प्रकृति का प्रकोप रहा है। खरीफ की फसल पर भी रहा है, कहीं सूखा पड़ा और कहीं बाढ़ आ गई। अब रबी की फसल का वक्त है तो इस समय भी रबी

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री रामकुमार)

की फसल पर कहीं ओला वृष्टि हुई और कहीं शीत ने मारा। इसलिए खाद्यान्न की समस्या राजस्थान के अन्दर स्वाभाविक है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, कुछ व्यवस्था की कमी रही है। खाद्यान्न की उपज के वास्ते काश्तकारों को कृषि यंत्र चाहिए, डीजल चाहिए और साधन चाहिएं, लेकिन काश्तकारों को समय पर नहीं मिलते हैं। काश्तकार इन कमियों की वजह से और समय पर बीज और खाद न मिलने के कारण पिछड़ गया है और काश्तकारों ने उत्पादन कम किया है। मैं निवेदन करूंगा, हम काश्तकारों के लिए समय पर व्यवस्था करें, समय पर उनको डीजल मिले, समय पर बीज और खाद मिले। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि खाद्यान्न का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है, यह राष्ट्रीयकरण उस टाइम पर किया जिस वक्त काश्तकार अपनी फसल को तैयार करके खलिहान से मकान के अन्दर लाता है। उस वक्त गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपके नवम्बर, दिसम्बर और मई-जून के अन्दर खरीफ और रबी की फसल आती है। फसल आने के वक्त आप राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, उसके बाद जो काश्तकार व्यापारी के पास पहुंचता है तो गल्ले के भाव बढ़ जाते हैं। भावों पर सरकार नियंत्रण नहीं करती है जिससे काश्तकारों की माली हालत गिरती जा रही है। मैं निवेदन करूं कि काश्तकारों के बारे में सरकार अनाउन्समेंट करती है कि हमें उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, हमें काश्तकारों की समस्या हल करनी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया कि हम काश्तकारों की समस्या हल करेंगे, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, काश्तकारों और व्यापारियों के अन्दर भेदभाव है, गरीब व अमीर के अन्दर भेदभाव है, हम उसको मिटायेंगे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस वक्त काश्तकार अपनी फसल तैयार करता है उस वक्त सरकार राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। राष्ट्रीयकरण करते वक्त 75-76 क्विन्टल के भाव से लेते हैं, 54-55 रुपये क्विंटल बाजरे के भाव निर्धारित किये थे, इस साल बताते हैं कि 72 रुपये क्विन्टल बाजरे के भाव निर्धारित किये हैं। मैं समझता हूं कि इससे काश्तकारों को मुसीबत होती है कठिनाई होती है, क्योंकि वह जो खाद्यान्न पैदा करता है उसे पूरे भाव न मिल कर व्यापारी, जो खाद्यान्न जमा कर लेता है, उसको ब्लेक के अन्दर 175-180 रुपये क्विन्टल के भाव से बेचता है। मैं समझता हूं, यह सरकार झूठा अनाउन्समेंट करती है, यह सरकार किसानों को धोखा देती है, यह सरकार काश्तकारों को मुगालते में डालती है, मुख्यमंत्री गलत बात करते हैं कि हम काश्तकारों और व्यापारी और गरीब और अमीर के भेदभाव को मिटा देंगे, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है हम उसको मिटा देंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर देना चाहता हूं, ऐसा सरकार के पास कौनसा जादू है जिससे काश्तकारों को उचित भाव मिल जायेंगे। आज जमाखोर, ब्लेक करने वाले और पूंजीपति हैं उनको 175-180 रुपये क्विन्टल के भाव से पैसे मिल जाते हैं और काश्तकारों को वह भाव मिलते नहीं हैं। उसके बाद सरकार आश्वासन देती है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटा देंगे, हम समाजवाद ले आयेंगे। मैं समझता हूं कि समाजवाद नहीं आया है और न यह सरकार समाजवाद लाना चाहती है, यह सरकार समाजवाद का

(श्री रामकुमार)

लक्ष्य पूरा नहीं करना चाहती है। समाजवाद को लाने के बारे में, मैं सोचता हूं, सरकार और अधिकारियों ने सोचा नहीं है। मैं चाहता हूं कि काश्तकारों को भाव सही मिलें, काश्तकार जो अपना गल्ला पैदा करता है, काश्तकार खरीफ और रबी की फसल पैदा करता है उसको भाव ऊंचे मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय-करण करती है, सरकार प्राइस निर्धारित करती है तो सरकार अपनी तरफ से यह वचन दे और गम्भीरता के साथ वचन दे कि हम यह भाव निर्धारित करते हैं, एक साल, दो साल तक हम इन भावों को ऊंचा नहीं जाने देंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार का गल्ला, सरकार चाहेगी तो सरकार के पास आयेगा और सरकार चाहेगी तो मार्केट में आयेगा। लेकिन सरकार को वचन देना पड़ेगा कि वह भावों को ऊंचा नहीं जाने देगी। लेकिन अफसोस की बात है कि काश्तकारों का सवाल है, लेकिन काश्तकारों की समस्याओं को माननीय सदस्यों ने नहीं उठाया है, काश्तकार के सामने क्या कठिनाई हैं, उनको नहीं बताया है। मैंने निवेदन किया कि जो भेदभाव दूर करने की बात है, उसको सरकार नहीं करेगी और सरकार काश्तकारों की स्थिति को मजबूत नहीं करेगी, तो काश्तकारों की भलाई का ढिंढोरा जो सरकार पीटती है, वह झूठा है और समाजवाद का नारा लगाती है वह झूठा है। इसलिए आपको काश्तकारों के लिए बहुत कुछ सोचना होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी। सरकार ने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त अनाउन्समेंट किया था, सरकार ने इस विधान सभा के चुनावों के वक्त अनाउन्समेंट किया था कि सरकार समाजवाद लाना चाहती है, गरीब और अमीर के भेदभाव को मिटाना चाहती है, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा कौनसा तरीका है, ऐसा कौनसा जादू का चक्कर है जिससे आप समाजवाद ले आयेंगे और सबको बराबर कर देंगे

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

काश्तकारों की समस्या को हल कर देंगे, गरीब और अमीर के भेदभाव को मिटा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन मेरा यह है ......

श्री उपाध्यक्ष : मेरी अर्ज को शांति से सुन लें।

श्री रामकुमार : दूसरी अर्ज मेरी यह है सरकार ने रेट निर्धारित की, मैं इसके बारे में समझता हूं कि अधिकारियों की तरफ से इसमें कमी रही है। उदाहरण के तौर पर मैं गंगापुर के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं, सरकार ने चने पर लेवी लगाई है, जब चना मण्डी में आये, तो काश्तकार के ऊपर अधिकारी की कृपा हो गई, अधिकारी की मर्जी होगई, अधिकारी का आशीर्वाद मिल गया तो वह गल्ला उठवा लेगा और अगर कृपा नहीं हुई तो उसका पल्ला पकड़ लेगा। और पकड़ने के बाद भी, मैं समझता हूं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा, न उसके खिलाफ केस चलाया जायगा। इस तरह से मेरा निवेदन है कि गंगापुर के एस. डी. ओ. ने मण्डी के अन्दर जाकर काश्तकारों का गल्ला सीज किया, उसके गल्ले को भरा और नीम के थाने तक का जो अनाज रखा था, उसको भी भरा।

Page No. 153

(श्री रामकुमार)

उस पर काफी झगड़ा हुआ। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार अनाउंसमेंट कर देती है, लेकिन अनाउन्समेंट कर देने के बाद सरकारी मशीनरी काश्तकारों के ऊपर प्रहार करती है

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामकुमार : एक तरफ सरकार कहती है, हम काश्तकारों को लिफ्ट देना चाहते हैं, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं मैं समझता हूं, यह सरकार का लक्ष्य नहीं है,

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह अधिकारियों की भावना काश्तकारों के प्रति गलत है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह काश्तकारों की दिक्कतों और कठिनाइयों को दूर करे और काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें।

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखें।

श्री रामकुमार : इसके साथ साथ

श्री उपाध्यक्ष : बहुत होगया। तशरीफ रखें। जो मुद्दे हैं वह आपने संक्षेप में रख दिये।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के संबंध में अभी जो चर्चा हो रही है, चाहे महंगाई कि कुछ कारण हों चाहे राज्य सरकार की घाटे की व्यवस्था रही हो, चाहे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट रहा हो, चाहे प्रकृति के प्रकोप से प्राडक्टिविटी कम हुई है और इस वजह से विधान सभा में आकर वातावरण पैदा किया कि लोग भूखे मर रहे हैं और सबूत पेश करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ काश्तकारों को राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध भड़का रहे थे और काश्तकारों से कह रहे थे कि शहर में लाकर यदि माल बेचोगे तो शहर वाले आपकी गाड़ियां लूट लेंगे तो इस प्रकार भ्रांतिपूर्वक प्रचार विरोधी दलों ने किया और राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध प्रोपेगन्डा तरीके से वे चलते रहे। वास्तव में जो राष्ट्रीयकरण की नीति थी, खाद्य मंत्री ने जो कदम लिया, इससे जो भयानक स्थिति पैदा होती है वह नहीं हुई, हालांकि जो मुनाफाखोरी करने वाले थे, ब्लैक मार्केट करने वाले थे, जमाखोर थे, यदि हम राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपनाते तो इस स्थिति को ज्यादा भयंकर कर लेते जबकि इस देश के कई हिस्सों में फेमिन था। आज असामाजिक तत्व जो हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे। इसके साथ जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए जो कि खेतों में जाकर कार्य करते हैं, जिनकी आमदनी कम है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो उनको राज्य सरकार इस बात की गारंटी दे कि उनको सस्ते रेट पर गेहूं देगी या मोटा अनाज देगी। इसलिए वीकर सेक्शन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए क्योंकि आज यदि देखें तो जो वीकर सेक्शन्स के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए खाने तक के लिए रोटियां नहीं मिलती हैं, इस तरह की स्थिति आज भी लोगों के सामने है सरकार वीकर सेक्शन्स की आय बढ़ा दे ताकि वे महंगाई का मुकाबला करेंगे। यदि इस महंगाई को रोकना है तो प्राडक्टिविटी पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा और एग्रीकल्चरल सेक्टर में

(श्री मुन्शीलाल महावार)

जो इन्पुट्स लगते हैं चाहें बिजली हो, परश्यन व्हील हों, बीज हो, खाद हो, पर्याप्त मात्रा में किसी एजेन्सी के जरिए हमको सस्ते भावों पर देना होगा । जब तक इन्पुट्स को सस्ता नहीं करेंगे तब तक कास्ट ग्राफ प्राडक्शन ज्यादा ग्राएगा ग्रौर उस कारण से हर चीज पर महंगाई ग्राएगी और महंगाई फुडग्रेन्स से संबन्ध रखती है तो कर्मचारी वेतन बढ़ाने के लिए कहेंगे, इस तरह से इन्फ्लेशन आएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन्स के लोगों की ग्रामदनी बढ़ाई जाए या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जो राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई है, वह गेहूं पर ही नहीं बल्कि सारे खाद्यान्नों पर राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन में जो डिफेक्ट्स हैं या असामाजिक तत्व सरकारी प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ग्रौर निश्चितरूप से एक मार्केटिंग की, जो समस्या है, राज्य सरकार डीलर्स के जरिए चीनी वितरण करना चाहती है लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे तहसीलदार हैं वे डीलर्स से रिश्वत लेते हैं ग्रौर 50 प्रतिशत माल ब्लैक मार्केट में निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था ग्रापको करनी होगी। प्रशासन में जो बैठे हुए हैं उनको ग्रापको ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा ताकि जो ग्रसामाजिक तत्व हैं ग्रौर विरोधी पार्टियों के लोग जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो महंगाई पैदा कर लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो हमेशा आज्ञाकारी रहता हूं, मैं केवल सही चित्र ग्रापके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जयपुर की जनता जिस धैर्य से तकलीफों का मुकाबला कर रही है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। आज जयपुर में जो राशन की दुकानें हैं, उन पर ग्राज 9 तारीख होने के बावजूद भी राशन का अनाज नहीं मिल रहा है ग्रौर हालांकि सरकार के ग्रनाज बेचने की छूट दी है उसके बावजूद पिछले तीन दिनों से गेहूं बाजार से गायब है। राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिले ग्रौर 22 तारीख को दुकानों पर जो राशन दिया गया वह बंद कर दिया गया कि तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो कहां से गेहूं लायेंगे ग्रौर 4 किलो आप ग्रनाज देते हैं वह भी बहुत सड़ा गला और ग्राप शायद न मानें लेकिन मैं राजनैतिक दृष्टि से प्रेरित होकर नहीं कहता। मेरे पास शनिवार को रूमाल में एक नमूना था सोचा इतवार को जाकर आपको दिखाऊंगा। रूमाल मैंने धोया तो बिल्कुल फट गया। पास में लोग खड़े थे उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो। आप सोच सकते हैं ऐसा ग्रनाज खाने वालों के पेट की हालतें क्या होंगी, किस प्रकार के गेहूं ग्राप खिलाते हैं ? उसमें पत्थर मिले हुए होते हैं। अगर उदाहरण देखना है तो ग्रापका खाद्य कमिश्नर श्री भट्ट अस्पताल में है, उनके पेट में आज 50-60 पत्थर के डले गए हुए हैं। जब खाद्य कमिश्नर के पेट की ही यह हालत है तो साधारण जनता का क्या हाल होगा ? लोग चक्की पर जाते हैं तो आटा नहीं मिलता है और यदि मिल गया तो दो रुपए के हिसाब से। जब लेने जायं तो 1-25 रु० प्रति किलो, गेहूं लेने जायं तो 165 पैसा किलो ग्रौर बाजार में लोग थैला लेकर गली गली चक्कर लगाते फिरते हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोगों को न गेहूं न आटा मिलता है। स्टोव के लिए घासलेट नहीं मिलता और चूल्हे के लिए कोयला नहीं मिले। जो गैस की प्रथा चली है, जिसके उपभोक्ता करीब 5 हजार जयपुर में हैं, उन लोगों को जून से सिलन्डर नहीं मिलते हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री को मिलता होगा, राजस्थान के मंत्रियों को मिल सकता है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं, जिनको व्यक्तिगतरूप से पहुंचता होगा। तो मैं कह रहा था कि जून से सिलंडर नहीं मिल रहा है और यदि आप सहकारी बाजार जायं तो कहते हैं कि सिलंडर का कोई प्रबंध नहीं है आप दूसरा इंतजाम कर लीजिए। दूसरे इन्तजाम के लिए जौहरी बाजार में जाए मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिए तो लंबी कतारें लगी हुई हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता।

पहले आप लोगों का प्रति राशन कार्ड पर पांच लीटर केरोसीन देते थे अब वह आपने ऐसी घोषणा करदी है कि हर राशन कार्ड पर लोगों को तीन तीन लीटर ही केरोसीन दिया जा सकेगा। लोगों को कतारों में सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहना पड़ता है। तो अब आप सोचें कि लोग केरोसीन के लिये कतारों में खड़े रहें या क्या करें। इसके अलावा मैं थोड़ा दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं वह है पत्थर के कोयले के बारे में। आज बाजार में पत्थर का कोयला 45 रुपये विंक्टल मिलता है और वह भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भाव अगर हम पिछले साल की कीमतों के अनुसार देखें तो हमें पता लगेगा कि पिछले साल पत्थर के कोयले का भाव 22 रुपये प्रति क्विन्टल था। महंगाई किस रेश्यों में बढ़ रही है आप इसका अनुमान इस बढोतरी से लगा सकते हैं

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गयी कि इसके लिये आपके कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री गिरधारीलाल व्यास ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर एक बहुत बड़ी रेली निकाली। आपको सुनकर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय, किस सत्तारूढ दल की पार्टी ने यह नारा लगाया उस रेली में कि तानाशाही नहीं चलेगी, रोटी रोजी कपड़ा दो वरना कुर्सी छोड़दो। जो सरकार रोटी रोजी दे न सके वह सरकार निकम्मी है।

श्री राजेन्द्र भारतीया: यह गलत बात है ऐसे नारे रेली में नहीं लगाये गये। यह भूठ है।

श्री गिधारीलाल भार्गव: आपको पता नहीं है। यही नारे लगे थे। उस वक्त आप यहां नहीं थे। आप बून्दी में अपने पाइल्स का इलाज करा रहे थे। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने ऐसा सुना तो वह खुद घबरा कर दो घन्टे पहले ही उस रेली में पहुंच गये और वहां पर जाकर कई घोषणायें कीं। उन्होंने कहा कि जयपुर में मावा बनना तीन दिन बाद बन्द हो जायेगा दूसरे अनाज की जिलाबन्दी तीन दिन में खोल दी जायेगी। और मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। मुख्य मंत्री ने दस सितम्बर को यह घोषणा की कि मैं जमाखोरी के खिलाफ और जखीरेबाजों के खिलाफ डी० आइ० आर० और ऐसेन्शियल कोमोडीटीज एक्ट के अन्तर्गत उनके खिलाफ में कार्यवाही करूंगा लेकिन जो तीन दिन में मावा बन्द करने के आदेश निकाल रहे थे वे आज तक आदेश

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

निकाल कर मावा बनाना बन्द नहीं कर सके। जब पूछते हैं तो कहते है कि इसके लिये भारत सरकार से पर्मीशन मांगनी पड़ेगी। जो कानून इन्होंने लॉ डिपार्टमेंन्ट को बनने के लिये भेजा था वह कई दिनों से वहां पर पड़े हुए हैं। आज जब विधान सभा चल रही है तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी विधान सभा को फेस करने से घबराते हैं क्योंकि उन्होंने जो घोषणायें की वह पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कह दिया कि डाक्टरों ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को सलाह दी है कि वह रेस्ट लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुख्य मंत्री का भी अकाल है भाई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज उपाध्यक्ष महोदय, बाजार में वनस्पति कहीं नजर नहीं आता है। बाजार में खजूर छाप डालडा का चार किलों का टीन कहीं नहीं मिलता है। आज मैं आपके मारफत राजस्थान के खाद्य मंत्री को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर की यह एक्यूट प्रोब्लम है। इधर आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ादी जिससे टेम्पू और ट्र सीटर्स के, जो चार्जेज थे, वह भी बढ़ गये। अब आज ऐसा सुना गया है कि पेट्रोल भी आप राशन कार्ड पर देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घन्टी बजा दी है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी दो मिनिट में हो समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार पेट्रोल के पैसे बढ़ावेगी, और वह भी लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग फिर साइकिल पर बैठ कर काम चलायेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज कल उसको भी उपभोक्ता के हाथ आना मुश्किल है। उसके लिये भी आपको डी. एस. ओ. के आफिस के सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते हैं। अब क्या करें जब कि जनता को खाने को अनाज नहीं मिलता, वनस्पति घी नहीं मिलता, केरोसीन नहीं मिलता, शक्कर राशन मे समय पर नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता तो यह कैसा समाजवाद आप लाना चाहते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज अब राशन कार्ड पर देने का प्रावधान कर रहे हैं और अगर कोई शख्स बाहर से आता है तो यहां के रसद अधिकारी यह आदेश देते हैं कि आप जहां से आये हो, चाहे इलाहबाद से आये हों, चाहे कलकत्ता से आये हों, आप वहां के रसद अधिकारी से लिखा कर लाओ कि आपका नाम वहां के राशन कार्ड में कट गया है। अब किसी की बहू आये, किसी की बेटी ससुराल चली जाये, तो लोगों को राशन कार्ड में एन्ट्री करवाने में काफी दिक्कत होती है। उसके लिये आप एफीडेविट दो, और इस प्रकार इसमें सैकड़ों चक्कर काटने के बाद और 15-20 रुपये रसद कार्यालय में खर्च करने के बाद कहीं जाकर कार्ड बनता है या उसमें नाम की एन्ट्री होती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी बरसात अधिक हुई, लोगों के मकान गिर गये हैं, लोग मकान ठीक करवाने के लिये सीमेंट मांगने जाते हैं तो वह नहीं मिलती है। तो जहां देखो वहां गड़बड़ ही गड़बड है। अभी आपने एक अध्यादेश निकाला है, उसमें सेक्शन 24 की धारा तीन पर दो गायब है, सेक्शन 25 गायब है, उसकी धारा मौजूद है तो ऐसे डीफेक्टिव कानून आप बनाते हैं।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

इधर आपको बार बार किरायेदार लोग आकर मांग करते है कि उनके लिये कोई व्यवस्था करो, तो आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं। तो मैं समझता हूं कि यह तो कांग्रेस की डिक्टेटरशिप हुई आप डेमोक्रेशी के नाम पर जनता की पीठ में छुरा भौंक रहे हैं। आपने खाद निगम बिनाया। उस खाद्य निगम को उपाध्यक्ष महोदय, एक बोरी गेहूं पर 26 रुपये का लाभ होता है और उसका इन्तजाम इतना खराब है कि जनता उससे परेशान है। वहां आज 32 करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा है पर यह तो राम राज्य है यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। अनाज अगर अच्छा पड़ा पड़ा एफ. सी. आइ. के गोदामों में सड़ जाय तो आप उसे समुद्र में फिकवा देते हैं पर लोगों को खाने को नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बम्बई के एफ. सी. आइ के गोदामों में अनाज पड़ा पड़ा सड़ गया और बाद में आपको 50 हजार रुपये उस सड़े हुए अनाज को समुद्र में डालने के लिये खर्च करने पड़े। और ऐसे काम आप करते हैं और जब जनता को अनाज नहीं मिलता है, खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं जनता को नहीं मिलती हैं तो जब जनता हड़ताल करती है, रेली निकालती है, घेराव करती है तो आप कह देते हैं कि यह जनसंघ करवा रहा है अपोजीशन की पार्टीज लोगों को भड़का रही है। अगर जनता हमारे कहने में होती तो चुनाव में कांग्रेस जीत कर क्यों आती। हम ही नहीं आते आपकी जगह हम ही नहीं बैठे होते कुर्सियों पर। तो उपाध्यक्ष महोदय, यही मुझे निवेदन करना है कि कम से कम जयपुर की जनता को खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं तो राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध करावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से सदन में महंगाई के बारे में चर्चा चल रही है। काफी माननीय सदस्यों ने मेरे पहले अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहरा कर दो-तीन विशेष महत्वपूर्ण बातें सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां डूंगरगढ़ और उसके आस पास की तहसीलों में पिछले तीन वर्ष से भयंकर अकाल पड़ रहा है जिससे जनता काफी परेशान हुई अबकी बार थोड़ी सी वर्षा ठीक हुई थी तो काश्तकारों को जमीन जोतने के लिये पैसे चाहिये तो राज्य सरकार न तो उन्हें तकावी देती है न समय पर खाद देती है और न बीज उन्हें उपलब्ध करा सकी है, ऐसी परिस्थितियों मे किसान क्या करे। वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए जल्दी से जल्दी रबी के बीज का और खाद का इन्तजाम करावें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इधर का, जो कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, काफी रेगिस्तानी इलाका है। वहां पर हमेशा एक फसल होती है। अगर आप समय पर किसानों के लिए तकावी, बीज और खाद की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो भी खाने के लायक अनाज पैदा हो सकता है, वह नहीं हो सकेगा और वहां पर फिर भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार को जो लाभ होना चाहिए, वह भी फसल के वक्त नहीं हो सकेगा क्योंकि काश्तकारों

(श्री लूणाराम)

की फसल का अभी से ही कार्तिक, मिगसर और पोष के बाजरे के सौदे हो चुके हैं और उससे किसानों को सिर्फ 40-50 रुपये क्विन्टल ही बाजरा बिक्री पर मिलेगा। जब 40 रुपये और 50 रुपये में एक क्विन्टल बाजरा बिकेगा तो काश्तकार को क्या मिलेगा ? इसके अलावा बाड़मेर की तरफ, जो बाजरी काली हो गई है एफ. सी. आइ. वगैरह खरीदती नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि वह काली बाजरी है तो इस प्रकार तो आप किसानों को किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाते दिखाई देते हैं अगर काश्तकार को पैसा नहीं मिलेगा तो उनकी अकाल सम्बन्धी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है। और वह भी उस रूप में लगातार तीन साल में कितना खर्चा किया है और उसके बावजूद भी यह नतीजा हुआ कि अनाज हुआ ही नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय, से निवेदन है कि इस मामले में विचार करें और जहां तक भाव का संबंध है आप कृपा करके बाजरी का भाव सौ रुपये क्विन्टल से कम न रखें। जो भाव आपने नियत किये हैं यदि उनसे नीचे भाव चले जायं तो आप खरीद लेंगे। यह एक बड़ी समस्या है।

कृषि मंडी जहां है वहां तो आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे लेकिन जहां पर किसान अनाज हमेशा बेचते हैं और कृषि मंडी वहां पर नही है वहां यह समस्या पैदा होगी। यदि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो किसान को बड़ी भारी असुविधा हो जावेगी इसलिये जहां पर इस प्रकार की कृषि मंडियां नहीं हैं, लेकिन किसान वहां पर अनाज लेकर जाता है तो वहां पर उसके अनाज के भाव नियत भाव से नीचे चले जाते हैं तो सरकार को खरीद लेना चाहिये। इस प्रकार की आपकी ओर से व्यवस्था होनी चाहिये। यह मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है।

आप किसान का अनाज तो लेने की सोचते हैं लेकिन अनाज का उत्पादन किस प्रकार बढ़े, किस प्रकार अनाज का उत्पादन बढा सके इस ओर नहीं सोचते हैं। सब ही माननीय सदस्यों ने एक ही बात कही है कि किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिये सारी सुविधाएं मोहैया करनी चाहिये। मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं कि किसान को सारी सुविधायें उपलब्ध कराना चाहिये, यदि उसके लिये खाद, बीज इत्यादि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो हमें चाहिये कि हम उस पर बन्धन भी नहीं डाले और किसी प्रकार की रोकथाम नहीं करें क्योंकि हम उसके लिये उसके उत्पादन के लिये आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था नहीं करते हैं। कोई मील लगाता है तो उसको तीन साल के लिये लाइसेन्स मिलता है। तीन साल तक वह उन सुविधाओं का उपयोग कर लेता है और फिर तीन साल होने पर वह सरकार के सामने अपनी कठिनाइयां पेश करता है कि अमुक चीज नहीं मिलने से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। किसान के सामने यह नहीं है। उसके लिये भाव इस प्रकार से मुकर्रर करें कि जिससे उसको कोई नुकसान न पहुंचे।

आपने किसान के लिये 20 बोरी रखने की छूट रखी है। एक आदमी किसी वस्तु के लिये एक दुकान से दूसरी दुकान जा सकता है। किसान को भी एक जिले से दूसरे जिले में लेजाने की छूट होनी चाहिये। उस

(श्री लूणाराम)

सम्बन्ध में भी आप को विचार करना चाहिये और व्यवस्था करनी चाहिये। किसान ने आपको अनाज दिया है उसके लिये हर प्रकार की सहूलियतें आप मोहैया करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हम सरकार को दोष देते हैं। यदि हम स्वयं विचार कर तो हम भी दोषी हैं। मैं तो खाद्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि तीन जिलों में खाद्य मंत्रीजी ने अपने हाथ में काम लेकर हजारों सिंचाई के कुओं की व्यवस्था की। जब रबी की फसल में उन खेतों को देखेंगे खाद्य समस्या की आलोचना नहीं करेंगे और उनको देखकर गौरवान्वित होंगे।

उसी प्रकार मंत्री महोदय, से निवेदन है कि इस खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिये, अकाल की समस्या का सही हल निकालने के लिये तीन जिलों में आपने सिंचाई के कुओं का काम हाथ में लिया उसी प्रकार दूसरे जिलों में भी सिंचाई की रफ्तार बढ़ाने की व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान करिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से यह निवेदन करूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन है कि आप भी एक किसान हैं आप भी विचार करिये कि आज सितम्बर महीने में हमारे सहकारी विभाग व बैंक की ओर से खरीफ की फसल के लिये तकाबियां दी जा रही हैं, ऋण दिया जा रहा है खरीफ की फसल तो तीन चार महीने पहले ही काश्त कर चुके हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था का सुधार करना चाहिये। इस प्रकार की सारी समस्याओं को एक साथ लेकर उनका सुधार नहीं करेंगे तो जो उत्पादन हम करना चाहते हैं अनाज का वह नहीं कर पायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, एक समस्या है। आज किसानों को कुओं पर बिजली नहीं मिलने से बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिये निवेदन है कि सरकार की अव्यवस्था कहिये या फिजूल व्यवस्था कहिये कि आज पैसा बेकार के कामों में बरबाद किया जा रहा है लेकिन बिजली देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके लिये आलोचना भी सुननी पड़ी। इस ओर आपको व्यवस्था करने की कृपा करनी चाहिये जिससे राज्य भी लाभान्वित होगा और हमारा किसान भी लाभान्वित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने उस समय फरमाया तो हमने डिसीप्लेन के नाते। दूसरे लोगों ने धमकी दी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी धमकी भी सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र भारतीया : आप ताना-शाही करने की कोशिश न करें।

कई माननीय सदस्य : दो दो मिनट सबको दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी धमकी भी सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र भारतीया : अनियमितताएं की जाती हैं। मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं ......

श्री राजेन्द्र भारतीया : वह मौका भी देंगे तो उसको भी निभाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फूडग्रेन्स की पोलिसी जिस प्रकार से हमने अपनायी थी, अब तक राष्ट्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, बड़े २ कदम राष्ट्रीयकरण की तरफ उठाये उनमें सबसे बड़ा कदम था और इसके अमल में लाने से पूर्व जो खतरे स्पष्टत: सामने दिखायी दे रहे थे उनकी और पर्सनली खाद्य मंत्री महोदय को और कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय को भी तीन चार बार मिल कर इस नीति को चालू करने से पहले निवेदन किया था कि इस प्रकार वातावरण राजस्थान में बनाया जाय जिससे यह नीति सक्सेसफुल हो। हम अनाज के राष्ट्रीयकरण की नीति से कमिटेड हैं इसलिये सहीरूप में क्रियान्विति हो। हमने उन्हें बार बार अनुरोध किया लेकिन सरकार ने उसी रूप में काम को भी किया भी जिस प्रकार से एक किसी डिपार्टमेंट का चार्ज लिया जाता है। उसी प्रकार डिपार्टमेन्ट का चार्ज लिया। उस नीति को अपनाने में फ्लेक्सिबल एटीचूड रखा। तीन तीन चार चार पांच पांच दफा तारीखें बढ़ायीं। किसी नीति को अपनाना चाहते हैं तो उसके प्रोस एन्ड कोन्स को पहले अपनाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोस तो खत्म हो गये। अब आप कोन्स के बारे में फरमा दीजिये।

श्री राजेन्द्र भारतीया : तो मेरा निवेदन था कि यह एक बड़ा युद्ध था प्रोग्रेसिव और रिएक्शनरी लोगों के बीच में। ये ही रिएक्शनरी लोग पहले किसानों को गुमराह कर रहे थे और आज वकालत कर रहे हैं बड़े बड़े जखीराबाजों की। इन से मिलकर उनकी जीपों पर इन लोगों ने नेशनेलाइजेशन के खिलाफ खूब प्रचार किया है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोश मे होश न खोकर मैं यह भी जानता हूं कि हमने भी बार बार समय की अवधि को बढ़ाकर इन जखीरेबाजों का हौसला बढ़ाया है।

दूसरे हमने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट की बात की। ज्वार स्मगल हुई। बूंदी मेरा जिला भी इसमें सरप्लस है। वहां से भी जवार बाहर स्मगल की गई। बूंदी में एक पंचों की बावड़ी का नाका है जहां से 89 ट्रक ज्वार के पास किये गये और यह सब जिले के बड़े पुलिस अफसर, सप्लाई अफसर और कलेक्टर तक की नाक के नीचे हुआ। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सीधी जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों की है। उनसे इसके लिये जवाबतलब किया जावे। तो मैंने निवेदन किया कि दूसरी तरफ भी इस हद तक कारनामे हुए हैं। एक हैड कान्स्टेबल, नौजवान जो हमारी नीति से कमिटेड था उसने बहादुरी दिखाई। अकेले ने। एक ट्रक जिसका नम्बर 75 या ऐसा कुछ था उसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि इस तरह

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

से अनाज स्मगल नहीं होने दूंगा। उसकी मदद किसी अधिकारी ने नहीं की और वह ट्रक उसको कुचल कर उसके ऊपर से निकल गया। वह मारा गया।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर क्या शर्म की बात हो सकती है। यही जीवनसिंह एण्ड कम्पनी एक वहां है जिसको छः ट्रकें हैं। जो अजमेर का है, डीडवाना की नगरपालिका का उपाध्यक्ष बताया जाता है। मैं नहीं जानता उसे। इस कम्पनी के पास छः कारें भी हैं। ये छः ट्रक पांच पांच हजार की रिश्वत देकर अनाज लेकर बूंदी से निकल गई। सरकार के अधिकारियों ने पांच पांच हजार रुपया इन से रिश्वत के लेकर इन ट्रकों को पार किया है। मैं खाद्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इसकी जांच करें। वे लोग कहते रहते हैं कि फलां अधिकारी या फलां आदमी हमारा रिश्तेदार है, हम उससे जो चाहें करवा सकते हैं। तो चाहूंगा कि इस सब चीज की जुडीसियल इन्क्वायरी हो। ये सारे अधिकारी लोग हमारा मुंह काला करते हैं। इनके कारण रिएक्शनरी लोग हमारी बातें करते हैं। ये अफसर लोग हमारा मुंह काला करते हैं इनके कारण हमें नीचा देखना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि इस मशीनरी को आप ठीक करें और अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागू करें ताकि रिएक्शनरी लोगों को कहने का अवसर ही नहीं मिले। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : एक दो सदस्य और बोलने वाले होंगे। उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : केवल राशन दे दें, उत्तर की जरूरत ही नहीं है।

श्री केशरीमल : बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल और आज दो दिनों में इस सदन के माननीय 29 सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे।

अब जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, इसमें जगह जगह जो फर्क है, उसके बारे में कल मैंने विस्तार से बताया था और जो कुछ भी बताया वह भारत सरकार के वित्त मन्त्री की सूचना पर आधारित था। अब भारत के वित्तमन्त्री की सूचना से आपको सन्तोष नहीं है तो मुझे उससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है इस बारे में।

इस राष्ट्र की फिस्कल वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में और भावों की बढोतरी के सम्बन्ध में जो कारण रहे हैं वे राष्ट्रव्यापी हैं और इस सम्बन्ध में इस संकट से निकलने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनमें शंकाओं के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है।

अब नेशनेलाइजेशन में आई कठिनाइयों में विस्तार से तो मैं इस समय नहीं जाना चाहता पर यह बात सही है कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। और जो माननीय सदस्य आंकड़े दे रहे थे उसके अनुसार 68 में जो मूल्य सूचकांक उन्होंने बताया वह बढ़ कर आज 200 के आसपास हो गया,

(श्री परसराम मदेरणा)

उससे भी ऊपर। लेकिन आज जो महंगाई है अनाज के भाव ऊंचे हैं, राजस्थान के अन्य जिलों में हैं या देश के अन्य प्रदेशों में हैं उन सबको देखते हुए राजस्थान में भाव फिर भी नीचे ही हैं।

68 में राजस्थान में अकाल था। राजस्थान में ही उस साल अकाल था। सारे देश में पैदावार अच्छी हुई थी इसलिये निवेदन कर रहा था कि 68 के आंकड़ों से जब कि 22 हजार राजस्थान के कुल गांवों में से 19 हजार में अकाल था अन्य राज्यों के आंकड़ों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनका कम्पेरिजन करना सही दृष्टिकोण नहीं होगा। इसके बाद जो स्थिति अनाज की देश में रही, देश का 2 बटे तीन भाग सूखाग्रस्त था राजस्थान में भी बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में था। तो भी विदेशों से जो इम्पोर्ट किया वह 20 लाख टन था। 66 – 67 में इसी तरह का अकाल देश में था तब 11 मिलियन अनाज इम्पोर्ट किया गया था। केवल दो मिलियन खरीदने के बाद में हम बहुत बड़ी विषम स्थिति में जो फंस गये थे उससे तो निकल चुके हैं।

कल जोधपुर में बाजरे का भाव 75 रु० क्विन्टल काले का था और सबसे बढ़िया बाजरे का अस्सी रुपया क्विन्टल था। मैं निवेदन कर रहा था कि अनाज के भावों में उतार आवे और खासतौर से बाजरे के भावों में और मोटे खाद्यान्नों के भावों में। इसलिये अनाज के सम्बन्ध में हमारी लाँग टर्म पोलिसी है।

गेहूं के थोक व्यापार के सम्बन्ध में उसके राष्ट्रीयकरण के बाद में अनुभव के आधार पर भारत सरकार का और राज्य सरकार का यह मानना है कि अनाज के मामले में हमें एक दो साल की काफी लम्बे अरसे के लिये एक लोंग रेन्ज पालिसी बनाकर चलना होगा।

दुनियां की आज जो हालत है उसको देखते हुए आने वाले वर्षों में अनाज एक नम्बर की समस्या होगी और यह समस्या भी आगामी दस साल तक रहने वाली है। तो इसलिये निश्चिततौर पर दूसरी कोई एल्टरनेट नहीं सिवाय इसके कि अनाज का राष्ट्रीयकरण किया जावे।

देश में दो बटे तीन भाग में सूखे के बाद में दो मिलियन टन अनाज इम्पोर्ट करने के बाद देश में अनाज के वितरण पर काबू किया जा सका है। वो केवल एक कारण से कि राष्ट्रीयकरण हमने इस व्यापार का किया है। नहीं तो लाखों लोग भूखों मर सकते थे। रेलवे की हड़ताल जिस समय हुई थी उस समय भारत सरकार ने स्टेटमेन्ट दिया था कि एक हजार बारह सौ तेरह सौ वैगन प्रतिदिन अनाज के मूव हो रहे थे सारे देश के अन्दर। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी समस्या थी और किस स्तर पर इसका मुकाबला किया जा रहा था। अगर अनाज हमारे पास नहीं होता और साधन उसको ट्रान्सपोर्ट करने के नहीं होते तो कितने लोग मरते इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। सन् 38 में बंगाल में अकाल पड़ा था। अनाज काफी था पर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी और इस कारण करीब तीस लाख आदमी भूख से मर गये थे उस समय अकाल में। पर इस राष्ट्रीय-

(श्री परसराम मदेरणा)

करण के बाद देशव्यापी अकाल की स्थिति होने पर भी बड़ी खूबी से उसे कन्ट्रोल किया गया है और एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार की असफल हो गई है यह धारणा रखने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं है मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की परिस्थितियों के अन्दर जैसे सूखे की परिस्थिति थी। राजस्थान में गेहूं का प्रॉडक्शन यू० पी० और बिहार के मुकाबले कितना है। हरियाणा का प्रॉडक्शन ज्यादा है। वह अपने प्रॉडक्शन का 40-50 प्रतिशत नहीं कर सके। इसके बावजूद भी हमने 49 प्रतिशत जो अचीव किया है उससे मुझे सन्तोष है, असफलता नहीं मानता। बहुत से माननीय सदस्यों ने राशन कार्ड के बारे में बातें कहीं। यह समस्या अधिक दिन रहने वाली नहीं है। निश्चिततौर से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम करना पड़ेगा। जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने विश्लेषण किया पिपुल्स इन्वोल्वमेंट करना पड़ेगा। पिपुल्स इन्वोल्वमेंट के बिना इतने बड़े सोसियल स्ट्रक्चर को यकीनी ठीक नहीं कर सकते। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि पिपुल्स इन्वोल्वमेंट और उसके साथ जो बात की है, इस काम को बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर किसान तक ले जाना पड़ेगा और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली को ठीक करना पड़ेगा।

इसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कहीं। मैं सदन में लम्बे चौड़े आश्वासन नहीं देना चाहता हूं लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि आने वाले दो-तीन-चार महीनों के अन्दर हम इसमें जो कुछ कमी है उसको दूर करने का सदन को आश्वासन दे सकता हूं और कोई प्रयास बाकी नहीं रखा जायेगा। यहां पर व्हीट के सम्बन्ध में बातें कही गईं जैसा कि प्रारम्भिक अनुमान है राजस्थान के अन्दर गेहूं, चना, जो करीब 35 लाख हैक्टेयर में बोया जाय। एक हैक्टेयर ढाई लाख का होता है। 35 लाख की बात तो असम्भव है। पिछले वर्षों एक लाख टन से अधिक व्यवस्था नहीं की थी इसलिये काश्तकार के पास में जो रखा है वही काम आयेगा। अलग अलग काश्तकारों के लिये अलग अलग व्यवस्था चाहिये। सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है इसलिये सीड की व्यवस्था ठीक नहीं बैठती है।

1967 के बाद बीज के सम्बन्ध में पूरी नीति बदल दी है। पूरे देश में सीड केश में दिया जायेगा। कॉपरेटिव सेन्टर्स से सीड लोन में मिलता है लेकिन कितना मिल पाता है, इसके आंकड़े इकट्ठे किये थे। उस वक्त जानकारी मिली कि केवल जो है मारजिनल पर 17 पर्सेन्ट पापूलेशन पर बेस्ड है। इस वक्त व्हीट की मांग चारों तरफ से आ रही हैं। इसके लिए मैं सोचता हूं 100 रु० की राशि चाहिये और भारत सरकार ने जो कुछ ऋण दिया है उसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था और वेज एन्ड मीन्स की क्या व्यवस्था यह किसी से छिपी हुई नहीं है··

श्री गौरीशंकर मुनीम : गरीब किसान के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गरीब की बात क्यों करते हैं यहां।

श्री परसराम मदेरणा : अब दूसरी बात है राजस्थान के पांच जिलों में बाढ़ आई

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके लिये दिया है। हमने मांग की थी 3 करोड़ का मिलना चाहिये अभी तक भारत सरकार ने वह मामला वित्त मंत्रालय को भेज रखा है। अभी तक उनकी ओर से कोई इन्डिकेशन नहीं मिले हैं। ज्यों ही इन्डिकेशन आ जायेंगे लेकिन वे कितना रुपया दे रहे हैं उसी तरह उसका वितरण किया जायगा। 15 तारीख को उस वक्त सीड के सम्बन्ध में कितना अवेलेबिल होगा और कितना सीड कौन कौन से जिलों को दिया है, उस वक्त निश्चित किया जायगा। जोधपुर में लेवी के सम्बन्ध में बात आई। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, उन्होंने यह बात कही क्या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, कलक्टर और एस० डी० ओ० ने बैठकर भाव निर्धारित किये थे। उस रजामन्दी के कारण जो चने दिये व्यापारियों ने वह 140 थोक में दिये और 142 रु० क्विन्टल खुदरा भाव में बेचने का एग्रीमेंट किया था। उसके बाद चना बाहर गया और लेवी के आदेश आ गये—पांच सितम्बर के आस पास। इसके बाद एक क्विन्टल भी बाहर नहीं गया। कुछ व्यापारियों ने कलक्टर को सूचना दी थी कि 1500 के करीब लेवी चुरा ली। यह केवल आपकी धारणा है कि 10 लाख का घोटाला हो गया। कौन खा गया, यह मुझे मालूम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जांच करवाने को तैयार है लेकिन जैसी जानकारी कलक्टर ने दी है 4 सितम्बर के बाद माल नहीं गया है।

दूसरे यहां पर अजमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने और सरदारशहर—जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में आप जांच के आदेश दे रहे हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला ने भी आरोप लगाया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो बात कही वह दूसरी बात है। उस सम्बन्ध में बाद में जिक्र करूंगा। यहां पर जयपुर के सम्बन्ध में, मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि हमने एफ० सी० आइ० से सीड लेने की बात कही थी और कृषि मंत्री से बात की उन्होंने कहा हमने प्रोक्योरमेंट और वितरण के लिये अनाज इकट्ठा किया हुआ है, हम सीड के लिये नहीं देते हैं। पिछले साल बिलकुल अकाल नहीं था। बीज रखने की इजाजत नहीं थी। गेहूं, चने, जौ की खेती नहीं हुई। हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है, बीज है नहीं हमारे पास। उन्होंने बड़ी सहानुभूतिपूर्ण बात सुनी। मैंने उनसे बात की। वे अभी महाराष्ट्र गये हुये हैं। आज शायद लौटने वाले हैं। एक हजार क्विन्टल अनाज मांगा है लेकिन उन्होंने कहा आपको जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिये अलाट कर रहे हैं उसमें से कटौती मत कीजिये। राजस्थान से मोटे अनाज का जाना शुरू हो गया है सभी जिलों में और आज से जो 15 दिन पहले की स्थिति थी वह अब नहीं रही है। पिछले दिनों लगातार वर्षा रही इसलिये भी अनाज नहीं जा सका।

इन परिस्थितियों में आप भेद मत कीजिये। फिर भी मैंने वितरण 20 हजार का किया है, पांच हजार का नहीं किया है। वह इसलिए रोक लिया है कि भारत सरकार नीति सम्बन्धी क्या निर्णय लेती है यह देखना है। हमारी मांग भी है और दूसरे राज्यों की मांग भी है और दूसरे राज्यों की

(श्री परसराम मदेरणा)

मांग पर बीज तो मिलेगा लेकिन इस साल के कोटे में कटौती कर दी है तो पांच हजार टन तो रिजर्व रख छोड़ा है और 20 हजार टन अलाट कर दिया है। मैं कल ही जो हमारे पास रिजर्व में रखा हुआ है उसके वितरण की व्यवस्था इस सम्बन्ध में करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्री महोदय, आप कृपया यह बतायें कि जयपुर में 4 किलो की बजाय 3 किलो देना चाहते हैं क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 किलो से 6 किलो दिया और फिर 6 किलो से 4 किलो दिया और आज महंगाई पर डिबेट का यह प्रभाव पड़ेगा कि जयपुर को 4 किलो की जगह 3 किलो गेहूं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि 4 किलो की जगह आपको 10 किलो करना चाहिए था और उल्टे उसको कम करके 3 किलो ही इस महीने देना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर का ही प्रश्न नहीं है जोधपुर का भी है। इस सम्बन्ध में प्रश्न है कि राशन कितना देंगे आप इसकी स्पष्ट घोषणा करें तो इस महत्वपूर्ण डिबेट का कोई फायदा होगा। कम से कम बहुत स्पष्ट आना चाहिए ताकि ढाई करोड़ जनता को पता चल सके कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरी बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन राशन कितना देंगे 8 किलो या 10 किलो और फिर इसका इम्प्लीमेन्टेशन हो सकेगा यह घोषणा सदन में होनी चाहिए।

श्री केसरीसिंह : औद्योगिक क्षेत्र में सभी जगह यही व्यवस्था है और ब्यावर में भी यही स्थिति है।

श्री परसराम मदेरणा : बड़े बड़े शहरों में सब चाहते हैं। समस्या देखी जाये तो गांवों में अधिक है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इसी साल जो फसल है वह मैंने पहले 15 सालों में ऐसी अच्छी फसल नहीं देखी।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कितना राशन दे सकेंगे इसकी घोषणा करें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि भारत सरकार से सीड के सम्बन्ध में आदेश मिलने के बाद में जो कुछ भी अनाज 5 हजार टन मेरे पास है उस सम्बन्ध में आदेश दूंगा। ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ एफ०सी०आइ० के पास में पिछली साल का चना है और उसकी रेट्स तो अलग अलग जगह के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज इन्क्लूड करके अलग हो सकती है लेकिन जयपुर जोधपुर, और अजमेर में चना लेने के लिए लोग तैयार हैं। कीमत तो शायद इसकी 115 या 120 के आसपास है और मैं कल ही जी. एम. से बात करके उसके वितरण के लिए आदेश दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री जी मुझे माफ करें मैं एक मिनिट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लूंगा । जब चने के बीज की आपको आवश्यकता है तो राजस्थान में जैसे जोधपुर में चना बताया और जगह पर भी डिक्लेयर्ड स्टॉक है उसके जो आपका प्रिवेन्सन ऑफ होर्डिंग आर्डर है उसके क्लाज 5 के तहत रिक्वीजीशन क्यों नहीं कर लेते ? आप एफ. सी. आइ. से 115 रुपये का मंगाते हो तो आपको पावर्स हैं उसके तहत रिक्वीजीशन करके हारवेस्टिंग के टाइम पर जो कीमत थी उस कीमत पर ले सकते हो तो जिस किसान से गेहूं सस्ते रेट पर लिया उस को चना सस्ती रेट पर दे सकते हो। इसमें कुछ स्टाकिट्स को नुकशान हो सकता है लेकिन वैसे तो उनको नुकशान भी नहीं हैं क्योंकि उसने 100 रुपये में तो खरीदा है। आप उस समय के भाव में लें तो क्या दिक्कत है ?

श्री परसराम मदेरणा : चने के संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि जितनी मांग आई है उतना चना हैं मेरे पास । लेवो के अन्दर 4 हजार टन है और 20 हजार टन सूरतगढ़ फार्म से ले रखा है। उससे ज्यादा चने की मांग नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे राजस्थान में चना तो बहुत बोया जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : कितनी रिक्वायरमेंट की है उसके बारे में, मैं अभी बात कर रहा हूं ।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिलाधीश ने गेहूं का मूवमेंट नहीं होते हुए भी अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने दिया इस बात की शिकायत की । मैं वहां पर मई के महीने में गया था और मुझे इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद में, मैंने इस सम्बन्ध में प्रिलिमिनेरी जांच कराई और अब वह मामला प्रिलिमिनेरी जांच होने के बाद में राज्य सरकार इस बात से सेटिस्फाइड हो गयी कि जितनी सतर्कता कलेक्टर को बरती जानी चाहिए थी वह नहीं बरती इसलिए मामला कमिश्नर फोर डिपार्टमेंट्स इन्क्वायरी को दे दिया गया है। पूरी जांच होने के बाद उक्त जिलाधीश के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैंने मन्त्रिमण्डल को भी समय समय पर इसके बारे में ताईद करा दी थी।

यहां पर जोधपुर से चने की निकासी की बात कही गयी। किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही। उन्होंने यह बात कही कि जोधपुर कलेक्टर ने अन्तर्राज्यीय आवागमन का प्रतिबंध क्यों हटा दिया। तो जोधपुर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। प्रतिबंध तो सभी जिले के कलेक्टर्स के यहां थी। कलेक्टरों के यहां यह था कि आप क्लाज 12 इलोक करेंगे और इसका मतलब यह है कि वह अपने डिस्ट्रिक्ट के अन्दर उसका रेस्ट्रिक्शन करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से 4 तारीख को ऐसे आदेश थे कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो मोटा अनाज और चना सब रोक रखा है यह ठीक नहीं है। इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ करना चाहिए उसके आदेश तो उनके पास गये। उन्होंने क्लाज 12 को रोक लिया और दूसरे कलेक्टर्स ने क्लाज 12 को विथड्रा नहीं किया। जब मैं वहां गया तो मेरी बात डिप्टी कलेक्टर से हुई क्योंकि उस समय कलेक्टर वहां नहीं थे। तो डिप्टी

(श्री परसराम मदेरणा)

कलेक्टर ने कहा कि क्लाज 12 को मैं इवोक नहीं कर सकता और यह पावर्स कलेक्टर के पास हैं इसलिए कलेक्टर से बात कर लेते हैं और दूसरे रेल्वे के अधिकारियों को कह दिया कि एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किया जाये। हमने जोधपुर कलेक्टर को भी लिख कर भेजा है और कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन कॉल किया। फूड कमिश्नर ने लिखकर भेजा है कि यह चना कैसे चला गया। उस सम्बन्ध में कलेक्टर ने एक्सप्लेनेशन भेजा है। वह पत्रावली मैंने कल रात को मंगाई है और इसी प्रकार यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स ने एजेन्सीज मुकर्रर की उनको कमीशन ज्यादा दे दिया। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर से तुलसीराम जी और हरियाणा से अनाज लाये उसकी बात कही। उदयपुर से बंशीलाल की बात कही। कलेक्टर उदयपुर जो कुछ भी अनाज मंगा रहे थे वह सेन्ट्रल रिलीफ फण्ड के मार्फत मंगा रहे थे और राज्य सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं था। सेन्ट्रल रिलीफ फण्ड के अध्यक्ष जयसुखलाल हाथी हैं और वह अनाज भेज रहे थे। उनकी मार्फत मंगाया था। तो इसकी व्यवस्था किसी व्यापारी के मार्फत कराई गयी होगी। तो तीन ऐसे मामले बताये गये जिनमें बहुत बड़े घोटाले हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। क्या यह सही है कि जोधपुर में आपने बताया कि वहां के डी एस. ओ. ने भगत की कोठी में रेल्वे स्टेशन मास्टर हैं उनको लिखकर दिया कि चने के बाहर भेजने पर कोई रुकावट नहीं है आप इसको बाहर भेज सकते हैं और उस पर 11500 बोरे बाहर भेजे गये? यह सही है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये।

इसी प्रकार लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी नए कोटे के संबंध में बहुत बड़ी बातें कहीं। जेठमल तुलसीराम के सम्बन्ध में बातें कीं और कृषि विभाग के बीज के सम्बन्ध में भी बातें कहीं, बोम्बे से क्रय-विक्रय संघ को चावल का परमिट दिया गया इसकी भी बात कही। मैं सदन को बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि एज ए फूड मिनिस्टर कोई परमिट इश्यू नहीं किया गया। मैं परसनली परमिट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई भी डिसीजन लिए गए हैं, वे युनिफार्म डिसिजन लिए गए हैं और वह मंत्री मंडल में लिए गए हैं,लेकिन इंडीविजुअली किसी भी आदमी की, किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं है वह मेरे बंगले पर परमिट के संबन्ध में बात कर सके क्योंकि यह मामला सदन का है। कृषि के बीज के सम्बन्ध में जो बात कही गई उसमें केबिनेट का निर्णय है और उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट भी आई है। अगर इसमें भी प्राइमाफेसी गड़बड़ हुई है तो उस मामले में भी आगे जांच की जाएगी लेकिन जो मामले यहां उठाये गए हैं इसमें दो के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक यहां पर जोधपुर के माननीय सदस्य ने चारे की खरीद के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि बाड़मेर के अन्दर उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। इस तरह को जो बातें कही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसमें कोई घोटाला नहीं है।

(परसराम मदेरणा)

जिलाधीश को दिया गया था और वह आदेश मैंने ही नहीं मेरे अलावा मुख्य मंत्रीजी ने भी आदेश दिया था। एक और मामले का जिक्र किया गया वह भी केबिनेट में सीज्ड है और मैं मंत्री मंडल को सुपरसीड नहीं कर सकता हूं, इसलिए इन दो मामलों को छोड़ कर बाकी सभी मामलों को मैं एण्टी करप्शन के लिए भेज रहा हूं वास्ते इन्क्वायरी।

यहां पर किशनगढ़ से आने वाले ....

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप सभी मामले एण्टी करप्शन को दे रहे हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप पहले सुनिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकार की तरफ से जो ठेका एक ट्रक का सोलह सौ रुपये का दिया गया जब कि उसकी रेट सात सौ रुपये थी उस बारे में क्या कहना है?

श्री परसराम मदेरणा : जिस समय यह ठेका दिया गया उस समय ट्रांसपोर्टेशन किस रेट में मिल रहा था यह तो नहीं कह सकता। यह भी कलेक्टर का मामला है इसमें मुझे कुछ नहीं करना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो केसेज कौन से हैं?

श्री परसराम मदेरणा : एक तो चारे की खरीद के बारे में। कलेक्टर ने जो चारा प्रोक्योर किया बाड़मेर में और एक मामला जो केबिनेट में सीज्ड हैं। इसके अलावा जो भी मामले माननीय सदस्यों ने उठाए हैं वे सब मामले एण्टी करप्शन को दे रहा हूं जांच के लिए।

यहां पर अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजोरिया और बांगड़ा सेठ के बारे में भी कहा, इसको भी मैं एण्टी करप्शन को रेफर कर रहा हूं।

मैं इतना ही निवेदन और कर देना चाहता हूं कि यहां पर सार्वजनिक जीवन को उज्ज्वल रखने का मुझ को कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा है। मैं सार्वजनिक जीवन के अन्दर जहां तक मेरा स्वयं का सम्बन्ध है, मैं किसी आदमी से सार्वजनिक जीवन के लिए लैशन लेने वाला नहीं हूं सिवाय राष्ट्रीय नेताओं के जिनकी इण्टिग्रिटि अन-इम्पीचिबल है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो कुछ भी सरकारीकरण में अनुभव हुआ है मेरा स्वयं का मानना है कि इसमें प्रोड्यूसर का ग्रेडेशन होना चाहिए। इस अनुभव के आधार पर आगे ग्रेडेड करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

मेरे सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई कि बड़े जमींदार हैं और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने गंगानगर के बहुत से लोगों के नाम गिनाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से पूछ लें कि मैंने ही उनसे कहा था कि कांग्रेस मैनों के लिए सक्युंलर इश्यु किया जाय। यह मेरा स्वयं का सुझाव था। मैं उनसे बार बार बात कर रहा था कि इस प्रकार का आप सक्युंलर निकालिए। मैं चाहता था कि पार्टी का इन्वोल्वमेंट इसमें हो, पीपुल्स पार्टीशिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। जब तक सक्युंलर नहीं निकाला गया मैं बराबर उनसे बात करता रहा कि आप कांग्रेस मैनों को इस प्रकार का आदेश दे दीजिए।

Page No. 169

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर छाडी ग्राम और छाडी में मेरी जमीन के सम्बन्ध में भी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि छाडी में मेरी जमीन है। यह सही है कि छाडी में मेरी 162½ बीघा जमीन है जिसमें एक क्विन्टल बाजरा भी पैदा नहीं हुआ है और आधा किलो गेहूं पैदा नहीं हुआ है। पचास बीघा जमीन मेरे लड़के के नाम पर और पचास बीघा जमीन मेरी पत्नी के नाम पर जवाई के कमाण्ड एरिया में हैं। इसके अन्दर जब पानी बिल्कुल खत्म हो गया और पानी नहीं रहा तो डेड वाटर को पम्प आउट करके नहर में डाल कर के अकाल-ग्रस्त गांवों में पहुंचाया था। वहां पर आधा किलो गेहूं भी नहीं उपजा है। किसी पुरुषोत्तम की बात कही गई जिसे मैं नहीं जानता हूं कि वह कौन पुरुषोत्तम है। महीपाल मेरा लड़का है जिसकी जानकारी आपको स्वयं को है। 780 बीघा जमीन की जो खबर ब्लिट्ज में छपी हैं उस झूठी खबर के आधार पर रिफ्यूट करने की, उसको कंट्रोडिक्ट करने की बात थी। मुझे आश्चर्य हुआ उस खबर को पढकर। जिस समय गफ्फार साहब मुझ से मिलने आए थे और कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन लाए थे, मुझे घेराव करने की बात पढ़ कर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह तो मेरे पास बैठे रहे और बहुत प्रेम से मिले थे और न उन्होंने घेराव किया और न इस्तीफा ही मांगा था। 21 आदमी बाहर रह गए थे और कुछ अन्दर आए जो मुझसे बातें करते रहे।***

श्री भानुकुमार शास्त्री : यही धन्धा है इन लोगों का।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए 780 बीघा की बात है वह गलत है। मैंने सीलिंग के डर से कोई जमीन इधर उधर नहीं की है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर सीलिंग लागू होता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा**

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जवाई डेम की जमीन की खबर ब्लिट्ज में छपी है वह नील फार्म की खबर है।

श्री परसराम मदेरणा : नील फार्म का कोई रेफरेंस नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी जमीन ही मानी जाती है नील फार्म की। जसवन्तसिंह को जो दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : यह दूसरी बात नील फार्म के सम्बन्ध में कही गई। मैं ईमानदारी से सदन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूं। यह तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं है लेकिन मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला जाय हमेशा ऐसी प्रवृत्ति रखी है सभी बातों में। जसवन्तसिंह मेरा सगा साला नहीं है लेकिन दूर के रिलेशन में साला है लेकिन इस साल तो उस जमीन पर भी अनाज होने का प्रश्न नहीं है। पानी ही इस साल आया है। इसलिए यह कहना कि मैंने उसको नाजायज संरक्षण दे दिया यह बात मैं ***

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर अनाज पैदा नहीं हुआ तो दो हजार थैले खाद के क्यों मिल गए उसको।

श्री परसराम मदेरणा : एक थैला भी खाद देने की बात नहीं है। दो हजार थैले तो बहुत बड़ी बात है मैंने तो एक थैला भी नहीं दिया है। यह जो बात कही जा

(श्री परसराम मदेरणा)

रही है कि दो हजार थैले खाद के दे दिए गए हैं, यह बात मैं स्वीकार नहीं करता और यह बिल्कुल निराधार है। ये निराधार हैं। मेरा उसमें कोई सहारा नहीं है। एक बात फिर कह दूं। कोई का साला हो सकता है, कोई का मित्र हो सकता है, असली भी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का चचा हो सकता है लेकिन मैं इसको बांधने में नहीं पड़ना चाहता। एक भाई भाई की लड़ाई हो सकती है। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका हूं क्योंकि काफी वक्त हो चुका है जो भी आपने सुझाव दिए हैं उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राशन व्यवस्था के बारे में आप घोषणा कर दें कि आप कितना राशन प्रति व्यक्ति देना चाहेंगे। बराबर सभी सदस्यों ने यह सवाल किया है। सभी ओर से इस विषय की मांग है। इसलिए इस बात को आप गोलमाल न रखिये। कितना राशन आप देंगे यह घोषणा यहां पर कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र, सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र और ब्यावर में भी काफी मजदूर रहते हैं, वहां पर कन्जम्प्शन हैवी है। बहुतेरे ऐसे क्षेत्र हैं और बराबर वहां से मांग आ रही है। यहां पर मैं पूर्व में कह चुका हूं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न सोचा जाए। मेरे पास जो कुछ अनाज आता है, जैसा भी केन्द्रीय सरकार देती है, वास्तव में उससे अधिक देने में मैं असमर्थ हूं। मैं कोई ढाई करोड़ जनता को गुमराह नहीं कर रहा हूं। ढाई करोड़ जनता को सही बात कह रहा हूं। जितना भी अनाज है, सिन्दे साहब देंगे उसका बराबर बंटवारा होगा। अभी 5 हजार टन अनाज है यह 5 हजार टन सभी को अलाट करूंगा। इसमें जोधपुर के जिम्मे भी उतना ही होगा, जितना कि अजमेर और अन्य जिलों के जिम्मे होगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9 बज कर 12 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11 बजे तक तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No. 171

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूची)

परिशिष्ट क

(1) कृषि भूमि का आवास अथवा वाणिज्य प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्तन केवल पूर्व में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्यों के नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि उन कृषि क्षेत्रों के लिए भी लागू होगा जिन पर वर्तमान में अथवा भविष्य में कोई व्यक्ति जिसको उस भूमि पर स्वामित्व हो, निर्माण कार्य करना चाहेगा।

(2) जयपुर नगर में कृषि भूमि को आबादी अथवा वाणिज्य भूमि में सम्परिवर्तित करने के लिए क्षेत्रीय दरें (जोनल रेट्स) निम्नांकित रखी जावें:—

क्षेत्र की संख्या	क्षेत्र का विवरण	आवास हेतु भूमि की दर	व्यवसाय हेतु भूमि की दर
1	2	3	4
1. मिर्जा इस्माइल रोड़	सड़क से लगती हुई भूमि के आगे का हिस्सा एवं सड़क के दोनों तरफ के हिस्से।	40) रु. प्रति वर्ग गज	160) रु. प्रति वर्ग गज
2. एस. एम. एस. हाइ वे	कालेज एवं हॉस्पिटल, पश्चिम की तरफ टौंक रोड़ एवं पूर्व में ठंडी सड़क तक, सी-स्कीम में रेल्वे लाइन तक, सिविल लाइन (अजमेर रोड़ को छोड़कर) सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय, गोपाल बाड़ी, एवं लाल कोठी स्कीम।	30) रु. प्रति वर्ग गज	120) रु. प्रति वर्ग गज
3. बापू नगर	बापू नगर, गांधी नगर, तिलक नगर, बजाज नगर, झालाना रोड़ तक का यूनिवर्सिटी का क्षेत्र मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज आदि, सिन्धी कैम्प, बनी पार्क एवं निर्माण मार्ग 'आॅन आइदर साइड।	20) रु. प्रति वर्ग गज	80) रु. प्रति वर्ग गज

1	2	3	4	5
4.	टौंक फाटक	टौंक फाटक से हवाई अड्डे तक।	15) रु. प्रति वर्ग गज	60) रु. प्रति वर्ग गज
5.	सिविल लाइन पश्चिमी भाग	अतिरिक्त रेल्वे लाइन का	10) रु. प्रति वर्ग गज	40) रु. प्रति वर्ग गज

(3) छोटे तबके के लोगों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत देने की दृष्टि से उपरोक्त निर्धारित दरों में निम्नांकित छूट दी जाएगी:—

आवास हेतु जो भूमि सम्परिवर्तित की जा रही है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति	अन्य जन (छोटे तबके के लोगों के लिए)
प्रथम 125 वर्गगज तक 126 वर्ग गज से 250 वर्गगज तक।	क्षेत्रीय दर का 25 प्रतिशत क्षेत्रीय दर का $37\frac{1}{2}$	क्षेत्रीय दर का 50% क्षेत्रीय दर का 75%

यदि भूमि का क्षेत्रफल 250 वर्गगज से अधिक है तो सम्पूर्ण भूमि% के लिए क्षेत्रीय दरों पर राशि देय होगी।

उपरोक्त राहत केवल आवास गृहों हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि पर ही दी जाएगी जो भूमि व्यवसाय हेतु ली गई है उसकी दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी।

(4) कृषि भूमि के उपरोक्त सम्परिवर्तित के लिए देय राशि का भुगतान निम्न प्रकार से होगा:—

देय राशि	किश्तें
1. यदि देय राशि 1 हजार रुपये से चार हजार तक हो।	दो सालाना किश्तों में
2. यदि देय राशि 4 हजार से अधिक और 6 हजार से कम हो।	3 सालाना किश्तों में
3. यदि देय राशि 6 हजार से अधिक और 3 हजार से कम हो।	4 सालाना किश्तों में
4. यदि देय राशि 8 हजार से अधिक हो।	5 सालाना किश्तों में

किश्तों में दी जाने वाली धनराशि पर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज हिसाब से वसूल किया जायेगा।

Page No. 173

(5) कृषि भूमि का आवास अथवा व्यवसाय हेतु सम्परिवर्तित तभी किया जायगा जबकि उस भूमि को जयपुर शहर के मास्टर प्लान में क्रमशः आवास अथवा व्यवसाय हेतु दर्शाया गया हो।

(6) कृषि भूमि का आवासीय भूमि में सम्परिवर्तित तभी किया जायेगा जबकि प्रार्थी यह हलफनामा प्रस्तुत करेंगे कि उसके पास जयपुर नगर में आवास हेतु कोई मकान या जमीन नहीं है।

(7) एक प्रार्थी की सम्परिवर्तित की गई भूमि का क्षेत्रफल नगर विकास न्यास के नियमों द्वारा एक व्यक्ति के लिए अधिकतम भूमि की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(8) हाउसिंग सहकारिता समितियों के लिए उक्त शर्तों के अलावा निम्न शर्तें भी लागू होंगी:-

(क) हाउसिंग सोसाइटी द्वारा हाउसिंग योजना की स्वीकृति नगर विकास न्यास द्वारा प्राप्त की जायगी। यह कार्यवाही एक निर्धारित समय में करना आवश्यक होगा अन्यथा सोसायटी की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।

(ख) सोसायटी के किसी सदस्य को नगर विकास न्यास द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति से अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी।

(ग) सोसायटी द्वारा भूमि का विकास भी एक निश्चित निर्धारित अवधि में करना होगा।

(9) दो नगरपालिकाओं की सीमाएं परस्पर व्याप्त हों, जैसे जयपुर और आमेर की तो उस परस्पर व्याप्त क्षेत्र में बड़े कस्बों के क्षेत्र में लागू दर ही प्रचलित होगी।

(10) वर्तमान में ये दरें उन्हीं ग्रामों में लागू होंगी जो जयपुर नगरपालिका सीमा से आधे मील के भीतर स्थित है। इस परिधि से बाहर ग्रामों के लिए विभाग अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(11) उपरोक्त निर्णयों के आधार पर अन्य शहरों और कस्बों में इस प्रकार का सम्परिवर्तन करने की दरों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एक माह के अन्दर मंत्रिमण्डल ज्ञापन प्रस्तुत करें। इसके लिए सम्बन्धित जिलाधीशगण से शीघ्रातिशीघ्र सूचना एकत्रित की जावे।

———

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची)

APPENDIX 'A'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF 'L' FORM SUBMITTED BY THE VARIOUS LICENSED CONTRACTORS DURING THE YEAR 1970-71, 1971-72 AND 1972-73 FOR THE CONNECTIONS RELEASED IN DAUSA SUB-DIVISION.

Year 1970-71

S. No.	Names of Contractors	No. of 'L' Form
1.	Vinod & Co., Dausa	399
2.	Friends Electricals, Jaipur	647
3.	Puwan Electricals, Jaipur	55
4.	Khalsa Electricals, Jaipur	87
5.	Gupta Electricals, Jaipur	312
6.	Dhamani Electricals, Jaipur	298
	Total :	1798

Year 1971-72

S. No.	Names of Contractors	No. of 'L' Form
1.	Vinod & Co., Dausa	301
2.	Friends Electricals, Jaipur	506
3.	Kusum Electricals, Jaipur	107
4.	Khalsa Electricals, Jaipur	164
5.	Gupta Electricals, Jaipur	254
6.	Dhamani Electricals, Jaipur	174
	Total :	1506

Year 1972-73

S. No.	Names of Contractors	No. of 'L' Form
1.	Vinod & Co., Dausa	384
2.	Friends Electricals, Jaipur	193
3.	Misra Kirashi Udyog, Lalsot	396
4.	Kusum Electricals, Jaipur	30
5.	Gupta Electricals, Jaipur	356
6.	Dhamani Electricals, Jaipur	297
7.	Suwastic Electricals, Jaipur	539
	Total :	2159

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 6 (39) राज./ख/67, दिनांक 2-12-67 के अनुसार दिनांक 13-1-58 के पूर्व से जो व्यक्ति तालाब के पेटे की भूमि को खातेदारी अथवा गैरखातेदारी हक से काश्त करते आ रहे हैं उनको बिना अस्थायी आवंटन किए हुए ही हक काश्त दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में पेनल्टी भी नहीं ली जा सकती। अतः जो मामले राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश के अधीन आते हैं उनमें उपरोक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावे।

परिशिष्ट 3 'A'

(तारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची)

जोधपुर शहर में स्थित 1973 में चिकित्सा संस्थाओं की सूची

	चिकित्सालय का नाम	रोगी शय्याओं की संख्या
1.	महात्मा गांधी चिकित्सालय	618
2.	उम्मेद (महिला) चिकित्सालय	334
3.	मानसिंह चिकित्सालय	85
4.	आइसोलेशन चिकित्सालय	18
5.	पुलिस चिकित्सालय	9
6.	जेल चिकित्सालय	18
7.	टी० बी० क्लिनिक	—
8.	लेपर असायलम चिकित्सालय	55
9.	नौ-चौकी डिस्पेन्सरी	—
10.	पावटा डिस्पेन्सरी	—
11.	हाउसन डिस्पेन्सरी	—
12.	रेजीडेन्सी डिस्पेन्सरी	—
13.	जे० एफ० डिस्पेन्सरी	—
14.	सूरसागर डिस्पेन्सरी	—
15.	विद्याशाला डिस्पेन्सरी	—
16.	जसवन्त कालेज, डिस्पेन्सरी	—
17.	महामन्दिर डिस्पेन्सरी	—
18.	आर० ए० सी० डिस्पेन्सरी	—
19.	बरटीन आर० ए० सी० बटालियन डिस्पेन्सरी	—
20.	इ० एस० आइ० डिस्पेन्सरी	—
21.	इ० एस० आइ० मोबाइल डिस्पेन्सरी	—
22.	के० एन० चेस्ट चिकित्सालय	114
23.	अरबन फैमेली प्लानिंग सेन्टर्स –6	—

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

57. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत रटलाई (जिला झालावाड़) के सरपंच द्वारा अपने ग्राम की आबादी भूमि को अवैध रूप से अपने ही व्यक्तियों को थोड़े थोड़े पैसे लेकर दे देने की शिकायतें गत वर्ष भी की गई थीं परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ? इसका क्या कारण है ?

(2) क्या दिनांक 4-4-1973 को भी इसकी शिकायत की गई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या इन अवैध रूप से दिये पट्टों को कैंसिल किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतों की जांच परगना अधिकारी झालावाड़ द्वारा की जा चुकी है और जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 8-10-73 को प्राप्त हो चुका है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही जल्द की जावेगी।

(2) 4-4-73 को प्राप्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी बकानी द्वारा की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट दिनांक 29-8-73 को जन अभियोग सतर्कता निराकरण समिति, जिलाधीश कार्यालय झालावाड़ में प्राप्त हो चुकी है। आगे की कार्यवाही उक्त रिपोर्ट पर जल्द करने को जिलाधीश झालावाड़ को निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) अवैध रूप से दिये गये पट्टों को कैंसिल करने हेतु जिलाधीश को निर्देश दे दिये गये हैं।

चूरू जिले की पंचायतों को कृषि भूमि का अलॉटमेंट

58. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि भूमि अलॉट करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो चूरू जिले की कितनी पंचायतों को कृषि भूमि अलॉट की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है और न चूरू जिले में ही है तो क्या ऐसी ग्राम पंचायतों को पड़ोसी जिला गंगानगर में नहरी क्षेत्र में एक एक मुरब्बा भूमि अलॉट की जा सकती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायतों को उनकी आय बढ़ाने के लिए

(राजस्व मंत्री)

(उत्तर)

जमीन अलॉट करने का प्रावधान है। चूरू जिले की कुल 202 ग्राम पंचायतों में से 199 को भूमि अलाट की जा चुकी है। केवल तहसील सुजानगढ़ के 3 पंचायतों द्वारा आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें भूमि आवंटन नहीं हुई है।

(2) चूरू जिले में ऐसा कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं है जहां भूमि उपलब्ध न होने से ग्राम पंचायत को आवंटन नहीं की जा सकती। अलबत्ता सुजानगढ़ तहसील के तीन ग्राम पंचायतों को उनको उनकी ओर से कोई मांग न होने के कारण भूमि आवंटन नहीं की गई।

जहां तक किसी पंचायत समिति को श्री गंगानगर के नहरी क्षेत्र में एक एक मुरब्बा भूमि आवंटन करने का प्रश्न है— ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है।

ग्राम लौंधी में 'बी' क्लास का औषधालय

59. **श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लौंधी तहसील जमवा रामगढ़ में निदेशक आयुर्वेदिक विभाग अजमेर ने 'बी' क्लास औषधालय खोलने का वादा किया था ?

(2) क्या यह सही है कि वहां के स्थानीय व्यक्तियों ने 'बी' क्लास औषधालय खोलने के लिये लगभग 20,000/- रुपये की इमारत की रजिस्ट्री दिनांक 10-6-61 को करादी है ? यदि हां, तो अब तक वहां औषधालय क्यों नहीं खोला गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन

60. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज्य के ढांचे को बदलने के लिए कोई कमेटी बैठाई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या राय है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषदों के चुनाव उक्त कमेटी की राय के आधार पर कराये जायेंगे; यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज के सम्बन्ध में श्री गिरधारी लाल व्यास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (पंचायती राज) का गठन किया गया था, जिसने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 22 जून, 1973 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

प्रतिवेदन की प्रतिलिपि (पुस्तिका) संलग्न है।

(2) समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उपनिवेशन विभाग द्वारा अलाट की गई भूमि

61. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वानसूर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा सन् 1968 से 1972 तक किस किस को कितनी कितनी काश्त की जमीन अलॉट की गई है तथा ये व्यक्ति किस किस स्थान के रहने वाले हैं पता दर्शाते हुए कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अलॉट की गई काश्त की जमीन में से किस-किस अलॉटी ने अपनी जमीन कितने-कितने रुपये में किसकी आज्ञा से बेची है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अलॉट को हुई काश्त को जमीन को कितने अरसे तक न बेचने का नियम है? और क्या इस नियम का उल्लंघन किया गया है?

(स्थगित किया गया)

ठिकाना बाई जी श्री लक्ष्मी नारायणजी का मन्दिर

62. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या देव स्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में माणकचौक चौपड़ पर स्थित ठिकाना बाईजी श्री लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर की हालत जीर्णशीर्ण हो चुकी है और यह कभी भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवाई जावेगी! यदि नहीं तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग इस मंदिर की सेवा पूजा का प्रबन्ध करता है? यदि हां, तो कब से? यदि वर्तमान में नहीं तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग मंदिर की दुकानों का किराया लेता है? यदि हां, तो वार्षिक आय कितनी है? तथा बैंक में किराये की राशि कितनी जमा है?

(4) क्या यह सही है कि मंदिर की सम्पति को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा है? यदि हां, तो अब तक सरकार ने मुकद्दमे की पैरवी पर कितनी राशि व्यय की?

(5) क्या यह सही है कि देवस्थान ठिकाना बाईजी श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर की छत व अन्य मकानों का किराया लेता है! यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो फिर कौन व्यक्ति किराया लेता है?

(6) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देवस्थान मंत्री श्री भोगीलाल पंड्या ने मंदिर के महन्त के पक्ष में कोई निर्णय दिया था? यदि हां, तो कब और क्या?

(स्थगित किया गया)

जयपुर में सरकारी क्वार्टर्स

63. **श्री झाबरमल सूंड़ा** (फतेहपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर व शहर के बाहर सरकारी क्वार्टर्स में से कितने क्वार्टर्स में रिटायर्ड या डिसमिस हुए राज्य कर्मचारी या अधिकारी रह रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनसे अभी तक क्वार्टर्स क्यों नहीं खाली करवाये गये।

(3) क्या सरकार उनसे क्वार्टर खाली करवाकर राज्य कर्मचारियों को ये क्वार्टर अलाट करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 21 क्वार्टर्स में रिटायर्ड व डिसमिस कर्मचारी निवास कर रहे हैं। सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) खाली कराये जाने की कार्यवाही की गई है व की जा रही है।

(3) जी हां। जैसे 2 क्वार्टर्स पर विभाग को कब्जा प्राप्त होता रहेगा, अलाटमैन्ट करा दिया जावेगा।

(सूची-अ)

(रिटायर्ड व डिसमिस कर्मचारी व अधिकारीगण की सूची)

क्रमांक	क्वार्टर संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	विभाग का नाम	रिटायर्ड की तिथी
1-	ई-11 गांधीनगर, जयपुर	श्री रामदेव सोलंकी	स्क्रूटीनाईजर (Scrutiniser)	सहायक निदेशक जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।	3-4-73
2-	ई-919 गांधीनगर,	श्री बाबू लाल घिल	स्टेनो लेखाधिकारी	सचिवालय, जयपुर।	14-4-73
3-	23, राम बाग सड़क,	श्रीमती एस० भारतीया	प्रिंसिपल	महारानी कालेज, जयपुर।	7-4-73
4-	26, पुरानी हाई कोर्ट	श्री बिरजू सिंह	निजी सचिव,	सचिवालय, जयपुर।	रिटायरमेन्ट की तिथि मालूम की जा रही है।
5-	20, ,, ,,	श्रीमती मामूयल डैनियल	नर्स	जनाना अस्पताल, जयपुर।	1-6-65
6-	27, ,, ,,	श्री छीतर मल	वार्ड बाय	लेजरटॉं होस्पिटल, जयपुर।	1-12-69
7-	5, म्यूजियम मार्ग	श्री हरीसिंह शेखावत	सहायक अभियन्ता,	भवन व पथ, जयपुर	13-5-73
8-	29, पुरानी हाई कोर्ट	श्री राम चरण	ड्राईवर	सवाई मानसिंह अस्पताल	रिटायरमेन्ट की तिथि मालूम की जा रही है।
9-	एफ 498, गांधी नगर.	श्रीमती सरस्वती देवी	कनिष्ठ लिपिक	सहकारी विभाग,	3-11-65 (नोट:-इनको दिनांक 3-11-65 को सेवा निवृत्त किया गया था, परन्तु यह अभी तक भवन में निवास कर रही है, जिसको खाली करवाने की कार्यवाही चालू है।
10-	एफ-707	श्री एस० बी जोशी	सचिव,	राजस्थान, स्टोर परचेंज ओरगेनाईजेशन, मेडिकल एण्ड हैल्थ, जयपुर	18-12-66

क्रमांक	क्वार्टर संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	विभाग का नाम	रिटायर्ड की तिथि
11–	एफ 493 गांधीनगर,	श्री कन्हैयालाल श्रीमाली	डिप्टी	विकास आयुक्त, जयपुर	—
12–	एफ 471, ,,	श्री खयाल दास	कनिष्ट लिपिक	लेखाधिकारी, सचिवालय, जयपुर	1–3–72
13–	एफ–11 ,,	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	अनुभागाधिकारी	सचिवालय, जयपुर।	1–11–71
14–	एफ–15 ,,	श्री हीरा लाल सक्सेना	लेखा लिपिक	कृषि विभाग, जयपुर।	रिटायरमेन्ट तिथी मालूम की जा रही है।
15–	एफ–131 ,,	श्री भगवती लाल	अनुभागाधिकारी	सचिवालय, जयपुर।	6–10–70
16–	एफ–473 ,,	श्री घनश्याम दूब्बे	लेखाकार		रिटायरमेन्ट तिथि मालूम की जा रही है।
17–	जी–798 ,,	श्री चन्द्रा देवी भटनागर	अध्यापिका	डिप्टी इन्सपेक्टर गर्ल्स स्कूल, जयपुर।	,, ,,
18–	जी–130 ,,	श्रीमती किरणवती अग्रवाल		सहायक अध्यापिका, गांधीनगर प्राईमरी स्कूल, जयपुर।	30–6–73
19–	एच–535 ,,	श्री नारायण सिंह	चपरासी	मेडिकल एण्ड हैल्थ, जयपुर।	रिटायरमेन्ट तिथि मालूम की जा रही है।
20–	एच–658 ,,	श्री भगवती प्रसाद	चपरासी	,, ,,	,, ,,
21–	एच–882 ,,	श्री चूल सिंह	साईकिल सवार	एम्पलाईमेन्ट एक्सचेंज, जयपुर।	,, ,,

माणिक सागर बांध पर व्यय की गई राशि

64. श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के माणिक सागर (जैतपुरा) बांध पर वर्ष 1973-74 के आय व्ययक अनुमान में 24,65,000) रुपयों की धनराशि स्वीकृत है ? यदि हां, तो एक अप्रेल, 1973 से अब तक इस बांध के निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

उत्तर

जी हां। अभी तक इस वर्ष में इस बांध पर व्यय नहीं हुआ है।

पाली तहसील के गांवों का विद्युतिकरण

65. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पाली तहसील के गांव खौड़ और खेड़वा के लिये विद्युतिकरण की योजना कब स्वीकृत की गई और उनकी क्रियान्विति अभी तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के पश्चात् स्वीकृत किये गये गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है जब कि इन गांवों की स्वीकृतियां बहुत पहले हो चुकी थीं ?

(3) उक्त गांवों का विद्युतिकरण अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इन गांवों के विद्युतिकरण की स्वीकृति दिनांक 1-5-1971 को दी गई थी परन्तु कुछ विशेष तकनीकी कारणों से अभी तक विद्युतिकरण संभव नहीं हो सका है। संशोधित स्कीम द्वारा इन गांवों के विद्युतिकरण की स्वीकृति अब पुनः दिनांक 14-9-73 को दी जा चुकी है।

(2) जी हां।

(3) इन गांवों के विद्युतिकरण का कार्य चालू वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

ग्राम केशवाना गूजर में भूमि का अलॉटमेंट

66. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम केशवाना गूजर में जमीन का अलॉटमेंट किया गया है ? यदि हां तो कितनी जमीन किन किन व्यक्तियों को अलॉट की गई है ? सूची सदन की मेज पर पूर्ण विवरण के साथ रक्खें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अलॉटमेन्ट की सूचना नियमों के अनुसार अलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्यों को नहीं दी गई है और अलॉटमेन्ट नियमों का भी पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अलॉटमेन्ट में राज्य के बाहर के निवासी को भी भूमि अलॉट की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन जिन व्यक्तियों को जितनी जितनी भूमि आवंटन की गई है, उसकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) आवंटन हेतु नियत की गई तिथि की सूचना आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को दी गई थी। आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों के अनुसार उद्घोषणा जारी कर भूमि का आवंटन किया गया है। अन्य जांच जारी है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'क'

सूची आवन्टी ग्राम केशवाना गूर्जर, तहसील कोटपूतली दिनांक 10-7-73

क्र. सं.	नाम आवंटी	निवास स्थान	आवंटित भूमि खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा-बि.
1	2	3	4	5
1.	श्री स्योनारायण पुत्र छंगा चमार	केसवाना गूजर	27	10)
2.	,, ताराचन्द पुत्र स्योनारायण हरीजन	,,	27	10)
3.	,, दुर्गा पुत्र स्योनारायण हरीजन	,,	27	10)
4.	,, तोताराम पुत्र चन्दा गूजर	,,	28	7)
5.	,, सुरजाराम पुत्र सोहन गूजर	,,	28	6)
6.	,, जयकिशन पुत्र गणेशा गूजर	,,	28	3)
7.	,, जगदीश पुत्र रूगनाथ गूजर	,,	28	3)
8.	,, हरीराम पुत्र रामलाल गूजर	,,	28	6)
9.	,, डूंगा पुत्र बीरबल गूजर	,,	28	4)
10.	,, हजारी पुत्र बीरबल गूजर	,,	28	4)
11.	,, हरनारायण पुत्र मंगला गूजर	,,	28	2)
12.	,, सांवला पुत्र भगता गूजर	,,	28	7)
13.	,, श्री नारायण पुत्र मन्ना रावत	,,	28	8)
14.	,, छाजूराम पुत्र भगवाना गूजर	,,	28	5)
15.	,, भगवान पुत्र साधू गूजर	,,	29	5)
16.	,, गणपत पुत्र प्रेमा गूजर	,,	29	5)
17.	,, बनवारी पुत्र छोटू गूजर	,,	23	5)
18.	,, बनवारी पुत्र हरनाथ गूजर	,,	23	5)
19.	,, रामचन्द्र पुत्र हरफूल गूजर	,,	23	5)
20.	,, छाजूराम पुत्र माधोसिंह	,,	23	5)
21.	,, रतीराम पुत्र परसादा गूजर	,,	22	5)
22.	,, मातादीन पुत्र लादूराम गूजर	,,	22	5)

1	2	3	4	5
23.	श्री जयराम पुत्र फूला गूजर	केसवाना गूजर	22	5)
24.	,, भूराराम पुत्र गीदाराम गूजर	,,	22	10)
25.	,, जयमल पुत्र भैरू गूजर	,,	20	5)
26.	,, छोटू पुत्र गीदा गूजर	,,	22	10)
27.	,, रामनिवास पुत्र दाताराम गूजर	,,	26	10)
28.	,, महावीर पुत्र रामसरन गूजर	,,	26	10)
29.	,, रामअवतार पुत्र श्योनारायण गूजर	,,	26	10)
30.	,, गोदाराम पुत्र चन्दा गूजर	,,	21	9)
31.	,, देवकरण पुत्र कानाराम गूजर	,,	28	6)
32.	,, भागीरथ पुत्र घीसा गूजर	,,	29	5)
33.	,, इन्दराज पुत्र बीरबल गूजर	,,	29	5)
34.	,, श्रीराम पुत्र श्योलाल गूजर	,,	21	5)
35.	,, रोहितास पुत्र गणेश गूजर	,,	28	3)
36.	,, बिडदा पुत्र प्रसादा गूजर	,,	22	5)
37.	,, प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ गूजर	,,	20	10)
38.	,, छोटू, फूला, रामकरण पि. सोहन गूजर	,,	29	12)
39.	,, बहादुर खेता, श्रीराम, कालू पि. मन्नाराम गूजर	,,	29	8)
40.	,, रामेश्वर, छोटू, उमराव, बिहारी व बहादुर गूजर	,,	28	15)
41.	,, जयराम व रामस्वरूप पिसरान सुल्तान गूजर	,,	22	10)
42.	,, हरीराम, लालाराम व रघुवीर पिसरान विशम्भर गूजर	,,	22	10)
43.	,, रामेश्वर, फूलाराम, कुरडाराम, छोटू व हरद्वारीलाल पिसराना मुखराम गूजर	,,	20	30)
44.	,, श्रीराम, चेतराम, ज्ञानचन्द व रामनारायण पि. श्योकरण गूजर	,,	21	20)
45.	,, रामनारायण पुत्र रामनाथ गूजर	,,	20	5)
46.	,, रामजीलाल पुत्र रामनाथ गूजर	,,	20	5)
47.	,, सुलतान पुत्र रामनाथ गूजर	,,	20	5)

1	2	3	4	5
48. श्री	मुरली पुत्र बीजा मीना	नि. गोनेड़ा	27	10)
49. ,,	कानाराम पुत्र बिरजू चमार	नि. पूतली	27	10)
50. ,,	सलाउद्दीन पुत्र सरफुद्दीन तेली	नि. गोनेड़ा	26	12) 10बि.
51. ,,	श्रीमती मिसरी देवी पत्नी जयभगवानसिंह यादव	नि. गोनेड़ा	25	15)
52. ,,	श्री मूलचन्द पुत्र प्रभातीलाल यादव	नि. बनार	25	15)
53. ,,	श्री विश्वम्भर पुत्र गणपतराम जोगी	नि. गोनेड़ा	26	12) 10
54. ,,	चन्दर पुत्र बिरजू चमार	नि. पूतली	27	10)
55. ,,	ग्यारसा पुत्र मनचू माली	नि. कोटपूतली	126 25	7 5 } 12
56. ,,	रामचन्द्र पुत्र मानीसहाय अहीर मिलट्री सर्विस	नि. कायसा (जिला अलवर)	25 126	5 5 } 10
57. ,,	चुन्नीलाल पुत्र मालीराम	नि. कोटपूतली	126	12)
58. ,,	श्रीमती इमरती पत्नी सुवालाल	नि. कोटपूतली	25	12)
59. ,,	मु. धापली बेवा हीरालाल	नि. कोटपूतली	25	12)

श्री माधोपुर तहसील के कृषकों को बिजली

67. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील के काफी काश्तकारों ने, काफी अर्से से कुओं पर बिजली प्राप्त करने हेतु, सिक्योरिटी की राशि जमा करा रखी है ? यदि हां तो किन किन काश्तकारों ने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या सिक्योरिटी की राशि जमा करने के पश्चात विद्युत विभाग काश्तकार को बिजली शीघ्र देने के लिये बाध्य नहीं है ? यदि बाध्य है तो उन्हे बिजली कब तक दे दी जावेगी तथा जिस अधिकारी ने नियम विरुद्ध विलम्ब किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) श्री माधोपुर तहसील के 233 किसानों ने सिक्युरिटी की रकमें जमा करा रखी है । इन्हे अभी कनेक्शन देना है । सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सिक्युरिटी जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को फिटिंग पूरी करवाकर 'एल' फार्म पेश करने के पश्चात कनेक्शन देने के लिए विद्युत मण्डल उत्तरदायी है । उपरोक्त में से जिन 66 आवेदकों ने 'एल' फार्म पेश कर दिये हैं उन्हें कनेक्शन देने का कार्य इसी माह में प्रारम्भ कर दिया जायेगा । बाकी आवेदकों को भी नियमानुसार 'एल' फार्म आने पर कनेक्शन दे दिया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमिहीनों के कार्ड

68. श्री गुरदयालसिंह सिन्धु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जिला श्रीगंगानगर के राजस्थान नहर क्षेत्र में जिन भूमिहीनों को पहले से भूमि का अस्थाई आवंटन हो चुका है उसे स्थायी आवंटन करने हेतु उन भूमिहीनों के कार्ड बनवाने के लिए राजस्व तहसीलदारों के पास भेजा जा रहा है ?

(2) क्या यह नियम के विरुद्ध है ? यदि हां तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार भूमिहीनों के कार्ड पंचायतों द्वारा बनाये जाने के लिए एक निश्चित आदेश देगी ? यदि हां, तो यह आदेश सरकार कब तक पंचायतों को दे देगी ?

उत्तर

(1) जी हां । भूमिहीनों को स्थायी आवंटन करने के लिए प्रमाण-पत्र तहसीलदारों से मंगवाये जा रहे हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । ये प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारियों से लिये जायेंगे ।

बाड़मेर नगर में बिजली की व्यवस्था

69. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर जो सीमावर्ती बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है वहां पुराने डिजल सेटों से विद्युत प्राप्त होती है जो बड़ी महंगी पड़ती है ? यदि हां तो वह जल विद्युत (Hydro Electric Power) एवं भाप द्वारा विद्युत के मुकाबले कितनी महंगी पड़ती है ?

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बाड़मेर नगर में किस योजना द्वारा कब तक जल विद्युत पहुंचा देगा ?

(3) जब तक जल विद्युत की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक विद्युत मंडल एक हजार किलोवाट शक्ति के नये डिजल सेट प्राप्ति के लिये क्या प्रयास कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए दोनों की दरें संलग्न तालिका में दी गई हैं।

(2) अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) 1,000 किलोवाट शक्ति का एक और डिजल सेट जयपुर से हटाकर बाड़मेर भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं।

उपभोक्ता श्रेणी	जल विद्युत दर	डीजल दर
घरेलू लाइट	37.7	52
पावर	22.3	29.2
वाणिज्यिक लाइट	43	57.95
पावर	22.3	29.2
स्ट्रीट लाइट	30.8	38.5
कृषि	13.3	13.3
लघु उद्योग	14.5	28.9
मध्यम श्रेणी उद्योग	14.5	28.9

ग्राम फागी में कृषि भूमि पर उद्योग की स्थापना

70. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जगदीश बोहरा द्वारा ग्राम फागी में खसरा नम्बर 3915 में विना इजाजत लघु उद्योग हेतु मकान बना लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. का नामान्तरकरण श्री जगदीश बोहरा के नाम नियम विरुद्ध तसदीक किया गया था जिसके निरस्त हेतु जिलाधीश, जयपुर द्वारा दिनांक 20-8-73 को राजस्व मण्डल को लिखा जा चुका है ?

(3) क्या जिलाधीश, जयपुर के आदेशानुसार तहसीलदार फागी ने ग्राम पंचायत

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

फागी एवं ग्राम जनता की राय के साथ अपनी राय भी जिलाधीश को भेजी है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि श्री जगदीश बोहरा ने गैरमुमकिन रास्ते में दुकानों का निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो उनको हटाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-2-70 को जिलाधीश, जयपुर को लिखा जा चुका है कि यहां पर कारखाना लगाने की इजाजत देना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो अब राज्य सरकार इस अनाधिकृत निर्माण को कब तक हटाने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री जगदीश बोहरा ने ग्राम फागी के खसरा नं. 3915 की कृषि भूमि में लघु उद्योग हेतु मकान बनाने की चेष्टा की थी ।

(2) जी हां । नामान्तरकरण नियम विरुद्ध माना जाकर निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भेजा गया है ।

(3) जी हां । तहसीलदार फागी ने ग्राम पंचायत फागी एवं ग्राम जनता की राय के साथ अपनी रिपोर्ट भिजवाई थी । उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(4) जी हां । दुकानों के निर्माण के खिलाफ धारा 91, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही की गई थी । बीच में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने पर कार्यवाही स्थगित कर दी थी । अब पुनः नियमानुसार कार्यवाही किये जाने को जिलाधीश को लिखा जा रहा है ।

(5) जी हां । जिलाधीश को शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रेवदर एवं सिरोही पंचायत समिति क्षेत्रों में भूमि का आवंटन

71. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष सिरोही जिले की रेवदर व सिरोही पंचायत समिति क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आवास हेतु रियायती मूल्य पर कोई जमीन अलॉट नहीं की गई ? यदि अलॉट की गई है तो ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कृषि भूमि को आबादी में बदलने के कई मामले पंचायतों ने भेजे किन्तु उनका निपटारा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्यवाही पूर्ण करके पिछड़े परिवारों को जमीनें दे दी जायेंगी ? तथा अब तक कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(स्थगित किया गया)

लोढ़ा इण्डस्ट्रीज से सरियों की खरीद

72. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहायक संचालक उद्योग विभाग श्री नारायण पाठक ने 6 मैट्रिक टन 10 एम. एम. का सरिया परमिट से 1200 रु० प्रति टन के भाव से

(श्री केशरीमल)

लोढा इण्डस्ट्रीज, ब्यावर को दिया ? यदि हां तो देने से पहिले और बाद में उपयोग में लाने बाबत जानकारी की या नहीं ?

(2) क्या ब्यावर की लोढ़ा इण्डस्ट्रीज, का कोई ऐसा कार्य है जिसमें इस प्रकार का सरिया इतनी ज्यादा तादाद में काम में लिया जा सकता है।

(3) क्या यह सही है कि लोढ़ा इण्डस्ट्रीज से यह सारा सरिया सार्वजनिक निर्माण विभाग के अजमेर स्थित अधीक्षक अभियन्ता श्री के. एस. मेहता ने उपरोक्त विभाग के कार्य हेतु खरीद लिया ?

(4) क्या संबंधित मामले की शिकायत राज्य सरकार के पास आई है और क्या राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से उपरोक्त मामले की जांच करवाई ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

(स्थगित किया गया)

जोधपुर डिवीजन में सिंचाई कार्य

173. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालोर में अधिकांश सिंचाई के खडीन, एनीकट एवं धोरापाली के कार्य बिना पहले एस्टीमेट तथा टेक्नीकली मन्जूरी प्राप्त किये ही पिछले अकाल 1968-69 एवं 1969-70 तथा इस अकाल 1972-73 में स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां तो ऐसा करने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के कार्य जो कि टेक्नीकली उपयुक्त नहीं थे, उन्हे मन्जूर कर अकाल के वर्षों में बनाये गए, जिसका नतीजा यह रहा कि इस वर्ष जब अच्छी बरसात हुई तो ये सारे के सारे कार्य बह गए अथवा टूट गए तथा इन कार्यों के फलस्वरूप रेगिस्तानी क्षेत्र में कई जगह भयंकर बाढ़ आई ।

(3) इस प्रकार की मन्जूरी किसने और क्यों दी तथा अब आये नतीजों को देखते हुए उन व्यक्तियों के विरुद्ध अब राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) जिला जैसलमेर, जोधपुर तथा जालोर की तहसील सांचौर में कुल कितने एनीकट एवं खडीन अकालों के वक्त बनाये गए ? उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो इस वर्ष टूटे नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ कार्य जिला अकाल राहत कमेटी द्वारा स्वीकृत करने व जिलाधीश द्वारा स्वीकृति देने पर बिना तखमीनें मन्जूर कराये शुरू किये क्योंकि सर्वे एवं विस्तृत तखमीने में समय अधिक लगता है जबकि अकाल पीड़ितों को शीघ्र राहत पहुंचानी होती है।

(2) जी नहीं, सभी कार्य तकनिकी दृष्टि से उपयुक्त थे। रेगिस्तानी क्षेत्र में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण ही बाढ़ आई जिसके कारण सिंचाई के कुछ कार्यों को क्षति पहुंची। न कि सिंचाई कार्यों के टूटने की वजह से बाढ़ आई।

(3) सभी कार्य तकनिकी दृष्टि से उपयुक्त थे एवं सभी कार्यों की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई थी। इसलिए किसी भी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सूची संलग्न है।

अकाल राहत के मद में हुए कार्यों की सूची—

क्रमांक	नाम जिला	अकाल वर्ष 68-69 व 69-70 72-73 में कराये गये कार्य खडीन	एनीकट
1.	जैसलमेर	100	85
2.	जोधपुर	13	11
3.	जालोर की तहसील सांचोर	इस तहसील में कोई भी खडीन व एनीकट नहीं बनाये गये।	

पंचायत समिति शाहपुरा की ऑडिट रिपोर्ट

74. **श्री विजयसिंह (मांडल)** : क्या पंचायत एवं सार्वजनिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा के दिनांक 2-11-70 से, दिनांक 7-4-71 तक के पेटा काश्त एवं कृषि फार्मों के लेखों की विशेष जांच स्थानीय निधि अंकेक्षण राजस्थान द्वारा की गई थी ?

(2) क्या उक्त जांच की रिपोर्ट में तात्कालीन सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण ने, तात्कालीन विकास अधिकारी श्री जगदीशचन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध तकनीकी अनियमितताएं गबन, नियमों के विपरीत एवं कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने रेकार्ड में काट फांस, खरीद फरोक्त में गड़बड़ी, अनियमित नियुक्तियां, अनियन्त्रित व्यय, आय के संदेहास्पद अंकन आदि के आरोप लगाये थे ?

(3) क्या उक्त रिपोर्ट में, सहायक परीक्षक ने पंचायत समिति को हुई निम्न धन-राशि की हानि के लिए तात्कालीन विकास अधिकारी श्री अग्रवाल को व्यक्तिगत-रूप से उत्तरदायी ठहराया था :—

कनेछण कलां कृषि फार्म हानि 23,676 रु.

पेटा काश्त हानि 16,72,307 रु.

पौध शाला हानि 41,531 रु.

कुल हानि 17,37,514 रु.

(4) क्या यह सही है कि तात्कालीन जिलाधीश, भीलवाड़ा की टिप्पणियों में जो उन्होंने समय समय पर लिखी हैं, श्री अग्रवाल के विरुद्ध सभी प्रकार के आदेश निर्देश और सुझावों को नहीं मानकर मनमाने ढंग से कार्य कर पंचायत समिति को हानि पहुंचाने का आरोप है ? यदि हां तो सरकार ने ऐसे आरोपों के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(श्री विजयसिंह)

(5) क्या यह सही है कि उप जिला विकास अधिकारी, भीलवाड़ा ने सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण अजमेर को लिखे गये पत्र संख्या 44889 दिनांक 5-11-71 में अंकेक्षण रिपोर्ट में लगाये गए आरोपों की पुष्टि कर अन्य अनेक आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है ? यदि नहीं तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(6) क्या सरकार ने प्रश्न के खण्ड 2 में वर्णित विशेष जांच की रिपोर्ट पर श्री अग्रवाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं तो क्यों ?

(7) क्या सरकार ने प्रश्न के खण्ड 3 में वर्णित पंचायत समिति शाहपुरा को हुई 17,37,514/-रुपये की हानि की पूर्ति विकास अधिकारी श्री अग्रवाल से कराने हेतु कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक कितनी पूर्ति हो चुकी है ? यदि नहीं तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम कांकरा में भूमि का आवंटन

75. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कांकरा, तहसील दांता रामगढ़, जिला सीकर में ग्राम कांकरा के सरपंच श्री दधिमत शर्मा ने अपने पुत्र श्री कैलाश के नाम खसरा नम्बर 44 में 10 बीघा व अपने भानजे श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मांगीलाल, निवासी कांटिया, तहसील नांवा, जिला नागौर के नाम खसरा नम्बर 46/2 में 10 बीघा 3 बिस्वा जमीन तथा ग्राम पंचायत कांकरा के पंच सेठ मदनलाल ने खसरा नम्बर 369 में 8 बीघा जमीन अलाटमेंन्ट कराई हैं ? यदि हां, तो यह अलाटमेन्ट किस आधार पर किया गया जब कि मदनलाल व दधिमत के नाम और भी भूमि मौजूद थी ?

(2) क्या यह भी सही कि इस सरपंच द्वारा अपने पुत्र व भानजे के नाम अलाटमेंट कराई गई जमीन की जांच उपजिला विकास अधिकारी सीकर ने पंचायत सहायक श्री लेखराज काजली व पंचायत समिति दांता-रामगढ़ के भूतपूर्व विकास अधिकारी, श्री चन्द्र किशोर शर्मा ने की थी तथा इन दोनों जांचकर्ताओं ने जांच में इन अलाटमेंटों को रद्द करने तथा इस सरपंच के पुत्र व भाणजे को इस जमीन से बेदखल किये जाने की सिफारिश जिलाधीश, सीकर से की थी यदि हां तो आज तक यह अलाटमेन्ट निरस्त क्यों नहीं किया गया ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री मदन लाल व उसके भाई श्री शान्तिलाल के नाम से जो अलग अलग जमीनें अलाट हुई हैं उनकी जांच एस. डी. एम. सीकर ने की है ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही जिलाधीश सीकर ने की है ? क्या सरकार इन जमीनों को जल्दी ही भूमिहीन काश्तकारों, हरिजनों, सैनिकों को अलाटमेन्ट करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रश्न में वर्णित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन, आवंटन समिति द्वारा किया गया है।

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(2) जी हां। जांच उप–जिला-विकास अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच से केवल कैलाश नारायण, जो दयिमत शर्मा के पुत्र हैं, का आवंटन अनियमित पाया गया था।

जिलाधीश द्वारा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही जारी है। नोटिस दिया जा चुका है।

(3) जी हां। इस आवंटन की जांच एस० डी० ओ० सीकर से भी कराई गई थी। उप-खण्डाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 5–9-73 के अनुसार आवंटन नियमानुसार किया गया है।

अतः कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

राष्ट्रीय मार्ग नम्बर आठ पर बने बाइ पास

'76. श्री चिम्मनसिंह भाटी (मीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में ब्यावर से 22 मील तक राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 पर कुल कितने बाइ पास बने हुए हैं और प्रत्येक बाइ पास पर कुल कितनी रकम खर्च हुई। कृपया प्रारम्भ से लेकर आज दिनांक तक की लागत अलग अलग प्रत्येक बाइ पास की बताई जाय।

(2) क्या यह सही है कि 15 अगस्त 73 से लेकर 3 सितम्बर 73 तक उक्त मार्ग पर ब्यावर से 15 मिल व 19 मील व 19/1 तीनों बाइ पासों पर कई ट्रकों, बसों व कारों के एक्सल टूट गए व यात्री गाड़ियां चौबीस पच्चीस घन्टे तक जंगल में पड़ी रहीं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर कार्य करने वाले ओवरसियर श्री तंवर गैंग नम्बर दो के मेट श्री रूपनाथ व बेलदारों की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों को मिली थी? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि गैंग नम्बर दो के मेट श्री रुपनाथ के व ओवरशियर श्री तंवर के विरुद्ध शिकायत होने के पश्चात् असिस्टेन्ट इन्जीनियर बी. एण्ड आर. नेशनल हाइ वे ब्यावर ने श्री रूपामेट के परिवार-जनों की हाजरी मस्टर रोल से अगस्त 1973 में काटी थी, यदि हां तो फिर उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई?

(5) उक्त ओवरसियर श्री तंवर 15 अगस्त, 73 से आज दिनांक तक कितनी बार ऐसे विकट समय में साइड पर गये?

(6) क्या सरकार राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 ब्यावर से 22 मील के बाइ पास अब भी ठीक करवायेगी, यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) कुल 29 बाइ पास हैं जिनमें से 24 पर कार्य किया गया, 23 बाइ पास पर प्रत्येक पर 1500/– से 1600/– रु० खर्च हुए हैं, 24 वे पर पांच हजार रुपया खर्च हुआ है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां, जांच की जा रही है।

(4) यह सही नहीं है।

(5) 15 अगस्त से 17 सितम्बर तक अधिदर्शक 20 दिन साइड पर गये।

(6) तीन बाइ पास यातायात योग्य है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची)

भरतपुर जिले में सन् 72 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि	अगस्त 1973 तक व्यय धनराशि
1.	भरतपुर बयाना मार्ग	7,00,000	343104.74
2.	उच्चेन सेवला बरेठा मार्ग	2,00,000	146139.96
3.	बयाना रूपवास मार्ग	2,50,000	312693.25
4.	उच्चेन रूपवास मार्ग	1,00,000	62529.00
5.	उच्चेन पोंगारा मार्ग	30,000	31137.41
6.	बयाना तालचिरी मार्ग	1,15,000	158096.66
7.	भूसावर सलेम्पुर तालचिरी मार्ग	1,00,000	98914.59
8.	बयाना भूसावर छोकरवाडा मार्ग	40,000	101067.43
9.	बयाना हिण्डौन मार्ग	30,000	57204.97
10.	डीग कामां मार्ग	1,00,000	145494.47
11.	कामां पहाड़ी मार्ग	2,00,000	174358.72
12.	डीग गोवर्धन मार्ग	1,00,000	129265.08
13.	खेरली पथना मार्ग	1,15,000	109119.00
14.	डीग नगर सेमली मार्ग	1,00,000	152791.75
15.	डदरा माड नदवई मार्ग	50,000	110079.67
16.	नदवई नगर सीकरी पहाड़ी मार्ग	2,50,000	310549.56
17.	भरतपुर शहर के मार्ग	1,00,000	136249.56
18.	धना वई सेन्चुरी मार्ग	50,000	76687.18
19.	भरतपुर अछनेरा मार्ग	80,000	94283.71
20.	थून तसई मार्ग	40,000	46426.41
21.	हन्तरा वर मार्ग	40,000	42642.92
22.	सेवर एजेन्सी मार्ग	60,000	45940.96
23.	नदवई कुम्हेर मार्ग	50,000	53613.89
24.	भरतपुर रूपवास मार्ग	5,19,400	422651.71
25.	धोलपुर राजाखेड़ा रोड़	1,74.100	175346.00
26.	धोलपुर वाडी रोड़	86,700	94229.00
27.	बाडी सेपाऊ रोड़	69,900	67923.00
28.	वाडी कसेडी जगनेर रोड	63,200	55224.00
29.	धोलपुर सेपाऊ रोड	95,209	94619.00
30.	सेपाऊ बसेडी नवाव रोड	80,000	78429.00
31.	बाडी सरमथुरा बरौली रोड	1,21,500	121872.00

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची)

परिशिष्ट (क)

तहसील फागी में वितरित पास बुकें

क्रम सं०	नाम पटवारी हल्का	वितरित पास बुकों का योग
1	2	3
1.	कासेल ए	200
2.	कासेल बी	300
3.	मन्डोर ए	180
4.	मन्डोर बी	200
5.	मोहन्दी ए	300
6.	मोहन्दी बी	350
7.	रेनवाल	350
8.	हरसूलिया	310
9.	लदाना ए	269
10.	लदाना बी	
11.	पचाला	209
12.	चकवाडा ए	465
13.	चकवाडा बी	
14.	चोरू ए	245
15.	चोरू बी	31
16.	नारेडा ए	225
17.	नारेडा बी	296
18.	मन्डम्बरी ए	422
19.	मन्डम्बरी बी	120
20.	महेन्द्रवास ए	151
21.	महेन्द्रवास बी	154
22.	लसाडिया ए	205
23.	लसाडिया बी	180
24.	नीमेडा ए	145

1	2	3
25.	नीमेडा बी	125
26.	किशोरपुरा ए	321
27.	किशोरपुरा बी	250
28.	परवन ए	220
29.	परवन बी	254
30.	मोदी ए	229
31.	मोदी बी	183
32.	माधोराजपुरा	271
33.	फागी ए बी सी	846
34.	फालडा	585
35.	चित्तोडा ए	330
36.	चित्तोडा बी	132
37.	मोहब्बतपुरा	258
38.	पहाडिया	300
39.	पीपला	150
40.	डाबिच ए	220
41.	डाबिच बी	271
42.	दोसारा ए	200
43.	दोसारा बी	328
44.	भाकरोटा	270
45.	भाकरोटा	178
46.	चांदमा कला ए	330
47.	चांदमा कला बी	275
48.	डिडावता	400

Page No. 197

परिशिष्ट 'ख'

तहसील चाकसू में वितरित पास बुकें

क्र० स०	नाम पटवारी हल्का	वितरित पास बुकों का योग
1	2	3
1.	कुम्हारियावास	285
2.	सिमल्यावास दरीबा	207
3.	चन्दलाई	456
4.	शिवदासपुरा	209
5.	बाड़ा पदमपुरा	294
6.	बरखड़ा	363
7.	काठावाला	259
8.	करेडा खुर्द	233
9.	उदयपुरिया	259
10.	देवा किशनपुरा	219
11.	तितरिया	291
12.	टूटोली	—
13.	भोम्बाडा	219
14.	कादेडा	321
15.	तामड़िया	283
16.	डूमवी का खाब	293
17.	हिंगोनिया	226
18.	कोथून	471
19.	शंकर खावदा	213
20.	जयसिंहपुरा	210
21.	बडली	199
22.	स माधोसिंहपुरा	290
23.	थली	330
24.	कस्बा चाकसू ए ब	536

1	2	3
25.	धायिल कला	330
26.	निमोडिया	345
27.	आकोडिया	175
28.	हरीपुरा	236
29.	सयाहडी वापूगांव	253
30.	स्याहेडी कला	265
31.	महादेवपुरा	185
32.	खेडा रानीवास	263
33.	कोट खावदा	369
34.	राडोली	377
35.	बडोदिया	206
36.	गरड़वायी	253
37.	महन्देवपुरा	272
38.	भन्डालिया	312
39.	ठी गुजरान	283
40.	देहरवाला	264
41.	रामनगर	294
42.	भापदा कला	268
43.	ठी मीनान	266
		11,883

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूची)

परिशिष्ट "क"

नाम तहसील	बन्दोबस्त गैरखातेदार	अलाटी
1. चूरू	भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत है और रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।	—
2. रतनगढ़	,,	—
3. सुजानगढ़	,,	—
4. राजगढ़	,,	34
5. सरदारशहर	3751	—
6. तारानगर	158	—
7. श्रीडूंगरगढ़	1149	—

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 9 अक्टूबर, 1973)

क्र सं. 1	स्कम्भ संख्या 2	पंक्ति संख्या 3	अशुद्ध 4	शुद्ध 5
1.				
2.	25	नीचे से 11	आती	जाती
3.	37	ऊपर से 2	ओर	और
4.	132	नीचे से 1	करेंर	करें
5.	133	ऊपर से 13	प्रम्मुरव	प्रमुख
6.	152	ऊपर से 1	हुई स्तीफा	स्तीफा
7.	153	नीचे से 14	गांव	गांठ
8.	158	ऊपर से 12	लाखा टन	टन
9.	161	नीचे से 7	है	—
10.	162	नीचे से 10	4,4 11	4,4/2
11.	162	नीचे से 5	बांगला	बंगला
12.	163	ऊपर से 10	कहना	कहना कि
13.	163	नीचे से 13	कहना	कहना कि
14.	163	नीचे से 8	हूं	हूं कि
15.	165	ऊपर से 6	प्राडक्ट	प्रोड्यूस
16.	167	ऊपर से 1	प्रो०	—
17.	169	नीचे से 16	हैं	हैं तो
18.	170	ऊपर से 3	मार्च	मार्च में
19.	171	नीचे से 13	है	है उसको
20.	173	ऊपर से 8	है	है कि
22.	176	नीचे से 16	आज	अनाज
23.	176	नीचे से 6	लोक	लोक
24.	182	ऊपर से 1	जाते	आते
26.	211	नीचे से 5	डिब्यूशन	डिस्ट्रिब्यूशन
27.	217	नीचे से 2	यदि हम	—
29.	287	नीचे से 7	हमारे	हमारी
30.	289	नीचे से 11	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष महोदय

1	2	3	4	5
31.	306	ऊपर से 8	पूर्वक	पूर्ण
32.	307	ऊपर से 1	महावार	महावर
33.	307	नीचे से 4	लेते	देते
34.	308	ऊपर से 9	के	ने
35.	308	नीचे से 10	भट्ट	भटनागर
36.	309	नीचे से 4	पिहले	पहिले
37.	310	नीचे से 19	गिधारी लाल	गिरधारी लाल
38.	313	ऊपर से 15	पड़ा	—
39.	319	नीचे से 5	एटोचूड	एटीट्यूड
40.	335	ऊपर से 13	पलोज	प्लीज